

श्री महावीर-वचनामृत

सम्पादक और विवेचक

पं० धीरजलाल शाह 'शतावधानी'



अनुवादक

पं० रुद्रदेव त्रिपाठी, एम० ए०

साहित्य-सांख्य-योगाचार्य



जैन साहित्य-प्रकाशन-मन्दिर : बम्बई

प्रकाशक :

नरेन्द्रकुमार डी० शाह

व्यवस्थापक :

जैन साहित्य-प्रकाशन-मन्दिर

लवाभाई गुणपत वीलिंग

चौव बदर, बम्बई-६



गृजराती सस्करण

प्रथम आवृत्ति—२०००

त० २०१६



हिन्दी मन्करण

प्रथम आवृत्ति—२३००

न०-२०१६



सर्व अधिकार सुरक्षित



मूल्य : ६ रुपये




मुद्रक .

शोभाचन्द सुगणा

रेफिल आर्ट प्रेस,

३१, बडवहा स्ट्रीट,

वल्कना-३



भगवान् महावीर

समर्पण

मृत्यु और अहिंसा के
सतत उपासक
युग-पुरुष विनोबा को
सादर

—सम्पादक

श्री विनोबाजी सेवप्राप्त

बंगाल यात्रा

१५-५-६३

श्री धीरजलाल गाह,

श्री 'वीर-वचनामृत' जो गुजराती मे छपा है, अुसका हीदी अनुवाद पाठको के लीअे पेश कीया जा रहा है, यह खुशी की बात है ।

महावीर स्वामी के वचनो का संग्रह करनेवाली दो कीतावे अीसके पहीले प्रकाशीत हो चुकी है । अेक श्री सतबालजी की 'साधक सहचरी', दूसरी श्री ऋषभदास राका ने प्रकाशीत की हुअी (पं० बेचरदास दोशी सम्पादित) 'महावीर वाणी' ।

'वीर-वचनामृत' अुन दोनो से अधिक व्यापक है । मेरी तो सूचना है को भारत के चुने हुअे दस-वीस दर्शन-ज्ञान-चरीत्र-संपन्न जैन वीद्वानो की अेक समीती महावीर स्वामी के वचनो का सर्वमान्य संग्रह पेश करने के लीअे वीठानी चाहिये । अगर वैसा हो सका तो जैन और जैनेतर दोनो के लीअे अेक प्रामाणीक आधार-ग्रथ मील जायगा ।

अैसे ग्रथो मे मूल के साथ अुसका संस्कृत रूपांतर भी पेश करने से पाठको को सहूलियत होती है ।

वीनोबा का जय जगत्

मङ्गल-भावना

अतुलशान्तिकरं सकलार्तिहं,
परपदासिविधौ सुनिदेशकम् ।
जगति वीरमुखाम्बुधिनिःसृतं,
पिवत रे मनुजा वचनामृतम् ॥
—प० घनगिरि शास्त्री
(सीतामऊ)

चिनोतु धैर्यं विविनक्तु वाच,
चिनोतु सत्यं प्रभनक्तु भीतिम्
चिरस्य लोकस्य निरस्य तान्ति
ददातु शान्तिं भुवि वीरवाणी ॥
—म० म० परमेश्वरानन्द शास्त्री
(जालंधर)

मुदा वीरवाचोऽमृतं सारभूतं,
प्रभूतं सुधैर्येण यत्संगृहीतम् ।
नितान्तं सुकान्तं प्रसारोऽस्य भूयात्,
जनानां मनोऽस्मिन् चिरं ररमीतु ॥
—डॉ० मदनमिश्र मीमांसाचार्य
(दिल्ली)

प्रकाशकोथ

भारत के ऋषि-महर्षि एव सन्त-समुदाय ने जो नैतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक उपदेश दिया है, उसमें भगवान् महावीर का उपदेश विशिष्ट स्थान रखता है। परन्तु यह उपदेश अर्धमागधी भाषा में है और जैन सूत्रों में यत्र तत्र बिखरा हुआ होने से सर्वसामान्य जनता तक नहीं पहुँच पाता है। इस समस्या को हल करने के लिए हमारे पूज्य पिता श्री गतावधानी पंडित श्री घोरजलाल शाह ने जैन सूत्रों का दोहन करके 'श्री वीर-वचनामृत' नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसमें मूल वचन, उनका आधार-स्थान और सरल-स्पष्ट गुजराती अनुवाद के साथ आवश्यक विवेचन भी दिया।

उक्त गुजराती संस्करण का प्रकाशन दिनांक १८-११-६२ को बम्बई में भव्य समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। जैन जनता ने उसका अभूतपूर्व सत्कार किया। ग्रन्थ की २००० प्रतियाँ हाथोहाथ बिक गईं। उस समारोह के अवसर पर इस ग्रन्थ का हिन्दी संस्करण 'श्री महावीर-वचनामृत' नाम से प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

किसी भी कार्य की प्रारम्भिक स्थिति में कुछ न कुछ न्यूनताओं का रह जाना स्वाभाविक है, इसलिए गुजराती संस्करण का पर्याप्त संशोधन किया गया। तदनन्तर मन्दसौर-निवासी प० रुद्रदेव त्रिपाठी

एम० ए० साहित्य-साख्य-योगाचार्य ने बड़े ही परिश्रम से केवल चार मास की अवधि में उसका हिन्दी अनुवाद तैयार किया। उसका भी संशोधन हुआ और कलकत्ता में रेफिल आर्ट प्रेस के अधिपति श्री शोभाचन्द्रजी सुराणा का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने से केवल तीन मास की अवधि में यह ग्रन्थ सुन्दर ढंग से छपकर तैयार हो गया। इसके पत्र-संशोधन में पं० प्रमुदत्त शास्त्री साहित्य-रत्न, साहित्य-प्रभाकर ने पूर्ण सहायता की। हम इन महानुभावों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समाज के लोकप्रिय एवं विद्वान् आचार्य श्री विजयवर्ममूरि जी महाराज ने, जैन श्वेताम्बर स्थानवासी समाज के बहुश्रुत मान्य विद्वान् उपा० श्री अमर मुनिजी ने और दिगम्बर सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध विद्वान् प० कैलासचन्द्र शास्त्री ने इस ग्रन्थ का प्राक्कथन लिखने की कृपा की तथा जैन श्वेताम्बर तेरापथी सम्प्रदाय के आचार्य श्री तुलसीजी के शिष्यरत्न मुनिश्री नयमरुजी ने विस्तृत और विगद प्रस्तावना में इस ग्रन्थ को अलंकृत किया। प० धनगिरि शास्त्री, म० म० परमेश्वरानन्द शास्त्री और डॉ० मटन मिश्र श्रीमान् आचार्य ने मङ्गल भावना प्रदान की। ये सर्व महानुभावों के प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करने हैं।

सर्वोदय-प्रवृत्ति के मचारुक पुज्य विनोबाजी ने पत्र द्वारा विभिन्न सुभाष देकर और हमारा अति आग्रह में इस ग्रन्थ का समर्पण स्वीकार कर हमें अति उत्कृत किया है।

पृ० आ० श्री विजय अनन्तमूर्तिश्वरजी महाराज, पृ० आ० श्री विजय

लक्ष्मणसूरीश्वरजी महाराज, पू० आ० श्री विजय समुद्रसूरीश्वरजी महाराज, पू० पन्यास श्री धुरन्धरविजयजी गणिवर्य, पू० पन्यास श्री भानुविजयजी गणिवर्य, पू० मुमुक्षु श्री भव्यानन्दविजयजी महाराज, बम्बई-निवासी श्री रमणिकचंद मोतीचंद भवेरी और श्री अभयराज बलदोटा, लडन-निवासी श्री मेघजी पथराज शाह, श्री आत्मानन्द जैन महासभा पजाब के प्रधान मंत्री प्रो० पृथ्वीराज जैन एम० ए०, कलकत्ता-निवासी श्री मोहनलाल भवेरी, श्री रजनीकान्त शाह, श्री छोटेलाल जैन, श्री ताजमलजी बोथरा, श्री भंवरलालजी नाहटा, श्री कुवरजी माणकेजी और कई मित्रो तथा प्रशसकों ने इस प्रकाशन में हार्दिकता दिखलाई है, इन सभी के हम अत्यन्त आभारी हैं ।

कलकत्ता-जैन सभा ने तो इस प्रकाशन को अपना ही मान कर विशिष्ट प्रकाशन-समारोह की योजना की, और वितरण आदि में भी सुन्दर सहयोग दिया । उसके प्रधान कार्यकर्ता श्री नवरतनमलजी सुराणा, श्री लाभचन्दजी रायसुराणा, श्री दीपचन्दजी नाहटा, श्री केवलचन्दजी नाहटा, श्री पन्नालालजी नाहटा आदि को हम कैसे भूले ?

हम आशा रखते हैं कि हिन्दी भाषा-भाषी जनता इस सस्करण को अपना कर हमें प्रोत्साहित करेगी ।

नरेन्द्रकुमार शाह

विषयानुक्रम



सम्पादकीय	१३
प्राक्कथन : (१) आचार्य श्री विजयधर्मसूरि	१७
(२) उपाध्याय श्री अमरमुनि	१८
(३) पं० श्री कैलाशचन्द्र शास्त्री	२०
प्रस्तावना : मुनि श्री नथमलजी	२५
भगवान् महावीर : प० धीरजलाल शाह	४६
शुद्धिपत्रक	७७
सकेत-सूची	७६

वचनामृत

धारा	विषय	पृष्ठांक
१	विश्वतन्त्र ...	३
२	सिद्ध जीवो का स्वरूप ...	१७
३	ससारी जीवों का स्वरूप ..	२६
४	कर्मवाद ...	४८
५	कर्म के प्रकार ..	६०
६	दुर्लभ संयोग ...	७४

७	आत्म-जय	...	८३
८	मोक्ष-मार्ग	...	८८
९	साधना-क्रम	...	१०४
१०	धर्माचरण	...	११३
११	अहिंसा	..	१२१
१२	सत्य	...	१३५
१३	अस्तेय	...	१४६
१४	ब्रह्मचर्य	...	१५१
१५	अपरिग्रह	...	१६७
१६	सामान्य साधु-धर्म	...	१७५
१७	साधु का आचरण	...	१९४
१८	अष्ट-प्रवचन माता	...	२१५
१९	भिक्षाचरी	...	२३०
२०	भिक्षु की पहचान	...	२४७
२१	संयम की आराधना	...	२५८
२२	तपश्चर्या	...	२६५
२३	विनय (गुरुसेवा)	..	२६८
२४	कुशिष्य	..	२८४
२५	दुःशील	...	२९०
२६	काम-भोग	...	२९४
२७	प्रमाद	...	३०६
२८	विषय	...	३१९

२९	कपाय	...	३३३
३०	वाल और पडित	...	३४१
३१	ब्राह्मण किसे कहा जाय ?	...	३४७
३२	वीर्य और वीरता	...	३५२
३३	सम्यक्त्व	..	३५६
३४	षडावश्यक	...	३६४
३५	भावना	...	३७०
३६	लेश्या	.	३७७
३७	मृत्यु	...	३८६
३८	परभव	...	३९३
३९	नरक की वेदना	...	४०५
४०	शिक्षापद	.	४११
	वचनों का अकारादि क्रम	..	४२१



सम्पादकीय

भगवान् महावीर के वचनो के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की दृढता मेरे जीवन में किस प्रकार उद्भूत हुई, इस सम्बन्ध में यदि यहाँ थोडा-सा उल्लेख किया जाय, तो अनुचित नहीं होगा।

जैन कुटुम्ब में उत्पन्न होने के कारण भगवान् महावीर का नाम तो शैशवावस्था में ही श्रवण किया था तथा चौबीस तीर्थंकरों के नाम कण्ठस्थ करते-करते वह हृदय-पटल पर अङ्कित हो गया था। तदनन्तर मेरी धर्म-परायण माता ने महावीर-जीवन के कतिपय प्रसङ्ग सुनाये उससे मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ था, किन्तु उस समय मेरी आयु बहुत छोटी थी, मेरा ज्ञान अति अल्प था।

चौदह-पन्द्रह वर्ष की अवस्था में मेरी जन्मभूमि (सौराष्ट्र के 'दाणावाडा' गाँव) में मेरे दाहिने पैर में एक सर्प ने दंश दिया, तब 'महावीर-महावीर' नाम रटने से ही पुनर्जीवन प्राप्त किया था।

फिर अहमदाबाद में रहते हुए विद्याभ्यास के दिनों में एक बार पर्युषण-पर्व के समय गुरुमुख से भगवान् महावीर का चरित्र मैंने आद्योपान्त सुना और मेरे मन में उनकी एक मङ्गलमयी मूर्ति

अङ्कित हो गई। उसी दिन से भगवान् महावीर का स्मरण-वन्दन-पूजन आदि अधिक रूप से करने लगा।

विद्याभ्यास समाप्त होने के बाद भगवान् महावीर के सम्बन्ध में कुछ लिखने की भावना मुखरित हुई और मैंने गुजराती भाषा में बालभोग्य शैली में 'प्रभु महावीर' नामक एक लघु चरित्र लिखा। विद्यार्थियों को वह प्रिय लगा तथा वम्बई के 'श्री जैन श्वेताम्बर एज्युकेशन बोर्ड' ने उसे धार्मिक अभ्यासक्रम में जोड़ लिया। इसी के फलस्वरूप उसकी आज तक नौ आवृत्तियाँ हो चुकी हैं।

इसके पश्चात् सर्वोपयोगी ढंग से गुजराती भाषा में 'विश्ववन्द्य प्रभु महावीर' नामक एक छोटी पुस्तिका लिखी तथा उसकी एक ही वर्ष में १००००० एक लाख (प्रतियाँ) समाज के करकमलों में प्रस्तुत की। उसकी द्वितीय आवृत्ति गत वर्ष में प्रकाशित हुई और केवल एक ही दिन में उसकी ११००० ग्यारह हजार प्रतियाँ हाथो हाथ विक गई।

विगत दश-चारह वर्षों में भगवान् महावीर के सम्बन्ध में पढ़ने-विचारने तथा लिखने के प्रसंग अत्यधिक आये और उनकी उपासना तो कई वर्षों से अनवरत चल ही रही थी। इस हालत में मेरे अन्तर में भगवान् महावीर के वचनों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की भावना अति दृढ बन गई।

भगवान् महावीर के वचन वस्तुतः अमृततुल्य हैं, क्योंकि ये विषय और कषायरूपी विष का गीघ्न शमन करते हैं और इनकी पान करने वाले को अलौकिक आनन्द प्रदान करते हैं। साथ ही इन में जीवन-शोधन की पर्याप्त सामग्री भरी हुई है, अतः सभी

मुमुक्षुओ को इन वचनो का स्वाध्याय प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये ।

प्रस्तुत संकलन तैयार करते समय श्री उत्तराध्ययन सूत्र तथा श्री दशवैकालिक सूत्र का पूर्णरूप से उपयोग किया गया है । आजतक उपर्युक्त दोनो ग्रन्थ-रत्नो की कई आवृत्तियाँ प्रकाशित हो चुकी है और उनमे गाथाओ के क्रमांक मे एक-दो का अन्तर आता है । अतः प्रस्तुत संकलन को प्रचलित आवृत्तियो के साथ मिलाने पर कही-कही एकाध-दो गाथाओ का अन्तर होने की सम्भावना है, जिसे पाठकगण किसी प्रकार की त्रुटि न समझे । ठीक वैसे ही मूल गाथाओ मे भी कही-कही पाठान्तर हैं जो टीकाकारो के अभिप्राय एव अर्थ-सगति को परिलक्षित करते हुए योग्य रूप से रखे गये है । अतः उसमे भी प्रचलित आवृत्ति की अपेक्षा कुछ स्थानो पर अन्तर होना स्वाभाविक है । लेकिन जब तक इन दोनो ग्रन्थो की सर्वसामान्य आवृत्ति तैयार न की जाय तबतक यह स्थिति बनी ही रहेगी ।

प्रस्तुत हिन्दी संस्करण मे भगवान् महावीर के १००८ वचनो का संग्रह ४० धाराओ मे सुव्यवस्थित ढंग से उपस्थित किया गया है । अतः पाठकगण किसी भी विषय पर भगवान् का मतव्य क्या था, वह आसानी से जान सकेगे । फिर प्रत्येक वचन के नीचे उसका मूल आधारस्थान संकेत द्वारा सूचित किया गया है और स्पष्ट-सरल अनुवाद साथ योग्य विवेचन भी दिया गया है । आखिर मे अति आवश्यक समझ कर प्रकाशित वचनो का अकारादि क्रम भी जोड़ दिया है ।

ग्रन्थ के अग्रिम भाग मे भगवान् महावीर की तिरगी तस्वीर, तीन विद्वानो के प्राक्कथन और विस्तृत प्रस्तावना एव भगवान् महावीर के जीवन की ऐतिहासिक रेखा भी दी गई है। अतः इस विषय मे अनुराग रखनेवालो के लिए यह ग्रन्थ अति उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी धारणा है। विशेष क्या ? यह ग्रन्थ का पठन-पाठन सर्व के कल्याण का कारण हो।

वम्बई

दि० ६-७-६३

धीरजलाल शाह

प्राक्कथन

[१]

श्रमण भगवान् महावीर कैवल्यवस्था प्राप्त होने के बाद तीस वर्ष तक असख्य जन-समुदाय को अपने विशिष्ट वचनामृत का पान कराते रहे । फलतः असख्य आत्माएँ सदा-सर्वदा के लिए भवपाश से छूट गई । विशेष क्या ? यह महाप्रभु का वचन श्रवण करने के प्रताप से पशु-पक्षी भी अपनी आत्मा का उद्धार करने में समर्थ बने ।

विश्ववद्य भगवान् महावीर के इस वचनामृत का सग्रह इनके पट्टशिष्य अर्थात् गणधर भगवन्तो ने आचाराग, सूयगडाग आदि सूत्रों के रूप में व्यवस्थित किया और जैन शासन का चतुर्विध सघ आज तक गुणवन्त गीतार्थों के मुख से ये सूत्रों को श्रवण कर आत्म-कल्याण की साधना में रत रहा है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादक शतावधानी पंडित श्री धीरज भाई ने भी भगवान् के इस वचनामृत को श्रमण-श्रेष्ठों के मुख से कई बार सुने और श्रद्धापूर्ण भावना से अपने हृदय-मन्दिर में स्थापित किए ऐसा मेरा ख्याल है । फिर कई महानुभावों का ऐसा सुझाव रहा कि देवा-धिदेव भगवान् महावीर के वचनामृत के इस अनमोल सग्रह को यदि सुव्यवस्थित ढंग से गुजराती, हिन्दी, एव अंग्रेजी भाषा में सरल-स्पष्ट

अनुवाद के साथ प्रकाशित किया जाय तो जैन और जैनैतर जनता के लिये अति मननीय सुन्दर विचार-सामग्री उपलब्ध हो जायगी, जो उन्हें जैन सिद्धान्त और धर्म के हार्द तक पहुँचने में निःसन्देह सहायक सिद्ध होगी ।

श्री धीरज भाई ने इस सुभाष को अपने पुरुषार्थी स्वभाव से अल्प समय में ही कार्यरूप में परिणत किया और जनता के सामने 'श्री वीर-वचनामृत' नामक गुजराती संस्करण भव्य समारोह पूर्वक रख दिया । जनता ने इसका सुन्दर सत्कार किया ।

इस सत्कार से उत्साहित होकर श्री धीरजभाई ने अल्यावधि में ही उसका हिन्दी अनुवाद तैयार करवाकर मुद्रित भी करा लिया और अभी बंगाल देश की महानगरी कलकत्ता में इसका प्रकाशन हो रहा है । क्या श्री धीरजभाई का यह पुरुषार्थ सराहनीय एवं धन्यवाद के योग्य नहीं है ? ।

यदि पाठक वर्ग प्रस्तुत ग्रन्थ का वाचन, मनन और निदिध्यासन करेंगे तो उनकी आत्मा परमात्मावस्था के पुनीत पथ पर सफलता पूर्वक प्रयाण करेगी, इसमें तनीक भी शंका नहीं है ।

बम्बई, २० जून १९६३

विजयधर्म सूरि

[२]

श्रमण भगवान् महावीर देश-विशेष तथा काल-विशेष की विभूति नहीं है । उनका दिव्य ज्योतिर्मय व्यक्तित्व देश और काल की क्षुद्र सीमाओं को तोड़कर सदा सर्वत्र प्रकाशमान रहनेवाला अजर-अमर व्यक्तित्व है । अनन्त सत्य का साक्षात्कार करने के लिए उन्होंने

भौतिक जीवन की समग्र सुख-सुविधाओं को ठुकराया । अन्तर्जीवन का विम्लेषण एवं मन्थन कर राग-द्वेष की वैकारिक कालिमा को दूर हटाया और अन्तर में शुद्ध, बुद्ध, निरजन, निर्विकार आत्म-सत्ता का नाथात्कार किया ।

भगवान् महावीर की वाणी वह पतित-पावनी निर्मल धारा है, जिसमें निमज्जित होने से आत्मा अपने लोक-परलोक और लोकातीत तीनों प्रकार के जीवन को पावन एवं पवित्र कर लेता है । द्रव्य-गंगा तन के ताप को कुछ क्षणों के लिए भले ही शान्त कर दे किन्तु उसमें मन के ताप को शीतल करने की क्षमता नहीं है । परन्तु भगवान् की वाणी रूप निर्मलधारा मनुष्य के मनस्ताप को अखण्ड शान्ति और शीतलता प्रदान करती है ।

जग-जीवन के परिताप और पीडा को दूर करने के लिए भगवान् महावीर ने अकार-त्रयी की दिव्य देशना दी थी—अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह । मन के वैरभाव को दूर करने के लिए अहिंसा, बुद्धि की जडता और आग्रह को मिटाने के लिए अनेकान्त तथा समाज और राष्ट्र की विषमता को दूर करने के लिए अपरिग्रह परम आवश्यक तत्त्व है । इस अकार-त्रयी में भगवान् की समग्र वाणी का सार आ जाता है । शेष जो भी कुछ है, वह सब इसी का विस्तार है ।

आगम-महासागर का मन्थन करके, उसमें से भगवान् महावीर के दिव्य सन्देश रूप अमृत कण निकालना और उसे सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय प्रस्तुत करना, आज के साहित्यकार का सब से बड़ा कर्तव्य है । साहित्यकार का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रतिभा और

कला के अभिनव प्रयोग से पुरातन धार्मिक, सांस्कृतिक तत्त्वों को अपने युगकी अभिनव शैली में अभिव्यक्त कर के जनता-जनार्दन के हाथों में समर्पित करे ।

शतावधानी पण्डित धीरजभाई द्वारा सकलित और सम्पादित "श्रीमहावीर वचनामृत" इस दिशा में एक सुन्दर और स्तुत्य प्रयास है । इसके पठन-पाठन से जन-जीवन को एक पावन प्रेरणा मिलेगी । हिन्दी में ही नहीं, भारत की अन्य भाषाओं तथा अंग्रेजी में भी इसका रूपान्तर होना चाहिए । अधिक से अधिक मनुष्यों के हाथों में श्रमण भगवान् महावीर का यह सार्वजनीन शाश्वत सन्देश पहुँच सके, इस प्रकार के हर किसी प्रयत्न से मुझे परम प्रमन्नता होगी ।

जैन भवन
लोहामण्डी, आगरा
ता० २२-६-६३

}

उपाध्याय
अमर मुनि

[३]

भगवान् महावीर जैन धर्म के अन्तिम तीर्थङ्कर थे । उन्होंने बारह वर्षों की कठोर साधना के पश्चात् सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनकर जिस सत्य का प्रतिपादन अपनी दिव्य वाणी के द्वारा किया, वह उनसे पूर्व के तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित रूप से भिन्न नहीं था । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भगवान् महावीर के पश्चात् जैन संघ में भेद पड़ जाने पर भी तात्त्विक मन्तव्यों में कोई भेद नहीं पड़ा । आज भी समस्त जैन सघों के तात्त्विक मन्तव्य वे ही हैं जो भगवान् महावीर के समय में अखण्ड जैन संघ के थे । यह कोई सामान्य बात

नहीं है। दोनों जैन सम्प्रदायों के दार्शनिकों ने भी यदि परस्पर में एक दूसरे का खण्डन किया तो स्त्री-मुक्ति और केवलि-भुक्ति को लेकर ही किया। इसके सिवाय उन्हें कोई तीसरा मुद्दा नहीं मिला। इन दो विषयों से सवधित बातों को यदि छोड़ दिया जाये तो समस्त जैन सम्प्रदायों की वाणी में आज भी वही एक-रूपता मिल सकती है, जो भगवान् महावीर की वाणी में थी।

उदाहरण के लिये श्री धीरजलालजी शाह के द्वारा कुछ आगमों से संकलित इसी श्री महावीर वचनमृत को रख सकते हैं। इसमें विश्वतन्त्र, सिद्ध जीवों का स्वरूप, ससारी जीवों का स्वरूप, कर्म-वाद, कर्म के प्रकार, दुर्लभ संयोग, मोक्षमार्ग, साधनाक्रम, धर्माचरण, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सामान्य साधु-धर्म, साधु का आचरण, अष्ट-प्रवचनमाता, भिक्षाचरी, भिक्षु की पहचान, संयम की साधना, विनय, कुशिष्य, काम-भोग, प्रमाद, विषय, कषाय, सम्यक्त्व, षडावश्यक आदि ४० विषयों का संग्रह है। इनको जैन मात्र ही नहीं, जैनोत्तर बन्धु भी बिना किसी संकोच के पढ़ सकते हैं।

धर्म के सामान्य नियम तो प्रायः समान हुआ करते हैं। उन्हीं समान नियमों को जीवन में अपनाने से मनुष्य में देवत्व का विकास होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग आदि ऐसे ही सामान्य नियम हैं। ये नियम किसी सम्प्रदाय से बढ़ न होकर धर्म सामान्य से सम्बद्ध हैं। जहाँ ये हैं वहाँ धर्म अवश्य है और जहाँ ये नहीं हैं वहाँ धर्म

नहीं है। किसी भी धर्म में हिंसा, असत्य, चोरी, दुराचार, परिग्रह, क्रोध, मान, मायाचार, लोभ, असयम आदि को धर्म नहीं माना। फिर भी इनको लेकर कोई दंगा फसाद नहीं होता। इनको मिटाने के लिये किसी को किसी की जान लेते या अपनी जान देते नहीं देखा जाता। इनका निषेध तो गौन हो गया है और इनके चलते रहते भी जो कुछ चलता रह सकता है वही मुख्य हो गया है। धर्म करना भी न पड़े और धर्मात्माओं में नाम लिखा जाये, ऐसे ही धर्म की आज बोलबाला है। इसी से धर्म और धर्मात्माओं के प्रति गिरित समाज की आस्था उठती जाती है। इस आस्था को बनाये रखने में 'श्री महावीर-वचनमृत' जैसे संकलन बड़े उपयोगी हो सकते हैं।

भगवान् महावीर कोई स्वयंसिद्ध, गुद्ध, बुद्ध अनादि परमात्मा नहीं थे। वे भी कभी हमी में से थे। इसलिये उनके वचनमृत उस अनुभव का निचोड़ है जो उन्होंने अपने एक नहीं अनेक जीवनो में अर्जन किया। और उसके द्वारा स्वयं गुद्ध बुद्ध परमात्मा बनकर उस सत्यका साक्षात्कार किया जो इस चराचर विश्व का रहस्य बना हुआ है और फिर अपनी दिव्यवाणी के द्वारा उसे प्रकट किया।

भगवान् महावीर का युग देवताओं का युग था। देवताओं का ही डिंडिमनाद सर्वत्र सुनाई पड़ता था। उन्हें प्रसन्न करने के लिये बड़े-बड़े यज्ञ किये जाते थे। उस समय का मानव देवताओं का गुलाम था। भगवान् महावीर ने उस दासता के वन्धन को काटकर मनुष्य को देवताओं का भी आराध्य बना दिया। और किसी स्वयंसिद्ध सर्व-शक्तिमान् कर्त्ता-हर्त्ता-विधाता—ईश्वर की सत्ता से भी इन्कार कर

दिया। वह उनकी वैचारिक क्रान्ति थी। उनके धर्म का केन्द्र ईश्वर नहीं था और न वेद था, किन्तु आत्मा था, जिसे भुला दिया गया था। उसी भूली भटकी आत्मा को केन्द्र में रखकर भगवान् महावीर ने अपनी तत्त्वज्ञान-मूलक साधना की या साधना-मूलक तत्त्वज्ञान का सागोपाग विवेचन किया। और सृष्टि के किसी रहस्य को 'अव्याकृत' कहकर उसे ढाला नहीं।

सत्य को जानने से भी अधिक कठिन है सत्य को यथार्थ रूप में प्रकाशित करना, क्योंकि ज्ञान पूर्ण सत्य को एक साथ जान सकता है, किन्तु शब्द उसे एक साथ ज्यों का त्यों प्रकाशित नहीं कर सकता। शब्दोत्पत्ति क्रमिक तो है। फिर ज्ञाता अपने अभिप्राय के अनुसार वस्तु के धर्म को प्राधान्य देता है। इन कारणों से उत्पन्न हुए विवाद या मतिभेद को दूर करने के लिये भगवान् महावीर ने अनेकान्तवाद के साथ स्याद्वाद और नयवाद का समवतार दार्शनिक क्षेत्र में किया, जिससे वैचारिक क्षेत्र में किसी के साथ अन्याय न हो। पूर्ण अहिंसक तो थे वे। इसीसे स्वामी समन्तभद्र ने अपने युक्त्यनुशासन में कहा है—

दया-दम-त्याग-समाधिनिष्ठ,

नय-प्रमाणैः प्रकृताञ्जसार्थम् ।

अघृष्यमन्यैर्निखिलप्रवादिभि-

जिन त्वदीय मतमद्वितीयम् ॥

हे जिन ! तुम्हारा मत अद्वितीय है। एक ओर वह दया, दम, त्याग और समाधि को लिये हुए है, दूसरी ओर उसमें नय और

प्रमाणों के द्वारा प्रकृत वास्तविक अर्थ को ग्रहण करने की व्यवस्था है। इसी से कोई वादि उसे शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकता ।

उन्हीं जिनेन्द्र भगवान महावीर के वचनामृत के इस संकलन को श्री धीरजलालजी शाह ने सम्पादित किया है। मेरा उनसे प्रथम परिचय इसी सकलन के माध्यम से हुआ। और उनकी प्रेरणा से इस प्रथम परिचय के उपहार रूप में अपने दो शब्द पाठको को भेंट करता हूँ। इसके नये सस्करण में इस सकलन को और भी परिमार्जित और विस्तृत किया जाये ऐसी मेरी भावना है।

श्री स्याद्वाद महाविद्यालय
वाराणसी
दि० २२-६-६३

कैलाशचन्द्र शास्त्री

प्रस्तावना

● आत्म-जिज्ञासा की सम्पूर्ति

भगवान् महावीर आत्म-साक्षात्कार के महान् प्रवर्तक थे। आत्म-साक्षात्कार अर्थात् सत्य का साक्षात्कार। सत्य का उपदेश वही दे सकता है जो उसका साक्षात्कार कर पाता है। भगवान् सत्य के अनन्त रूपों के द्रष्टा थे। पर जितना देखा जाता है, उतना कहा नहीं जा सकता। भगवान् ने जिन सत्यों का निरूपण किया, वे भी हमें पूर्णतः ज्ञात नहीं हैं। मनुष्य जितना ज्ञात की ओर भुक्तता है, उतना अज्ञात की ओर नहीं। भगवान् महावीर ने अहिंसा, सत्य आदि का उपदेश दिया, जातिवाद की तात्त्विकता का खण्डन किया, यज्ञ-हिंसा का विरोध किया आदि-आदि। जो ज्ञाततथ्य हैं, वे ही उनकी गुण-गाथा में गाए जाते हैं। किन्तु भगवान् ने जीवन के ऐसे अनेक ध्रुव-सत्यों पर प्रकाश डाला, जिन पर हमारा ध्यान सहज ही आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि वे हमारे लिए ज्ञात होकर भी अज्ञात हैं। अज्ञात को पकड़ने में जो कठिनाई होती है, उससे कहीं अधिक कठिनाई होती है उसे पकड़ने में, जो ज्ञात होकर भी अज्ञात होता है।

आत्मा देह से भिन्न है, आत्मा ही परमात्मा है—यह हमें ज्ञात है, फिर भी हम इस सत्य को तब तक नहीं पकड़ पाते जब तक हम स्वयं सत्य रूप नहीं बन जाते। भगवान् महावीर का सबसे श्रेष्ठ उपदेश यही है कि तुम स्वयं सत्य रूप बनकर सत्य को पकड़ो। वह तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। तुम असत्य रूप रहकर उसे नहीं पा सकोगे।

दुःख कामना से उत्पन्न होता है—यह जानते हुए भी मनुष्य दुःख मिटाने के लिए कामना के जाल में फँसता है। वैर—वैर में बढता है—यह जानते हुए भी मनुष्य वैर को बढावा देता है। अस्त्र अगान्ति को उत्तेजित करता है—यह जानते हुए भी मनुष्य अगान्ति के लिए अस्त्र का निर्माण करता है। भगवान् ने कहा—दुःख का पार वही पा सकता है जो कामना को जानता है और उसे छोड़ना भी जानता है। वैर का पार वही पा सकता है जो वैर के परिणाम को जानता है और उसे छोड़ना भी जानता है। अस्त्र का पार वही पा सकता है जो अगान्ति को जानता है और उसे छोड़ना भी जानता है। भगवान् की भाषा में वह ज्ञान ज्ञान नहीं जो त्याग्य को त्याग न सके। उनका ज्ञान भी आत्मा है, दर्शन भी आत्मा है और चारित्र्य भी आत्मा है। भगवान् का सारा धर्म आत्ममय है। उनका सारा उपदेश आत्मा की परिधि में है। इसलिए जो कोई आत्मवीर होता है, जिसमें आत्म-जिज्ञासा या आत्मोपलब्धि की भावना प्रबल हो जाती है, उसके लिए भगवान् महावीर की वाणी को पढ़ना अनिवार्य या महज प्राप्त हो जाता है।

● अहिंसा और धर्म

भ० महावीर श्रमण-परम्परा में अवतीर्ण हुए । उन्होंने निर्ग्रन्थ दीक्षा स्वीकार की । भगवान् ऋषभ ने धर्म की स्थापना की । मध्यवर्ती बाईस तीर्थंकरों ने चातुर्यामि धर्म की व्यवस्था की । भगवान् महावीर ने पुनः पचयाम धर्म की स्थापना की । इसका कारण यह बतलाया गया है कि प्रथम तीर्थंकर के साधु ऋजु-जड थे इसलिए पंचयाम की व्यवस्था की गई—ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पृथक्-पृथक् महाव्रतमाने गए । मध्यवर्ती बाईस तीर्थंकरों के साधु ऋजु-प्राज्ञ थे इसलिए चातुर्यामि से काम चल गया । ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को एक ही शब्द—‘वहिद्धादाणविरमण’ में संग्रहीत कर लिया गया । भगवान् महावीर के शिष्य वक्र-जड हुए इसलिए उन्हें पुनः भगवान् ऋषभ का अनुसरण करना पड़ा । यह युक्ति सुन्दर है, फिर भी इस व्यवस्था-भेद का मूल कारण यही है, यह समझने में कठिनाई है । यह बहुत ही मीमांसनीय विषय है । जिस प्रकार अहिंसा धर्म के लिए नव तीर्थंकरों की एकसूत्रता बतलाई है, उसी प्रकार अन्य धर्मों की नहीं बतलाई, इसका कारण क्या है ? या तो अहिंसा में गोप सारे धर्मों को वे समाहित कर लेने थे अथवा कोई दूसरा कारण था—निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता । जैन धर्म में आचार का न्याय बहुत प्रमुख रहा है । एक दृष्टि से उसे आचार और नीति-धर्म का प्रवर्तक कहा जा सकता है । जीवन की रागी प्रवृत्तियों की व्याख्या एक अहिंसा शब्द के आवारण पर की जा सकती है । संभव है कि दृष्टि में ही अहिंसा को सब तीर्थंकरों का समान धर्म माना गया हो ।

यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि जैन धर्म जो है, वह अहिंसा है और जो अहिंसा है, वह जैन धर्म है ।

● अहिंसा और सत्य

कुछ विद्वान् ऐसा सोचते हैं कि जैनाचार्यों ने अहिंसा पर जितना बल दिया, उतना सत्य पर नहीं । यह उनका अपना दृष्टिकोण है, इसलिए उसकी अवहेलना तो कैसे की जाय पर उनके सामने दूसरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सकता है । भगवान् महावीर की दृष्टि में अहिंसा और सत्य में कोई द्वैत नहीं है । आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था—परमात्मरूप—जो है, वह अहिंसा है । सत्य उनसे भिन्न कहाँ है ? जहाँ सत्य है, वहाँ निश्चित रूपेण अहिंसा है और जहाँ सत्य नहीं है, वहाँ अहिंसा भी नहीं है । सत्य अहिंसा के परिकर में ही प्रकट होता है और हिंसा असत्य के साथ चली जाती है । तो हम नहीं कह सकते कि जहाँ अहिंसा है वहाँ सत्य है और जहाँ सत्य है वहाँ अहिंसा है ? ये दोनों परस्पर इस प्रकार व्याप्त हैं कि इन्हे द्वैत की दृष्टि में नहीं देखा जा सकता ।

● जैन धर्म और सत्य

कोई भी वस्तु प्राचीन होती है, इसलिए अच्छी नहीं होती और नई होनी है इसलिये बुरी नहीं होती । जैन धर्म पुराना है इसलिए अच्छा है, यह कोई तर्क नहीं है, फिर भी हममें कोई मन्देह नहीं कि वह बहुत पुराना है और इतना पुराना है कि इतिहास की वहाँ तक पहुँच ही नहीं है । भगवान् महावीर और भगवान् पार्व्व इतिहास

की परिधि में आते हैं। भगवान् अरिष्टनेमि और उनसे पूर्ववर्ती तीर्थंकर (भगवान् ऋषभ तक) इतिहास की परिधि से अस्पृष्ट हैं। संभव है, आनेवाला युग उन्हें ऐतिहासिक-पुरुष प्रमाणित कर दे।

वही धर्म आत्मा का सहज गुण होता है जो सत्य का सीधा स्पर्श करे। जैन धर्म बाह्य विस्तार की दृष्टि से बहुत व्यापक नहीं है, फिर भी वह महान् धर्म है और इसलिए है कि वह सत्य के अन्तःस्थल का सीधा स्पर्श करता है।

● सत्य की मीमांसा

सत्य क्या है ? यह प्रश्न अनादिकाल से चर्चित रहा है। जो स्थित है, वह सत्य है पर वही सत्य नहीं है। परिवर्तन प्रत्यक्ष है। उसे असत्य नहीं कहा जा सकता। जो परिवर्तन है, वह सत्य है पर वही सत्य नहीं है। स्थिति के बिना परिवर्तन होता ही नहीं। जो दृश्य है वह सत्य है पर वह भी सत्य है जो दृश्य नहीं है। सत्य के अनेक रूप हैं। एक रूप अनेकरूपता का अंश रहकर ही सत्य है। उससे निरपेक्ष होकर वह सत्य नहीं है। सत्य किसी धर्म-प्रवर्तक के द्वारा अज्ञात से ज्ञात और अनुद्घाटित से उद्घाटित होता है। भगवान् महावीर ने कहा—सत्य वही है जो वीतराग के द्वारा प्ररूपित है। सत्य एक और अविभाज्य है। जो सत् है, जिसका अस्तिस्व है, वह सत्य है। यह परम अभेद दृष्टि है। इस जगत् में चेतन का भी अस्तित्व है और अचेतन का भी अस्तित्व है। इसलिए चेतन भी सत्य है और अचेतन भी सत्य है। मनुष्य चेतन है, स्वयं सत्य है फिर भी उसका चेतन से सीधा सम्पर्क नहीं है और इसलिये

नहीं है कि राग और द्वेष उसका सत्य से सीधा सम्पर्क होने में बाधा डाले हुए हैं। राग-रजित मनुष्य आसक्ति की दृष्टि से देखता है इसलिए सत्य उसके सामने अनावृत्त नहीं होता। द्वेष-रजित मनुष्य घृणा की दृष्टि से देखता है इसलिए सत्य उसमें भय खाता है। सत्य उसीके सामने अनावृत्त होता है जो तटस्थ दृष्टि से देखता है। तटस्थ दृष्टि से वही देख सकता है जिसके नेत्र आसक्ति और घृणा से रजित नहीं होते।

● सत्य के दो रूप—अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद

भगवान् महावीर वीतरागी थे। सत्य से उनका सीधा सम्पर्क था। उन्होंने जो कहा—वह सुना-सुनाया या पढ़ा-पढ़ाया नहीं कहा। उन्होंने जो कहा, वह सत्य से सम्पर्क स्थापित कर कहा। इसलिए उनकी वाणी यथार्थ का रहस्योद्घाटन और आत्मानुभूति का ऋजु उद्घोषण है। जो सत्य है वह अनुपयोगी नहीं है पर उसके कुछ अंग विशेष उपयोगी होते हैं। हम परिवर्तनशील ससार में रहनेवाले हैं। अतः कोरे अस्तित्ववादी ही नहीं किन्तु उपयोगितावादी भी हैं। हम सत्य को कोरा यथार्थवादी दृष्टिकोण ही नहीं मानते किन्तु यथार्थ की उपलब्धि को भी सत्य मानते हैं।

आत्मा है और प्रत्येक आत्मा परमात्मा है—यह दोनों अस्तित्ववादी या यथार्थवादी दृष्टिकोण हैं। आत्मा की परमात्मा बनने की जो साधना है, वह हमारा उपयोगितावाद है। अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से भगवान् ने कहा—आत्मा भी सत्य है और अनात्मा भी सत्य है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भगवान् ने कहा—आत्मा

ही सत्य है, शेष सब मिथ्या है। पहला द्वैतवादी दृष्टिकोण है और दूसरा अद्वैतवादी। भगवान महावीर अखण्ड सत्य को अनन्त दृष्टिकोणों में देखने का सदेश देते थे। अनेकान्त दृष्टि से अद्वैत भी उनके लिए उतना ही ग्राह्य था, जितना कि द्वैत, और एकान्त दृष्टि से द्वैत भी उनके लिए उतना ही अग्राह्य था जितना कि अद्वैत। वे अद्वैत और द्वैत दोनों को एक ही सत्य के दो रूप मानते थे।

● अस्तित्ववादी दृष्टिकोण

यह विश्व अनादि और अनन्त है। इसमें जितना पहले था, उतना ही आज है और जितना आज है, उतना ही आगे होगा। उसमें एक भी परमाणु न घटता है और न बढ़ता है। कुछ घटता-बढ़ता सा लगता है, वह सब परिवर्तन है। परिवर्तन की दृष्टि से यह विश्व सादि और सान्त है।

यह विश्व शाश्वत है। इसमें जो मूलभूत तत्त्व है, वे सब अकृत हैं। सृष्टिकर्त्ता न कोई था, न है और न होगा। सब पदार्थ अपने-अपने भावों के कर्त्ता हैं। कुछ वस्तुएं जीव और पुद्गल के संयोग से कृत भी हैं। कृत्रिम वस्तुओं की दृष्टि से यह विश्व अशाश्वत भी है। मूलभूत तत्त्व की दृष्टि से विश्व शाश्वत है और तद्गत परिवर्तन की दृष्टि से वह अशाश्वत है।

यह विश्व अनेक है। इसमें चेतन भी है। चेतन व्यक्तिशः अनन्त है। अचेतन के पांच प्रकार हैं - धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। प्रथम चार व्यक्तिशः एक हैं। पुद्गल व्यक्तिशः अनन्त है। अस्तित्व की दृष्टि से सब एक है इसलिए यह विश्व भी एक है।

● उपयोगितावादी दृष्टिकोण—आत्मा और परमात्मा

आत्मा है। वह अपने प्रयत्न से परमात्मा बन सकता है। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। भगवान ने कहा—बन्धन भी है और मुक्ति भी है। जिस प्रवृत्ति से आत्मा और परमात्मा की दूरी बढ़नी है, वह बन्धन है और जिनसे उनकी दूरी कम होती है, अन्ततः नहीं रहती, वह मुक्ति है। मिथ्या दृष्टिकोण, मिथ्याज्ञान और मिथ्या चारित्र—इनमे आत्मा बधता है। सम्यक् दृष्टिकोण, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र—इनसे आत्मा मुक्त होता है—परमात्मा बनता है।

परमात्मा पूर्ण सत्य है। आत्मा अपूर्ण सत्य है। आत्मा का अन्तिम विकास परमात्मा है। जब तक आत्मा अपने अन्तिम विकास तक नहीं पहुँचता, तब तक वह अपूर्ण रहता है। अन्तिम स्थिति तक पहुँचते ही वह पूर्ण हो जाता है। इसलिए यह सही है कि आत्मा अपूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य है परमात्मा। आत्मा परमात्मा का बीज है और परमात्मा आत्मा का पूर्ण विकास। बीज और विकास ये दो भिन्न स्थितियाँ हैं किन्तु भिन्न तत्त्व नहीं। आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही तत्त्व के दो भिन्न रूप हैं किन्तु आत्मा के उत्तर रूप से भिन्न किसी परमात्मा और परमात्मा के पूर्व रूप से भिन्न किसी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके मीलिक एकत्व की दृष्टि से भगवान ने कहा—जो आत्मा है, वही परमात्मा है और जो परमात्मा है, वही आत्मा है। स्थिति-भेद की दृष्टि से

भगवान ने कहा—चेतन का जो अविकसित या अपूर्ण रूप है, वह आत्मा है और जो विकसित या पूर्ण है, वह परमात्मा है। ये दोनों एक ही चेतन-व्यक्ति की दो भिन्न अवस्थाएँ हैं।

● अध्यात्म और धर्म

भगवान महावीर ने आत्मा और परमात्मा की वास्तविक एकता की स्थापना की, उससे अनेक सत्यों का प्रकाशन हुआ।

(१) आत्मा का स्वतन्त्र कर्तृत्व

(२) आत्मा का स्वन्त्र भोक्तृत्व

अध्यात्मवाद और पुरुषार्थवाद इन्हीं के फल हैं और इन्हीं के आधार पर भगवान ने धर्म को बाहरी कर्मकाण्डों से उबारकर अध्यात्म बना दिया। उनकी भाषा में—आत्मा से परमात्मा बनने की जो प्रक्रिया है, वही धर्म है। सम्प्रदाय, वेष, बाह्य कर्मकाण्ड आदि धर्म के उपकरण हो सकते हैं, पर धर्म नहीं।

धर्म आत्मा की ही एक परमात्मोन्मुख अवस्था है। उसे शुद्धावस्था भी कहा जा सकता है। भगवान ने कहा—धर्म शुद्ध आत्मा में स्थित होता है। इसका अर्थ है आत्मा की जो शुद्धि है, वही धर्म है। आत्मा और पुद्गल की मिश्रित अवस्था है, वह अशुद्धि है। जो शुद्धि है, वही धर्म है।

● सम्प्रदाय और धर्म

भगवान् महावीर ने तीर्थ की स्थापना की। साधना को सामुदायिक रूप दिया, फिर भी वे सम्प्रदाय और धर्म को भिन्न-भिन्न

मानते थे। उन्होंने कहा—‘एक व्यक्ति सम्प्रदाय को छोड़ता है पर धर्म को नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति धर्म छोड़ देता है पर सम्प्रदाय को नहीं छोड़ता। ‘एक व्यक्ति दोनों को छोड़ देता है और एक व्यक्ति दोनों को नहीं छोड़ता। सम्प्रदाय धर्म की उपलब्धि में सहायक हो सकता है। इन दृष्टि से उन्होंने सघ-बद्धता को महत्त्व दिया। किन्तु धर्म को सम्प्रदाय से आवृत्त नहीं होने दिया। उन्होंने कहा— जो दार्शनिक लोग कहते हैं कि हमारे सम्प्रदाय में आओ, तुम्हारी मुक्ति होगी अन्यथा नहीं, वे भटके हुए हैं और वे भी भटके हुए हैं जो अपने-अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और दूसरों के सम्प्रदाय की निन्दा करते हैं। धर्म की आराधना सम्प्रदायातीत होकर—सत्याभिमुख होकर ही की जा सकती है। सम्प्रदाय एक नावन है, जीवन यापन की परस्परता या सहयोग है। वह व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है किन्तु वह स्वयं धर्म नहीं है। सम्प्रदाय और धर्म को भिन्न-भिन्न मानने वाले सावक के लिए सम्प्रदाय धर्म-प्रेरक होता है, धर्म-घातक नहीं।

● व्यक्ति और समुदाय

भगवान् महावीर तीर्थंकर थे—नावना के सामुदायिक रूप के महान् सूत्रधार थे। दूसरे पार्व में वे पूर्ण व्यक्तिवादी थे। उन्होंने कहा—आत्मा अकेला है। वह अपने आप में परिपूर्ण है। सज्ञा और वेदना भी उसकी अपनी होती है। समुदाय का अर्थ निमित्त—नैमित्तिक भाव है। सहयोग या परस्परालम्बन से शक्ति उत्पन्न होती है। उसका अविभक्त उपयोग ही समुदाय है। भगवान् ने

कहा—कोई एक व्यक्ति सबके लिए पाप-कर्म करता है, उसका परिणाम उसी को भोगना पड़ता है। इसका अर्थ है कि पाप-कर्म करते समय व्यक्ति का दृष्टिकोण सदा व्यक्तिवादी ही होना चाहिए और शक्ति संपादन के लिए समुदायवादी दृष्टिकोण। समुदायवाद नास्तिकता भी है। यदि उसका उपयोग इस अर्थ में किया जाय कि मैं वही करूँगा, जो सब लोग करते हैं। अच्छाई और बुराई का विचार किए बिना केवल “सर्व” का अनुसरण करना नास्तिकता है अर्थात् अपनी आत्म-शून्यता है। व्यक्ति अपनी सत्ता के जगत् में पूर्णतः व्यक्ति है और निमित्त जगत् में पूर्णतः सामुदायिक है। कोई भी जीवित व्यक्ति केवल व्यक्ति या केवल सामुदायिक नहीं होता। अध्यात्म का अन्तिम बिन्दु यही होता है कि वहाँ पहुँच कर व्यक्ति निमित्त-जगत् से मुक्त हो जाता है, कोरा व्यक्ति रह जाता है।

● स्वतंत्र सत्ता और अध्यात्म

भगवान् महावीर आत्मवादी थे। उनकी भाषा में आत्मा परिपूर्ण है। उसका अस्तित्व पर-निर्भर नहीं किन्तु स्वतंत्र है। इस स्वतंत्र सत्ता का बोध ही अध्यात्म है। मनुष्य जितने अर्थ में परिस्थिति का स्वीकार करता है, उससे भरता है, उतने ही अर्थ में वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व से खाली हो जाता है। यह खाली होने की स्थिति भीतिकता है। जो कोई आध्यात्मिक बनता है, वह बाहर से कुछ लेकर नहीं बनता किन्तु बाहर से जो लिया हुआ है, उसे पुनः बाहर फेंककर बनता है। अपूर्णता जो है, वह भीतर में नहीं है किन्तु बाहर का जो स्वीकार है, वही अपूर्णता है। उसे अस्वीकार करके

ही मनुष्य देख सकता है कि वह परिपूर्ण है। भगवान् ने इसी अर्थ में कहा था कि आत्मा ही सुख-दुख का कर्ता है और आत्मा ही अपना मित्र है और वही अपना शत्रु। जो आत्मा को जानता है, वह परिस्थिति से मुक्त होने का उपाय जानता है। जो आत्मा में रमण करता है वह परिस्थिति के चक्र-व्यूह से मुक्त हो जाता है। अन्तर्दृष्टि से उसकी इन्द्रिय और मन निरपेक्ष स्थिति है, वही अव्यात्म है। बहिर्जगत की दृष्टि से परिस्थिति से मुक्त होने की स्थिति है, वह अव्यात्म है। आत्मा परिस्थिति या किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर नहीं है। इसीलिए उसका अस्तित्व स्वतंत्र है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व है इसलिए उसका कर्तव्य भी स्वतंत्र है।

● स्वावलम्बन

साधना और आत्म-निर्भरता दोनों सम्बन्धित हैं। जितनी आसक्ति उतनी पर-निर्भरता। जितनी पर-निर्भरता उतनी विवगता। साधना का मुख स्ववगता की ओर है। भगवान् ने कहा—साधना गाँव में भी हो सकती है और अरण्य में भी। वह गाँव में भी नहीं हो सकती और अरण्य में भी नहीं। भगवान् बाहरी निमित्तों या स्थितियों की उपेक्षा नहीं करते थे किन्तु आत्मा की स्वतंत्र सत्ता के प्रतिपादक होने के कारण वे बाहरी निमित्तों को अतिरिक्त स्थान भी नहीं देते थे। साधु को सामुदायिक जीवन विताने की छूट दी पर साथ-साथ यह भी कहा कि वह समुदाय में रहता हुआ भी अकेला रहे। अकेला अर्थात् शुद्ध। बहुतरु अर्थात् अशुद्ध। जो अकेला होता है वह संशुद्ध होता है और जो संशुद्ध होता है वह अकेला होता है।

सघ में रहकर भी अकेला रहने की स्थिति को भगवान् ने बहुत प्रबल बनाया । यह साधना का बहुत ही प्रखर रूप है । इस स्थिति में अहिंसा की तेजस्विता प्रगट होती है ।

स्थिति का जितना अधिक स्वीकार होता है उतनी ही सहायता अपेक्षित होती है । जैसे-जैसे स्थिति का दबाव कम होता चला जाता है, वैसे-वैसे व्यक्ति सहायता-निरपेक्ष होता चला जाता है । एक दिन व्यक्ति अपने को सहायता से मुक्त कर लेता है । एक व्यक्ति सहायता न मिलने पर असहाय होता है, यह परतत्रता की स्थिति है । एक व्यक्ति अपने को सहायता से मुक्त कर असहाय होता है, यह पूर्ण स्वतन्त्रता की स्थिति है । इसे भगवान् ने बहुत महत्व दिया । शिष्य ने पूछा—भगवन् ! सहायता का त्याग करने से क्या होता है ? उत्तर मिला—अकेलापन प्राप्त होता है । जिसे अकेलापन प्राप्त हो जाता है वह कलह, कषाय, तू-तू, मैं-मैं से मुक्त हो जाता है । उसे संयम, सबर और समाधि प्राप्त होती है ।

भगवान् महावीर का स्वावलम्बन निमित्तों की दृष्टि से उपकरण, आहार और देह-त्याग तक तथा आन्तरिक स्थिति की दृष्टि से प्रवृत्ति-और कषाय-त्याग तक पहुँचता है । भगवान् आत्मा की स्वतन्त्र-सत्ता के जगत् से बोलते थे इसलिए उन्होंने यही कहा—जो व्यक्ति उपकरण आदि बाहरी और कषाय आदि भीतरी बधनों से मुक्त होता है, वही पूर्ण अर्थ में स्वावलम्बी होता है ।

● गार्हस्थ्य और सन्यास

भगवान् महावीर सन्यास-धर्म के नमर्यको मे प्रमुख थे । उनकी भाषा मे सन्यास का अर्थ था अहिंसा । वह जीवन मे हो तो गृहस्थ-वेष मे भी कोई सन्यासी हो सकता है और यदि वह न हो तो साधु के वेष मे भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता । अहिंसा और सन्यास ये दोनो पर्यायवाची हैं । भगवान् ने यह प्रश्न उपस्थित किया कि 'को गारमावसे' ? गृह मे रहना कौन चाहेगा ? इसका अर्थ है हिंसा मे रहना कौन चाहेगा ?

भगवान् ने कहा—कुछ भिक्षुओ से गृहस्थ अच्छे होते हैं । उनका समय प्रवान होता है—अहिंसा विकसित होती है । जिनका समय पूर्ण परिपक्व हाता है, अहिंसा पूर्ण विकसित होती है, वह भिक्षु नव गृहस्थो से श्रेष्ठ होता है । उनका सन्यास किसी वेगभूषा या बाहरी उपकरण मे बंधा हुआ नहीं था । वह उन्मुक्त था । इसलिए उन्होने कहा—गृहस्थ के वेश मे भी वह व्यक्ति परमात्मा बन सकता है जो अहिंसा के चरम विक्राम तक पहुँच जाता है । वेष और धर्म के निश्चित सन्ध को उन्होने कभी मान्य नहीं किया । उनकी वाणी है—

एक व्यक्ति रूप को छोड़ देता है, धर्म को नहीं छोड़ता ।

एक व्यक्ति रूप को नहीं छोड़ना, धर्म को छोड़ देता है ।

एक व्यक्ति दोनों को नहीं छोड़ता ।

एक व्यक्ति दोनों को छोड़ देता है ।

अन्य धर्मों के प्रति]

गृहस्थी का त्याग ममत्व-विसर्जन के लिए आवश्यक है और
वेष-परिवर्तन का तात्पर्य है—पहचान या जागरूकता ।

● अन्य धर्मों के प्रति

धर्म सत्य है और जो सत्य है वह एक है । वह देश-काल और
व्यक्ति के भेद से विभक्त नहीं है । जो देश-काल और व्यक्ति से
विभक्त है, वह धर्म का उपकरण हो सकता है, धर्म नहीं ।

आत्मा और धर्म भिन्न नहीं है । जो आत्मा है वही धर्म है
और जो धर्म है वही आत्मा है । धर्म आत्मा से भिन्न हो तो वह
आत्मा को अनात्मा से मुक्त नहीं कर सकता । जो आत्मा को आत्मा
से भिन्न करता है, वह धर्म है । वह सबके लिए समान है । फिर
भी लोग कहते हैं यह मेरा धर्म और यह तुम्हारा धर्म । यहाँ धर्म का
अर्थ सघ या सम्प्रदाय है, आत्मा की विगुद्धि करने वाले गुण नहीं ।
भगवान् ने कहा—आत्मा की उपलब्धि न गाव मे होती है और न
अरण्य मे । आत्मा अपना द्रष्टा बने तो वह गाँव मे भी हो सकती है
और अरण्य मे भी । मुक्ति धर्म से होती है । वह जैन, बौद्ध आदि
विशेषणो, अमुक-अमुक वेधो, आदि से नहीं होती । इस सत्य को
भगवान् ने 'अन्यलिङ्गसिद्धा' शब्द के द्वारा व्यक्त किया । मुक्त होने
के लिए आवश्यक नहीं कि वह जैन साधु के वेध मे ही हो । वह
किसी भी वेध या अवेध मे मुक्त हो सकता है, यदि साधु हो—मूर्च्छा
या आसक्ति से मुक्त हो । सच्चाई यह है कि धर्म का प्रवाह किसी
तट मे बंधकर नहीं बहता । वह उन्मुक्त होकर बहता है—सबके
लिए समान रूप से बहता है । इसलिए वह व्यापक है । उसका

परिणाम सब देगों और कालों मे समान होता है, इसलिए वह शाश्वत है। वह व्यापक और शाश्वत है इसीलिए वैज्ञानिक है। वह प्रयोगसिद्ध है। उसका परिणाम निश्चित और निरपवाद है। धर्म हो और मुक्ति न हो, धर्म हो और आत्मा पवित्र न हो यह कभी नहीं हो सकता। जिसने धर्म को देखा वह मुक्त हुआ, जब देखा तब मुक्त हुआ, जहाँ देखा वही मुक्त हुआ। धर्म और मुक्ति मे व्यक्ति, काल और देग का व्यवधान नहीं है। दीपक अपने आप में प्रकाशित होता है, जब जलता है तभी प्रकाशित होता है और जहाँ जलता है वही प्रकाशित होता है।

● धर्म क्या और क्यों ?

भगवान् महावीर का धर्म आत्म-धर्म है। वह आत्मा के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आत्मा जो है वह धर्म से सर्वथा भिन्न नहीं है और धर्म जो है वह आत्मा से सर्वथा भिन्न नहीं है। धर्म आत्मा से बाहर कही नहीं है। इसलिए वह आत्मा से अभिन्न भी है और वह आत्मा के अनन्त गुणों मे से एक गुण है। आत्मा गुणी है और धर्म गुण है। इस दृष्टि से वह आत्मा से भिन्न भी है।

आत्मा जब केवल आत्मा हो जाती है-शरीर, वाणी और मन से मुक्त हो जाती है, सारे विजातीय तत्त्वो-पुद्गल द्रव्यो से मुक्त हो जाती है तब उसके लिए न कुछ धर्म होता है और न कुछ अवर्म। वह जब तक विजातीय तत्त्वों से आवद्ध रहती है तब तक उसके लिए धर्म और अवर्म की व्यवस्था होती है। जिन हेतुओं से विजातीय तत्त्वो का आकर्षण होता है वे अवर्म कहलाते हैं और

जिनसे उनका निरोध या विनाश होता है, वे धर्म कहलाते हैं। भगवान् की भाषा में समता ही धर्म है और विषमता ही अधर्म है। राग और द्वेष यह विषमता है। न राग, न द्वेष—यह समता, तटस्थता या मध्यस्थता है। यही धर्म है। अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, गान्ति, क्षमा, सहिष्णुता, अभय, ऋजुता, नन्नता, पवित्रता, आत्मानुशासन, सयम, आदि-आदि जो गुण हैं, वे उसी के क्रियात्मक रूप हैं। इन्हीं को व्यवहार की भाषा में व्यक्तित्व-विकास के साधन और निश्चय की भाषा में आत्म-विकास के साधन कहे जाते हैं।

सहज ही प्रश्न होता है, धर्म किसलिए ? साधारणतया इसका समाधान दिया जाता है—परलोक सुधारने के लिए। धर्म परलोक सुधारने के लिए है—यह सच है किन्तु अघूरा। धर्म से वर्तमान जीवन भी सुधरना चाहिए। वह शांत और पवित्र होना चाहिए। अपवित्र आत्मा में धर्म कहाँ से ठहरेगा ? उसका आलस्य पवित्र जीवन ही है। जिसे धर्म आराधना के द्वारा यहाँ शान्ति नहीं मिली, उसे आगे कैसे मिलेगी ? जिसने धर्म को आराधा, उसने दोनों लोक आराध लिए। वर्तमान जीवन में अंधेरा देखने वाले केवल भावी जीवन के लिए धर्म करते हैं, वे भूले हुए हैं।

१—भगवान् ने कहा—इहलोक के लिए धर्म मत करो। वर्तमान जीवन में मिलनेवाले पौद्गलिक सुखों की प्राप्ति के लिए धर्म मत करो।

२—परलोक के लिए धर्म मत करो। आगामी जीवन में मिलने वाले पौद्गलिक सुखों की प्राप्ति के लिए धर्म मत करो।

३—कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि के लिए धर्म मत करो।

४—केवल आत्म-शुद्धि या आत्मा की उपलब्धि के लिए धर्म करो।

● धर्म और अभय

भगवान ने कहा—धर्म पवित्र आत्मा में रहता है। प्रश्न होता है, पवित्रता क्या है ? उसका उत्तर है कि अभय ही पवित्रता है। यद्यपि पवित्रता का मौलिक रूप अहिंसा है, फिर भी जहां भय होता है, वहाँ अहिंसा नहीं हो सकती, इसलिए अभय ही पवित्रता है।

अभय अहिंसा का आदि विन्दु है। भगवान के प्रवचन का मूल-मन्त्र है—डरो मत ! जो डरता है वह अपने को अकेला अनुभव करता है, असहाय मानता है। भूत उसी के पीछे पड़ता है जो डरता है। डरा हुआ मनुष्य दूसरो को भी डरा देता है। डरा हुआ मनुष्य तप और समय को भी तिलाजलि दे देता है। डरा हुआ मनुष्य अपने दायित्व को नहीं निभाता—उठाए हुए भार को बीच में डाल देता है। डरा हुआ मनुष्य सत्पथ का अनुसरण करने में समर्थ नहीं होता, इसलिए डरो मत !

न भयावनी परिस्थिति से डरो, न भयावने वातावरण से डरो ! न व्याधि से डरो, न असाध्य रोग से डरो ! न वृद्धापे से डरो, न मौत से डरो ! किसी से भी मत डरो ! जिसका अन्तःकरण अभय से भावित होता है, वही व्यक्ति सत्य की सम्पदा को पा सकता है।

● साम्ययोग

भगवान् महावीर के समूचे धर्म का प्रतिनिधि शब्द है 'सामायिक'। सामायिक का अर्थ है, समता की प्राप्ति। सब जीव समान हैं—इस धारणा से परत्व और ममत्व दोनों मिटते हैं और समत्व का विकास होता है। परत्व से द्वेष पलता है और ममत्व से राग। इनसे

विषमता बढ़ती है। जब ये दोनों समत्व में लीन हो जाते हैं, तब आत्मा सम बन जाती है।

भगवान् ने कहा—साम्ययोगी लाभ और अलाभ, सुख और दुःख, जीवन और मरण, प्रशंसा और निन्दा, मान और अपमान में सम रहे। ये सब औपाधिक स्थितियाँ हैं। ये आत्मा को विषम स्थिति में ले जाती है। सम स्थिति इनसे परे है।

भगवान् ने कहा—आत्मा न हीन है और न अतिरिक्त। सब समान है। अध्यात्म जगत् के पहले सोपान में उत्कर्ष की भावनाएँ टूट जाती हैं। जो मुमुक्षु होकर भी किसी को अपने से अतिरिक्त और किसी दूसरे को अपने से हीन मानता है वह सही अर्थ में मुमुक्षु नहीं है। वह उसी व्यवहार-जगत् का प्राणी है जो जाति, वर्ण आदि के आधार पर आत्मा को ऊँच-नीच माने बैठा है। भगवान् जातिवाद का खण्डन करने नहीं चले। यज्ञ-हिंसा और दास-प्रथा का विरोध करना भी उनका कोई प्रमुख ध्येय नहीं था। उनका ध्येय था समता-धर्म की स्थापना। यह खण्डन और विरोध तो उसका प्रासंगिक परिणाम था। जहाँ धर्म का आधार समता है, वहाँ जातिवाद हो नहीं सकता। जहाँ धर्म का आधार समता है, वहाँ यज्ञ-हिंसा और दास-प्रथा का विरोध स्वतः प्राप्त है। भगवान् महावीर का सन्देश यदि इन्हीं के विरोध में होता तो वह सोमित होता और अस्थायी भी। किन्तु उनका सन्देश असीम है और स्थायी और वह इसलिए है कि उसका ध्येय आत्मा की सम स्थिति को प्राप्त करना है। भगवान् ने सत्य को अनेकान्त की दृष्टि से देखा और उसका प्रतिपादन

स्याद्वाद की भाषा में किया। इसका हेतु भी समता की प्रतिष्ठा है। एकान्त दृष्टि से देखा गया वस्तुतः सत्य नहीं होता। एकान्त की भाषा में कहा गया सत्य भी वास्तविक सत्य नहीं होता। सत्य अखण्ड और अविभक्त है। प्रत्येक अस्तित्वशील वस्तु सत् है। जो सत् है वह अनन्त-धर्मात्मक है। उसे अनन्त दृष्टिकोणों से देखने पर ही उसकी सत्ता का यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए भगवान् ने अनेकान्त दृष्टि की स्थापना की।

● अनेकान्त दृष्टि

शब्द की शक्ति-सीमित है। वह एक साथ अनन्त धर्मात्मक सत् के एक ही धर्म का प्रतिपादन कर सकता है। जेप अनन्त धर्म अप्रतिपादित रहते हैं। एक धर्म के प्रतिपादन से एक धर्म का ही बोध होता है, अनन्त धर्मों का नहीं। इस स्थिति में हम सापेक्ष पद्धति से ही उसका प्रतिपादन कर सकते हैं—वस्तु के अनन्त धर्मों से जुड़े हुए एक धर्म के माध्यम से उस सभी वस्तु का प्रतिपादन कर सकते हैं।

भगवान् ने अनेकान्त की दृष्टि से देखा तब स्याद्वाद की भाषा में कहा—प्रत्येक पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। स्वरूप अविच्छ्युति की दृष्टि से सब पदार्थ नित्य हैं और स्वगत परिवर्तनों की दृष्टि से सब पदार्थ अनित्य हैं। कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ से सर्वथा सदृश भी नहीं है और सर्वथा विसदृश भी नहीं। सब पदार्थ सदृश भी हैं और विसदृश भी हैं। प्रत्येक पदार्थ मत् भी है और असत् भी है। अपने अस्तित्व-घटकों की दृष्टि से सब पदार्थ मत् हैं और

वह अस्तित्व स्व से भिन्न अवयवों से घटित नहीं है इसलिए सब पदार्थ असत् भी हैं। कोई भी पदार्थ सर्वथा वाच्य और सर्वथा अवाच्य नहीं है। एक क्षण में एक धर्म वाच्य भी है और समग्र धर्मों के दृष्टि से वह अवाच्य भी है।

जो जानता है कि पदार्थ नित्य भी है, वह जीवन और मृत्यु में सम रहता है। जो जानता है कि पदार्थ अनित्य भी है वह सयोग-वियोग में सम रहता है।

जो जानता है कि पदार्थ सदृश भी है, वह किसी के प्रति घृणा नहीं करता। जो जानता है कि पदार्थ विसदृश भी है, वह किसी के प्रति आसक्त नहीं बनता।

जो जानता है कि प्रत्येक पदार्थ सत् है, वह दूसरे की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार नहीं करता। जो जानता है कि प्रत्येक पदार्थ असत् भी है, वह किसी को परतंत्र करना नहीं चाहता।

जो जानता है कि प्रत्येक पदार्थ वाच्य भी है, वह सत्य को शब्द के द्वारा सर्वथा अग्राह्य नहीं मानता। जो जानता है कि पदार्थ अवाच्य भी है, वह किसी एक शब्द को पकड़कर आग्रही नहीं बनता।

इस प्रकार जो सत्य को अनेक दृष्टिकोणों से देखता है, वही सही अर्थ में साम्ययोगी बन सकता है।

● निर्वाण

धर्म की चरम परिणति निर्वाण में होती है। निर्वाण का अर्थ है—शान्ति—“सति निब्बानमाहिंय”। निर्वाण से पहले आत्मा

शान्ति और अशान्ति के द्वन्द्व में रहता है। शान्ति का अर्थ है द्वन्द्व का पूर्ण रूपेण गमन। आत्मा अपनी अवस्था में चैतन्यमय है। वह न शान्त है और न अशान्त। अशान्ति की तुलना में उसे कहा जाता है, शान्ति। निर्वाण सिद्धि है। निर्वाण होने से पूर्व आत्मोपलब्धि साध्य होता है। आत्मा पूर्ण रूपेण उपलब्ध होते ही साध्य सिद्धि में परिणत हो जाता है, इसलिए निर्वाण सिद्धि भी है। निर्वाण से पूर्व आत्मा सुख-दुःख के बन्धन से बंधा होता है। वह अपने मौलिक रूप में आते ही उस बन्धन से मुक्त हो जाता है। इसलिए निर्वाण मुक्ति भी है। आत्मा का पूर्णोदय है वह निर्वाण है और इसे प्राप्त करने का अधिकार उन सब को है जो इसे पाना चाहते हैं। यह उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता जो इसे पाना नहीं चाहते।

● युद्ध और निःशस्त्रीकरण

भगवान् महावीर अहिंसा के अजल स्रोत थे। हिंसा उनके लिये कहीं भी क्षम्य नहीं थी। उनकी दुनिया में शत्रुता, युद्ध और अशान्ति जैसे तत्त्व थे ही नहीं। उन्होंने कहा—मनुष्य-मनुष्य का शत्रु नहीं हो सकता। जब कहा जा रहा था—‘हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जितो वा मोक्ष्यसे महीम्’ तब भगवान् ने कहा—युद्ध नारकीय जीवन का हेतु है। भगवान् ने कहा—आत्मा से लड़। बाहरी लड़ाई से तुम्हें क्या ?

अध्यात्म जगत् की यही स्थिति है किन्तु सब के सब तो अध्यात्मलीन होते नहीं। ऐसे व्यक्ति अधिक हैं जो युद्ध, आक्रमण और अधिकार-हरण में विश्वास करते हैं। आत्मा से लड़—यह

आत्मोपलब्धि और वीर-वाणी]

उपदेश उनके हृदय का स्पर्श तक नहीं करता। इस व्यवहार की भूमिका पर चलनेवाले लोगो को भगवान ने सदेश दिया—आक्रान्ता मत बनो। प्रत्याक्रमण भी अहिंसा नहीं है। वह स्थिति की विवगता ही है।

स्थिति से विवग होकर मनुष्य युद्ध करते हैं पर अन्ततः वह भयानक मार्ग है। शस्त्र का क्रम यह है कि एक के प्रतिकार में दूसरा शस्त्र निर्मित होता है। पहले से दूसरा तेज होता है। मनुष्य का श्रेय इसी में है कि वह शस्त्रपरिज्ञा-निःशस्त्रीकरण करे। शान्ति का मार्ग यही है। मानव-समाज यदि शान्ति चाहता है तो एक दिन यह करना ही होगा।

● आत्मोपलब्धि और वीर-वाणी

आगम भगवान् महावीर की वाणी का महान् सग्रह है किन्तु उनका अवगाहन करना हर व्यक्ति के लिए सरल नहीं है। अथाह जलराशि में कोई डुबकी नहीं ले सकता। सामान्य मनुष्य मोती बाजार में से ही खरीदता है। जन-साधारण के हित की दृष्टि से महावीर-वाणी के अनेक सकलन हुए हैं—प० बेचरदासजी दोसी का 'महावीर-वाणी,' चौथमलजी महाराज का 'निर्ग्रन्थ प्रवचन,' श्रीचन्द्रजी रामपुरिया का 'तीर्थंकर वर्धमान' आदि-आदि। प्रस्तुत पुस्तक भी उसी शृंखला की एक कड़ी है।

महावीर की वाणी में अच्छाई है पर वह हमसे भिन्न रहकर हमारी अच्छाई नहीं बन सकती, वह महावीर की अच्छाई है। हमारी अच्छाई वह अपना अस्तित्व गवाकर ही बन सकती है—

इससे अभिन्न होकर या हमारा आचरण बनकर ही बन सकती हैं। महावीर ने इसी सत्य को अन्तिम सत्य माना था। उसका नवनीत यह है कि ज्ञान और और आस्था की दूरी मिटती है तो सत्य का दर्शन होता है, वाणी अपने आसन से नीचे उतर आती है। आस्था और आचरण की दूरी मिटती है तो सत्य की उपलब्धि होती है—वाणी उसमें विलीन हो जाती है, फिर उपदेश हमारे लिए दूसरे का वचन नहीं रहता किन्तु हमारा आत्म-धर्म हो जाता है। उपदेश कोरा-उपदेश रहकर हमारा भला कर ही नहीं सकता। हमारा भला तभी होता है जब वह हमारा धर्म बन जाता है।

आचार्य श्री तुलसी—जो मेरे आचार्य ही नहीं, मेरे विद्यागुरु और जीवनमन्त्र के दाता भी हैं—से मुझे यही मन्त्र मिला था कि सत्य तुमसे अभिन्न होकर ही तुम्हारा भला कर सकता है। उससे मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। मैं जिज्ञासु पाठकों को भी यही परामर्श दूंगा कि वे तट पर खड़े-खड़े सत्य के अज्ञप्त स्रोत को केवल देखे ही नहीं किन्तु उससे अभिन्नता स्थापित कर स्वयं सत्य रूप बन जायें।

अतावधानी प० घोरजभाई ने जो प्रयत्न किया है, सत्य के महान् उद्बोधन वचनों का जो सग्रह किया है, वह स्वयं में पूर्ण है। विश्वास है कि उससे अनगिन व्यक्तियों को अपनी पूर्णता खोजने का अवसर मिलेगा।

भगवान् महावीर

[जीवन-रेखा]

● जन्म और जन्म-स्थान

भगवान् महावीर का जन्म विक्रम सवत् से ५४३ वर्ष पूर्व (ईसवी सन् ५६६ वर्ष पूर्व) भारत के पूर्वी भाग में स्थित विदेह जनपथ के अन्तर्गत कुण्डग्राम में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की मध्यरात्री में हुआ था ।^x

भगवान् महावीर विदेह जनपथ में अवतरित हुए थे, इसका प्रमाण कल्पसूत्र में आये हुए 'विदेहे' 'विदेहजच्चे' तथा 'विदेहसुकुमाले' इन विशेषणों द्वारा हमें उपलब्ध होता है। दिगम्बर सम्प्रदाय के दशभक्ति, हरिवंशपुराण आदि ग्रन्थों में विदेह जनपथ का स्पष्ट निर्देश किया हुआ है।

^x उस समय विदेह जनपथ की सीमा उत्तर में नगाधिराज हिमालय की उपत्यका (नीचे की भूमि) तक, दक्षिण में गङ्गा नदी के किनारे तक, पश्चिम में कोशल, कुशीनारा तथा पावा के राज्यों तक और पूर्व में चम्पारण्य-प्रदेश तक फैली हुई थी। यह प्रदेश, हरे-भरे खेत और छोटे-बड़े जलाशयों से अत्यन्त शोभायमान था। साथ ही प्राचीन काल में उत्पन्न अनेक तत्त्वज्ञानी महापुरुषों के कारण तत्त्वज्ञों की भूमि के रूप में प्रख्यात था।

कुण्डग्राम गण्डकी नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ था। वह धन्य-धान्य से सुसमृद्ध, राज-भार्ग एव अट्टालिकाओं से अलङ्कृत तथा वन-उपवनों के कारण अनुपम शोभा धारण करता था। यहाँ के निवासियों में अधिकांश भाग ब्राह्मण और क्षत्रियों का था। ब्राह्मण अपने विभाग में रहते थे, तो क्षत्रिय अपने विभाग में। ये दोनों क्रमशः 'ब्राह्मण-कुण्ड' और 'क्षत्रिय-कुण्ड' के नाम से सम्बोधित किये जाते थे। भगवान् महावीर का जन्म उक्त क्षत्रिय-कुण्ड के उत्तरी भाग में हुआ था। *

इन दिनों विदेह जनपथ में वज्जीओ का गणसत्तात्मक राज्य था और उनकी राजधानी का प्रमुख नगर वैशाली था। वैशाली का वैभव तथा विस्तार बहुत आकर्षक था। कवियों की भाषा में कहा जाय तो वह लिच्छवि क्षत्रियों की अमर नगरी—स्वर्गपुरी थी। यह कुण्ड-ग्राम से कुछ ही मील की दूरी पर गण्डकी नदी के पूर्वी किनारे बसी हुई थी। °

गण्डकी नदी के पश्चिम की ओर कूर्मारग्राम, कोल्लाग-सनिवेग, वाणिज्यग्राम आदि कुछ-कुछ मीलों के अन्तर में बसे हुए थे। तथा

ॐ भाचारांगसूत्र ।

° पटना से सत्ताइस मील की दूरी पर मुजफ्फरपुर जिले में बसा हुआ बसाढ नामक स्थान ही प्राचीन वैशाली का स्थान है, ऐसा पुरा-तत्त्वविदों का कथन है। इस वस्तु की ओर सब से पहला ध्यान डा० फर्निगहाम का गया था।

इन सब का दैनिक व्यवहार वैशाली और कुण्डग्राम के साथ प्रचुर-मात्रा में था ।

● माता-पिता आदि

भगवान् महावीर का जन्म एक सुसंस्कृत, धार्मिक राज-परिवार में हुआ था । इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था । ये तेवीसवे तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ के श्रावक-श्राविका थे ।

सिद्धार्थ ज्ञातवशीय क्षत्रिय थे, इनका गोत्र काश्यप था और वह शूर-वीरता, उदारता आदि गुणों के कारण बहुत ही लोकप्रिय बन-गया था । जनता उन्हें 'श्रेयाँस' अथवा 'यशस्वी' भी कहती थी । वे अपने गण-समुदाय पर स्वामित्व रखनेवाले राजा थे ।

यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वज्जी गणसत्तात्मक-तन्त्र में अनेक छोटे-बड़े राजा जुड़े हुए थे । बौद्धग्रन्थ, 'जातक अट्ट-कथा' के अनुसार उन राजाओं की संख्या ७७०७ थी । परन्तु इतनी बड़ी संख्यावाले नृपति एक साथ मिलकर देश का कार्यभार संचालन नहीं कर सकते, इसलिये उनमें से कुछ व्यक्तियों का कार्य-भार के लिये विशेष रूप से चयन कर लिया गया था । वे समय-समय पर वैशाली के सघागार नामक राजभवन में एकत्र होकर राज-कीय एवं सामाजिक कार्य-प्रणालियों के सम्बन्ध में चर्चा-विचारणा करते थे तथा अन्त में आवश्यक निर्णय लिये जाते थे । इन निर्णयों के

अनुसार ही विदेह का शासन चलता था। संघागार में किये गये निर्णयो का व्यवस्थित रूप से पालन हों, एतदर्थ देखरेख करने तथा अन्य आवश्यक कार्यकलाप की व्यवस्था करने के लिये उपयुक्त राजाओं में से आठ व्यक्तियों की एक समिति निर्मित थी और उनमें शुद्ध आर्यवशी के रूप में सम्मानित कुलीन राजाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया था। *

जातृवश इक्ष्वाकु वंश की एक शाखा के रूप में था^१। अतः उसकी गणना शुद्ध आर्यकुल में की जाती थी। सिद्धार्थ राजा उनके प्रतिनिधि के रूप में वज्रियों के सघ में सबसे ऊँची समिति में विराजमान थे। यही कारण था कि विदेह के क्षत्रिय समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहुत ही स्थिर बनी हुई थी।

उस समय वज्रियों की गणसत्ता का अधिनायक चेटकराज था। वह वासिष्ठगोत्र का लिच्छवि क्षत्रिय था और अपने पराक्रम तथा कुलाभिमान में लिप्त था। उसने अपनी विद्याप्रिय एवं धर्मनिष्ठा भगिनी त्रिगला का विवाह सिद्धार्थ राजा के साथ किया था। इस

१ प्रजापना और स्थानांगसूत्र में—उग्र, भोग, राजन्य, इक्ष्वाकु, ज्ञात और कौरव इन छ वंशों की गणना शुद्ध आर्यवंशों में की गयी है। मिश्रबन्धुओं ने इनके नाम इस रूप में गिनाये हैं—(१) विदेह, (२) लिच्छवि, (३) ज्ञात्रिक, (४) वज्जी, (५) उग्र, (६) भोग, (७) इक्ष्वाकु, (८) कौरव।

२ 'श्रीतत्त्वार्थसूत्र' की कारिका में, 'आवश्यकचूर्णि' में तथा 'कल्पसूत्र' की 'सन्देहविपौषधि' वृत्ति में यह स्पष्टता की गई है।

प्रकार दो महान् क्षत्रिय कुलो का समिलन हुआ था और वह विदेह के इतिहास मे अमर गाथा प्रसृत करने मे सफल रहा ।

भगवान् महावीर के नन्दिवर्धन नामक एक बड़े भाई थे और सुदर्शना नामवाली एक बड़ी बहन थी । ये अपने माता-पिता की तृतीय एवं अन्तिम सन्तान थे ।

● नाम-करण

भगवान् महावीर का मूल नाम वर्धमान था । ये माता के गर्भ मे आये तभी से सिद्धार्थ राजा के ऐश्वर्य तथा स्नेह-सत्कार आदि मे क्रमशः वृद्धि हुई । यही कारण था कि इनका ऐसा गुणनिष्पन्न नाम रखा गया । इन्होंने अग्रिम जीवन मे योगसाधना के अवसर पर परीषह आदि के जीतने मे पर्याप्त वीरता दिखलाई, जिससे जनता मे इनकी 'महावीर' के रूप मे प्रसिद्धि हुई । धीरे-धीरे यही नाम लोक-जिह्वा पर आरूढ होकर स्थिर बन गया ।

ये ज्ञातवश में आविर्भूत हुए थे, अतः 'ज्ञातपुत्र' (नायपुत्र अथवा नात्तपुत्र) कहलाते थे तथा काश्यप वंश मे होने से 'काश्यप' नाम से भी प्रसिद्ध थे । इसी प्रकार वैशाली के विशेष सम्पर्क मे रहने से 'वैशालिक' भी कहे जाते थे । श्रमणकुल मे श्रेष्ठ होने के कारण कुछ लोग 'श्रमण भगवान् महावीर' इस रूप मे भी सम्बोधित करते थे । दिगम्बर सम्प्रदाय के साहित्य के अनुसार इनका एक नाम 'सन्मति' भी था ।

● बाल एवं कुमार-जीवन

भगवान् महावीर का बाल एवं कुमार-जीवन वैभव से परिपूर्ण राज-प्रासाद मे व्यतीत हुआ था ।

कल्पसूत्र में इनके लिये—‘दख्खे, दख्खपइन्ने, पडिरुवे, आलीणे, भद्दए तथा विणीए’—इन छः विशेषणों का उपयोग हुआ है। इन विशेषणों के द्वारा इनके स्वभावादि के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश प्राप्त होता है।

ये ‘दक्ष’ थे, अर्थात् सर्व कलाओं में कुशल थे। ये ‘दक्ष-प्रतिज्ञ’ थे अर्थात् की गई प्रतिज्ञा का पालन पूर्णरूपेण करते थे। ‘प्रतिरूप’ थे अर्थात् आदर्श रूपवान् थे। ‘आलीन’ थे अर्थात् कछुए के समान अपनेआप में गुप्त थे। ‘भद्रक’ थे अर्थात् शुभ लक्षणों से विभूषित थे। और ‘विनीत’ थे अर्थात् माता, पिता एवं गुरुजनों के प्रति विनय-शाली थे।

ये बाल्यकाल से ही बड़े निर्भीक थे। एक बार ये अपने समयस्क मित्रों के साथ क्रीडा कर रहे थे। उस समय किसी वृक्ष की जड़ से एक भयंकर सर्प निकला। उसे देखकर सभी कुमार भयभीत होकर भाग गये; किन्तु ये अपने स्थान से तनिक भी विचलित नहीं हुए। इतना ही नहीं अपितु ये सर्प के निकट गये और उसे धीरे से उठाकर दूर रख दिया। अनन्तर सभी कुमार वापस लौट आये और उन्होंने पूर्ववत् खेल आरम्भ किया।

इनका शरीर अनुपम कान्ति से युक्त और अत्यन्त सुदृढ था।

तीर्थङ्कर की आत्माएं अनादिकाल से संसार में परोपकारी स्वभाववाली, स्वार्थ को प्रवान न माननेवाली, सर्वत्र समुचित क्रिया का आचरण करनेवाली, दीनतारहित, सफल कार्यों को ही करनेवाली,

अपकारी जनो के प्रति भी अत्यन्त क्रोध न करनेवाली, कृतज्ञतागुण की स्वामिनी, दुष्ट वृत्तियो द्वारा अदमनीय चित्तवाली, देव तथा गुरु का बहुमान करनेवाली और गम्भीर आशय से परिपूर्ण होती है । उनका सहज तथाभव्यत्व तदनुकूल सामग्री के सयोग से जैसे-जैसे परिपक्व होता रहता है, वैसे ही उनकी उत्तमता बाहर प्रकट होती रहती है ।* इस प्रकार भगवान् महावीर मे ये सभी गुण उत्कृष्ट रूप में विकसित हुए थे ; ऐसा माने तो कोई अनुचित न होगा ।

● शिल्पशाला में

उस समय विदेह मे क्षत्रिय-कुमारो को शिक्षण देने के लिये विशिष्ट शिल्पशालाएँ थी ।× उनमे क्षत्रिय कुमारो को अक्षरज्ञान, व्यवहारो-पयोगी गणित तथा अनेक प्रकार की कलाएँ सिखाई जाती थी और युद्धविद्या के सिद्धान्त तथा प्रयोगो का ज्ञान, एव घनुर्विद्या की उच्च-कोटि की शिक्षा भी दी जाती थी । फलतः क्षत्रियकुमार युद्ध मे अति निपुण होते थे और अक्षणवेधी तथा बालवेधी बनते थे, अर्थात् क्षण मात्र मे किसी भी वस्तु का वेध कर सकते थे और केश जैसे सूक्ष्म वस्तु पर भी लक्ष्यसन्धान करने मे सफलता पाते थे ।

क्षत्रियो की अधिक बस्ती होने के कारण क्षत्रियकुण्ड मे ऐसी एक शिल्पशाला थी और वह वहाँ के क्षत्रियकुमारो को उपयुक्त सभी प्रकारो की शिक्षा देती थी । भगवान् महावीर को आठ वर्ष की आयु में इस शिल्पशाला मे प्रविष्ट किया गया, किन्तु वहाँ उनका मन

❧ श्रीहरिभद्रसूरि कृत 'ललितविस्तरा' 'चैत्यवन्दनवृत्ति' ।

❧ बौद्धग्रन्थ ओपम्मसंयुत की अट्टकथा ।

नहीं लगा। जिसका मन आव्यात्मिक प्रवृत्ति में लगा हो, अहिंसा-वृत्ति से परिपूर्ण हो, उसे युद्धविद्या अथवा धनुर्विद्या जैसी हिंसक विद्या में रस कहाँ से प्राप्त हो ? शिल्पशाला के आचार्य ने उनके मन में इस प्रकार की अभिरुचि जगाने का पूर्ण प्रयत्न किया, तब उनमें परस्पर जो वार्तालाप हुआ, वह बहुत ही सूचक था। आखिर शिल्प-शाला के आचार्य ने सिद्धार्थ राजा को बतलाया कि राजकुमार वृद्धि-प्रतिभापूर्ण है, किन्तु उन्हें यहाँ दी जानेवाली शिक्षा के प्रति तनिक भी अभिरुचि नहीं है। अतः इन्हें राजमहल में ही रखें और यथेच्छ प्रवृत्ति करने दें। सिद्धार्थ राजा ने शिल्पशाला के आचार्य की सम्मति के अनुसार कार्य किया और तब से वर्धमान कुमार राजमहल में यथेच्छ विहार करने लगे।

● वैवाहिक जीवन

भगवान् महावीर ने युवावस्था में प्रवेग किया, तब उनके अन्तर में जन्मसिद्ध वैराग्य की वल्लरी अंकुरित हो रही थी, इसी से उनकी अभिरुचि विवाहित होने की नहीं थी, किन्तु माता के आग्रहवश उन्होंने समरवीर नामक एक महा सामन्त की पुत्री यशोदा के साथ विवाह किया। कालक्रम से उन्हें एक पुत्रीरत्न की प्राप्ति हुई और उसका नाम 'प्रियदर्शना' रखा गया।

पुत्री प्रियदर्शना का विवाह, बड़ी होने पर, उसी नगर में 'जमाली' नामक क्षत्रियकुमार के साथ हुआ जो कि भगवान् की बहन सुदर्शना का पुत्र था।

उस समय कुछ क्षत्रियकुल मामा को पुत्री को गम्य मानकर उसके साथ विवाह करते थे । ज्ञातकुल भी उनमें से एक था । भगवान के ज्येष्ठ भ्राता श्री नन्दिवर्धन ने भी अपने मामा चेटक को पुत्री 'ज्येष्ठा' के साथ विवाह किया था ।

प्रियदर्शना को जन्म देने के कुछ समय पश्चात् यशोदादेवी का स्वर्गवास हुआ अथवा दीर्घकाल तक जीवित रही, यह कहा नहीं जा सकता; क्योंकि आगे उनके सम्बन्ध में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता ।

दिगम्बर सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार भगवान् महावीर ने अखण्ड कौमारव्रत का पालन किया था । विवाह करने के लिये सम्बन्धी जनो का बहुत आग्रह होने पर भी उन्होंने विवाह करना कथमपि स्वीकार नहीं किया था ।

● संसार का त्याग

भोगमार्ग त्याग कर योगमार्ग ग्रहण करने की तथा उसके निमित्त संसार-त्याग करने की भावना तो भगवान् महावीर के दिल में दीर्घकाल से ही थी, किन्तु इस ओर कदम रखने में माता-पिता के चात्सल्यपूर्ण कोमल हृदय को गहरी चोट पहुँचैगी, ऐसा नमस्कार वे मौन-बँधे थे ।

उनकी इस चिर-अभिरुचित आकांक्षा को नृप स्वयं देते-पर अवसर अष्टादश वर्ष की आयु में उपस्थित हुआ, जबकि उनके माता-पिता दोनों ही स्वर्ग निधर गये । किन्तु उस समय में न्यायों

की अनुमति लेते समय वातावरण हृदयद्रावक बन गया। नन्दिर्वर्न गद्गद् होकर कहने लगे कि—‘माता-पिता का दारुण वियोग तो अभी ताजा ही है, ऐसी स्थिति में तुम हमें छोड़कर जाने की बात क्यों करते हो ? तुम्हारे वियोग का दुःख हमसे किंचित् भी सहन नहीं हो सकेगा। कम से कम दो वर्ष तो हमारे साथ रहो, फिर तुम्हें जैसा योग्य प्रतीत हो वैसा करना।’

भगवान् का हृदय इस समय वैराग्य से परिपूर्ण होने पर भी उन्होंने बड़ों का सम्मान रखा और दो वर्ष रक्तने का निर्णय किया, किन्तु अपना जीवन तो उसी दिन से एक त्यागी के अनुरूप बना लिया।

वारह मास के अनन्तर उन्होंने अपना सारा परिग्रह न्यून करना आरम्भ किया तथा दीन-दुस्त्रियों को एवं आवश्यकता वाले व्यक्तियों को अपने हाथों से सभी वस्तुएं बाँट दी और कुटुम्बिजनो को देने योग्य जो वस्तुएं थी, वे उन्हें वितरित कर दी।*

तीस वर्ष की अवस्था में भगवान् ने ससार का त्याग किया और योगमार्ग ग्रहण किया। यह दिन मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी का था। ०

६ कल्पसूत्र में “दाणं दायारेहि परिभाहत्ता, दाणं दाइयाण परिभाहत्ता” इन शब्दों के द्वारा ये बात कही गयी है।

६ गुजराती मिति के अनुसार इसे कार्तिक वदी १० का दिन माना जाता है।

● योग-साधना

बिना योग-मार्ग के आत्मशुद्धि, आत्मा का साक्षात्कार, मुक्ति अथवा निर्वाण नहीं होता—ऐसा मानकर भगवान् महावीर ने योग-मार्ग ग्रहण किया था ।

भोग और ऐश्वर्य का परित्याग किये बिना योग-दीक्षा सम्भव नहीं, अतः भगवान् ने सभी प्रकार की भोग-लालसाएँ छोड़ दी थी और सारे ऐश्वर्य का त्याग करके एक निर्ग्रन्थ अर्थात् श्रमण की वृत्ति ग्रहण कर ली थी ।

जब तक पापकारिणी प्रवृत्तियों पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध नहीं रखा जाय, तब तक आत्मा पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ बन नहीं सकती, इसलिये योगदीक्षा ग्रहण करते समय सर्वविध पापकारिणी प्रवृत्तियों (सावद्ययोग) का मन, वचन और काया से परित्याग किया था ।

योग की साधना यम-पूर्वक ही सिद्ध होती है, अतएव उन्होंने योगसाधना के प्रारम्भ में ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह—ये पाँच यम (महाव्रत) धारण किये थे और अप्रमत्तभाव से इनका पालन करते थे ।

यमों के साथ कुछ नियमों की भी आवश्यकता रहती है । यही कारण था कि भगवान् ने रात्रि-भोजन-त्याग आदि कुछ नियम स्वीकृत किये थे और आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन भी किया था । उदाहरण के रूप में किसी तपस्वी के आश्रम में कुछ कटु अनुभव होने पर उन्होंने निम्नलिखित पाँच नियम धारण कर लिये थे :—

(१) अप्रीति हो ऐसे स्थान में नहीं रहना, (२) यथासम्भव ध्यान में

रहना, (३) जहाँ तक हो मौन रहना, (४) भोजन किसी पात्र की अपेक्षा हाथ से ही करना और (५) गृहस्थ से अनुनय-विनय नहीं करना ।

भगवान् दक्षप्रतिज्ञ थे, अतः उन्होंने इन नियमों का पूर्णतया पालन किया ।

योग तो अभ्यास से ही सिद्ध होता है । यह मानकर वे योग-अभ्यास में दत्तचित्त रहते थे और क्रमशः उसकी प्रक्रियाएँ सिद्ध करते थे । भगवान् की यह धारणा थी कि आसनसिद्धि के बिना काययोग में स्थिरता होना कठिन है । तथा शीत, आतप, वायु, कुडासा एव अनेकविध जन्तुओं के द्वारा उत्पन्न उपद्रव की परिस्थिति में निश्चिन्त रहने के लिये भी आसनसिद्धि की पूर्ण उपादेयता है, इस कारण भगवान् ने सर्वप्रथम लक्ष्य आसन-सिद्धि की ओर किया था तथा कुछ आसन भी सिद्ध कर लिये थे । इस सम्बन्ध में 'आचाराग सूत्र' में लिखा है कि 'भगवान् चञ्चलता से रहित अवस्था में रहकर अनेक प्रकार के आसनों में स्थिर होकर ध्यान करते थे और समाधिदक्ष तथा आकाक्षा-विहीन हो ऊर्ध्व, अध, एव तिर्यग् लोक का विचार करते थे ।'

'श्री उत्तराध्ययनसूत्र' के तीसवें अध्ययन में कहा है—'वीरासन आदि आसन जीव के द्वारा सुख-पूर्वक किये जा सकें, ऐसे हैं । और जे जब उग्र रूप में धारण किये जायँ तो कायक्लेश नाम का तप माना जाता है ।'*

ॐ ठाणा वीरासणाईया, जीवस्स उ सहावहा ।

उग्गा जहा धरिज्जन्ति, कायकिल्हेस तमाहिय ॥२७॥

इससे विदित होता है कि भगवान् वीरासन, पद्मासन, उत्कटिकासन, गोदोहिकासन प्रभृति सरल आसनो को अधिक प्रिय मानते थे और उनमें दीर्घकाल तक स्थिर रहते थे ।

भगवान् अनेक वार कायोत्सर्गसन में भी रहते थे । उस समय दोनों पाँव सीधे खड़े रख कर, आगे के भाग में चार अंगुल जितना और पीछे के भाग में कुछ थोड़ा अन्तर रखते थे तथा अपने दोनों हाथों को इक्षुदण्ड के समान सीधे लटकते हुए रखते थे ।

निर्ग्रन्थ मुनिगण भगवान् के पदचिह्नो पर चलते हुए भिन्न-भिन्न आसनो को सिद्ध करते थे, इसका प्रमाण बौद्धग्रन्थो में भी मिलता है ।

भगवान् श्वास-निरोधरूप प्राणायाम की क्रिया को विशेष महत्त्व नहीं देते थे । वे ऐसा मानते थे कि प्राणवायु के निग्रह से कदर्थना-प्राप्त मन शीघ्र स्वस्थ नहीं होता । किन्तु वे भाव-प्राणायाम को अवश्य महत्त्व देते थे, जिसमें बहिरात्मभाव का रेचक, अन्तरात्मभाव का पूरक एवं स्थिरता रूप कुम्भक, ये तीन प्रक्रियाएँ मुख्य थी ।*

पाँचो इन्द्रियो के विषय से मन को खींच लेना और अपनी इच्छा ही वहाँ स्थापित करना, प्रत्याहार की क्रिया कहलाती है । साधारण मनुष्य के लिये यह क्रिया अत्यन्त कठिन है, क्योंकि उसका मन बलगम पर मक्खी के चिपट जाने की तरह इन्द्रियोके विषयमें लिप्त

* श्री हरिभद्रसूरिजी ने 'योगदृष्टि-समुच्चय' की चौथी दृष्टि में उक्त भाव-प्राणायाम का वर्णन किया है ।

रहता है तथा उससे किसी भी प्रकार पृथक् नहीं होता । परन्तु भगवान् का मन सर्वत्र था और उन्हें पुद्गलों की सङ्गति तनिक भी प्रिय नहीं थी । अतएव उक्त क्रिया गीघ्रता से सिद्ध हो गयी । 'आचाराङ्गसूत्र' में कहा है—'वे भगवान् कषाय-रहित, लोभ-रहित, शब्द और रूप में मूर्च्छारहित तथा सावक-दग्गा में पराक्रम करते हुए स्वल्पमात्र भी प्रमाद नहीं करते थे । वे स्वानुभूतिपूर्वक ससार के स्वरूप को समझकर आत्मशुद्धि के कार्य में सावधान रहते थे ।'

भगवान् ने इतना योगाभ्यास कर लेने के पश्चात् धारणा सिद्ध करने का प्रयास किया था और तदर्थ भद्रा, महाभद्रा एवं सर्वतोभद्रा नामक प्रतिमाएं अङ्गीकृत की थी । भद्राप्रतिमा की विधि इस प्रकार है कि—दो दिन का निराहार उपवास ग्रहण करके प्रातःकाल में पूर्वाभिमुख होकर किसी एक पदार्थ पर ही दृष्टि केन्द्रित करना । तदनन्तर रात्रि होने पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके उपर्युक्त रीति से ही किसी अन्य पदार्थ पर दृष्टि स्थिर करना । दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर पश्चिम दिशा की ओर तथा सायं होने पर उत्तर दिशा की ओर मुँह रखकर ऊपर कहे अनुसार किसी भी वस्तु पर दृष्टि केन्द्रित करना । तात्पर्य यह है कि इसमें लगातार बारह घण्टे तक एक पदार्थ पर धारणा की जाती है तथा यह प्रयोग अड़तालीस घण्टों तक चालू रखना होता है । हम एक वस्तु पर अधिक से अधिक कितने समय तक दृष्टि स्थिर रख सकते हैं, इसका विचार करें तो इस धारणा का महत्त्व समझ में आ

सकता है। भगवान् ने यह प्रयोग लगभग दस वर्ष के योगाभ्यास के अनन्तर श्रावस्ती नगरी की एक ओर बसे हुए 'सानुयष्टिक' नामवाले गाव में किया था* और इसमें सफलता प्राप्त की थी।

महाभद्र-प्रतिमा में एक दिशा की ओर चौबीस घण्टे तक रहना पड़ता है तथा उतने ही समय तक किसी भी एक पदार्थ पर दृष्टि स्थिर की जाती है। छियानवे घण्टे के निराहार उपवासपूर्वक यह प्रतिमा पूर्ण होती है। भगवान् इस क्रिया में भी सफल सिद्ध हुए।

सर्वतोभद्र-प्रतिमा की विधि तो अत्यन्त ही कठिन है। इसमें चार दिशाएँ, चार विदिशाएँ, ऊर्ध्वदिशा एवं अधोदिशा—इस प्रकार कुल दस दिशाओं में एक-एक अहोरात्र तक दृष्टि स्थिर रखनी पड़ती है और दसों दिन तक निराहार उपवास किये जाते हैं। भगवान् ने इसमें भी विजय प्राप्त की थी।

अप्रमत्त-भाव से रहना यह उनका मुख्य सिद्धान्त था, अतः वे प्रमाद नहीं आ जावे इस सम्बन्ध में बड़ी सावधानी रखते थे। निद्रा को भी वे योग-साधना में बाधक मानते थे, इसलिये निद्रा-सेवन नहीं करते थे। आचारागसूत्र में कहा है—'भगवान् किसी-किसी समय उत्कट आसनादि में स्थिर रहते, किन्तु निद्रा की इच्छा से नहीं। कदाचित् निद्रा आने जैसा लगता तो ससारवर्धक प्रमाद मानकर उठ जाते और उसे दूर कर देते। आवश्यकतानुसार शीतकाल

* श्री हेमचन्द्राचार्य ने 'त्रिषष्टिशलाका-पुरुष-चरित्र' में यह नाम दिया है।

की रात्रि मे बाहर जाकर मुहूर्त तक भी ध्यान करते ।' निद्रा को दूर रखने के लिये उनका यह मुख्य प्रयोग था ।

भगवान् अपने मन को निष्क्रिय नहीं रखते थे । कभी उसे अनु-प्रेक्षा अर्थात् तत्त्वचिन्तन मे लगाते अथवा कभी उसे धर्मध्यान में सलग्न करते । वारणा सिद्ध हो जाने से उनके धर्मध्यान मे बहुत ही स्थिरता एव उज्ज्वलता आ गई थी । फिर तो वे आत्मा के शुद्धो-पयोगरूप शुक्लध्यान धारण करने मे पूर्णरूपेण सफल हो गये थे ।

शुक्लध्यान की द्वितीय भूमिका मे श्रुत-ज्ञान का आलम्बन प्राप्त करते हुए द्रव्य के एक ही पर्याय का अभेद-चिन्तन होता है और इसी भूमिका मे मन की समस्त वृत्तियों का लय होने पर केवलज्ञान की उत्पत्ति होती है । उस केवलज्ञान के द्वारा आत्मा भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल की सभी वस्तुओं के सभी पर्यायों को जान सकती है—देख सकती है, अर्थात् सर्वज्ञ की कोटि में विराजमान हो जाती है ।

भगवान् महावीर जूम्भिक गाँव के बाहर ऋजुवालिका नदी के उत्तरी भाग मे स्थित किमी देवालय के निकट, श्यामाक नामवाले गृहस्थ के खेत मे, शालवृक्ष के नीचे, उत्कटिकासन से बैठकर, दो उपवास की तपश्चर्या पूर्वक ध्यानावस्थित हुए थे, तब वे इस शुक्लध्यान की दूसरी भूमिका पर पहुँचे और उनको केवलज्ञान प्राप्त हुआ । यह शुभदिन वैशाख शुक्ला दशमी का था और केवलज्ञान प्राप्ति का समय दिन का चतुर्थ प्रहर था ।

चित्त की चञ्चलता सर्वथा नष्ट होने पर समाहित अवस्था की प्राप्ति होती है और वह अलौकिक आनन्द का अनुभव करवाती है। इस प्रकार भगवान् महावीर को अब सच्चिदानन्द अथवा आनन्दघन अवस्था प्राप्त हो गई थी और वह जीवन के अन्तिम समय तक स्थिर रही थी।

इतना स्मरण रहे कि भगवान् एक महान् राजयोगी थे और उन्होंने उत्तरकाल में अपने शिष्यों को भी राजयोग की ही दीक्षा दी थी।

सामान्यतः योगदीक्षा किसी गुरु से ली जाती है और साधक को गुरु के मार्गदर्शन की पद्धति पर ही आगे बढ़ना पड़ता है, किन्तु भगवान् महावीर ने योगदीक्षा स्वयं ली थी और वे अपने अनुभव के आधार पर ही आगे बढ़कर केवलज्ञान की प्राप्ति तक पहुँचे थे। जैन शास्त्रकारों ने उनको 'स्वयसम्बुद्ध' कहा है, इसका यही कारण है।

भगवान् ने सर्वविध भय जीत लिये थे तथा मृत्युभय पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। साथ ही उन्होंने आन्तरिक काम-क्रोधादि सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिये उनकी गणना 'जिन' में की जाती थी।

उत्कृष्ट योग-साधना, उग्र तपश्चर्या, विशुद्ध जीवन और जहाँ जाएँ वही मङ्गल-प्रवर्तन होने से वे सभी के पूजनीय बन गये थे और यही कारण था कि वे 'अर्हत्' के अति माननीय विशेषण से सम्बोधित किये जाते थे।

योग-साधना करते समय भगवान् को अनेक प्रकार की सिद्धियाँ

प्राप्त हुई थी, किन्तु उनका उपयोग उन्होंने अपने स्वार्थ के लिये अथवा जगत् को प्रभावित करने के लिये नहीं किया था।

श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने 'ध्यानशतक' के प्रारम्भ में भगवान् महावीर की वन्दना योगीश्वर के रूप में की है। इससे मालूम होता है कि भगवान् महावीर परम योगविशारद थे और योग की समस्त क्रियाओं को भली प्रकार से जानते थे।

● दृढता की वास्तविक कसौटी

भगवान् महावीर ने साठे बारह वर्ष से कुछ अधिक समय में योग-साधना पूरी की थी। इस योग-साधना-काल में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो यह समय उनकी दृढता की वास्तविक कसौटी का समय था, किन्तु वे अपने ध्येय से रचमात्र भी विचलित नहीं हुए थे।

वे जगत् के प्राणीमात्र को अपना मित्र मानते थे, इसलिये कदापि किसी का अनिष्ट-चिन्तन नहीं करते थे। एक बार एक भयकर दृष्टिविष सर्प ने उनके दाएँ पैर में काट लिया, तब भगवान् ने 'हे चण्डकीशिक ! वुज्झ वुज्झ' ये शब्द कहकर उसके कल्याण की कामना की और उसका उद्धार किया। एक बार किसी आरक्षी विभाग के अधिकारी (कोतवाल) ने उनको परगज्य का गुप्त-चर मानकर उनके मुख में सञ्जी वात (वास्तविक रहस्य) कहलाने के लिये उन्हें नन्मी ने बनकर वात दिया था और कुण्ड में उतार कर उन्नतियों लगवाने की तयारी की थी तथापि भगवान् ने उसका कोई प्रतिचार नहीं किया, जना ही नहीं मन में भी उसका अनिष्ट

नहीं चाहा । उन्होंने अभूतपूर्व दैवी उपसर्गों में भी धैर्य का अवलम्बन किया और 'मिती में सच्चभूएसू—सभी प्राणियों के साथ मेरी मैत्री हो', इस भावना का ही दृढ़ता से रटन किया ।

भगवान् को सर्वाधिक कष्ट राठ के जंगली प्रदेश में हुआ* । इस प्रदेश के वज्रभूमि और गुद्धभूमि ऐसे दो विभाग थे । इन में वज्रभूमि के लोग अत्यन्त क्रूर और निर्दयी थे । वे इन्हें मारते-पीटते और कुत्तों द्वारा कटवाते । कई बार तो वे भगवान् के शरीर पर गस्त्रों द्वारा प्रहार भी करते और उनके सिर पर धूल बरसाते । कई बार भगवान् को ऊपर से नीचे गिराते तथा आसन से हटा देते । इस प्रदेश में कुछ भाग तो ऐसा था कि जहाँ एक भी गाँव नहीं था और न मनुष्य की वस्ती थी । परन्तु भगवान् ने इस प्रदेश में रह कर भी अपनी योग-साधना आगे बढ़ाई थी तथा एक साधक चाहे तो किस सीमा तक अपनी सहन-शक्ति स्थिर रख सकता है, इसका एक अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया था ।

● साधना-काल की विहार-भूमि

भगवान् चातुर्मास के चार महीनों में एक स्थान पर स्थिर रहते थे और अवशिष्ट आठ महीनों में पृथक्-पृथक् स्थानों पर विचरण करते थे । उन्होंने साधना-काल में विदेह, बंग, मगध और काशी-कौशल आदि जनपदों में ही विहार किया था, यह साधना-काल के निम्नलिखित चातुर्मासों नामावली से ज्ञात होता है :—

* यह प्रदेश विदेह की पूर्वी सीमा पर था ।

पहला चातुर्मास—मोराक सनिवेश के निकट तापसों के आश्रम में तथा अस्थिक ग्राम में ।

दूसरा चातुर्मास—राजगृह नगर से बाहर नालन्दा आवास में एक तन्तुवाय की गाला (वस्त्र बुनने के कारखाने) में ।

तीसरा चातुर्मास—अङ्गदेश की राजधानी चम्पा नगरी में ।

चौथा चातुर्मास—पृष्ठचम्पा नगरी में ।

पाँचवाँ चातुर्मास—भद्रिकापुर में ।

छठा चातुर्मास—भद्रिकापुरी में ।

सातवाँ चातुर्मास—आलभिका नगरी में ।

आठवाँ चातुर्मास—राजगृह में ।

नौवाँ चातुर्मास—राठ के जङ्गली प्रदेश में ।

दसवाँ चातुर्मास—श्रावस्ती नगरी में ।

ग्यारहवाँ चातुर्मास—वैशाली में ।

बारहवाँ चातुर्मास—चम्पानगरी में ।

● लोकोद्धार

बहुत से योगी कैवल्य-प्राप्ति के अनन्तर स्वात्मानन्द में ही मस्त रहते हैं और दुनिया की किसी भी प्रवृत्ति में रस नहीं लेते, किन्तु भगवान् महावीर ने कैवल्यप्राप्ति हो जाने के बाद लोकोद्धार का कार्य अपने हाथ में लिया और यही इनके जीवन की असाधारण महत्ता थी ।

उन्होंने लोगों को न्याय-नीति-परायण बनाने के लिये, सदाचार

में स्थिर करने के लिये तथा धर्मप्रिय और तत्त्वनिष्ठ बनाने के लिये प्रवचन आरम्भ किये । इन प्रवचनों से असाधारण सफलता मिली, जिनके तीन कारण हमें निम्नरूप में विदित होते हैं : —

१—उस समय के धर्मोपदेशक अधिकांश में संस्कृत भाषा का आश्रय लेते थे, जिनमें उच्च वर्ग के मनुष्य-लाभान्वित हो सकते थे । परन्तु भगवान् ने अपने प्रवचन लोकभाषा में आरम्भ किये । लोकभाषा जयात् अर्धभागनी भाषा । उस समय मगध और उसके आस-पास के प्रदेश में यह भाषा बोली जाती थी और इसमें अन्य प्रान्तीय भाषाओं के बहुत से शब्द होने से भारत के सभी मनुष्य इसे अच्छी तरह समझ सकते थे । आज भारत में जो स्थान हिन्दी भाषा का है, वही स्थान उस समय अर्धभागधी का था ।

२—उस समय धर्मोपदेशको ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन वर्णों को ही धर्मोपदेश सुनने का अधिकारी माना था । शूद्रों को धार्मिक उपदेश नहीं सुनाना, यह उनका दृढ निर्णय था, इतना ही नहीं, अपितु यदि कोई शूद्र भूले-भटके लुक-छिपकर धर्मोपदेश सुन जाए तो उसे कठोर दण्ड देना तथा उसके कानों में शीशा अथवा लाख गरम करके भर देना ऐसी योजना उन्होंने गढ़ रखी थी । इस योजना को कहीं-कहीं कार्यान्वित भी किया जाता था । परन्तु भगवान् महावीर ने अपनी धर्म-सभा अथवा व्याख्यान-परिषद् के द्वार देश, वर्ण, जाति और लिंगभेद के बिना सब के लिये खुले कर दिये थे । फलतः सारी प्रजा ने उसका पूर्ण लाभ लिया ।

३—उस समय के धर्मोपदेशक तत्त्वज्ञान के नाम पर अनेक

अटपटी बातें किया करते थे, परन्तु भगवान् महावीर ने जीवन के परम सत्य बहुत ही स्वाभाविक एवं सरल भाषा में प्रस्तुत किये ।

धर्म जीवन का आवश्यक अङ्ग है, यह बात भगवान् महावीर ने अनेक उदाहरण और तर्कों द्वारा उचित रीति से समझाई और उसकी परीक्षा करने की सप्रमाण विधि भी बतलाई ।

भगवान् ने कहा कि 'जहाँ अहिंसा हो, प्राणि-मात्र के प्रति दया अथवा प्रेम की भावना हो, वही धर्म है ऐसा समझना चाहिये, हिंसा में धर्म होना असम्भव है ।'

उन्होंने कहा कि 'जहाँ सयम, सदाचार और शील की सुगन्ध हो, वही धर्म है, ऐसा समझना चाहिये । असंयम, दुराचार अथवा कुशील हो वहाँ धर्म होना असम्भव है ।'

उन्होंने यह भी कहा कि 'जहाँ ज्ञान-पूर्वक तप किया गया हो, इच्छाओं का दमन किया गया हो तथा तृष्णाओं का त्याग किया गया हो, वही धर्म है, ऐसा समझना चाहिये, भोगलालसा, विविध इच्छाओं की पूर्ति अथवा तृष्णाओं के ताण्डव में धर्म होना असम्भव है ।'

उनके इन उपदेशों का प्रभाव अत्यन्त आश्चर्यजनक हुआ । (१) हिंसक प्रवृत्तिवाले यज्ञ-यागादि कम हो गये और पशुबलि भी अधिकांश में बन्द हो गई । (२) जीवन के सामान्य व्यवहार में भी अहिंसा का उपयोग होने लगा और पशु-पक्षियों के प्रति दया की भावना विकसित हुई । (३) स्वेच्छाचार-दुराचार बहुत ही कम हो गया । (४) यथासाध्य संयमी जीवन यापन करने के लिये

अभिह्वि उत्पन्न हो गई। (५) जनता तपश्चर्या के वास्तविक स्वरूप को समझ गई और उसकी यथासम्भव आराधना करने लगी।

भगवान् महावीर ने दूसरा एक और महत्व का कार्य यह किया कि उस समय मनुष्य अपने उत्कर्ष के लिये पुरुषार्थ पर विश्वास रखने की अपेक्षा देव-देवियों अथवा यक्ष-व्यन्तरो की कृपा पर अवलम्बित रहनेवाले बन गये थे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते थे। परन्तु भगवान् महावीर ने कहा 'अप्पा सो परमप्पा—तुम्हारी आत्मा है, वही परमात्मा है। उसमें ज्ञान और क्रिया की अनन्त शक्ति विराजमान है। तुम इसे प्रकट करना सीखो तो अन्य किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।'

'सुख-दुःख का अनुभव हमे अपने कर्मों के अनुसार होता है, अतः सत्कर्म करने की ओर लक्ष्य रखना इस बात को भी भगवान् महावीर ने बहुत ही उत्तम ढंग से समझाया।

इसके अतिरिक्त उन्होने पुरुषार्थ की पञ्चसूत्री पेश किया, जिसे उत्थान-कर्म-बल-वीर्य-पराक्रम का सिद्धान्त कहा जाता है। उसका रहस्य यह है कि सर्वप्रथम मनुष्य को आलस्य नष्ट करके—प्रमाद दूर करके खडा होना चाहिये, फिर कार्य मे लग जाना चाहिये; तदनन्तर उस कार्य मे अपना सारा बल लगा देना चाहिये; उस कार्य को पूर्ण करने का मन मे परिपूर्ण उत्साह रखना चाहिये, तथा कार्यसिद्धि के मार्ग में जो विघ्न, कष्ट अथवा कठिनाइयाँ आएँ

उनका दृढता से सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिये । इस प्रकार पुरुषार्थ करनेवाले को सिद्धि-सफलता अवश्य प्राप्त होती है ।

भगवान् महावीर अनन्य पुरुषार्थी थे और उन्होंने भारत की जनता को इस रूप में पुरुषार्थी बनने का आह्वान किया था ।

● संघ-स्थापना

समाज अपने अधिकार के अनुसार ही धर्म का आचरण कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखकर भगवान् ने धर्मारामको के दो वर्ग बना दिये थे और पुरुष तथा स्त्री, दोनों वर्गों को उनमें स्थान दिया था ।

जो त्यागी बनकर निर्वाणसाधक योग की उत्तम रीति से साधना करने योग्य थे, उन्हें श्रमण-श्रमणी वर्ग में प्रविष्ट किया । श्रमण का वास्तविक अर्थ है—समत्त्व की प्राप्ति के लिये श्रम करनेवाला साधु, तपस्वी अथवा योगी ।

जो त्यागी बनने की स्थिति में नहीं थे, किन्तु गृहस्थ-जीवन में रहकर नीति-नियम तथा सदाचार पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान और किसी निर्धारित सीमा तक सयम-योग की साधना करने योग्य थे उनका समावेश श्रमणोपासक तथा श्रमणोपासिकाओं में किया । श्रमणोपासक का वास्तविक अर्थ है—श्रमणों की उपासना, आराधना किंवा सेवा-भक्ति करके उनसे अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति करनेवाला गृहस्थ (श्रावक) ।

भगवान् ने उक्त चारों वर्गों का एक संघ स्थापित किया । वह संघ ससार-सागर से पार होने के लिये एक उत्तम नौका

के समान होने से 'तीर्थ' की संज्ञा को प्राप्त हुआ और उसके संस्थापक के रूप में भगवान् महावीर 'तीर्थङ्कर' कहलाये ।

यहाँ इतना स्पष्ट कर देना उचित है कि उनसे पूर्व इस भारत में श्रीऋषभ आदि अन्य तेईस तीर्थङ्कर हो गये थे, अतः इनकी गणना चौबीसवें तीर्थङ्कर के रूप में हुई ।

भगवान् की अपूर्व—अद्भुत धर्म-देशनाओ द्वारा उक्त संघ दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति प्राप्त करने लगा । इसमें एक उल्लेखनीय घटना तो यह हुई कि केवलज्ञान होने के पश्चात् लाभ का कारण समझकर भगवान् महावीर ने एक साथ मेअडतालीस कोस का विहार किया और वे अपापापुरी आये । वहाँ महासेन वन में धर्मसभा हुई । और उनका अत्यन्त प्रभावशाली प्रवचन सुनकर लोग मुग्ध हो गये । जनता ने नगर में बात फैलाई कि 'यहाँ एक सर्वज्ञ आये हैं ।' यह सुनकर उस पुरी में एक यज्ञ के लिये एकत्र हुए ब्राह्मण पण्डित चौंके और उनमें से ग्यारह महाविद्वान्—(१) इन्द्रभूति, (२) अग्निभूति, (३) वायुभूति, (४) व्यक्त, (५) सुधर्मा, (६) मण्डिक, (७) मौर्यपुत्र, (८) अकम्पित, (९) अचलभ्राता, (१०) मेतार्य और (११) प्रभास एक के बाद एक भगवान् की धर्मसभा में उनकी परीक्षा लेने पहुँचे, किन्तु भगवान् ने उनके मन में स्थित शास्त्रार्थ-विषय शङ्काओं को बराबर बता दिया और उनका वास्तविक अर्थ भी करके दिखलाया । इससे उन ब्राह्मण पण्डितों ने उसी स्थान पर तत्काल त्यागमार्ग ग्रहण किया और उनके साथ ४४०० ब्राह्मण छात्रों ने भी अपने गुरुओं का अनुकरण किया । इस प्रकार एक ही सभा में ४४११ ब्राह्मण प्रतिबोध प्राप्त कर उनके संघ में प्रविष्ट हुए ।

भगवान् ने इन्द्रभूति आदि को उनके शिष्यगणों का आचार्य अर्थात् गणधर नियुक्त किया तथा उनकी अपने पट्टशिष्य के रूप में स्थापना की। इन पट्टशिष्यों ने भगवान् के प्रवचनों के भाव धारण कर उन्हीं के आधार पर शास्त्रों की रचना की अर्थात् भगवान् महावीर के वचनामृत के संग्रह का वास्तविक श्रेय उन्हीं को प्राप्त है।

भगवान् महावीर द्वारा स्थापित धर्मारामक संघ का चित्र अत्यन्त उज्ज्वल था। इस संघ के श्रमणवर्ग में विम्बिसार (श्रेणिक)-पुत्र मेघकुमार, नन्दिवेण, राजा उदायन, राजा प्रसन्नचन्द्र आदि क्षत्रिय, धन्य-गालिभद्र आदि धनकुवेर वैश्य तथा किसान, कारीगर आदि भी बहुत से थे। श्रमणीवर्ग में चन्दनवाला, भगवान् की पुत्री प्रियदर्शना, मृगावती आदि क्षत्रिय-पुत्रियाँ, देवानन्दा आदि ब्राह्मण-पुत्रियाँ तथा वैश्य-पुत्रियाँ आदि भी थी।

उस समय श्री पार्वनाथ के चातुर्यामि-धर्म का पालन करनेवाले श्रमण और श्रमणियाँ आदि विद्यमान थी, वे सब शनैः शनैः भगवान् महावीर द्वारा सस्थापित इस धर्मारामक-संघ में मिल गये।

श्रमणवर्ग में कुछ केवलज्ञान तक पहुँचे थे और कुछ मन के भावों को जानने की स्थिति तक। कुछ दूरस्थित वस्तु के दर्शन कर लेने की सिद्धि तक तो अन्य शरीर को छोटा-बड़ा करने की शक्ति पर्यन्त पहुँच गये थे। इससे यह ज्ञात हो सकता है कि भगवान् के द्वारा स्थापित श्रमणवर्ग में योग-साधना कितनी विगद और विपुल रही होगी। श्रमण-वर्ग में कुछ समर्थ वादी-शास्त्रार्थी भी थे, जो धर्म-सम्बन्धी वाद-शास्त्रार्थ करके जनता को उसका सच्चा स्वरूप समझाते थे।

श्रमणोपासक वर्ग में मगधराज श्रेणिक, उनका पुत्र अजातशत्रु कोणिक, दशार्ण देश का राजा दशार्णभद्र, अपापापुरी का शासक हस्तिपाल तथा ज्ञात, लिच्छवी ओर मल्लगण के प्रायः सभी क्षत्रिय राजा थे। आनन्द, कामदेव, चूलणिपिता, सुरादेव, चुल्लगशतक, कुण्डकोलिक, सद्दालपुत्र, महाशतक, नन्दनीप्रिय, सालिहीपिता आदि अनेक धनपति वैश्य थे। इसी प्रकार ब्राह्मण आदि भी अनेक थे।

श्रमणोपासिकाओ का वर्ग बहुत विशाल था। उसमें जयन्ती, सुलसा आदि कई विदुषी सन्नारियाँ सम्मिलित थी।

● निर्वाण-प्राप्ति

भगवान् महावीर ने तीस वर्ष तक भारत के विभिन्न भागों में परिभ्रमण किया और विविध प्रकार की धार्मिक प्रवृत्तियों का आयोजन करके जनता का उद्धार किया, इसे भारतीय जनता कब भुला सकती है ?

तीर्थंकर जीवन का तीसवाँ चातुर्मास भगवान् ने अपापापुरी के हस्तिपाल राजा की लेखनशाला में किया। वहाँ मल्लगण के नौ राजा, लिच्छवीगण के नौ राजा तथा अन्य अनेक उपासकों को अड़तालिस घण्टों तक देशना देकर कार्तिक (आश्विन कृष्ण) अमावास्या को निर्वाण प्राप्त हुए।

ऐसे महान् जगदीपक के बुझ जाने पर उसकी कमी को पूरा करने के लिये उस रात्रि में भव्य दीप-मालाएँ जलाई गईं। तब से दीपावली का पर्व आरम्भ हुआ।

जहाँ प्रभु का अग्निस्कार किया गया, वहाँ की पवित्र भस्म की जनता बड़े आदर से लेने लगी। बाद में तो वहाँ की मृत्ति भी उतनी का

ही पवित्र मानकर ग्रहण करने लगे । ऐसा करते-करते वहाँ एक बड़ा गड्ढा हो गया और कालान्तर में वही सरोवर बन गया । आज उस सरोवर के बीच एक श्वेत, सुन्दर मन्दिर विराजमान है और प्रतिवर्ष लाखों मनुष्य वहाँ की भावपूर्ण यात्रा करते हैं ।

● उपसंहार

भगवान् की वाणी विश्वमैत्री तथा अनुकम्पा के अमृत से सराबोर थी तथा उसमें गुणानुराग और मध्यस्थता का अनाहत नाद पूर्णतया गुञ्जित था । भगवान् की वाणी में सत्य की अनन्त आभा से परिपूर्ण विमल-प्रकाश झलक रहा था और अपने दीर्घ अनुभव का निचोड़ यथार्थरूप में अवतरित हुआ था । इसीलिये उनकी वाणी गिव-सुन्दर बनी थी और लाखों-करोड़ों मानवों के हृदय में नवचेतना भरने में सफल हुई थी । प्रिय पाठको ! आप उस वाणी का उस वचनामृत का परम श्रद्धा से पान करें, यही हमारी अभ्यर्थना है ।

गिवमस्तु सर्वजगतः ।

शुद्धिपत्रक

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४६	पादनोघ प०-४	चंपारण्य-प्रदेशतक	कौशिकी नदी तक
५०	पादनोघ प० २	पटनासे सत्ताइस माइल की दूरी पर	उत्तर बिहार मे

श्री वीर-वचनमृत

पृष्ठ	प०	अशुद्ध	शुद्ध
८	७	अवकाश-लक्षणवाला	अवकाश-लक्षणवाला
१३	२२	ग० ८	गा० ६
३०	१०	हसगन्धेपुलए	हसगन्धे पुलए
५६	६	सजयस्सवि	सजयस्सावि
६६	८	लाभ	लोभ
७६	१५	साही	सोही
८७	१६	आ० अ० ३	आ० श्रु० १, अ० ३
१२६	१६	तिरिय	तिरिय
१६४	१	पजारघणे	पजरिघणे
१८५	३	उ० गा० ६	उ० ३, गा० ६
१८६	६	कह न कुजा	कह नु कुजा
१९६	७	भूयाण भेसमाघाजो,	भूयाणभेसमाघाजो,
२०२	६	वभचेरस्स	वभचेरस्स
२०६	६	चित्तघर	चित्तघर

२१३	६	नन्ति मे	नन्ति मे
२१४	१	भुजति	भुजति
२४०	१	अकप्पिय	अकप्पिय
२५७	१५	उवेड	उवेड
२७२	११	पन्नरसहि	पन्नरसहि
२७७	६	कुपिपजा	कुपिपजा
३३६	७	मायाविजएण	मायाविजएण
३४६	६	अ० श्रु० १,	आ० श्रु० १,
३७४	१	अव्भागमियम्मि	अभागमियम्मि
४१५	८	खुलहा	खुलहा

संकेत-सूची

[वचनों के नीचे आधार-स्थान बतानेवाले जो ग्रन्थ-संकेत रखे हैं, वे निम्न हैं]

अ० - अध्ययन

आ०—आचारांग सूत्र

उ०—उत्तराध्ययन सूत्र, (द्वितीय स्थान में) उद्देश

उत्त०— „

औप०—औपपातिक सूत्र

गा०—गाथा

चू०—चूल्का

जीवा०—जीवाजीवाभिगम सूत्र

दश०—दशवैकालिक सूत्र

दशाश्रुत०—दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र

प्रति०—प्रतिपत्ति

प्रश्न०—प्रश्नव्याकरण सूत्र

भग०—भगवती सूत्र

श०—शतक

श्रु०—श्रुतस्कन्ध

सम०—समवायाग सूत्र

सू०—सूत्रकृतांग सूत्र

स्था०—स्थानाग सूत्र, (द्वितीय स्थान में) स्थान

ज्ञा०—ज्ञाताधर्मकथा सूत्र

आर्तत्राणकरी सुधाञ्जलिहरी कारुण्यपूर्णेश्वरी,
ससारार्णव-सङ्कटे प्रपतता ताराय चैका तरी ।
सर्वस्यान्तचरी सुपुण्यनगरी सत्तत्त्वचिन्तादरी,
लोकानामभयाय भातु भुवने श्री वीरवाणीभरी ॥

—प० रुद्रदेव त्रिपाठी

श्री महावीर वचनामृत

धारा . १ :

विश्वतन्त्र

जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए ।

अजीवदेसमागासे, अलोए से वियाहिए ॥ १ ॥

[उक्त० अ० ३६, गाथा : २]

जिसमे जीव भी हो और अजीव भी हो, उसे 'लोक' कहते हैं, तथा जिसमे अजीव का एक भाग अर्थात् केवल आकाश हो, उसे 'अलोक' कहते हैं ।

विवेचन—जिसे हम विश्व, जगत् अथवा दुनिया कहते हैं, उसके दो विभाग हैं : एक लोक और दूसरा अलोक । इनमे लोक, जीव और अजीव अर्थात् चेतन तथा जड पदार्थों से व्याप्त है, जबकि अलोक मे अजीव—जीव रहित आकाश के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । दूसरे शब्दों मे कहे तो सर्वत्र आकाश ही आकाश फैला हुआ है । उसका एक भाग लोक है, जबकि शेष भाग अलोक है—अर्थात् निरवधि आकाश (Infinite Space) है ।

प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रो० आल्बर्ट आइन्स्टीन इसी सिद्धान्त का समर्थन करते हुए अपने एक निबन्ध में लिखते हैं कि, “लोक परिमित है और अलोक अपरिमित । लोक परिमित होने के कारण द्रव्य अथवा शक्ति उससे बाहर कहीं नहीं जा सकती । लोक से बाहर उस शक्ति का पूर्णतया अभाव है जो गति में सहायक होती है ।”

इस बात का उल्लेख यहाँ पर इसलिए किया गया है कि जैसे-जैसे विज्ञान प्रगतिपथ पर आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी भगवान् महावीर द्वारा कथित सिद्धान्तों का दृष्टा के साथ समर्थन करता जा रहा है ।

धम्मो अहम्मो आगासं, कालो पुग्गल-जंतवो ।

एम लोकोत्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहि ॥२॥

[उक्त० अ० २८, गा० ७]

धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव—इन छह द्रव्यों के समूह को सर्वदर्शी जिन भगवन्तों ने लोक कहा है ।

विवेचन—लोक जीव और अजीवों से अर्थात् चेतन तथा जड़ पदार्थों में व्याप्त है यह बात ऊपर कही जा चुकी है । किन्तु उसमें मौलिक द्रव्य कितने हैं ? इसका स्पष्टीकरण हम गाथा में किया गया है । उनमें बताया गया है कि लोक में मौलिक अथवा मूलभूत द्रव्य कुल मिलाकर छह हैं—पाँच जड़ और एक चेतन । उनमें जड़ की संख्या अधिक होने से इसकी गणना प्रथम की गई है । पाँच जड़ द्रव्यों के नाम इस प्रकार ममम्मे चाहिए :—

१ : धर्म—धर्मास्तिकाय ।

२ : अधर्म—अधर्मास्तिकाय ।

३ : आकाश—आकाशास्तिकाय ।

४ : काल ।

५ : पुद्गल—पुद्गलास्तिकाय ।

चेतन द्रव्य को जीव—जीवास्तिकाय कहा जाता है ।

सामान्य तौर पर धर्म और अधर्म शब्द पुण्य और पाप के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, किन्तु यहाँ इन्हे द्रव्य के नामविशेष के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए ।

छह द्रव्यों में से पाँच को अस्तिकाय कहा जाता है । इसका मूल कारण यह है कि इन द्रव्यों में प्रदेशों का समूह विद्यमान रहता है जबकि काल में प्रदेशों का समूह नहीं होता । अतः उसकी गणना अस्तिकाय में नहीं की जाती ।

ये छह द्रव्य ध्रुव हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं. अर्थात् ये किसी के द्वारा उत्पादित नहीं हैं और ना तो इनका आत्यन्तिक विनाश भी होता है । बेशक इनके पर्यायों में—इनकी अवस्थाओं में अवश्य परिवर्तन होता रहता है । और इसी कारणवश यह लोक चिरतन सनातन होते हुए भी परिवर्तनशील माना जाता है । ऐसे समय में जब पौराणिक मान्यताओं के स्तर असत्य प्रतीत होने लगे थे और विश्व-व्यवस्था के लिये ईश्वर नामक एक अगम्य शक्ति-तत्त्व को आगे धरा जाता था तब ऐसी स्पष्ट वैज्ञानिक विचारधारा सर्वज्ञ के सिवाय भला दूसरा कौन प्रस्तुत कर सकता था ?

धम्मो अहम्मो आगासं, दब्बं इक्किक्कमाहियं ।

अणंताणि य दब्बाणि, कालो पुग्गल-जंतवो ॥३॥

[उक्त० अ० २८, गा० ८]

धर्म, अधर्म और आकाश—इन तीनों को एक-एक द्रव्य कहा गया है जबकि काल, पुद्गल और जीव—इन तीनों को अनन्त द्रव्य कहा गया है ।

विवेचन—धर्म-द्रव्य समस्त लोक में अखण्ड रूप में स्थित है । अतः वह एक है । हम बुद्धि के द्वारा इसके विभागों की कल्पना कर सकते हैं, पर वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं है । अधर्म और आकाश द्रव्य की भी यही स्थिति है । किन्तु काल, पुद्गल और जीव ये तीन द्रव्य अनन्त हैं । फलतः इनका निर्देश संख्या के द्वारा नहीं किया जा सकता । यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जगत् का विद्वद्वग जिस वस्तु का निर्देश संख्या के द्वारा नहीं कर सकता, उसे असंख्यात कहकर छोड़ देता है । परन्तु जैन महर्षियों ने असंख्यात को भी दो विभागों में विभाजित किया है, इसमें से प्रथम विभाग को असंख्यात और दूसरे विभाग को अनन्त कहा गया है । असंख्यात की अपेक्षा अनन्त का प्रमाण बहुत विस्तृत है । असंख्यात कत्र कहा जाय इसका स्पष्टीकरण हमें पाँचवीं गाथा के विवेचन से ज्ञात हो सकेगा ।

गईलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो ।

भायणं सच्चदब्बाणं, नहं ओगाहलक्खणं ॥४॥

[उक्त० अ० २८, गा० ९]

धर्म-द्रव्य गति-लक्षणवाला है; जबकि अधर्म-द्रव्य स्थिति-लक्षणवाला है। और आकाश-द्रव्य अवकाश-लक्षणवाला है, साथ ही यह सर्व द्रव्यो के रहने का स्थान है।

विवेचन—प्रत्येक द्रव्य को पहचानने के लिये उसके लक्षणों को जानना आवश्यक है। इसलिये यहाँ इनके लक्षणों का विशेष रूप से निर्देश किया गया है।

धर्म-द्रव्य—यह गति-लक्षणात्मक है, इसका तात्पर्य यह है कि स्वभावानुसार स्वयं ही गमन करनेवाले चेतन तथा जड़-पदार्थों को गति करने में यह सहायक सिद्ध होता है। यहाँ स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि यदि एक द्रव्य स्वयं स्वभावगत ही गतिशील हो तो उसे अन्य द्रव्य की सहायता की भला क्या आवश्यकता है? इसका यही समाधान है कि जैसे मछली में तैरने की शक्ति रहने पर भी वह जल के बिना तैर नहीं सकती, वैसे ही चेतन और जड़ पदार्थों में गति करने की स्वयं शक्ति है, किन्तु वे धर्मास्तिकाय द्रव्य की सहायता के बिना गति नहीं कर सकते। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इस बात का स्वीकार किया है कि कोई पदार्थ आकाश में—अवकाश में जो गति करते हैं, वह ईथर नामक एक अदृश्य पदार्थ के आधार पर ही गतिमान है। ईथर के स्वरूप के बारे में इन लोगों में एकमत नहीं है। किन्तु विशेष सशोधन के परिणामस्वरूप वे धर्मास्तिकाय सिद्धान्त के अधिकाधिक निकट आ रहे हैं।

अधर्म-द्रव्य—यह स्थिति-लक्षणात्मक है, इसका तात्पर्य यह है कि यह अपने स्वभाव से स्थिर अटल—अचल रहे चेतन और जड़ पदार्थों

को स्थिर रखने में सहायभूत होता है। स्थिर रहने की शक्तिवाले मनुष्य के लिये जैसे स्थिर रहने में शय्या अथवा आसन आदि सहायक सिद्ध नहीं होते क्या ? यहाँ भी तदनुसार ही समझना चाहिये।

धर्म और अधर्म-द्रव्य लोक में व्याप्त हैं जबकि लोक से बाहर कही नहीं ! अतः किसी भी चेतन-जड पदार्थ की गति-स्थिति लोक में ही सम्भव है, लोक से बाहर नहीं।

आकाश-द्रव्य—यह अवकाश-लक्षणोंवाला है, इसका तात्पर्य यह है कि वह प्रत्येक पदार्थ को अपने भीतर रहने के लिये पर्याप्त स्थान देता है और इसीलिये विश्व के चराचर सभी पदार्थ आकाश में स्थित हैं। आकाश का जितना भाग लोक व्याप्त है, उसे लोकाकाश कहते हैं और शेष भाग को अलोकाकाश।

सक्षेप में धर्म यह गतिसहायक द्रव्य (Medium of motion) अधर्म यह स्थितिसहायक द्रव्य (Medium of rest) और आकाश यह अवकाश (Space) रूप है।

वृत्तणालक्ष्णो कालो, जीवो उवओगलक्ष्णो ।

नाणेणं दंसणेणं च, सुहेण य दुहेण य ॥५॥

[उक्त० अ० २८, गा० १०]

काल वर्तना लक्षणवाला है और जीव उपयोग लक्षणवाला। जीव को ज्ञान, दर्शन, सुख और दुःख के द्वारा जान सकते हैं।

विवेचन—काल (Time) वर्तना लक्षणवाला है, इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ की वर्तना जाननी हो तो वह काल के द्वारा जानी जा सकती है। ' यह वस्तु है ' ' यह

वस्तुत्व]

वस्तु थी, ' गत वस्तु होगी,' आदि शब्दों के प्रयोग काल के कारण ही हो सकते हैं ।

यहाँ यह भी सम्भलना आवश्यक है कि किसी भी क्रिया अथवा परिवर्तन के होने में काल ही मुख्य कारण होता है । काल की सहायता के बिना कोई भी क्रिया अथवा परिवर्तन नहीं हो सकता । किसी साधु-महात्मा के दर्शन के लिए जाना हो तो काल अर्थात् समय चाहिए । किसी उत्तम ग्रन्थ का पारायण करना हो तो भी होने में और जवान से बृद्ध होने में भी समय की आवश्यकता है ।

काल यह अरूपी—अदृश्य द्रव्य है । अतः इसे कोई पकड़ नहीं सकता । किन्तु नकेत के आधार पर इसका परिमाण—अदाज निकल सकता है । जैन-शास्त्रों में यह माप—परिमाण इस प्रकार बतलाया गया है :—

काल का निर्विभाज्य भाग	= समय
असख्यात समय	= आवलिका
सख्यात आवलिका	= श्वास
दो श्वास	= प्राण
सात प्राण	= स्तोक
सात स्तोक	= लव
सतहत्तर लव	= मुहूर्त
तीस मुहूर्त	= अहोरात्र (२४ घण्टे)
पन्द्रह अहोरात्र	= पक्ष

दो पक्ष	= माह, महीना
दो माह	= ऋतु
तीन ऋतु	= अयन
दो अयन	= सवत्सर (वर्ष) *
सौ वर्ष	= गताब्दी
दस गताब्दी	= सहस्राब्दी
चौरासी सौ सहस्राब्दी	= पूर्वाङ्ग
चौरासी लाख पूर्वाङ्ग	= एक पूर्व

[इस प्रकार एक पूर्व मे ७०५६०००००००००० वर्ष होते हैं ।]

चौरासी लाख पूर्वों को सम्मिलित करे तो एक त्रुटिताङ्ग और ऐसे चौरासी लाख त्रुटिताङ्ग एकत्र करने पर एक त्रुटित होता है । इस तरह आये हुए परिमाण को चौरासी लाख से गुणन करते जायँ तो क्रम से अटटाग, अटट, अववाग, अवव, हूहकाग, हूहक, उत्पलाग, उत्पल, पद्माग, पद्म, नलिताग, नलित, अर्थनिपुराग, अर्थनिपुर, अयुताग, अयुत, नयुताग, नयुत, प्रयुताग, प्रयुत, चूलिकाग, चूलिका, गीर्षप्रहेलिकाग और गीर्षप्रहेलिका नामक माप बनते हैं । गीर्षप्रहेलिका के पर्वों की सख्या १६४ अक तक पहुँचती है । जबकि इस से भी कई अधिक गुनी सख्या को असख्यात कहते हैं ।

इस से भी आगे चलकर शास्त्रकारो ने परिमाण बताये हैं । किन्तु उनमे सख्या का कोई उपयोग न होने से उपमानो का आधार लिया

* एक वर्ष में छह ऋतुएँ होती हैं — हेमन्त, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, और शरद् । अयन दो होते हैं — उत्तरायण और दक्षिणायन ।

है। इसप्रकार एक योजन लम्बे, एक योजन चौड़े तथा एक योजन गहरे गड्ढे को सूक्ष्म केशों के टुकड़ों से भर दिया जाय और उस परसे चक्रवर्ती की सेना निकल जाय फिर भी वह दबे नहीं, इतना ठूस-ठूस कर भर दिया जाय और फिर उस गड्ढे में से सौ-सौ वर्षों के अन्तर से केश का एक-एक टुकड़ा निकालते रहने पर जितने वर्षों में वह गड्ढा खाली होगा, उतने वर्षों को एक पल्योपम कहते हैं, ऐसे दस कोटा-कोटि ($1000000000 \times 100000000$) पल्योपम वर्षों को सागरोपम कहते हैं। ऐसे बीस कोटाकोटि सागरोपमों का एक कालचक्र बनता है और ऐसे असख्यात कालचक्रों का एक पुद्गलपरावर्त बनता है।

जीव—उपयोग लक्षणवाला है, इसका अर्थ यह है कि जीव किसी भी वस्तु को सामान्य अथवा विशेष रूप से जानने के लिये चेतना—व्यापार कर सकता है। वस्तु को सामान्य रूप से जान लेने को दर्शन कहते हैं और विशेषरूप से जानने को ज्ञान कहते हैं। चैतन्य का स्फुरण उपयोग है।

जीव को किस प्रकार जाना जा सकता है? इसके प्रत्युत्तर में यहाँ कहा गया है कि जहाँ ज्ञान हो, दर्शन हो, तथा सुख-दुःख का भी अनुभव हो, उसे जीव समझना चाहिए। हम में ज्ञान-दर्शन और सुख-दुःख का अनुभव है, इसलिये हम जीव हैं। गाय, भैंस आदि पशुओं में, कीड़े, कबूतर आदि पक्षियों में तथा जन्तुओं में, कीड़ों में भी कुछ जानने की शक्ति तथा सुख-दुःख का सवेदन होता है। अतः वे भी जीव हैं; और हरी वनस्पति में भी कुछ जानने की शक्ति तथा सुख-दुःख का सवेदन है, अतः वह भी जीव है। इस प्रकार जहाँ-जहाँ ज्ञान,

दर्शन अथवा सुख-दुःख का अनुभव दिखाई दे, वे सब जीव हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस से विपरीत जिसमें जानने की शक्ति नहीं है अथवा सुख-दुःख का संवेदन नहीं है, वह जीव नहीं है। उदाहरण के लिये लोहा, काँच अथवा पत्थर का टुकड़ा। इनमें जानने की शक्ति नहीं है अथवा सुख-दुःख की कोई संवेदना भी नहीं है। अतः ये अजीव हैं।

नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो तथा ।

वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खणं ॥६॥

[उक्त० अ० २८, गा० ११]

ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य (शक्ति अथवा सामर्थ्य) और उपयोग—ये सब जीव के लक्षण हैं।

विवेचन—जहाँ सामान्य अथवा विगेषरूप में किसी प्रकार का ज्ञान देखने में आवे, समय अथवा तप की आराधना दिखाई दे, वीर्य का स्फुरण प्रतीत हो अथवा उसका उपयोग दिखलाई दे, वे जीव हैं। क्योंकि जीव के अतिरिक्त किसी भी अन्य द्रव्य में ये बातें नहीं होती।

सइंऽधयार उज्जोओ, पहा छायातवेइ वा ।

वन्न-रस-गंध-फासा, पुगलाणं तु लक्खणं ॥७॥

[उक्त० अ० २८, गा० १२]

शब्द, अन्वकार, उद्योत, प्रभा, छाया और आतप—ये पौद्गलिक वस्तुएँ हैं और वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श—ये पुद्गल के लक्षण हैं।

विवेचन - शब्द अर्थात् ध्वनि अथवा आवाज (Sound) अन्धकार अर्थात् तिमिर अथवा तो अंधियारा । उद्योत अर्थात् रत्नादि का प्रकाश अथवा जगमगाहट । प्रभा अर्थात् चन्द्र आदि का शीतल प्रकाश । छाया अर्थात् प्रतिच्छाया और आतप अर्थात् सूर्य की धूप आदि उष्ण प्रकाश । ये सब पीद्गलिक वस्तुएं हैं ।

कुछ लोग शब्द अर्थात् ध्वनि को आकाश का ही एक गुण मानते थे । किन्तु आधुनिक आविष्कार ने प्रमाणित कर दिया है कि शब्द आकाश का गुण नहीं, अपितु पुद्गल का ही एक प्रकार है और इसी से उसे युक्ति के द्वारा पकड़ सकते हैं । ग्रामोफोन का रिकार्ड, रेडियो आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं ।

पुद्गल का मुख्य लक्षण वर्ण, रस, गन्ध, और स्पर्श है । इन में से वर्ण के पाँच प्रकार हैं :—(१) कृष्ण—काला (२) नील—नीला (३) पीत—पीला, (४) रक्त—लाल और (५) श्वेत—सफेद । रस के भी पाँच प्रकार हैं :—(१) तिक्त—तीखा (२) कटु—कड़ुआ (३) मधुर—मीठा (४) अम्ल—खट्टा और (५) कषाय—कसैला । गन्ध के दो प्रकार हैं :—(१) सुगन्ध और (२) दुर्गन्ध । स्पर्श के आठ प्रकार हैं :—(१) स्निग्ध - चिकना (२) रूक्ष—रूखा (३) शीत—ठंडा (४) उष्ण—गर्म, (५) मृदु—कोमल (६) कर्कश—कठोर (७) गुरु—भारी (८) लघु—हल्का ।

गुणाणमासओ दन्वं, एगद्वस्सिया गुणा ।

लक्खणं पज्जवाणं तु, उभओ अस्सिआ भवे ॥८॥

द्रव्य गुणों को आश्रय देता है और गुणों का आश्रय द्रव्य है । अनेक गुण एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं । परन्तु पर्याय का लक्षण यह है कि वह द्रव्य और गुण दोनों का आश्रित रहता है ।

विवेचन—द्रव्य गुणों को आश्रय देता है, अर्थात् प्रत्येक द्रव्य के अपने विशिष्ट गुण होते हैं । ये गुण द्रव्याश्रित होते हैं । अतः वे द्रव्य के साथ ही रहनेवाले होते हैं, उससे अलग नहीं होते । उदाहरण के लिये चैतन्य जब जीव-द्रव्य का गुण है तभी वह उसके साथ ही देखने में आता है, किन्तु उससे पृथक् नहीं । पर्याय अर्थात् अवस्था-विशेष । यह भी द्रव्य और गुण दोनों के आधार पर ही होता है, परन्तु निरं द्रव्य पर अथवा गुण पर नहीं होता । जैसे कि घट यह पुद्गल का पर्याय है । इसमें पुद्गल द्रव्य भी है और स्पर्श, रस, वर्ण, गन्ध आदि गुण भी । सारांश यह है कि विश्व की व्यवस्था करनेवाले जिन छह द्रव्यों की गणना ऊपर की गई है, वे छहो द्रव्य गुण और पर्याय से युक्त होते हैं । वे कभी भी गुण रहित अथवा पर्याय रहित नहीं होते । श्री उमास्वाति वाचक ने 'तत्त्वार्थाधिगम सूत्र' के पाँचवें अध्याय में 'गुण पर्यायवद् द्रव्यम् ॥३८॥' इस गाथा के माध्यम से यह बात स्पष्ट की है । यहाँ केवल इतना ही समझना है कि गुण यह सहभावी है, अर्थात् सदा साथ रहने वाला है और पर्याय क्रमभावी है, यानी एक पर्याय का नाश होने पर नया पर्याय उत्पन्न होने वाला है । यह भी अपेक्षा से ज्ञात होता है । अन्यथा गुणों में से प्रत्येक गुण क्रमशः परिवर्तनशील है, उदाहरणार्थ पहले अमुक ज्ञान, बाद में दूसरा ज्ञान, उसके बाद में तीसरा ज्ञान । इस तरह देखा जाय तो गुण भी अन्त में पर्याय ही है !

भगवान् महावीर ने द्रव्य का लक्षण सत् माना है और उसे उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य-सञ्जक बतलाया है। इसका भी यही रहस्य है। किसी भी द्रव्य में नये पर्याय की उत्पत्ति तभी होती है जबकि उसके पुरातन पर्याय का व्यय हो—नाश हो। ये दोनों क्रियाएँ साथ-साथ ही होती हैं अर्थात् पुराना पर्याय नष्ट होता जाता है और नया पर्याय उत्पन्न होता रहता है। मनुष्य बालक से युवा बनता है। उस समय बचपन मिटने की और जवानी आने की क्रिया भिन्न-भिन्न समय पर नहीं होती बल्कि एक साथ ही होती है। इसी तरह पुराने पर्याय का नाश और नवीन पर्याय की उत्पत्ति होने पर भी मूल द्रव्य तो ध्रौव्य-सञ्जक (अटल) होने के कारण स्थित ही रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो पर्याय के इस रूपान्तर के समय भी इसके मौलिक गुण-मूलभूत वस्तु तो बनी ही रहती हैं और इसी कारणवश द्रव्य के नैरन्तर्य का हम अनुभव करते हैं, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था आदि में मनुष्यत्व स्थित है, मानव के सहज गुण स्थित हैं।

एगत्तं च पुहुत्तं च, संखा संठाणमेव य ।

संजोगा य विभागा य, पज्जवाणं तु लक्खणं ॥६॥

[उक्त० अ० २८, गा० १३]

एकत्व, पृथक्त्व, संख्या, संस्थान, संयोग और विभाग ये पर्यायों के लक्षण हैं।

विवेचन—पर्याय यह द्रव्य की एक अवस्था है, द्रव्य का परिणाम है। ऐसे अनेकानेक परिणाम द्रव्य में होते हैं। हमें वस्तु के

एकत्व का, पृथक्त्व का, संख्या का, सस्थान अर्थात् आकार का, सयोग अर्थात् किसी के साथ जुड़ने का और विभाग अर्थात् उसके पृथक् २ भागों का ज्ञान ये सब पर्याय के कारण ही होता है । उदाहरणार्थ भिन्न-भिन्न परमाणुओं द्वारा निर्मित होने पर भी—यह एक घडा है, ऐसा ज्ञान उसके घटत्व-पर्याय के द्वारा ही हमें होता है । यह घटत्व घडे का एक परिणाम है । यह घट दूसरे से पृथक् है, यह ज्ञान भी उसके पर्याय से ही ज्ञात होता है । यह एक है, दो है या दो से अधिक है इसका ज्ञान भी उसके पर्याय से ही होता है, ठीक वैसे ही यह गोल है, लम्बा है अथवा अमुक आकार का है, इसका ज्ञान भी उसके पर्याय से ही होता है । वह पट्टिये से जुडा हुआ है अथवा भूमि से सलग्न है, इसका ज्ञान भी उसके पर्याय द्वारा ही होता है, साथ ही यह घडे का सिरा है, यह घडे का बीच का भाग है, यह ज्ञान भी उसके पर्याय के आधार पर ही किया जाता है । ✓



धारा : ३ :

सिद्ध जीवों का स्वरूप

संसारत्था य सिद्धा य, दुविहा जीवा वियाहिया ।

सिद्धा णेगविहा वुत्ता, तं मे कित्तयओ सुण ॥१॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ४८]

जीव दो प्रकार के कहे गये है :—ससारी और सिद्ध । जबकि सिद्ध अनेक प्रकार के बताये गये हैं, उनका वर्णन मेरे द्वारा सुनो ।

विवेचन—इस लोक में जीव अनन्त है, वे मुख्यतः दो विभागों में विभाजित है :—ससारी और सिद्ध । जो जीव कर्मवशात् ससार में परिभ्रमण कर रहे हैं अर्थात् नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवादि चार गतियों में बार-बार जन्म धारण कर जन्म-जरा-मरणादि के दुःख भोग रहे हैं, वे संसारी और जो जीव कर्म के बन्धनों से मुक्त हो जाने के कारण ससार-सागर पार कर गये हैं, वे सिद्ध । उनमें से सिद्ध बने हुए जीवों का वर्णन यहाँ प्रस्तुत है । सिद्ध के जीव अनेक प्रकार के हैं, जैसे कि—

इत्थीपुरिससिद्धा य, तहेव य नपुंसगा ।

सलिगे अन्नलिगे य, गिहिलिगे तहेव य ॥२॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ४६]

अर्थात् स्त्रीलिंगसिद्ध, पुरुषलिंगसिद्ध, नपुंसकलिंगसिद्ध, स्वर्लिंगसिद्ध, अन्यलिंगसिद्ध, गृहलिंगसिद्ध आदि ।

विवेचन—सिद्ध होने के बाद सभी जीव समान अवस्था को प्राप्त होते हैं, किन्तु सिद्ध बनने के समय सभी जीवों की अवस्था एक सी नहीं होती । इस अवस्था-भेद को समझाने के लिये ही यहाँ पर सिद्ध के विविध प्रकारों का वर्णन किया गया है ।

चार गतियों में संसरण करनेवाले जीव केवल मनुष्य गति के माध्यम से ही सिद्ध बन सकते हैं, अर्थात् यहाँ पर वर्णित समस्त प्रकार मनुष्य से सम्बन्धित ही समझने चाहिए ।

लिंग की दृष्टि से मनुष्य के तीन भेद होते हैं :—स्त्री, पुरुष और नपुंसक । इन तीनों लिंगों के द्वारा मनुष्य सिद्ध गति प्राप्त कर सकता है । चन्दनवाला स्त्रीलिंग से सिद्ध बनी, इलाचीकुमार पुरुषलिंग में रहते हुए सिद्ध बने और गागेय नपुंसकलिंग में सिद्ध हुए । सारांश यह है कि सिद्धावस्था प्राप्त करने में लिंग किसी भी रूप में बाधक नहीं होता । जो कोई कर्मों का क्षय करता है, वह अवश्य सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है ।

मनुष्य स्वर्लिंग में अर्थात् श्रमण के वेग में ही सिद्ध होता है । किन्तु अपवाद रूप में कभी अन्य वेश में भी सिद्ध हो सकता है । वहाँ पूर्वजन्म के स्मरणादि से श्रमण-जीवन का ज्ञान होता है और जीव अन्तःकरणपूर्वक सर्वविरति, अप्रमत्त दशा, अनासक्त भाव आदि में वृद्धि जाने से वैसा बनता है । श्री गौतमादि महामुनि स्वर्लिंग में सिद्ध हुए, तथा बलकलचीरी आदि महानुभाव तापग-वेश

मे सिद्ध बने । ठीक वैसे ही इलाचोकुमार आदि कुछ महानुभाव अत तक गृहिलिग अर्थात् गृहस्थ-वेश मे ही रह कर सिद्ध बने है । तात्पर्य यह है कि सिद्ध बनने मे वेश कोई अन्तिम महत्त्व की वस्तु नहीं है, बल्कि कर्मक्षय ही अन्तिम महत्त्वपूर्ण वस्तु है ।

यहाँ छह प्रकारों का स्पष्ट निर्देश किया गया है और आदि पद के द्वारा अन्य प्रकारों की सम्भवितता दिखलाई गई है । अतः यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि जैन सिद्धान्त मे कुल पन्द्रह प्रकार के सिद्ध माने गये है । इस तरह अब नी तरह के सिद्धों का वर्णन गेप रहा, जो यहाँ प्रज्ञापनासूत्र के प्रथम पद के आधार पर दिया जाता है : —

७ : तीर्थसिद्ध—तीर्थ के अस्तित्व-काल मे सिद्ध बने हुए । यहाँ तीर्थ शब्द का अर्थ श्री जिनेश्वर भगवन्तो द्वारा स्थापित साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकारूपी चतुर्विध सघ समझना चाहिए ।

८ : अतीर्थसिद्ध—तीर्थ की स्थापना होने से पूर्व या तीर्थ के व्यवच्छेद काल मे जातिस्मरणादि-ज्ञान से सिद्ध बने हुए ।

९ : तीर्थङ्करसिद्ध—श्रीऋषभदेव आदि की तरह तीर्थङ्कर बनकर सिद्ध बने हुए ।

१० : अतीर्थङ्करसिद्ध—श्री भरतचक्रवर्ती आदि के समान सामान्य केबली होकर सिद्ध बने हुए ।

११ : स्वयंबुद्धसिद्ध—श्रीआर्द्रकुमार आदि के समान स्वय-मेव बोध प्राप्त कर सिद्ध बने हुए ।

१२ : प्रत्येकबुद्धसिद्ध—श्री करकण्डू आदि के समान किसी निमित्त मात्र से बोध प्राप्त कर सिद्ध बने हुए ।

१३ : बुद्धबोधितसिद्ध—आचार्यादि गुरुओं से बोध प्राप्त कर सिद्ध बने हुए ।

१४ : एकसिद्ध—एक समय में एक सिद्ध बने हुए ।

१५ : अनेकसिद्ध—एक समय में अनेक सिद्ध बने हुए ।

कहिं पडिहया 'सिद्धा ? कहिं सिद्धा पडिहिया ? ।

कहिं वोदि चइत्ताणं ? कत्थ गंतूण सिज्झई ॥ ३ ॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ५५]

सिद्ध बननेवाले जीव कहाँ जाकर रुकते हैं ? कहाँ स्थिर होते हैं ? कहाँ गरीर का त्याग करते हैं ? और कहाँ जाकर सिद्ध बनते हैं ?

विवेचन—जिन जीवों ने चार घाती कर्मों का क्षय किया हो, वे अन्त समय में अवशिष्ट चार अघाती कर्मों का अवश्य क्षय करते हैं और इस प्रकार समस्त कर्मों से मुक्त हो देह त्याग करते हैं । उस समय वे अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं और ऊपर चले जाते हैं । इस प्रकार गति करने वाला जीव कहाँ जाकर रुकता है, यह भी एक प्रश्न है । ठीक वैसे ही रुक जाने के पश्चात् वे कहाँ स्थिर होते हैं ? यह जानना भी अत्यन्त आवश्यक हो जाता है । साथ ही सिद्ध होने वाला जीव अन्तिम देहत्याग कहाँ करता है ? और कहाँ जाकर सिद्ध होता है ? यह भी स्पष्ट होना आवश्यक

है। इन समस्त उलभक्तमय प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित गाथाओं से यो दिये गये हैं :—

अलोए पडिहया सिद्धा, लोयग्गे य पइड्डिया ।

इहं वोदिं चइत्ताणं, तत्थ गंतूण सिज्झई ॥ ४ ॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ५६]

सिद्ध जीव अलोक की सीमा पर जाकर रुकते हैं और लोक के अग्रभाग पर स्थिर होते हैं। वे यहाँ अर्थात् मनुष्यलोक में शरीर त्याग करते हैं तथा लोकाग्र पर पहुँच कर सिद्ध-गति प्राप्त करते हैं।

विवेचन—ऊर्ध्व गति करनेवाला जीव जहाँ तक धर्मास्तिकाय द्रव्य रहता है, वहाँ तक ही गति करता है। वहाँ से आगे गति कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ गति करने के लिए सहायभूत धर्मास्तिकाय द्रव्य नहीं होता, फलतः वह अलोक की सीमा पर जा सकता है। जीव यदि धर्मास्तिकाय द्रव्य की सहायता के बिना भी गति करने में समर्थ हो, तो उसकी यह ऊर्ध्व गति निरन्तर चालू ही रहेगी और कभी किसी काल में उसका अन्त नहीं आयेगा क्योंकि आकाश का अन्त नहीं है।

ऊर्ध्व गति करता हुआ जीव जिस स्थान पर रुकता है, वह लोक का अग्रभाग है। वहाँ पहुँचने के पश्चात् वह किसी प्रकार की गति नहीं करता, अर्थात् वही पर स्थिर हो जाता है और अनन्त काल तक इसी अवस्था में रहता है।

सिद्ध बनने वाला जीव सामान्यतः मनुष्यलोक की मर्यादा में ही अपना शरीर छोड़ता है और वह जब लोकाग्र पर पहुँचता है तभी

सिद्ध बन गया माना जाता है । अतः सिद्ध शब्द का अर्थ 'सिद्धिस्थान प्राप्त' ऐसा समझना चाहिये ।

सिद्ध बने हुए जीव परमात्मदशा को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात् उनकी गणना परमात्मा के रूप में होती है और इसीलिये उन्हें अरिहन्त भगवन्त के समान वन्दनीय तथा पूजनीय माना जाता है ।

वारसहिं जोयणेहिं, सव्वट्टस्सुवरिं भवे ।

ईसीपव्वभारनामा उ, पुट्टवी छत्तसंठिया ॥५॥

पणयालसयसहस्सा, जोयणाणं तु आयया ।

तावइयं चेव वित्थिन्ना, तिगुणो साहिय परिरओ ॥६॥

अट्टजोयणवाहल्ला, सा मज्झंमि वियाहिया ।

परिहायंती चरिमन्ते, मच्छियपत्ताउ तणुयरी ॥७॥

अज्जुणसुवन्नगमई, सा पुट्टवी निम्मला सहावेण ।

उत्ताणयछत्तयसंठिया य भणिया जिणवरेहिं ॥८॥

संखंककुंदसंकासा, पंडुरा निम्मला सुभा ।

सीयाए जोयणे तत्तो, लोगंतो उ वियाहिओ ॥९॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ५७ से ६१]

सर्वार्थसिद्ध विमान से वारह योजन ऊपर छत्र के आकारवाली ईषत्प्राग्भार नामक पृथ्वी है । वह पैंतालीस लाख योजन लम्बी और इतनी ही चौड़ी तथा इसके तिगुनेपन से अधिक परिधिवाली है । तात्पर्य यह है कि वह वर्तुलाकार है । वह पृथ्वी मध्य भाग से आठ

योजन मोटी है, वहाँ से कम होते-होते अन्तिम सिरे पर मक्खी के पंख से भी अधिक पतली बनी हुई है। वह ईषत्प्राग्भार पृथ्वी स्वभाव से ही निर्मल और अर्जुन नामक श्वेत सुवर्ण के समान है। श्री जिनेश्वर भगवन्तो का कथन है कि उसका आकार उलटे किये हुए छत्र के समान है। यह पृथ्वी शख, अक रत्न तथा कुन्द पुष्प के समान श्वेत, निर्मल और सुहावनी है। उसी पर लोक का अन्त भाग माना गया है।

विवेचन—हम मनुष्यलोक में निवास करते हैं। यहाँ से जब अधिकाधिक ऊपर जाते हैं तो सर्व प्रथम ज्योतिषचक्र अर्थात् सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि के दर्शन होते हैं, उसके ऊपर बारह देवलोक है और उसके ऊपर नवग्रैवेयक नामक विमान। उक्त नवग्रैवेयक विमान के ऊपर पाँच अनुत्तर विमान स्थित हैं, उन्हीं में से एक विमान सर्वार्थसिद्ध है। मनुष्यलोक से उसकी ऊँचाई करोडो मील दूर है; जबकि उससे भी बारह योजन ऊपर ईषत्-प्राग्भार नामक पृथ्वी है। इसका परिमाण उतना ही है, जितना कि मनुष्यलोक का है। अन्य वर्णन स्पष्ट है।

जोयणस्स उ जो तत्थ, कोसो उवरिमो भवे।

तस्स कोसस्स छ्भाए, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥१०॥

[उक्त० अ० १६, गा० ६२]

वहाँ एक योजन में ऊपर के एक कोस के छोटे भाग में सिद्धों की अवगाहना है, अर्थात् सिद्धों के जीव वहाँ स्थित हैं।

विवेचन—इस स्थान को सिद्धशिला कहते हैं।

अरूषिणो जीवघणा, नाण-दंसण-सण्णिया ।

अउलं सुहं संपत्ता, उवमा जस्स नत्थि उ ॥११॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ६६]

सिद्धो के वे जीव—सिद्ध भगवन्त अरूपी है, घन है (उनके जीव-प्रदेशों के बीच कोई खोखलापन नहीं है), ज्ञान और दर्शन से युक्त हैं , तथा अपरिमित सुख-प्राप्त है । उनको उपमा देने के लिए दूसरा कोई शब्द ही नहीं है ।

अत्थि एगं धुवं ठाणं, लोगग्गंमि दुरारुहं ।

जत्थ नत्थि जरा मच्चू, वाहिणो वेयणा तहा ॥१२॥

[उक्त० अ० ३३, गा० ८१]

लोक के अग्रभाग पर एक निश्चल स्थान है, जहाँ जरा, मृत्यु, रोग और दुःख नहीं है , परन्तु वहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन है ।

निच्चाणं ति अवाहं ति, मिद्धी लोगग्गमेव य ।

खेमं मिवं अणावाहं, जं चरन्ति महेसिणो ॥१३॥

[उक्त० अ० २३, गा० ८३]

उस स्थान के निर्वाण, अवाव, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव और अनावावादि अनेक नाम प्रचलित हैं । उमे महर्षिगण ही प्राप्त करते हैं ।

विवेचन—अवाव अर्थात् पीडा-रहित । अनावाव अर्थात् उनके स्वाभाविक सुख में अन्तराय-रहित ।

सिद्ध जीवों का स्वरूप]

तं ठाणं सासयं वासं, लोगगंमि दुरारुहं ।
जं संपत्ता न सोयंति, भवोहन्तकरा मुणी ॥ १४ ॥

[उक्त० अ० २३, गा० ८४]

हे मुने । वह स्थान शाश्वत निवासरूप है, लोक के अग्रभाग पर स्थित है, किन्तु वहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन है । जिन्होंने उस स्थान को प्राप्त किया है, उनके ससार का अन्त आ जाता है और उन्हें किसी प्रकार का शोक नहीं होता ।

धारा . ३ :

संसारि जीवों का स्वरूप

संसारत्था उ जे जीवा, दुविहा ते वियाहिया ।

तसा य थावरा चेव, थावरा तिविहा तहिं ॥१॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ६८]

संसारि जीव दो प्रकार के होते हैं :—त्रस और स्थावर । उनमें से स्थावर के तीन प्रकार हैं ।

विवेचन—सिद्ध के जीवों का वर्णन पूरा हुआ । अब संसारि जीवों का वर्णन आरम्भ होता है । संसारि जीव दो प्रकार के होते हैं :—
(१) त्रस अर्थात् चर—हिलने-डुलनेवाले गतिशील और (२) स्थावर अर्थात् अचर—स्थिर ।

पृथ्वी आउजीवा य, तहेव य वणस्सई ।

इच्चेते थावरा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥२॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ६६]

स्थावर जीव पृथ्वीकायिक, अप्कायिक और वनस्पतिकायिक ऐसे तीन प्रकार के हैं, जिनके भेद मेरे द्वारा सुनो ।

विवेचन—पृथ्वी—मिट्टी ही जिसकी काया है वह पृथ्वीकायिक जीव, अप्—पानी ही जिसकी काया है वह अप्कायिक जीव ; और

संसारी जीवों का स्वरूप]

वनस्पति ही जिसकी काया वह है वनस्पतिकायिक जीव कहलाता है। इन तीनों प्रकार के जीवों का समावेश स्थावर में होता है।

दुविहा पुढवीजीवा उ, सुहुमा बाधरा तहा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणो ॥३॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ७०]

पृथ्वीकायिक जीव के दो प्रकार हैं :—सूक्ष्म और बादर। ठीक वैसे ही इनमें से प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो और प्रकार होते हैं।

विवेचन—यहाँ सूक्ष्म शब्द से ऐसे सूक्ष्म जीवों का निर्देश किया है जो किन्हीं भी सयोगों में दृष्टिगोचर नहीं होते, इतना ही नहीं बल्कि उन पर शस्त्रादि किसी अन्य चीज के प्रयोग का कोई असर नहीं होता। ऐसे सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव समस्त लोक में व्याप्त हैं। बादर शब्द स्थूलतावाचक है। किन्तु बादर पृथ्वीकायिक एक जीव का शरीर हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन सकता। हम पृथ्वीकाय का जो शरीर देखते हैं, वह असख्य जीवों के असख्य शरीरों का एक पिण्ड होता है, वह समुदित अवस्था में देखा जा सकता है, अतः उसे बादर कहा गया है।

जीव विग्रह गति द्वारा नये जन्मस्थान पर पहुँचने पर जीवन वारण करने के लिये आवश्यक ऐसे पुद्गल एकत्र करने लगता है, जिसे आहार की क्रिया कहते हैं। उसी आहार में से वह शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन की रचना करता है। शास्त्रीय परिभाषा में इन छह वस्तुओं को पर्याप्त कहा जाता है।

परन्तु सभी जीव छहों पर्याप्तियों के अधिकारी नहीं हैं। एकेन्द्रिय जीव आहार, शरीर, इन्द्रिय, और श्वानोच्छ्वास—इन चार पर्याप्तियों के अधिकारी हैं। दो इन्द्रियवालों से लेकर असजी पचेन्द्रिय तक के सभी जीव पाँचवी भाषापर्याप्ति के भी अधिकारी हैं और सजी पचेन्द्रिय जीव छहों पर्याप्ति के अधिकारी हैं।

यहाँ इतनी स्पष्टता करना आवश्यक है कि यदि हम इन्द्रिय के आधार पर संसारी जीवों को विभाजित करें तो पाँच विभाग होते हैं :—(१) एकेन्द्रिय, (२) वेडन्द्रिय, (३) तेडन्द्रिय, (४) चतुरिन्द्रिय और (५) पचेन्द्रिय। इनमें से एकेन्द्रिय जीव को एक स्पर्शनेन्द्रिय होती है। स्पर्शनेन्द्रिय अर्थात् स्पर्श पहचाननेवाली इन्द्रिय; उसका मुख्य साधन चमड़ी है। वेडन्द्रिय जीव को स्पर्शनेन्द्रिय के अतिरिक्त रसनेन्द्रिय भी होती है। रसनेन्द्रिय अर्थात् रस-स्वाद का परीक्षण करनेवाली इन्द्रिय। इनका मुख्य साधन जिह्वा है। तेडन्द्रिय जीव को इन दो इन्द्रियों के अतिरिक्त तीसरी घ्राणेन्द्रिय भी होती है। घ्राणेन्द्रिय अर्थात् गन्ध परखनेवाली इन्द्रिय। इसका मुख्य साधन नासिका है। चतुरिन्द्रिय जीव को इन तीन इन्द्रियों के अतिरिक्त चौथी चक्षुरिन्द्रिय भी होती है। चक्षुरिन्द्रिय अर्थात् वस्तुओं को देखनेवाली इन्द्रिय। इसका मुख्य साधन चक्षु—आँख है। और पंचेन्द्रिय जीव को इन चार के उपरान्त पाँचवी श्रोत्रेन्द्रिय भी होती है; श्रोत्रेन्द्रिय अर्थात् सुननेवाली इन्द्रिय। इसका मुख्य साधन कान है।

इनमें से एकेन्द्रिय के जीव चार पर्याप्ति के अधिकारी हैं। अतः

जब वे पहली चार पर्याप्तियाँ पूर्ण करे तब पर्याप्त कहलाते हैं और यदि उन जीवों ने ये पर्याप्तियाँ पूर्ण न की हों अथवा पूर्ण किये बिना ही मृत्यु प्राप्त हो जायँ तो अपर्याप्त कहलाते हैं। पृथ्वीकायिक जीव एकेन्द्रिय हैं, अतः उन्हें चार पर्याप्तियाँ पूर्ण करनी पड़ती हैं।

यहाँ इतना स्मरण रखना आवश्यक है कि कोई भी जीव आहार, शरीर और इन्द्रियादि तीन पर्याप्तियों को पूर्ण किये बिना मृत्यु नहीं पाता।

इस वर्गीकरण के अनुसार पृथ्वीकायिक जीव के मुख्य चार भेद होते हैं :—

- १ : सूक्ष्म पर्याप्त पृथ्वीकायिक जीव।
- २ : सूक्ष्म अपर्याप्त पृथ्वीकायिक जीव।
- ३ : वादर पर्याप्त पृथ्वीकायिक जीव।
- ४ : वादर अपर्याप्त पृथ्वीकायिक जीव।

वायरा जे उ पज्जत्ता, द्विहा ते वियाहिया।

सण्हा खरा य वोधच्चा, सण्हा सत्तविहा तहिं ॥४॥

[उक्त० अ० ३६, गा० : ७१]

पर्याप्त वादर पृथ्वीकायिक जीव के दो भेद कहे गये हैं.—श्लक्ष्ण अर्थात् कोमल और खर अर्थात् कठोर। इनमें से श्लक्ष्ण पृथ्वी सात प्रकार की है।

किण्हा नीला य रुहिरा य, हलिद्धा सुक्किला तहा।

पंडुपणगमट्टिया, खरा छत्तीसईविहा ॥ ५ ॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ७२]

काली, नीली, (स्लेटिया अथवा हरी), लाल, पीली, श्वेत, पाण्डु (कुछ हल्की पीली भाँई वाली) और पनक (अत्यन्त सूक्ष्म रजोरूप) । जवकि खर पृथ्वी छत्तीस प्रकार की है ।

पुड्वी य सक्करा बालुया य उवले सिला य लोणूसे ।
 अय-तउय-तंत्र-सीसग-रूप्य-सुवन्ने य वयरे य ॥ ६ ॥
 हरियाले हिंगुलए मणोसिला सासगंजण-पवाले ।
 अब्भपडलब्भवालुय वायरकाये मणिविहाणे ॥७॥
 गोमेज्जए य रुयगे अंके फलिहे य लोहियक्खे य ।
 मरगय-मसारगल्ले भूयमोयग-इंदनीले य ॥ ८ ॥
 चंदण-गेरुय-हंसगब्भेपुलए सोगंधिए य बोधच्चे ।
 चंदप्पह—वेरुलिए जलकंते खूरकंते य ॥९॥

[उक्तः अ० ३६, गा० ७३ से ७६]

१ : शुद्ध पृथ्वी ।

२ : कंकड़ ।

३ : बालुका—रेती ।

४ : उपल—छोटे पत्थर ।


५ : बिला—पत्थर की बड़ी चट्टान ।

६ : लवण—समुद्र के जल से तैयार होने वाला नमक ।

७ : खारी मिट्टी—झार ।

८ : लोहा—खदान में होता है तत्र । बाद में रासायनिक

प्रक्रिया से वह टुकड़े अथवा प्रतरो का रूप धारण करता है, उस स्थिति में वह अजीव बनता है ।

- ९ : सीसा ”
 १० : ताँबा ”
 ११ : जस्ता ”
 १२ : चाँदी ”
 १३ : सोना ”
 १४ : वज्र—हीरा । खदान में होता है तब ।
 १५ : हरताल— ” 
 १६ : हिंगलू— ”
 १७ : मेनसिल— ”
 १८ : सासक—एक प्रकार की धातु ।
 १९ : अजन—सुरमा ।
 २० : प्रवाल—मूगा ।
 २१ : अभ्रक—खान से निकलता है ।
 २२ : अभ्रवालुका—अभ्रक के मिश्रण वाली रेती ।

इन बाईस प्रकार में चौदह रत्नों को मिला देने से कुल छत्तीस प्रकार हो जाते हैं । चौदह रत्नों के नाम इस प्रकार समझने चाहिए :—

- २३ : गोमेदक ।
 २४ : रुचक ।
 २५ : अकरल

- २६ : स्फटिक और लोहिताक्ष ।
 २७ : मरकत और मसारगल्ल ।
 २८ : भुजमोचक ।
 २९ : इन्द्रनील ।
 ३० . चन्दन—गौरिक और हसगर्भ ।
 ३१ : पुलक ।
 ३२ : सौगन्धिक ।
 ३३ : चन्द्रप्रभ ।
 ३४ : वैडूर्य ।
 ३५ : जलकान्त ।
 ३६ : सूर्यकान्त ।

रत्नपरीक्षा आदि ग्रन्थों में इन रत्नों का विशेष वर्णन दिया हुआ है। ये सभी रत्न पृथ्वी में होते हैं तब जीवन-शक्ति से युक्त होने के कारण इनकी गणना पृथ्वीकायिक जीवों में की जाती है। बाहर निकलने के पश्चात् इनमें जीवन-शक्ति नहीं रहता। अतः ये अजीव माने जाते हैं।

एएसिं वण्णओ चव, गंधओ रसफासओ ।

मंठाणदेसओ वावि, विहाणाडं सहस्समां ॥१०॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ८३]

इन जीवों के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान द्वारा हजारों भेद होते हैं।

दुविहा आऊजीवा उ, सुहुमा वायरा तथा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणो ॥११॥

वायरा जे उ पज्जत्ता, पंचहा ते पक्कित्तिया ।

सुद्धोदए य उस्से, हरतणू महिया हिमे ॥१२॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ८४-८५]

अपकायिक जीव के दो प्रकार है :—सूक्ष्म और बादर । ठीक वैसे ही इनके पुनः पर्याप्त और अपर्याप्त—ऐसे दो भेद होते है ।

जो बादर पर्याप्त अपकाय जीव है, वे पाँच प्रकार के कहे गये है :—(१) शुद्धोदक—मेघ का जल, (२) ओस, (३) तृण के ऊपर के जलबिन्दु, (४) कुहासा और (५) बर्फ ।

विवेचन—अपकायिक सूक्ष्म जीव पृथ्वीकायिक सूक्ष्म जीवों के समान ही सूक्ष्म हैं और वे सब लोक में व्याप्त है ।

दुविहा वणस्सईजीवा, सुहुमा वायरा तथा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणो ॥१३॥

वायरा जे उ पज्जत्ता, दुविहा ते वियाहिया ।

साहारणसरीरा य, पत्तेगा य तहेव य ॥१४॥

पत्तेअसरीराओ, ऽणोगहा ते पक्कित्तिया ।

रुक्खा गुच्छा य गुम्मा य, लया वल्ली तणा तथा ॥१५॥

वलया पच्चया कुहणा, जलरुहा ओसही तथा ।

हरियकाया य बोधच्चा, पत्तेया इति आहिया ॥१६॥

साधारणशरीराओ, ऽणोगहा ते पक्कित्तिया ।

आलूए मूलए चेव, सिगवेरे तहेव य ॥१७॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ६२ से ६६]

वनस्पतिकायिक जीव सूक्ष्म और वादर — इस तरह दो प्रकार के हैं और उनके प्रत्येक के पुनः पर्याप्त और अपर्याप्त—ऐसे दो प्रकार होते हैं ।

जो वादर पर्याप्त है, वे दो प्रकार के कहे गये हैं :—साधारण-शरीरी तथा प्रत्येक-शरीरी ।

प्रत्येक-शरीरी के अनेक भेद कहे गये हैं । जैसे कि—वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, बल्ली, तृण, बल्य, पर्वज, कूहण, जलरूढ, औषधि, हरितकाय आदि ।

साधारण-शरीरी भी अनेकविध कहे गये हैं । जैसे कि—आलू, मूली, शृंगवेर आदि ।

विवेचन—वनस्पतिकायिक सूक्ष्म जीव भी पृथ्वीकायिक सूक्ष्म-जीवों के समान ही सूक्ष्म हैं और वे समस्त लोक में व्याप्त हैं ।

अनेक जीवों का एक समान शरीर हो, वह साधारण (समान) शरीरी कहलाता है और एक जीव के एक ही शरीर हो, वह प्रत्येक-शरीरी कहलाता है । यहाँ इतना स्मरण रखना चाहिये कि—फल, पुष्प, छाल, लकड़ी, मूल, पत्ते और बीज—इन प्रत्येक का स्वतन्त्र शरीर माना गया है ।

साधारण-शरीरी को साधारण वनस्पति और प्रत्येक-शरीरी को प्रत्येक वनस्पति कहा जाता है । इन दोनों वनस्पतियों को

किस प्रकार पहचाना जाय, इसका समुचित उत्तर जीवविचार-प्रकरण की निम्न गाथा में दिया गया है :—

गूढसिरसधिपव्वं, समभग महीरुगं च छिन्नरूह ।

साधारणं सरीर, तव्विवरिअ च पत्तेय ॥ १२ ॥

जिसके भुट्टा, शिराएँ और ग्रन्थियाँ आदि गुप्त हो, जिसके टूटने से समान भाग हो तथा तन्तु आदि न निकले, साथ ही जिसे काट कर पुनः उगाया जाय तो उग जाय, उसे साधारण वनस्पति जानना; तथा इससे विपरीत लक्षणवाली हो उसे प्रत्येक वनस्पति समझना ।

प्रत्येक-वनस्पति के अनेक प्रकार हैं । जैसे कि :—

- १ : वृक्ष—आम, नीम आदि ।
- २ : गुच्छ—वैगन (वैताकडी) आदि ।
- ३ : गुल्म—नवमल्लिका आदि ।
- ४ : लता—चम्पकलता आदि ।
- ५ : बल्ली—कुष्माण्ड, तुरई आदि ।
- ६ : तृण—घास ।
- ७ : बलय—बलयाकृतिवाली विशिष्ट वनस्पति ।
- ८ : पर्वज—गन्ता आदि पर्व (गाँठ) वाली वनस्पति ।
- ९ : कूहण—भूमि को फोड़कर निकलनेवाली वनस्पति ।
- १० : जलरूह—जल में उगनेवाले—कमल आदि ।
- ११ : औषधि—धान्यवर्ग, गेहूँ आदि ।
- १२ : हरित—भाजी, पत्तियाँ ।

साधारण वनस्पति के भी अनेक प्रकार होते हैं। यहाँ आलू, मूली, शृगवेर आदि के ही नाम दिये गये हैं, ये सब कन्द हैं। आलू अर्थात् आलू-कन्द। मूली प्रसिद्ध है। शृगवेर अर्थात् अद्रक। तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार के कन्दो की गणना साधारण वनस्पति में करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त समस्त वनस्पतियों के अकुर, कोंपले, कोमल फल तथा जिसके दाने और शिराएँ गुप्त हो, उसकी गणना भी साधारण वनस्पति में करनी चाहिये। साधारण वनस्पति को अनन्तकाय भी कहते हैं क्योंकि उसके एक सूक्ष्म शरीर में अनन्त जीव होते हैं।

तेउ वाऊ अ बोधच्चा, उराला य तसा तहा ।

इच्चेए तसा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥१८॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १७७]

त्रस जीव तीन प्रकार के हैं :—तेजस्कायिक, वायुकायिक और प्रधान त्रसकाय। इनके भेद मुझ से सुनो।

विवेचन—तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव एकेन्द्रिय हैं, किन्तु वे हिलने-डुलनेवाले होने के कारण उनकी गणना त्रस में की गई है।

जो जीव भयग्रस्त होकर हिलने-डुलने लगते हैं, वे प्रधान-त्रस कहलाते हैं। इन तीनों के भेद वाद में कहे जायेंगे।

दुविहा तेऊजीवा उ, सुहुमा वायरा तहा ।

पञ्जत्तमपज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणा ॥१९॥

वायरा जे उ पज्जत्ता, ऽण्णगहा ते वियाहिया ।

इंगारे मुम्मुरे अगणी, अच्चिजाला तहेव य ॥२०॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १०८-६]

तेजस्कायिक जीव दो प्रकार के हैं :—सूक्ष्म और वादर, तथा उनके भी पर्याप्त और अपर्याप्त—ऐसे दो भेद होते हैं ।

जो वादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीव है, वे अनेक प्रकार के कहे गये हैं, जैसे कि :—अगारे, चिनगारी, अग्नि, निखा-(लौ), ज्वाला आदि ।

विवेचन—यहाँ 'आदि' पद से उल्का, विद्युत् तथा अग्निमय ऐसे अन्त्य पदार्थ भी समझने चाहिये । सूक्ष्म तेजस्कायिक जीव पृथ्वी-कायिक सूक्ष्म जैसे ही सूक्ष्म है और वे सकल लोक में व्याप्त है ।

दुविहा वाउजीवा उ, सुहुमा वायरा तहा ।

पज्जत्तसपज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणो ॥२१॥

वायरा जे उ पज्जत्ता, पंचहा ते पकित्तिया ।

उक्कलिया मंडलिया, घण-गुंजा-सुद्धवाया य ॥२२॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ११७-८]

वायुकायिक जीव दो प्रकार के हैं ; सूक्ष्म और वादर तथा इनके भी पर्याप्त और अपर्याप्त—ऐसे दो भेद हैं ।

जो वादर पर्याप्त वायुकायिक जीव है, वे पाँच प्रकार के कहे गये हैं । जैसे कि :—(१) उत्कलिक वायु, (२) मण्डलिक वायु, (३) घन वायु, (४) गूजन वायु और (५) शुद्ध वायु ।

विवेचन—सूक्ष्म-वायुकायिक जीव पृथ्वीकायिक सूक्ष्म जीव के समान ही सूक्ष्म हैं और वे समस्त लोक में व्याप्त हैं।

जो रक-रक कर फिर से बहने लगे, वह उत्कल्कि वायु। जो चक्राकार घूमता आये अर्थात् भ्रमणात् जैसा हो, वह मण्डल्कि वायु। जो वायु गाढ—घना हो, वह घन वायु। यह वायु सत्तार को स्थिर रखनेवाली घनोदधि का आवाररूप होता है। जो वायु गूँजता हुआ बहे, वह गूँजन वायु और जिस वायु की मन्द-मन्द लहरियाँ बहती हैं, वह शुद्ध वायु।

ओराला तसा जे उ, चउहा ते पक्कित्तिया ।

वेइंदिया तेइंदिया, चउरो पंचिंदिया चेव ॥२३॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १२६]

प्रधान त्रस जीव चार प्रकार के कहे गये हैं :—(१) दो इन्द्रिय-वाले, (२) तीन इन्द्रियवाले, (३) चार इन्द्रियवाले और (४) पाँच इन्द्रियवाले ।

वेइंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पक्कित्तिया ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, तेसिं भेए सुणह मे ॥२४॥

किमिणो सोसंगला चेव, अलसा माइवाहया ।

वासीमुहा य सिप्पीया, संखा संखणगा तहा ॥२५॥

पल्लोचाणुल्लया चेव, तहेव च वराडगा ।

जलूगा जालगा चेव, चंदणा य तहेव य ॥२६॥

इइ वेइंदिया एए, ऽणगेहा एवमायओ ।

लोगेगदेसे ते सव्वे, न सव्वत्थ वियाहिया ॥२७॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १२७ से १३०]

दो इन्द्रियोवाले जीव दो प्रकार के होते हैं :—पर्याप्त और अपर्याप्त । इनके दो भेद मेरे द्वारा सुनो—

कृमि (अशुचिमय पदार्थों में उत्पन्न होनेवाले), सुमङ्गल, अलसिया, मातृवाहक (कनखजूरा), वासीमुख, छिपकली, शंख, घोघा, पल्लक, अनुपल्लक, कोडी, जलौका, जालक, चदनक (स्थापनाचार्य मे रखा जाता है) आदि ।

ये दो इन्द्रियवाले जीव अनेक प्रकार के हैं । ये सब लोक के एक भाग मे स्थित कहे गये हैं, न कि सर्वत्र ।

विवेचन—जिन्हे सामान्यतया जन्तु अथवा कीड़े (Worms and insects) कहते हैं, उनका समावेश, दो इन्द्रियवाले, तीन इन्द्रियवाले और चतुरिन्द्रियवाले जीवों में होता है ।

तेइंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पक्कित्तिया ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे ॥२८॥

कुंधु-पिवीलिया दंसा, उक्कलुद्देहिया तहा ॥

तणहारकड्डहारा य, मालूगा पत्तहारका ॥२९॥

कपासट्टिमिंजा य, तिंदुगा तउस मिंजगा ॥

सदावरी य गुम्मी य, वोधन्वा इंदगाइया ॥३०॥

इंदगोवमाइया, ऽणेगहा एवमायओ ॥

लोगेगदेसे ते सव्वे, न सव्वत्थ वियाहिया ॥३१॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १३६ से १३६]

तीन इन्द्रियवाले जीव दो प्रकार के कहे गये हैं :—पर्याप्त और अपर्याप्त । इनके भेद मेरे द्वारा सुनो ।

कृथु, चीटी, डास, उत्कल, उदई, तृणाहारक (घास में होनेवाले) काष्ठाहारक (लकड़ी में होनेवाली, घुन), मालुका, पत्राहारक (पत्तों में होनेवाले), कार्पासिक (कपास आदि में होनेवाले), अस्थिजात (गुटली-गुटले आदि में होनेवाले), तिन्दुक, त्रपुप. मिंजग, शतावरी गुल्मी, इन्द्रकायिक आदि ।

इन्द्रगोप (गोकुलगाय) आदि तीन इन्द्रियवाले जीव अनेक प्रकार के हैं, वे लोक के एक भाग में कहे गये हैं, न कि सर्वत्र ।

चउरिंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पक्कितिया ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, तेसिं भेए सुणंह मे ॥३२॥

अंधिया पुत्तिया चेव, मच्छिया मसगा तहा ।

भमरे क्रीड-पयंगे य, ढिकुणे कुंकणे तहा ॥३३॥

कुक्कुडे सिंगिरीडी य, नंदावत्ते य विंछिये ।

डोले य भिंगिरीडी य, विरिली अच्छिवेहए ॥३४॥

अच्छिले माहए अच्छिरोडए विचित्तचित्तए ।

उहिंजलिया जलकारी य, तंनिया तंवगाइया ॥३५॥

इह चउरिंदिया एए, ऽणोगहा एवमायओ ।

लोगस्स एगदेसंमि, ते सव्वे परिकित्तिया ॥३६॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १४५ से १४६]

चतुरिन्द्रिय जीव दो प्रकार के कहे गये है :—पर्याप्त और अपर्याप्त ।
इनके भेद मुझसे सुनो ।

अन्धक, पीतक, मक्षिका, मशक, भ्रमर, कीट, पतंग, बगार्ई, और
कुकण, कर्कुट, सिंगरीटी, नन्द्यावर्त, बिच्छू, खड-मकड़ी, भृगरीटक,
अक्षिवेधक, अक्षिल, मागध, अक्षिरोडक, विचित्र, चित्रपत्रक, उपधि,
जलका, जलकारी, तन्निक, ताम्रक आदि को चार इन्द्रियवाले जीव
माना है । ये सब लोक के एक भाग मे स्थित है (न कि सर्वत्र) ।

पंचिंदिया उ जे जीवा, चउव्विहा ते वियाहिया ।

नेरइया तिरिक्खाय, मणुया देवा य आहिया ॥३७॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १५५]

जो जीव पचेन्द्रिय है, वे चार प्रकार के कहे गये है :— नारकीय,
तिर्यञ्च, मनुष्य और देव ।

नेरइया सत्तविहा, पुटवीसु सत्तसू भवे ।

रयणाभ—सकराभा, चालुयाभा य आहिया ॥३८॥

पंकाभा य धूमाभा, तमा तमतमा तहा ।

इइ नेरइया एए, सत्तहा परिकित्तिया ॥३९॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १५६-१५७]

नारकी-जीव सात प्रकार के हैं, क्योंकि नरक से सम्बद्ध पृथ्वियाँ सात प्रकार की हैं। वे इस प्रकार हैं :—(१) रत्नप्रभा, (२) शर्कराप्रभा, (३) बालुकाप्रभा, (४) पङ्कप्रभा, (५) घूमप्रभा, (६) तमप्रभा और (७) तमतमाप्रभा।

विवेचन—पहली नरक की अपेक्षा दूसरी नरक में और दूसरी नरक की अपेक्षा तीसरी नरक में इस प्रकार उत्तरोत्तर हर नरक में अधिक अन्वकार होता है। जबकि सातवीं नरक तमतमा नाम की है, अतः वहाँ घोर अन्वकार होता है।

पञ्चिदिय तिरिक्खा उ, दुविहा ते वियाहिया।

संमुच्छिम—तिरिक्खा उ, गब्भक्कंतिया तहा ॥४०॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १७०]

पचेन्द्रिय तिर्यच जीव दो प्रकार के कहे गये हैं :—संमूर्च्छिम और गर्भोत्पन्न-गर्भज।

विवेचन—संमूर्च्छिम जीव मनःपर्याप्ति के अभाव में मूढदशा में रहते हैं। वे कुछ पदार्थों में उत्पन्न होते हैं जबकि गर्भोत्पन्न गर्भ से उत्पन्न होते हैं।

दुविहा वि ते भवे तिविहा, जलयरा थलयरा तहा।

नहयरा य बोधन्वा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥४१॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १७१]

इन दोनों प्रकार के तिर्यच जीवों के तीन भेद हैं :—(१) जलचर, (२) स्थलचर और (३) नभचर अर्थात् खेचर। इनके भेद मेरे द्वारा सुनो।

संसारी जीवों का स्वरूप]

मच्छा य कच्छभा य, गाहा य मगरा तथा ।

संसुमारा य बोधव्वा, पंचहा जलराहिया ॥४२॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १७२]

जलचर जीव पांच प्रकार के कहे गये हैं :—(१) मच्छ (मछलियों की जाति), (२) कच्छप (कछुए की जाति), (३) ग्राह (घड़ियाल की जाति), (४) मगर और (५) संसुमार (ह्वेल आदि की जाति) ।

चउप्पया य परिसप्पा, दुविहा थलयरा भवे ।

चउप्पया चउव्विहा, ते मे कित्तयओ सुण ॥४३॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १७६]

स्थलचर जीव दो प्रकार के हैं :—चतुष्पद और परिसर्प । इनमें चतुष्पद चार प्रकार के हैं । इनके भेद मेरे द्वारा सुनो ।

एगखुरा दुखुरा चैव, गंडीपय सणप्पया ।

हयमाई गोणमाई, गयमाई सीहमाइणो ॥४४॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १८०]

(१) एक खुरवाले—अश्व आदि । (२) दो खुरवाले—गाय आदि । (३) गण्डीपद—हाथी आदि और (४) सनखपद—सिंह आदि ।

भुओरगपरिसप्पा य, परिसप्पा दुविहा भवे ।

गोहाई अहिमाई, इक्केक्का इण्णेगविहा भवे ॥४५॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १८१]

परिसर्प दो प्रकार के होते हैं :—(१) भुजपरिसर्प—गोह, गिरगीट आदि । और (२) उर-परिसर्प—सर्प, अजगर आदि । ये प्रत्येक भी अनेक प्रकार के होते हैं ।

चम्मे उ लोमपक्षी य, तइया समुग्गपक्खिया ।

विययपक्खी य बोधन्वा, पक्खिणो य चउन्विहा ॥४६॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १८८]

खेचर अर्थात् पक्षी चार प्रकार के होते हैं :—(१) चर्मपक्षी—चमडे की पंखवाले, चमगादर आदि । (२) रोमपक्षी—रोमवाली पंखवाले, राजहस आदि । (३) समुद्गपक्षी—आवेष्टित पंखवाले और (४) विततपक्षी—जिनके पख सदा खुले रहते हैं । ये दोनो मानुषोत्तर पर्वत से बाहर होते हैं ।

मणुया दुविहभेया उ, ते मे कित्तयओ सुण ।

संमुच्छिमा य मणुया, गम्भवक्कंतिया तहा ॥४७॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १६५]

मनुष्य के दो भेद हैं, वे मेरे द्वारा सुनो :—सम्मूर्द्धिम और गर्मोत्पन्न ।

विवेचन—मनुष्य के देह, रंग और जाति के अनुसार भेद होते हैं ।

देवा चउन्विहा बुत्ता, ते मे कित्तयओ सुण ।

भोमिज्ज—वाणमंतर—जोइस—वेमाणिया तहा ॥४८॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २०४]

देव चार प्रकार के कहे गये हैं । उनके भेद मेरे द्वारा सुनो । (१) भुवनपति, (२) वाणव्यतर, (३) ज्योतिष और (४) वंमानिक ।

दसहा उ भवणवासी, अट्ठहा वणचारिणो ।

पंचविहा जोइसिया, दुविहा वेमाणिया तहा ॥४९॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २०५]

भवनवासी के दस प्रकार हैं, वाणव्यन्तर अर्थात् वनचारी देवों के आठ प्रकार हैं, ज्योतिषी देवों के पाँच प्रकार हैं और वैमानिक देवों के दो प्रकार ।

असुरा नाग-सुव्रणा, विज्जू अग्गी वियाहिया ।

दीवोदहि-दिसा-त्राया, थणिया भवणवासिणो ॥५०॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २०६]

भवनपति के दस प्रकार इस तरह समझने चाहिये :—(१) असुर-कुमार, (२) नागकुमार, (३) सुवर्णकुमार, (४) विद्युत्कुमार, (५) अग्निकुमार, (६) द्वीपकुमार, (७) उदधिकुमार, (८) दिशाकुमार, (९) वायुकुमार और (१०) स्तनितकुमार ।

पिसाय-भूया जक्खा य, रक्खसा किंनरा य किंपुरिसा ।

महोरगा य गंधव्वा, अट्टविहा वाणमंतरा ॥५१॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २०७]

वाणव्यन्तर देवों के आठ भेद इस प्रकार बताये गये हैं :—(१) पिशाच, (२) भूत, (३) यक्ष, (४) राक्षस, (५) किन्नर, (६) किम्पुरुष, (७) महोरग और (८) गन्धर्व ।

चंदा स्ररा य नक्खत्ता, गहा तारागणा तथा ।

दिसविचारिणो चैव, पंचहा जोइसालया ॥५२॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २०६]

ज्योतिषी देव पाँच प्रकार के हैं :—(१) चन्द्र, (२) सूर्य, (३) नक्षत्र, (४) ग्रह और (५) तारा । ये सब मनुष्यलोक में चरते हैं

अर्थात् गतिमान् हैं और मनुष्यलोक के बाहर स्थिर है अर्थात् गति नहीं करते ।

वेमाणिया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया ।

कप्पोवगा य वोधच्चा, कप्पाईया तहेव य ॥५३॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २०६]

वैमानिक देव दो प्रकार के हैं :—(१) कल्पोत्पन्न और (२) कल्पातीत ।

कप्पोवगा य वारसहा, सोहम्मीसाणगा तहो ।

सणंकुमार-माहिंदा, वंभलोगा य लंतगा ॥५४॥

महासुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तहा ।

आरणा अच्चुया चेव, इइ कप्पोवगा सुरा ॥५५॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २१०-११]

कल्पोत्पन्न वैमानिक देव वारह प्रकार के हैं :—(१) सौघर्म (२) ईशान, (३) सनत्कुमार, (४) माहेन्द्र, (५) ब्रह्म (६) लातक, (७) महाशुक्र, (८) सहत्तार, (९) आनत, (१०) प्राणत, (११) आरण और (१२) अच्चुत ।

कप्पाईया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया ।

गेविज्जाणुत्तरा चेव, गेविज्जा नवविहा तहिं ॥५६॥

[उक्त० अ० ३६ गा० २१०]

कल्पातीत देव दो प्रकार के बताये गये हैं :—(१) ग्रंवेयक और (२) अनुत्तर ।

विवेचन—ग्रैवैयक देव नौ प्रकार के हैं ।

विजया वैजयंता य, जयंता अपराजिया ।

सत्त्वद्विसिद्धगा चैव, पंचहाणुत्तरा सुरा ॥५७॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २१५-१६]

अनुत्तरविमानो के पाँच प्रकार हैं :—(१) विजय, (२) वैजयन्त, (३) जयन्त, (४) अपराजित और (५) सर्वार्थसिद्ध ।

विवेचन—ससारीजीवो का यह स्वरूप जानने से जीव-सृष्टि कितनी व्यापक है और उसके कितने विभाग हैं आदि का बोध होता है । ठीक वैसे ही अहिंसा के पालनार्थ भी इसका ज्ञान होना निहायत आवश्यक है ।

धारा · ४ :

कर्मवाद

नो इन्द्रियगेज्ज अमुत्तभावा,

अमुत्तभावा वि य होइ निच्चो ।

अज्झत्थहेउं निययस्स वंधो,

संसारहेउं च वयंति वंधं ॥१॥

[उक्त० अ० १४, गा० १६]

आत्मा अमूर्त्त है, अतः वह इन्द्रियग्राह्य नहीं है । अमूर्त्त होने के कारण ही आत्मा नित्य है । मिथ्यात्व आदि कारणों से आत्मा को कर्मबन्धन होता है और कर्मबन्धन को ही संसार का कारण कहा जाता है ।

विवेचन—जिसमें वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श हो वही वस्तु मूर्त्त हो सकती है, परन्तु आत्मा में वर्ण, रस, गन्ध अथवा स्पर्श आदि नहीं है, इसलिये वह अमूर्त्त है और यही कारण है कि वह इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है । साथ ही अमूर्त्त वस्तु नित्य होती है, जैसे कि आकाश, इस प्रकार आत्मा नित्य है । ऐसी अमूर्त्त और नित्य आत्मा को कर्मबन्धन होने का मूल कारण मिथ्यात्व, अविरति,

कषाय, आदि दोष ही है। कर्म-फल भोगने के लिये आत्मा को ससार में परिभ्रमण करना पड़ता है, इसलिए कर्मबन्धन ही ससारवृद्धि का कारण है।

सर्व प्रथम आत्मा कर्मरहित था और बाद में कर्मबन्धन हुआ, ऐसा नहीं है। यदि हम यह मान लें कि शुद्ध आत्मा को भी कर्म का बन्धन होता है तो सिद्ध जीवों को भी कर्म-बन्धन का प्रसङ्ग आता है, जो कतई उचित नहीं है। अतः यह मानना ही उचित होगा कि आत्मा आरम्भ से ही कर्मयुक्त थी और कर्मबन्धन के कारण विद्यमान होने से वह कर्म बाँधती ही रही तथा उसका फल भोगती रही। सोना जब खदान में रहता है, तब मिट्टी से युक्त रहता है। अर्थात् खदान में सोना और मिट्टी दोनों का मिश्रण होता है। बाद में उस पर रासायनिक प्रक्रिया होने से मिट्टी पृथक् हो जाती है और शुद्ध सोना पृथक् निकल आता है, ठीक यही बात आत्मा के बारे में भी समझनी चाहिए। संयम, तप आदि रासायनिक क्रिया के कार्यकलाप से आत्मा पर लिपटे हुए कर्मावरण दूर हो जाते हैं और उसका शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है।

सर्वजीवाण कम्मं तु, संगहे छदिसागयं ।

सव्वेसु वि पएसेसु, सव्वं सव्वेण वज्झगं ॥२॥

(उक्त० अ० ३३, गा० १८)

सभी जीव अपने आसपास छहों दिशाओं में स्थित कर्मपुद्गलों को ग्रहण करते हैं और आत्मा के सर्वप्रदेशों के साथ सर्वकर्मों का सर्वप्रकार से बन्धन हो जाता है।

विवेचन—कर्मरूप में परिणत होने योग्य पुद्गल की एक प्रकार की वर्गणा को कर्मण-वर्गणा अथवा कर्मपुद्गल कहा जाता है। पुद्गल की वर्गणाएँ अनेक प्रकार की होती हैं, उनमें औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन और कर्मण—इन नामों वाली ८ अयोग्य + ८ योग्य यो सोलह वर्गणाएँ विशेषतः समझने योग्य हैं। वे इस प्रकार हैं :—

- १ : औदारिक शरीर के लिये नहीं ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- २ : औदारिक शरीर के लिए ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- ३ : औदारिक—वैक्रिय शरीर के लिये नहीं ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- ४ : वैक्रिय शरीर के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- ५ : वैक्रिय—आहारक शरीर के लिये नहीं ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- ६ : आहारक—शरीर के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- ७ : आहारक—तैजस शरीर के लिये ग्रहण न करने योग्य महावर्गणा ।
- ८ : तैजस शरीर के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- ९ : तैजस शरीर और भाषा के लिये ग्रहण नहीं करने योग्य महावर्गणा ।
- १० : भाषा के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- ११ : भाषा और श्वासोच्छ्वास के लिये ग्रहण न करने योग्य महावर्गणा ।

१२ : श्वासोच्छ्वास के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।

१३ : श्वासोच्छ्वास और मन के लिये ग्रहण न करने योग्य महावर्गणा ।

१४ : मन के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।

१५ : मन और कर्म के लिये ग्रहण न करने योग्य महावर्गणा ।

१६ : कर्म के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।

इस सोलहवी वर्गणा को ही कार्मण-वर्गणा कहा जाता है ।

ये कार्मण-वर्गणाएँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और अधः आदि छहो दिशाओ मे सर्वत्र व्याप्त रहती है । इन्ही मे से आत्मा उपर्युक्त वर्गणाओं को ग्रहण कर लेती है और वह आत्मा के सर्व-प्रदेशो के साथ सर्वप्रकार से अर्थात् प्रकृति से, स्थिति से, रस से और प्रदेश से इस तरह चारो प्रकार से बँध जाती है । यहाँ इतना स्मरण रखना चाहिये कि आत्म-प्रदेशो के केन्द्र मे जो आठ रुचक-प्रदेश होते हैं, वे सदा निर्मल होते हैं । उन्हे किसी प्रकार के कर्म का बन्धन नही होता ।

जमियं जगई पुढो जगा,
कम्मेहिं लुप्पन्ति पाणिणो ।
सयमेव कडेहिं गाहई,
णो तस्स मुच्चेज्जऽपुट्टयं ॥३॥

[सू० झु० १, अ० २, उ० १, गा० ४]

इस भूतलपर जितने भी प्राणी है, वे सब अपने-अपने सचित कर्मों के कारण ही संसार मे परिभ्रमण करते रहते हैं और स्वकृत

कर्मों के अनुसार ही भिन्न-भिन्न योनियों में पैदा होते हैं। उपाजित कर्मों का फल भोगे बिना प्राणी मात्र का छुटकारा नहीं होता।

विवेचन—जीव के उत्पत्ति-स्थान को योनि कहते हैं। योनियों की संख्या ८४ लाख इन प्रकार मानी जाती है :—

पृथ्वीकाय की योनि	७ लाख
अपकाय की ,,	७ लाख
तेजन्काय की ,,	७ लाख
वायुकाय की ,,	७ लाख
प्रत्येक वनस्पतिकाय की ,,	१० लाख
साधारण ,,	१४ लाख
दो इन्द्रियवाले जीवों की ,,	२ लाख
तीन इन्द्रियवाले जीवों की ,,	२ लाख
चार इन्द्रियवाले जीवों की ,,	२ लाख
देवताओं की ,,	४ लाख
नारकीयो की ,,	४ लाख
तिर्य च पञ्चेन्द्रियों की ,,	४ लाख
मनुष्यों की ,	१४ लाख
	<hr/>
	८४ लाख

ये योनियाँ प्रवान रूप से नौ प्रकार की हैं :—(१) सचित्त, (२) अचित्त, (३) सचित्ताचित्त, (४) गीत, (५) उष्ण, (६) शीतोष्ण, (७) सवृत्त (८) विवृत्त, और (९) सवृत्त-विवृत्त। इनमें जो जीवप्रदेश वाली योनि है वह सचित्त, जीवप्रदेश से रहित है वह अचित्त,

और जो दोनो के मिश्रणवाली है वह सचित्ताचित्त । जिसका स्पर्श शीतल-ठडा है वह शीत, गर्म है वह उष्ण, और कुछ भाग मे शीत और कुछ भाग मे उष्ण हो वह शीतोष्ण । जो ढंकी हुई हो वह संवृत्त और जो खुली है वह विवृत्त तथा जो कुछ अश मे ढंकी हुई और कुछ अश मे खुली हो वह संवृत्त-विवृत्त ।

अन्य सम्प्रदाय भी ८४ लाख योनि की मान्यता रखते हैं, किन्तु उनकी गणना अन्य प्रकार से करते है ।

अस्मि च लोए अदु वा परत्था,
सयग्गसो वा तह अन्नहा वा ।

संसारमावन्न परं परं ते,
बंधंति वेदंति य दुन्नियाणि ॥४॥

[सू० श्रु० १, अ० ७, गा० ४]

किये गये कर्म, इस जन्म मे अथवा अगले जन्म मे ही सही जिस तरह भी किये गये हो वे उसी तरह से अथवा अन्य प्रकार से फल देते है । ससार मे भ्रमण करता हुआ जीव मानसिक, वाचिक और कायिकादि दुष्कृतो के कारण निरन्तर नये-नये कर्म बाँधता ही रहता है तथा उनका फल भोगता है ।

सच्चे सयकम्मकप्पिया,
अवियत्तेण दुहेण पाणिणो ।

हिण्डन्ति भयाउला सदा,
जाइ-जरा-मरणोहिऽभिद्ग्या ॥५॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० ३, गा० १८]

सभी प्राणी अपने-अपने कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न योनियों में अवस्थित हैं। कर्मों की अवीनता के कारण एकेन्द्रियादि की अवस्था में वह अव्यक्त दुःख से दुःखित रहता है और अगुभ कर्मों के कारण जन्म, जरा और मृत्यु से सदा पीड़ित होता हुआ तथा भयाकुल वन चारगति-रूपी संसार में भटकता है।

कामेहि य संधवेहि गिद्धा,
कम्मसहा कालेण जंतवो ।

ताले जह वंघणच्चुए,
एवं आयुक्खयम्मि तुट्ठती ॥६॥

[सु० श्रु० १, अ० २, उ० १, गा० ६]

कर्मों का फल भोगते हुए प्राणी अनेक प्रकार की भोगेच्छा तथा कुट्टुम्बियों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और मृत्यु का जरा भी विचार नहीं करते। किन्तु आयुष्य का क्षय होते ही वन्धन से मुक्त ताडफल के समान वे टूट पड़ते हैं, अर्थात् मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।

तेणे जहा संधिमुहे गहीए,
स कम्मणुणा किच्चइ पावकारी ।

एवं पया पेच्च इहं च लोए,
कडाण कम्माण न मोक्खु अत्थि ॥७॥

[उत्त० अ० ४, गा० ३]

जैसे चोर सेघ के मुखभाग पर ही पकड़ा जाय और वह पापचारी अपने कर्म से मारा जाय, ठीक वैसे ही पाप करनेवाली आत्मा को भी इस लोक में अथवा परलोक में किये कर्म का फल भोगना पड़ता है। जो कर्म एक बार बाध लिये हैं वे लाख प्रयत्न के बावजूद भी छूट नहीं सकते।

विवेचन—एक बड़ा महल था। उस पर चढ़ना अत्यन्त कठिन था, तथापि एक चोर उस पर चढ़ गया। उसने वहाँ सेघ लगाई और घन लेकर चम्पत हो गया। दूसरे दिन प्रातः जनता वहाँ इकट्ठी हुई और कहने लगी कि 'अहो ! यह तो कोई विचित्र चोर लगता है। न जाने वह इस महल पर किस प्रकार चढ़ा होगा और इतने छोटे से सेघ में से भीतर जाकर किस तरह चोरी कर नीं दो ग्यारह हो गया होगा ? इस प्रकार जनता को अपनी प्रशंसा करते हुए सुनकर चोर प्रसन्न हो उठा और उसी स्थान पर खड़ा रह कर उल्लसित नयनों से सेघ के स्थान को देखने लगा तथा जी भर कर उसकी प्रशंसा करने लगा। फलतः रक्षकों ने समझ लिया कि यही चोर है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर राजा के समक्ष प्रस्तुत करने पर उसको फाँसी की सजा हुई। इस तरह चोर को अपने किये हुए कर्म का फल मिला। वैसे ही प्राणियों को भी अपने किये हुए कर्मों का फल मिलता है। कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं।

तम्हा एएसिं कम्माणं, अणुभागा वियाणिया ।

एएसिं संवरे चेष, खवणे य जए बुहो ॥८॥

[उक्त० अ० ३३, गा० २५]

अतः कर्मों का फल देने की शक्ति का विचार कर बुद्धिमान् लोग नये कर्मों के सचय को रोकने के लिए तथा पुराने कर्मों को क्षय करने में सदा प्रयत्नशील रहे ।

जहा महातलागस्त, सन्निरुद्धे जलागमे ।

उस्सिंचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे ॥६॥

एवं तु संजयस्सवि, पावकम्मनिरासवे ।

भव कोडिसंचियं कम्मं तवसा निज्जरिज्जइ ॥१०॥

[उक्त० अ० ३०, गा० ५-६]

जैसे किसी विशाल तालाब मे पानी आने के मार्ग को बन्द कर दिया जाता, और उसमे स्थित पानी को उलीच दिया जाता अथवा सूर्य के ताप से वह क्रमशः सूखा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार संयमी पुरुष भी सवर द्वारा नये पापकर्मों को रोकता है और निर्जरा-तपश्चर्या द्वारा करोडो भव मे संचित कर्मों का नाश करता है ।

विवेचन—कहने का आशय यह है कि कर्मों का नाश करने के लिए संवर अर्थात् सयमसाधना तथा निर्जरा अर्थात् अन्तर्वाह्य विविध प्रकार की तपश्चर्या दो ही प्रमुख साधन हैं ।

रागो य दोसो वि य कम्मवीयं,

कम्मं च मोहप्पभवं वयंति ।

कम्मं च जाईमरणस्स मूलं,

दुक्खं च जाईमरणं वयंति ॥ ११ ॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ७]

राग और द्वेष ये दोनो कर्म के बीज हैं । ज्ञानियो का कथन है कि कर्म मोह से उत्पन्न होता है और वह जन्म-मरण का मूल है । इस जन्म-मरण को ही दुःख कहा जाता है ।

सुकमूले जहा रुक्खे, सिंचमाणे ण रोहति ।

एवं कम्मा ण रोहंति, मोहणिज्जे खयं गये ॥१२॥

[दशाश्रुत० अ० ५, गा० १४]

जैसे वृक्ष की जड़ सूख जाने पर उसे कितना ही सीचा जाय, वह हरी नहीं होती । वैसे ही मोहनीय कर्म का क्षय होने पर पुनः कर्म उत्पन्न नहीं होते ।

जहा दड्डाणं वीयाणं, ण जायंति पुण अंकुरा ।

कम्मवीएसु दड्ढेसु, न जायंति भवंकुरा ॥१३॥

[दशाश्रुत० अ० ५, गा० १५]

जैसे दग्ध (भूने हुए) बीज मे से पुनः अङ्कुर प्रकट नहीं होते वैसे ही कर्मरूपी बीजो के दग्ध हो जाने पर—जल जाने पर उसमे से भी भवरूपी अङ्कुर प्रकट नहीं होते ।

जह जीवा वज्झंति मुच्चंति जह य परिकिलिसंति जह दुक्खाण अंतं करंति केई अपडिचद्धा ॥ १४ ॥

[औप० सू० ३४]

जिस तरह जीव कर्म-बन्धन में फँस जाते हैं वैसे ही मुक्त भी होते है और जैसे कर्म के सचय से असख्य कष्टो का सामना करना

पड़ता है, वैसे ही कुछ कर्म से रहित होने पर सर्व दुःखों का अन्त हो जाता है ।

अदृदुहद्वियचित्ता जह जीवा दुःख सागरमुर्वेति जह
वेरग्गामुवगया कम्मसमुग्गं विहाडेति ॥१५॥

[औप० सू० ३४]

जैसे आर्त्त-रौद्र ध्यान से विकल्प-चित्तवाले जीव दुःखसागर को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैराग्यप्राप्त जीव कर्म-समूह को नष्ट कर डालते हैं ।

जह रागेण कडाण कम्माणं पावगो फलविवागो
जह य परिहीणकम्मा सिद्धा सिद्धालयमुर्वेति ॥१६॥

[औप० सू० ३५]

जैसे राग (द्वेष) द्वारा उपार्जित कर्मों का फल अनुचित होता है, वैसे ही सब कर्मों के क्षय से जीव सिद्ध होकर सिद्धलोक में पहुँचता है ।

जह मिउलेवालित्तं गरुयं तुवं अहो वयइ एवं ।

आसवकयकम्मगुरु, जीवा वच्चंति अहरगइं ॥१७॥

तं चेव तन्विमुक्कं, जलोवरिं ठाइ जायलहुभावं ।

जह तह कम्मविमुक्का, लोयग्गपइड्डिया होंति ॥१८॥

[ज्ञातासूत्र अ० ६]

जिस प्रकार तुम्बी पर मिट्टी की तहे जमाने से वह भारी हो

कर्मवाद]

जाती है, और डूबने लगती है, ठीक वैसे ही हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार तथा मूर्च्छा-मोह इत्यादि आश्रवरूपी कर्म करने से आत्मा पर कर्मरूपी मिट्टी की तहे जम जाती है और यह भारी वन अघोगति को प्राप्त हो जाती है। यदि तुम्बी के ऊपर की मिट्टी की तहे हटा दी जायँ तो वह हलकी होने के कारण पानी पर आजाती है और तैरने लगती है, वैसे ही यह आत्मा भी जब कर्म-वत्त्वनो से सर्वथा मुक्त हो जाती है, तब ऊर्ध्वगति प्राप्त करके लोकाग्र-भाग पर पहुँच जाती है और वहाँ स्थिर हो जाती है।



धारा : ५ :

कर्म के प्रकार

अद्दु कम्माइं वोच्छामि, आणुपुत्विं जहक्कमं ।
जेहिं वद्धो अयं जीवो, संसारे परिवट्ठई ॥ १ ॥
नाणस्सावरणिज्जं, दंसणावरणं तथा ।
वेयणिज्जं तथा मोहं, आउकम्मं तहेव य ॥ २ ॥
नामकम्मं च गोयं च, अंतरायं तहेव य ।
एवमेयाइं कम्माइं, अट्ठव उ समासओ ॥ ३ ॥

मैं आठ कर्मों का स्वरूप यथाक्रम कहता हूँ जिनसे वद्ध यह जीव ससार में विविध पर्यायों का अनुभव करता हुआ निरंतर परिभ्रमण करता रहता है ।

(१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयु, (६) नाम, (७) गोत्र और (८) अतराय ।

विवेचन—आत्मा मिथ्यात्व, अविरति आदि दोषों के कारण कर्मण वर्गणाओं को अपनी ओर आकृष्ट करती है और जब ये कर्मण-वर्गणाएँ आत्मप्रदेश के साथ मिल जाती हैं, तब उसे 'कर्म' सज्ञा प्राप्त होती है । कर्म का मुख्य कार्य आत्मा की शक्तियों पर आवरण चढ़ाना है । अतः इसे आत्मा का विरोधी तत्त्व माना जाता है ।

कर्म के कुल आठ प्रकार हैं ज्ञानावरणीयादि । जिस कर्म के कारण आत्मा के ज्ञानगुण पर आवरण छा जाता है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं । यह कम आँख की पट्टीके के समान होता है । आँख में देखने की शक्ति रहने पर भी पट्टी रहने के कारण वह बराबर देख नहीं सकती, वैसे ही आत्मा अनन्त ज्ञानवाली होने पर भी ज्ञानावरणीय-कर्म के कारण बराबर जान नहीं पाती ।

जिस कर्म के द्वारा आत्मा की दर्शनशक्ति पर आवरण छा जाय उसे दर्शनावरणीय-कर्म कहते हैं । इसका कार्य राजा के प्रतिहारी जैसा होता है । जैसे प्रतिहारी राजा के दर्शन करने पर रोक लगाता है, वैसे ही दर्शनावरणीय कर्म आत्मा को वस्तुस्वरूप के दर्शन से रोकती है ।

जिस कर्म से आत्मा को साता (सुख) और असाता (दुःख) का अनुभव हो, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं । यह कर्म शहद से लिपटी हुई तलवार की धार जैसा है । शहद लिपटी तलवार की धार चाटने पर जैसी साता उत्पन्न होती है—सुख मिलता है, वैसे ही जीभ कट जाने पर असाता उत्पन्न होती है, अत्यन्त पीड़ा होती है । यही बात आत्मा के विषय में है । आत्मा मूलस्वरूप में आदन्दघन होते हुए भी वेदनीय-कर्म के कारण वह कृत्रिम सुख-दुःखों का लगातार अनुभव करती रहती है ।

जिस कर्म के द्वारा आत्मा के सम्यक् श्रद्धान और सम्यक् चारित्र-रूपी गुणों का अवरोध होता है, उसको मोहनीय-कर्म कहते हैं । यह कर्म मदिरापान के समान है । मदिरापान करने से मनुष्य में

मानसिक विकार उत्पन्न होता है, वैसे ही मोहनीय-कर्म के कारण आत्मा की निर्मल श्रद्धा का विपर्यास हो जाता है और शुद्ध चारित्र्य में विकृति उत्पन्न होती है ।

जिस कर्म के फलस्वरूप आत्मा को एक शरीर में नियत समय तक रहना पड़े उसे आयुकर्म कहते हैं । यह कर्म कैद जैसा है । जैसे कैद में डाला हुआ मनुष्य उसकी अवधि पूरी होने से पूर्व मुक्त नहीं हो सकता, वैसे ही आयुकर्म के कारण आत्मा तदर्थ नियत अवधि को पूर्ण किये बिना धारण की हुई देह से मुक्त नहीं हो सकता ।

जिस कर्म के परिणामस्वरूप आत्मा मूर्तावस्था को प्राप्त हो तथा शुभाशुभ शरीर को धारण करे उसे नामकर्म कहते हैं । यह कर्म चित्रकार जैसा है । चित्रकार जैसे विविध रंगों से चित्रों का निर्माण करता है, वैसे ही नामकर्म आत्मा के लिये धारण करने योग्य ऐसे अच्छे-बुरे भिन्न-भिन्न रूप, रंग, अवयव, यश, अपयश, सौभाग्य, दुर्भाग्य आदि का निर्माण करता है ।

जिस कर्म के द्वारा आत्मा को उच्च-नीचावस्था प्राप्त हो, उसे गोत्र-कर्म कहते हैं । यह कर्म कुम्हार जैसा है । कुम्हार जैसे मिट्टी के पिंड से छोटे और बड़े पात्र बनाता है, वैसे ही इस कर्म के द्वारा जीव को उच्चकुल में अथवा नीचकुल में जन्म धारण करना पड़ता है ।

जिस कर्म के द्वारा आत्मा की लब्धि—(शक्ति) में विघ्न उपस्थित हो, उसे अन्तरायकर्म कहते हैं । यह कर्म राजा के भण्डारी जैसा है । राजा की आज्ञा मिल चुकने पर भी जैसे भण्डारी के दिये बिना भण्डार में रखी सागरी प्राप्त नहीं होती, वैसे ही अन्तराय कर्म

के कारण आत्मा की दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यरूप लब्धि का पूर्णरूपेण विकास नहीं होता ।

मूलभूत स्वरूप मे जगत् के सभी जीव समान होने पर भी उनकी अवस्थाओ मे जो विचित्रता और विभिन्नता दीख पड़ती है, उसके मूल मे कर्म के उक्त प्रकार ही हैं ।

नाणावरणं पंचविहं, सुयं आभिणिबोहियं ।

ओहिनाणं च तइयं, मणनाणं च केवलं ॥४॥

ज्ञानावरणीय कर्म पाँच प्रकार के हैं :—(१) श्रुतज्ञानावरणीय, (२) मतिज्ञानावरणीय, (३) अवधिज्ञानावरणीय, (४) मनःपर्यायज्ञानावरणीय तथा (५) केवलज्ञानावरणीय ।

विवेचन—ज्ञान के पाँच प्रकार हैं :—(१) आभिनिबोधिक अथवा मतिज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) अवधिज्ञान, (४) मनःपर्यवज्ञान और (५) केवलज्ञान । इन पाँचो ज्ञानो को अवरुद्ध करनेवाले अलग-अलग कर्म होते हैं, इसलिये ज्ञानावरणीय कर्म के पाँच प्रकार माने गये हैं । यहाँ श्रुतज्ञानावरणीय कर्म प्रथम और मतिज्ञानावरणीय कर्म दूसरा कहा है, किन्तु ज्ञान के क्रमानुसार मतिज्ञानावरणीय पहला और श्रुतज्ञानावरणीय दूसरा समझना चाहिये ।

निदा तहेव पयला, निदानिदा य पयलपयला य ।

तत्तो अ थीणगिद्धी उ, पंचमा होई नायन्वा ॥५॥

चक्खुमचक्खू ओहिस्स, दंसणे केवले अ आवरणे ।

एवं तु नवविगप्पं, नायन्वं दंसणावरणं ॥६॥

निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानद्धि (धीणद्धी) इस तरह निद्रा के पाँच प्रकार हैं।

इसके अतिरिक्त चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधि-दर्शनावरणीय तथा केवलदर्शनावरणीय इस प्रकार दर्शनावरणीय कर्म के अन्य और चार प्रकार हैं। अतः दर्शनावरणीय कर्म के कुल नौ प्रकार समझने चाहिये।

विवेचन—निद्रा दर्शनशक्ति का अवरोध करनेवाली होने से उसकी गणना दर्शनावरणीय कर्म में होती है। (१) सुखपूर्वक अर्थात् शब्द-मात्र से जगा सके ऐसी निद्रा 'निद्रा' कहलाती है। (२) दुःखपूर्वक अर्थात् बहुत झकझोरने से जगाया जा सके ऐसी निद्रा 'निद्रानिद्रा' कहलाती है। (३-४) ढँडे-ढँडे अथवा खडे-खडे ही निद्रा आ जाय लेकिन उनमें से सुखपूर्वक जगाया जा सके ऐसी निद्रा को 'प्रचला' और दुःखपूर्वक जगाया जा सके उसे 'प्रचला-प्रचला' कहते हैं। (५) जिसमें दिन में चिन्तित कार्य कर लिया जाय और कुछ पता ही न लगे, ऐसी गाढ निद्रा को 'स्त्यानद्धि' अथवा 'धीणद्धी' निद्रा कहते हैं। इस निद्रा में मनुष्य का बल असाधारण रूप में बढ जाता है। विज्ञान ने भी ऐसी निद्रा की सूचना दी है और इनसे सम्बद्ध अनेक उदाहरणों का संग्रह किया है।

(६) जो चक्षुरिन्द्रिय द्वारा होनेवाले सामान्य बोध को गेक दे वह चक्षुदर्शनावरणीय, (७) जो चक्षु के अतिरिक्त शेष चार इन्द्रियों तथा पाँचवें मन के द्वारा होने हुए सामान्य बोध को रोके वह अचक्षु-दर्शनावरणीय, (८) जो आत्मा को होनेवाले रूपों, द्रव्य के सामान्य

बोध को रोके वह अवधिदर्शनावरणीय और (९) जो केवलदर्शन द्वारा होनेवाले वस्तुमात्र के सामान्य बोध को रोके वह केवलदर्शनावरणीय ।

वेयणियं पि दुविहं, सायमसायं च आहियं ।

सायस्स उ वहू भेया, एमेव असायस्स वि ॥७॥

वेदनीय कर्म दो प्रकार के कहे गये हैं :—(१) सातावेदनीय और असातावेदनीय । इन दोनों के अवान्तर भेद अनेक है ।

विवेचन—जिसके द्वारा शारीरिक तथा मानसिक सुखशान्ति का अनुभव हो वह 'सातावेदनीय' और दुःख तथा अशान्ति का अनुभव हो वह 'असातावेदनीय' कर्म कहलाता है ।

मोहणिज्जं पि दुविहं, दंसणे चरणे तथा ।

दंसणे तिविहं बुत्तं, चरणे दुविहं भवे ॥८॥

मोहनीय कर्म भी दो प्रकार के है :—(१) दर्शनमोहनीय और (२) चारित्रमोहनीय । इनमें दर्शनमोहनीय-कर्म तीन प्रकार का और चारित्रमोहनीय-कर्म दो प्रकार का कहा गया है ।

सम्मत्तं चैव मिच्छत्तं, सम्मामिच्छत्तमेव य ।

एयाओ तिणिण पयडीओ, मोहणिज्जस्स दंसणे ॥९॥

(१) सम्यक्त्वमोहनीय, (२) मिथ्यात्वमोहनीय और (३) चित्रमोहनीय । इस प्रकार दर्शनमोहनीय-कर्म की तीन उत्तरप्रकृतियाँ हैं ।

विवेचन—आत्मा अपने अद्यवसाय के बल पर मिथ्यात्व के पुद्गलो को शुद्ध करे और उसमें से मिथ्यात्वकारी मल निकल जाय, उसे

सम्यक्त्वमोहनीय कर्म कहते हैं । इस कर्म का उदय होने से जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति तो होती है ; परन्तु जब तक वह अस्तित्व में रहता है, तब तक मोक्ष की एक शुद्ध अवस्थास्वरूप क्षायिक सम्यक्त्व को रोकता है ।

जिससे आत्मा मिथ्यात्व में आसक्त हो जाय वह मिथ्यात्व-मोहनीय-कर्म कहलाता है । मिथ्यात्व के उदय से जीव वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित तत्त्व को अतत्त्व और अज्ञकथित तत्त्व को तत्त्व मानता है, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानता है । और इसीलिये वह तत्त्व का—सत्य का आग्रह न रखते हुए अरुचि रखता है । जो अतत्त्व का—असत्य का आग्रह रखता है, वह सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति में वह अन्य प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति मला कैसे कर सकता है !

जिससे न मिथ्यात्व और न सम्यक्त्व अर्थात् तत्त्व के प्रति रुचि भी नहीं और अरुचि भी नहीं—(कुछ मिथ्यात्व चला जाय और कुछ शेष रहे) उसे मिश्रमोहनीय-कर्म कहते हैं । उपर्युक्त प्रकार के कर्मोदय के समय जीव तत्त्व और अतत्त्व सत्य और असत्य दोनों के प्रति समान वृत्ति धारण करता है । फलतः सत्य के लिए आग्रही नहीं बन सकता—ग्रह स्थिति भी आध्यात्मिक प्रगति के लिये उतनी ही बाधक है ।

चरित्तमोहणं कम्मं, दुचिहं तं वियाहियं ।

कसायमीहणिज्जं तु, नोकसायं तहेव य ॥१०॥

चारित्र्यमोहनीय-कर्म दो प्रकार का कहा गया है :—(१) कषाय-मोहनीय और (२) नोकषायमोहनीय ।

सोलसविहभेएणं, कम्मं तु कसायजं ।

सत्तविहं नवविहं वा, कम्मं च नोकसायजं ॥११॥

कषायमोहनीय-कर्म के सोलह प्रकार हैं और नोकषायमोहनीय-कर्म के सात अथवा नौ प्रकार हैं ।

विवेचन—जीव के शुद्ध स्वरूप को कलुषित करनेवाला तत्त्व कषाय कहलाता है, अथवा जो अनेक प्रकार के सुख और दुःख के फलयोग्य कर्मक्षेत्र का कर्षण करता है—वह कषाय कहलाता है । अथवा जिससे कष, यानी ससार का, आय यानी लाभ हो अर्थात् संसार की वृद्धि हो वह कषाय कहलाता है । कषाय के मुख्य चार प्रकार हैं : (१) क्रोध, (२) मान (अभिमान), (३) माया (कपट), तथा (४) लोभ (तृष्णा) । इन प्रत्येक के तरतमता के अनुसार (१) अनन्तानुवन्धी, (२) प्रत्याख्यानी, (३) अप्रत्याख्यानी तथा (४) सज्वलन ऐसे चार-चार भेद हैं । इस तरह कषाय के कुल सोलह प्रकार होते हैं ।

अनन्तानुवन्धी कषाय अत्यन्त तीव्र होते हैं । प्रत्याख्यानी कषाय केवल तीव्र होते हैं जबकि अप्रत्याख्यानी कषाय मन्द होते हैं और सज्वलन कषाय अति मन्द ।

कषाय की तरतमता को समझने के लिये जैन शास्त्रों में निम्न दृष्टान्त दिये गये हैं—

क्रोध

अनन्तानुबन्धी—पर्वत में पड़ी हुई दरार के समान । जिस तरह पर्वत में पड़ी दरार पुनः जुड़ती नहीं, वैसे ही इस प्रकार का क्रोध उत्पन्न होने पर जीवन भर शान्त होता नहीं ।

अप्रत्याख्यानी—पृथ्वी में पड़ी हुई दरार के समान । जैसे पृथ्वी में पड़ी हुई दरार वर्षा आने पर पट जाती है, ठीक वैसे ही इस प्रकार का क्रोध उत्पन्न हुआ हो तो अधिक से अधिक एक वर्ष में शान्त हो जाता है ।

प्रत्याख्यानी—रेती में खीची हुई रेखा के समान । रेती में खीची हुई रेखा वायु के झोका आने पर मिट जाती है, इसी तरह ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ हो तो अधिक से अधिक एक मास में शान्त हो जाता है ।

सज्वलन—पानी में खीची गई रेखा के समान । पानी में खीची गई रेखा जैसे शीघ्र नष्ट हो जाती है, वैसे ही इस तरह का क्रोध उत्पन्न हुआ हो तो अधिक से अधिक पन्द्रह दिन में शान्त हो जाता है ।

मान

अनन्तानुबन्धी—पत्थर के खम्भे के समान, जो किसी प्रकार भुक्तता ही नहीं ।

अप्रत्याख्यानी—हड्डी के समान, जो अत्यन्त कष्ट से भुक्तता है ।

प्रत्याख्यानी—काष्ठ के समान, जो उपाय करने पर भुक्तता है ।

सज्वलन—वैत की लकड़ी के समान, जो सरलता से भुक्त जाता है ।

साया

अनन्तानुबन्धी—बाँस के कठोर जड़ जैसी, जो किसी प्रकार अपनी वक्रता को नहीं छोड़ती ।

अप्रत्याख्यानी—भेड़ के सींग जैसी, जो बड़े प्रयत्न से अपनी वक्रता छोड़ती है ।

प्रत्याख्यानी—वैल के मूत्र की धारा जैसी, जो वायु के झोके से दूर हो जाय ।

सञ्ज्वलन—बाँस की चीपट के समान ।

लोभ

अनन्तानुबन्धी—किरमच के रंग जैसा, जो एक बार चढने पर उखड़ नहीं जाता ।

अप्रत्याख्यानी—गाड़ी के कीटे जैसा, जो एक बार वस्त्र को गन्दा कर लेने पर बहुत प्रयत्न से मिटता है ।

प्रत्याख्यानी—कीचड़ जैसा कि जो कपड़ों पर पड़ जाने पर सामान्य प्रयत्न से दूर हो जाता है ।

सञ्ज्वलन—हल्दी के रंग जैसा जो सूर्य की धूप लगते ही दूर हो जाय ।

नोकषाय के सात प्रकार होते हैं :—(१) हास्य, (२) रति, (३) अरति, (४) भय, (५) शोक, (६) जुगुप्सा और (७) वेद (जातीय सज्ञा—Sexual instinct) ।

यदि वेद के स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद आदि तीन प्रकार मान लें तो हास्यादि छह और तीन वेद मिलकर नौ प्रकार हो जाते हैं ।

नेरइयातिरिक्खाउं, मणुस्साउं तहेव य ।

देवाउअं चउत्थं तु, आउकम्मं चउत्विहं ॥१२॥

आयुर्कर्म के चार प्रकार हैं—(१) नरकायु, (२) तीर्यंचायु, (३) मनुष्यायु और (४) देवायु ।

विवेचन—जीव को जिसके कारण नरकयोनि में रहना पड़े, वह नरकायु, तीर्यंच योनि में रहना पड़े, वह तीर्यंचायु, मनुष्य योनि में रहना पड़े, वह मनुष्यायु और देवयोनि में रहना पड़े, वह देवायु ।

नामकम्मं तु दुविहं सुहमसुहं च आहियं ।

सुहस्स उ वहू भेया, एमेव असुहस्स वि ॥१३॥

नामकर्म दो प्रकार का कहा गया है—(१) शुभ और (२) अशुभ । शुभ नाम-कर्म के अनेक भेद हैं, और अशुभ नाम-कर्म के भी अनेक भेद हैं ।

विवेचन—जिसके योग से जीव को मनुष्य और देव की गति, सुन्दर अङ्ग-उपाङ्ग, अच्छा स्वरूप, वचन की मधुरता, लोकप्रियता, यशस्विता आदि प्राप्त हों, वह शुभ नामकर्म कहा जाता है । और नरक तथा तीर्यंच की गति, बेडोल अङ्ग-उपाङ्ग, क्रूरपता, वचन की कठोरता, अप्रियता, अपयश आदि प्राप्त हों वह अशुभ नामकर्म कहा जाता है ।

शुभ नाम-कर्म के अनन्त भेद हैं, किन्तु मध्यम अपेक्षा से ३७ भेद माने जाते हैं और अशुभ नाम-कर्म के भी अनन्त भेद हैं, किन्तु मध्यम अपेक्षा से ३४ भेद माने जाते हैं । इनका विस्तार कर्मग्रन्थों से जानना ।

गोयकम्मं तु दुविहं, उच्चं नीयं च आहियं ।

उच्चं अट्टविहं होइ, एवं नीयं वि आहियं ॥१४॥

गोत्रकर्म दो प्रकार का होता है—(१) उच्च और (२) नीच । इन दोनों के आठ-आठ और प्रकार कहे गये हैं ।

विवेचन—उच्च गोत्रकर्म के आठ प्रकार इस तरह समझना चाहिये :—(१) उच्च जाति में उत्पन्न होना, (२) उच्च कुल में उत्पन्न होना, (३) बलवान् बनना, (४) सौन्दर्यशाली होना, (५) तपस्वी बनना, (६) यथेष्ट अर्थप्राप्ति होना, (७) विद्वान् बनना और (८) सम्पत्तिशाली बनना । जबकि नीचगोत्रकर्म के आठ प्रकार इनसे विपरीत समझना चाहिए ।

दाणे लाभे य भोगे य, उवभोगे वीरिए तहा ।

पंचविहमंतरायं, समासेण वियाहियं ॥१५॥

[उक्त० अ० ३३, गा० १ से १५]

अन्तराय कर्म को संक्षेप में पाँच प्रकार का कहा गया है—(१) दानान्तराय, (२) लाभान्तराय, (३) भोगान्तराय, (४) उपभोगान्तराय और (५) वीर्यान्तराय ।

विवेचन—दान देने की वस्तु विद्यमान रहने पर तथा उसके देने से होनेवाले लाभों का ज्ञान होते हुए भी, जिसके कारण दान नहीं दिया जा सके, वह दानान्तराय-कर्म कहलाता है । इसी तरह प्रयत्न करने पर भी जिस कारण किसी वस्तु का लाभ न हो उसे लाभान्तराय-कर्म कहते हैं । खान-पानादि सभी सामग्रियों के विद्यमान होने पर

भी जिस वजह उसका खाने-पीने में उपयोग न किया जा सके और कदाचित् खा-पी सके तो उसका पाचन न हो सके वह भोगान्तराय-कर्म । जो एक बार ही काम में आये उसे भोग्य पदार्थ कहते हैं, जैसे भोजन, पानी आदि । जो बार-बार उपयोग में लिया जा सके उसे उपभोग्य कहते हैं, जैसे वस्त्र, आभूषण आदि । जिसके कारण उपभोग की सामग्री जब चाहिये तब और जितने प्रमाण में चाहिए उतने प्रमाण में स्वाधीन रहते हुए भी उपयोग में न आ सके, वह उपभोगान्तराय कर्म । और जिसके उदय मात्र से स्वयं युवा और बलवान् होने पर भी कोई कार्य सिद्ध न कर सके वह वीर्यान्तराय-कर्म कहलाता है ।

उदहीसरिसनामाणं, तीसई कोडिकोडीओ ।

उक्कोसिया ठिई होई, अन्तोमुहुत्तं जहणिया ॥१६॥

आवरणिज्जाण दुण्हं पि, वेयणिज्जे तदेव य ।

अन्तराए य कम्ममि, ठिई एसा वियाहिया ॥१७॥

[उक्त० अ० ३३, गा० १६-२०]

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय तथा अन्तराय इन चार कर्मों की जघन्य स्थिति अन्तर्मूर्हन और उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडा-कोडी सागरोपम की होती है ।

विवेचन—जब आत्मप्रदेशों के माय कर्म का वन्दन होता है, तभी उनकी स्थिति अर्थात् टिकने का समय भी निश्चित हो जाता है । अतः वे इतने समय तक आत्मा के साथ बने रहने हैं । उसका

जघन्य अर्थात् कम से कम और उत्कृष्ट अर्थात् अधिक से अधिक कितना प्रमाण होता है; इसी बात का यहाँ स्पष्टीकरण किया गया है। नौ समय से लेकर दो घड़ी में एक समय न्यून को अन्तर्मुहूर्त कहते हैं।

उदहीसरिसनामाणं, सत्तरिं कोडिकोडीओ ।

मोहणिज्जस्स उक्कोसा, अन्तोमुहुत्तं जहणिया ॥१८॥

तित्तीसं सागरोवमा, उक्कोसेण वियाहिया ।

ठिई उ आउकम्मस्स, अन्तोमहुत्तं जहणिया ॥१९॥

उदहीसरिसनामाणं वीसई कोडिकोडिओ ।

नामगोत्ताण उक्कोसा, अट्ठ मुहुत्ता जहणिया ॥२०॥

[उक्त० अ० ३३, गा० २१-२२-२३]

मोहनोयकर्म की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडाकोडी सागरोपम और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की होती है। आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तैत्तीस सागरोपम और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की होती है। नामकर्म और गोत्रकर्म की उत्कृष्ट-स्थिति बीस कोडाकोडी सागरोपम और जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त की होती है।

—

धारा : ६ :

दुर्लभ संयोग

चत्वारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो ।
माणुसत्तं सुईं सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥१॥

इस संसार में प्राणी मात्र को मनुष्यजन्म, धर्मश्रवण, श्रद्धा और संयम की प्रवृत्ति जैसे चार उत्तम अङ्गों की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है ।

समावण्णाण संसारे, णाणागोत्तासु जाइसु ।
कम्मा णाणाविहा कड्ढ, पुढो विस्संभिया पया ॥२॥

संसार में भिन्न-भिन्न गोत्र और जाति में पैदा हुए जीव विविध कर्म करके संसार में भिन्न-भिन्न स्वरूप में उत्पन्न होते हैं ।

एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया ।
एगया आसुरं कायं, आहाकम्मेहिं गच्छई ॥३॥

अपने कर्म के अनुसार यह जीव किसी समय देवलोक में, किसी समय नरक में तो किसी समय असुरकाय में (भुवनपति इत्यादि में) उत्पन्न होता है ।

एगया खत्तिओ होई, तओ चंडाल बुक्कसो ।

तओ कीड—पयंगो य, तओ कुंथू—पिवीलिया ॥४॥

जीव किसी समय क्षत्रिय, किसी समय चाण्डाल, किसी समय बुक्कस, (वर्णसंकर जाति), किसी समय कीट, किसी समय पतंग, किसी समय कुंथू और किसी समय चीटी भी बनता है ।

एवमावट्टजोणीसु, पाणिणो कम्मक्खिसा ।

ण णिव्विज्जंति संसारे, सव्वट्टेसु व खत्तिया ॥५॥

सर्वप्रकार की ऋद्धि-वैभव होने पर भी जिस तरह क्षत्रियो की राज्यतृष्णा शान्त नहीं होती, ठीक उसी तरह कर्मरूपी मैल से लिपटे जीव भी अनेकविध योनियो मे परिभ्रमण करने के बावजूद भी विरक्त नहीं होते ।

कम्मसंगेहिं सम्मूढा, दुक्खिया बहुवेयणा ।

अमाणुसासु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥६॥

कर्म के सम्बन्ध से मूढ बने हुए प्राणी असख्य वेदनाएं प्राप्त कर तथा दुःखी होकर मनुष्ययोनि के अतिरिक्त दूसरी योनियो में जन्म धारण कर बार-बार हना जाता है ।

कम्माणं तु पहाणाए, आणुपुच्ची कयाइ उ ।

जीवा सोहिमणूपत्ता, आययति मणुस्सरं ॥७॥

क्रमशः अर्थात् एक योनि मे से दूसरी योनि मे भटकते हुए, की गई अकामनिर्जरा के कारण कर्मों का भार हलका हो जाने

से जीव-शुद्धि को पाता है और किसी समय मनुष्ययोनि में जन्म धारण करता है ।

विवेचन—अज्ञान अथवा मूढ दशा में दुःख सहन करते हुए कर्म की जो निर्जरा होती है, वह अकामनिर्जरा कहलाती है ।

मानव-जन्म की दुर्लभता समझने के लिये श्रीभद्रबाहुस्वामी ने श्री उत्तराध्ययन-सूत्र की निर्याक्ति में निम्नलिखित दस दृष्टान्त दिये हैं :—

(१) चूल्हे का दृष्टान्त—चक्रवर्ती राजा छद्म खण्ड पृथ्वी का अधिपति होता है । उसके राज्य में कितने चूल्हे होते हैं ? प्रथम चक्रवर्ती के चूल्हे पर भोजन हो और बाद में प्रत्येक चूल्हे पर भोजन करना हो तो चक्रवर्ती के चूल्हे पर भला पुनः भोजन का कब अवसर आवे ?

(२) पासों का दृष्टान्त—किसी खेल में यन्त्रमय पासों का उपयोग करके किसी का सारा धन जीत लिया गया हो और उस पराजित मनुष्य को अक्ष-क्रीड़ा से फिर अपना धन प्राप्त करना हो, तो भला कब तक प्राप्त हो ?

(३) धान्य का दृष्टान्त—लाखों मन धान्य के ढेर में यदि सरसों के थोड़े दाने मिला दिये हों और उन्हें वापस निकालने का प्रयत्न किया जाय तो भला कब मिल सकते हैं ?

(४) धूल-क्रीड़ा का दृष्टान्त—किसी राजमहल के १००८ स्तम्भ हो और उनमें से प्रत्येक स्तम्भ के १०८ विभाग हों तथा उक्त प्रत्येक विभाग को जूआ में जीतने पर ही राज्य मिलता हो, तो भला वह राज्य कब मिल सकेगा ?

(५) रत्न का दृष्टान्त—सागर में प्रवास करते समय पास में रहे रत्न अगाध जल में डूब जायँ तो भला खोज करने के बावजूद भी वे रत्न कब तक मिल सकेंगे ?

(६) स्वप्न का दृष्टान्त—राज्य की प्राप्ति करानेवाला शुभ स्वप्न देखा हो और उससे राज्य की प्राप्ति भी हो गई हो। यदि ऐसा ही स्वप्न पुनः लाने के लिये कोई प्रयत्न करे, तो भला ऐसा स्वप्न पुनः कब ला सकता है ?

(७) चक्र का दृष्टान्त—चक्र अर्थात् राधावेध। खम्भे के ऊँचे सिरे पर यन्त्र-प्रयोग से चक्राकार में एक पुतली घूमती हो, उसका नाम राधा। स्तम्भ के नीचे तेल की कढ़ाई उभलती हो, खम्भे के मध्य भाग में एक तराजू बिठा दिया गया हो और उसमें खड़े रहकर नीचे की कढ़ाई में पड़े राधा के प्रतिबिम्ब के आधार पर बाण मारकर उसकी बाँई आँख बीधना हो तो भला कब बीध सकता है।

(८) चर्म का दृष्टान्त—यहाँ चर्म शब्द का अर्थ चमड़े जैसी मोटी सरोवर के ऊपर की शैवाल है। किसी पूर्णिमा की रात्रि में वायु के तेज भोका से शैवाल जरा इधर-उधर हो जाय, फलस्वरूप उसके नीचे छिपा हुआ कोई कछुआ चन्द्रमा के दर्शन कर ले और यदि वह पुनः वैसे ही चन्द्र-दर्शन अपने सगे-सम्बन्धियों को कराना चाहे तो भला कब करवा सकता है ? वायु के भोको से उसी स्थान पर शैवाल का इधर-उधर खिसकना और वैसे ही पूर्णिमा की रात्रि का होना, यह सब कितना दुर्लभ है ?

(६) युग का दृष्टान्त—युग अर्थात् घुरा-जूड़ा । बेल के कन्वे पर उसे बराबर बिठाने के लिये लकड़ी के एक छोटे डण्डे का उपयोग किया जाता है । यदि वह जूड़ा महासागर के एक छोर से पानी में डाली गई हो और दूसरे छोर से लकड़ी, तो भला उस जूड़े पर वह लकड़ी कब बैठ सकेगी ?

(१०) परमाणु का दृष्टान्त—एक स्तम्भ का अत्यन्त महीन चूर्ण करके फूँकनी में भर दिया हो और किसी पर्वत के शिखर पर खड़ा होकर फूँक द्वारा उसे हवा में उड़ा दिया जाय तो भला उक्त चूर्ण के सभी परमाणु पुनः कब एकत्र हो सकते हैं ?

यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर 'बहुत समय और बहुत कष्ट के बाद' यही है तो मनुष्यजन्म भी दीर्घावधि के पश्चात् और अत्यधिक कष्टों के बाद प्राप्त होता है, अर्थात् वह अतिदुर्लभ है ।

माणुस्सं विग्गहं लद्धुं, सुई धम्मस्स दुल्लहा ।
जं सोच्चा पडिवज्जन्ति, तवं खन्तिमहिंसियं ॥८॥

कदाचित् मनुष्यजन्म मिल भी जाय तो भी धर्मशास्त्र के वचन सुनना अत्यन्त दुर्लभ है, जिन्हें सुनकर जीव तप, क्षमा तथा अहिंसा को स्वीकार करता है ।

आहच्च सवणं लद्धुं, सद्धा परमदुल्लहा ।

सोच्चा पेयाउयं मग्गं, वहवे परिभस्सई ॥ ९ ॥

कदाचित् धर्मशास्त्रों के वचन सुन भी ले, तो भी उस पर श्रद्धा होना अति दुर्लभ है । न्यायमार्ग पर चलने की बात सुनकर भी बहुत

से लोग (उसका अनुसरण नहीं करते और दुराचारी स्वच्छन्दी जीवन बिताकर) भ्रष्ट बन जाते हैं ।

सुई च लद्धं सद्धं च, वीरियं पुण दुल्लहं ।

वहवे रोयमाणा वि, णो य णं पडिचज्जई ॥ १० ॥

कदाचित् धर्मशास्त्रों के वचन मुने हो और उन पर श्रद्धा भी जम गई हो, पर सयम-मार्ग में वीर्यस्फुरण होना अर्थात् प्रवृत्ति करना अत्यन्त कठिन है । बहुत से लोग श्रद्धासम्पन्न होते हुए भी सयममार्ग में प्रवृत्त नहीं होते ।

माणुसत्तम्मि आयाओ, जो धम्मं सोच्च सदहे ।

तवस्सी वीरियं लद्धं, संवुडे निद्धुणे रयं ॥ ११ ॥

जो जीव मनुष्य-जीवन प्राप्त करके धर्मशास्त्र के वचन सुनता है, उस पर श्रद्धा रखता है, और सयम-मार्ग में प्रवृत्त होता है, वह तपस्वी और सवृत्त (सवरवाला) बनकर अपने (बद्ध और बद्ध्यमान) सभी कर्मों का क्षय कर देता है, अर्थात् मुक्ति प्राप्त करता है ।

सोही उज्जुभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिद्धई ।

निव्वाणं परमं जाइ, घयसित्तेव्व पावए ॥ १२ ॥

सरलता से युक्त आत्मा की शुद्धि होती है और ऐसी आत्मा में ही धर्म स्थिर रह सकता है । घृत से सीची हुई अग्नि के समान वह देदीप्यमान होकर परम निर्वाण (मुक्ति) को प्राप्त करता है ।

विर्गिच कम्मणो हेउं, जसं संचिणु खंतिए ।

याद्वं सरीरं हिच्चा, उडुं पक्कमई दिसं ॥ १३ ॥

कर्मों के कारण को अर्थात् मिथ्यात्व, अविरति आदि को दूर करो । क्षमा, सरलता, मृदुता, निर्लोभतादि प्राप्त कर यश का संचय करो । ऐसा करनेवाला मनुष्य पार्थिव शरीर छोड़कर ऊर्ध्व दिशा की ओर प्रयाण करता है, अर्थात् स्वर्ग अथवा मोक्ष में जाता है ।

विसालिसेहिं सीलेहिं, जक्खा उत्तर उत्तरा ।

महासुक्का व दिप्पंता, मन्नंता अपुणच्चयं ॥ १४ ॥

उत्कृष्ट आचारों का पालन करने से जीव उत्तरोत्तर विमानवासी देव बनता है । वहाँ वह अतिशय सुगोभित और देदीप्यमान शरीर धारण करता है तथा स्वर्गीय सुखों में इतना लीन हो जाता है कि 'मुझे अब यहाँ से च्यवित नहीं होना है' ऐसा समझ लेता है ।

अप्पिया देवकामाणां, कामरूवविउव्विणो ।

उडुं कप्पेसु चिद्धंति, पुब्बा वाससया बहू ॥ १५ ॥

देव सम्बन्धित काम-सुखों को प्राप्त एव इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्तिवाले ये देव अनेक सैकड़ों पूर्व वर्षों तक ऊँचे स्वर्ग में रहते हैं ।

विवेचन—एक पूर्व = ७०५६०००००००००० सत्तर हजार पाँच सौ साठ अरब वर्ष ।

तत्थ ठिच्चां जहाठाणां, जक्खा आउक्खए चुया ।

उव्वेति माणुसं जोणिं, से दसंगेऽभिजायइ ॥ १६ ॥

वहाँ अपने-अपने स्थान रहे हुए ये देव आयुष्य का क्षय होने पर मनुष्ययोनि को प्राप्त करते हैं और उन्हे दस अगो की प्राप्ति होती है ।

खेतं वत्थुं हिरण्यं च, पसवो दास-पोरुसं ।

चत्तारि कामखंधाणि, तत्थ से उववज्जइ ॥ १७ ॥

उक्त स्वर्ग मे से च्यवित देव जहाँ क्षेत्र (खुली जगह—बाग-वगीचा आदि), वास्तु (मकान, महल आदि), हिरण्य (सोना, चाँदी, जवाहरात, आदि) और पशु तथा दास-दासी रूपी चार कामस्कन्ध अर्थात् सुखभोग की सामग्री हों, वहाँ जन्म धारण करते है ।

मित्तवं नाइवं होइ, उच्चागोत्ते य वण्णवं ।

अप्पायके महापन्ने, अभिजाय जसो बले ॥ १८ ॥

[ऊपर चार काम-स्कन्धरूपी एक अग का निर्देश किया गया है । शेष अन्य नौ अगो का वर्णन इस गाथा मे किया गया है]
(२) उसके अनेक सन्मित्र होते है, (३) उसके बहुत से कुटुम्बिजन होते है, (४) वह उत्तम गोत्र मे जन्म लेता है, (५) सौन्दर्यशाली होता है, (६) व्याधि-रहित होता है, (७) बुद्धि-सम्पन्न होता है, (८) विनयी होता है, (९) यशस्वी होता है और (१०) बलवान् भी होता है । इस प्रकार उसे दस अग की प्राप्ति होती है ।

भोच्चा माणुस्सए भोए, अप्पडिरूवे अहाउयं ।

पुविं विसुद्ध सद्धम्मे, केवलं बोहि बुज्झिया ॥१९॥

आयुष्य के अनुसार मनुष्य योनि के उत्तमोत्तम भोग भोगकर तथा पूर्वभव मे किये हुए शुद्ध धर्म के आचरण के फलस्वरूप वह सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है ।

चउरंगं दुल्लहं नच्चा, संजमं पडिवज्जिया ।

तवसा धुयकम्मसे, सिद्धे हवइ सासए ॥२०॥

[उक्त० अ० ३, गा० १-२०]

इन चार अङ्गों को दुर्लभ जानकर मनुष्य को संयम-मार्ग ग्रहण करना चाहिये । तप द्वारा कर्मों को दूर कर देनेवाला मनुष्य आश्वत सिद्ध होता है ।

धारा : ७ :

आत्म-जय

सरीरमाहु नावत्ति, जीवो बुच्चइ नाविओ ।

संसारो अण्णवो बुत्तो, जं तरन्ति महेसिणो ॥१॥

[उक्त० अ० २३, गा० ७३]

शरीर को 'नौका' कहा गया है, आत्मा को 'नाविक' कहा गया है और इस ससार को 'समुद्र' कहा गया है, जिसे महर्षिगण पार कर जाते हैं ।

अप्पा खलु सययं रक्खियच्चो,

सव्विन्दिण्हिं सुसमाहिण्हिं ।

अरक्खिओ जाइपहं उवेइ,

सुरक्खिओ सन्नदुहाण मुच्चइ ॥२॥

[दश० चूलिका २, गा० १६]

सर्व इन्द्रियो को बराबर समाधियुक्त कर आत्मा को पाप-प्रवृत्ति से निरन्तर बचाते रहना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार नहीं बचाई गई आत्मा जन्मो की परम्परा प्राप्त करती है, जबकि सुरक्षित आत्मा समस्त दुःखो से मुक्त होती है ।

जस्सेवमप्पा उ हवेज्ज निच्छिओ,

चइज्ज देहं न हु धम्मसासणं ।

तं तारिसं नो पइलन्ति इन्दिया,

उवंति वाया य सुदंसणं गिरिं ॥३॥

[दश० चूलिका १, गा० १७]

जिस तरह वायु का प्रचण्ड भ्रोक मेरुपर्वत को नहीं डिगा सकता, ठीक उसी तरह 'शरीर को भले ही छोड़ दूँ किन्तु धर्म-शासन को कदापि नहीं छोड़ूँगा' ऐसी दृढ निश्चयवाली आत्मा को इन्द्रियाँ कभी भी विचलित नहीं कर सकती ।

अप्पा चेव दमेयञ्चो, अप्पा हु खलु दुदमो ।

अप्पा दन्तो सुही होइ, अस्सिं लोए परत्थ य ॥४॥

[उक्त० अ० १, गा० १५]

आत्मा का ही दमन करना चाहिये । वस्तुतः आत्मा दुर्दम्य है । उसका दमन करनेवाला इस लोक और परलोक में सुखी होता है ।

विवेचन—यहाँ आत्मा से अपनी आन्तरिक वृत्तियाँ समझना ।

वरं मे अप्पा दन्तो, संयमेण तवेण य ।

माऽहं परेहि दम्मन्तो, बंधणेहि वहेहि य ॥५॥

[उक्त० अ० १ गा० १६]

दूसरे भव में कोई अन्य मेरी आत्मा को बन्धन में डाले और उसे मार-मार कर दमन करे उसकी अपेक्षा यहाँ मैं स्वयं ही अपनी आत्मा का समय और तप के द्वारा दमन करूँ, यही श्रेष्ठ है ।

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली ।

अप्पा कामदुहा धेणू, अप्पा मे नन्दणं वणं ॥६॥

[उक्त० अ० २०, गा० ३६]

मेरी आत्मा ही वीतरणी नदी है, मेरी आत्मा ही कूट गाल्मली वृक्ष है, मेरी आत्मा ही कामधेनु है और मेरी आत्मा ही नन्दन वन है ।

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुक्खाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्टिय-सुपट्टिओ ॥७॥

[उक्त० अ० २०, गा० ३७]

आत्मा स्वय ही दुःख तथा सुखो को उत्पन्न तथा नाश करने-वाली है । सन्मार्ग पर चलनेवाली सदाचारी आत्मा मित्ररूप है, जब कि कुमार्ग पर चलनेवाली दुराचारी आत्मा शत्रु ।

जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिए ।

एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥८॥

[उक्त० अ० ६, गा० ३४]

पुरुष दुर्जय संग्राम मे दस लाख शत्रुओ पर विजय प्राप्त करे उसकी अपेक्षा तो वह अपनी आत्मा पर ही विजय प्राप्त कर ले, यही श्रेष्ठ विजय है ।

अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण वज्झओ ।

अप्पाणमेव अप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ॥९॥

[उक्त० अ० ६, गा० ३५]

हे पुरुष ! तू आत्मा के साथ ही युद्ध कर । बाहरी शत्रुओं के साथ भला किस लिये लड़ता है ? आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जीतने में सच्चा सुख मिलता है ।

पंचिदियाणि कोहं, माणं मायं तहेव लोहं च ।

दुज्जयं चैव अप्पाणं, सच्चं अप्पे जिणं जियं ॥१०॥

[उक्त० अ० ६, गा० ३६]

पाँच इन्द्रियो, क्रोध, मान, माया और लोभादि की वृत्तियाँ दुर्जय हैं, ठीक वैसे ही आत्मा को जीतना बहुत कठिन है । जिसने आत्मा को जीत लिया उसने सबको जीत लिया ।

न तं अरी कंठछित्ता करेइ,

जं से करे अप्पणिया दुरप्पा ।

से नाहिई मच्चुमुहं तु पत्ते,

पच्छाणुत्तावेण दयाविहूणो ॥११॥

[उक्त० अ० २०, गा० ४८]

दुराचार में प्रवृत्त आत्मा हमारा जितना अनिष्ट करती है, उतना अनिष्ट तो गला काटने वाला कट्टर शत्रु भी नहीं करता । ऐसा निर्दयी मनुष्य मृत्यु के समय अवश्य अपने दुराचार को पहचानेगा और फिर पश्चात्ताप करेगा ।

जो पच्चइत्ताण महच्चयाइं,

सम्मं च नो फासयई पमाया ।

अनिग्रहप्या य रसेसु गिद्धे,

न मूलओ छिन्दइ बंधणं से ॥१२॥

[उक्त० अ० २०, गा० ३६]

जो साधक प्रव्रज्या ग्रहण करने के पश्चात् भी—प्रमादवश अङ्गीकृत महाव्रतों का उचित रूप से पालन नहीं करता और विविध रसों के प्रति लोभी बनकर अपनी आत्मा का निग्रह नहीं करता उसके बन्धन जड मूल से कभी नष्ट नहीं होते ।

से जाणं अजाणं या, कट्टु आहम्मियं पयं ।

संचरे खिप्पमप्पाणं, वीयं तं न समायरे ॥१३॥

[द० अ० ८, गा० ३१]

यदि विवेकी मनुष्य जाने-अनजाने में कोई अधर्म कृत्य कर बैठे तो उसे अपनी आत्मा को शीघ्र ही उस से दूर कर ले और फिर दूसरी बार वैसे कार्य नहीं करे ।

पुरिसा ! अत्ताणमेव अभिनिगिज्झ एवं दुक्खा पमो-
क्खसि ॥१४॥

[भा० अ० ३, उ० २, सू० ११६]

हे पुरुष ! तू अपनी आत्मा को ही वश में कर । ऐसा करने से तू सब दुःखों से मुक्त हो जायगा ।

धारा : ८ :

मोक्षमार्ग

नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तत्रो तथा ।

एयमग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छंति सोग्गइं ॥१॥

[उक्त० अ० २८, गा० ३]

ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप [ये मोक्षमार्ग हैं ।] इस मार्ग पर चलनेवाले जीव सुगति में जाते हैं ।

विवेचन—सभी मुमुक्षु मोक्षप्राप्ति की अभिरुचि रखते हैं, परन्तु मोक्ष की इस अवस्था पर पहुँचने का सच्चा विश्वास-पात्र मार्ग कौन-सा है ? यह जानना आवश्यक है । इसीलिये यहाँ स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की यथार्थ आराधना ही मोक्षप्राप्ति का सच्चा मार्ग है । इस मार्ग का अनुसरण करनेवाले अवश्य सुगति में अर्थात् मोक्ष में जाते हैं ।

नाणेण जाणई भावे, दंसणेण य सद्दे ।

चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झई ॥२॥

[उक्त० अ० २८, गा० ३५]

ज्ञान से पदार्थ जाने जा सकते हैं, दर्शन से उस पर श्रद्धा होती

है, चारित्र्य से कर्म का आस्रव रुकता है और तप से आत्मा की सम्पूर्ण शुद्धि होती है ।

तत्थ पंचविहं नाणं, सुयं आभिणिबोहियं ।

ओहिनाणं तु तइयं, मणनाणं च केवलं ॥३॥

[उक्त० अ० २८, गा० ४]

इनमें ज्ञान पाँच प्रकार का है :—(१) आभिनिबोधिक, (२) श्रुत, (३) अवधि, (४) मनःपर्यव और (५) केवल ।

विवेचन—मोक्ष के चतुर्विध साधनो मे ज्ञान का क्रम पहला है, अतः उसका वर्णन प्रथम किया गया है । जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान हो, वस्तु पहचान मे आवे, अथवा वस्तु समझी जाय, वह ज्ञान कहलाता है । इसके पाँच प्रकार है, आभिनिबोधिक आदि ।

पाँच इन्द्रियाँ तथा छठे मन के द्वारा जो अर्थाभिमुख निश्चयात्मक बोध होता है वह आभिनिबोधिक ज्ञान कहलाता है । इसी को मतिज्ञान भी कहते हैं । हम स्पर्श कर, चख कर, सूघ कर, देख कर तथा सुन कर जो ज्ञान प्राप्त करते है, वह मतिज्ञान है ।

इस ज्ञान की प्राप्ति चार भूमिकाओं में होती है । जिसमें से पहली भूमिका का नाम अवग्रह है, दूसरी का ईहा, तीसरी का अपाय और चौथी का धारणा ।

एक वस्तु का स्पर्श होने पर 'कुछ है' ऐसा जो ज्ञान अव्यक्तरूप में होता है वह अवग्रह कहलाता है । 'यह क्या होगा ?' ऐसा जो विचार पैदा होता है वह है ईहा । 'यह वस्तु वही है' ऐसा जो निर्णय होता है वह अपाय कहलाता है । तथा 'मुझे इस वस्तु का स्पर्श हुआ'

ऐसा जो स्मरण, वह धारणा कहलाती है। लकड़ी का स्पर्श होते ही 'लकड़ी का स्पर्श मुझे हुआ' ऐसा अनुभव होता है। किन्तु इतनी अवधि में तो उक्त चारों क्रियाएँ अत्यन्त शीघ्रता से हो जाती हैं। अज्ञात वस्तु का स्पर्श होने पर ये क्रियाएँ मन्दगति से होती हैं, तब उसका ज्ञान होता है, जबकि चिरपरिचित वस्तु में उपयोग अति शीघ्र रहता है, इसलिये उसका ज्ञान नहीं होता।

श्रुतज्ञान का सादा अर्थ है—सुनकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान। हम व्याख्यान सुनकर अथवा पुस्तक पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह यह दूसरे प्रकार का श्रुतज्ञान है।

प्रत्येक ससारी जीव में ये दोनों ज्ञान व्यक्त अथवा अव्यक्तरूप में अवश्य रहते हैं।

आत्मा को रूपी द्रव्यो का अमुक काल और अमुक क्षेत्र तक मर्यादित जो ज्ञान होता है वह है अवधिज्ञान। दूसरे के मन के पर्यायों—भावों का जो ज्ञान होता है वह है मनःपर्यव अथवा मनःपर्यवज्ञान है, और प्रत्येक वस्तु के सभी पर्यायों का सर्वकालीन जो ज्ञान होता है वह है केवलज्ञान।

अवधिज्ञान नारकीय और देव के जीवों को सहज में होता है अर्थात् वे जन्म लेते हैं तब से ही अवधिज्ञान से युक्त होते हैं, जबकि तिर्यच तथा मनुष्यों को यह ज्ञान विशिष्ट लब्धि से प्राप्त होता है। मनःपर्यव और केवलज्ञान केवल मनुष्य को ही प्राप्त होता है और उसके लिये विशिष्टावस्था की अपेक्षा रहती है।

अवधि, मनःपर्यव और केवल ये तीनों ज्ञान इन्द्रिय और मन

की सहायता के बिना आत्मा को सीधे ही प्राप्त होते हैं, अतः इनकी गणना प्रत्यक्ष-ज्ञान में की जाती है। इसकी अपेक्षा आभिनिबोधिक ज्ञान तथा श्रुतज्ञान परोक्ष है, जबकि व्यवहार की गणना इससे भिन्न है। व्यवहार में इन्द्रिय और मन के निमित्त से होनेवाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं और अनुमान, शब्द आदि से होनेवाले सीधे ज्ञान को परोक्ष कहते हैं। शास्त्रकारों ने संब्यवहारिक-प्रत्यक्ष और संब्यवहारिक-परोक्ष के रूप में इसकी सूचना दी है।

एयं पंचविहं नाणं, दच्चाण य गुणाण य ।

पञ्जवाणं य सच्चेसिं, नाणं नाणीहि देसियं ॥४॥

[उक्त० अ० २८, गा० ५]

सर्वद्रव्य, सर्वगुण और सर्वपर्यायो का स्वरूप जानने के लिये ज्ञानियो ने पाँच प्रकार का ज्ञान बतलाया है।

विवेचन—इस कथन का तात्पर्य यह है कि कोई भी ज्ञेय वस्तु इन पाँच ज्ञान की मर्यादाओं से बाहर नहीं है।

पाँच ज्ञानों का स्वरूप तथा उनकी प्रक्रिया नन्दिसूत्र तथा विशेषावश्यकभाष्य में विस्तारपूर्वक समझाई गई है। *

जीवाऽजीवा बंधो य, पुण्णं पावाऽसवो तहा ।

संवरो निज्जरा मोक्खो, संते ए तहिया नव ॥५॥

[उक्त० अ० २८, गा० १४]

* इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए सम्पादक द्वारा गुजराती माध्यम से लिखी गई 'ज्ञानोपासना' (धर्मबोध-ग्रन्थमाला की आठवीं पुस्तक) देखनी चाहिये।

(१) जीव, (२) अजीव, (३) बंध, (४) पुण्य, (५) पाप, (६) आश्रव, (७) सवर, (८) निर्जरा और (९) मोक्ष ये नव तत्त्व हैं ।

विवेचन—इस जगत् मे जो कुछ जानने योग्य है, उसे ज्ञेय तत्त्व कहते हैं ; जो कुछ छोड़ने योग्य है, उसे हेय तत्त्व कहते हैं, और जो कुछ आदरने योग्य है, उसे उपादेय तत्त्व कहते हैं ।

इन तीनों तत्त्वों के विस्तार के रूप मे ही नव तत्त्वों की योजना की गई है । ज्ञेय तत्त्व के दो प्रकार हैं :—जीव और अजीव । इन दोनों तत्त्वों का परिचय पहले दिया जा चुका है । हेय तत्त्व के तीन प्रकार हैं :—आश्रव, बन्ध और पाप । जिससे कर्म आत्मप्रदेश की ओर खिंचा जाता है, वह आश्रव, जिससे कर्म आत्मप्रदेश के साथ ओत-प्रोत हो जायँ, वह बन्ध, और जिससे आत्मा को अशुभ फल भोगना पड़े वह पाप । उपादेय तत्त्व के चार प्रकार हैं :—सवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य । आश्रव को रोकनेवाली क्रिया सवर कहलाती है, आत्म-प्रदेशों के साथ ओतप्रोत बने हुए कर्मों का अल्प अथवा अधिक अंश मे पृथक् हो जाना उसे निर्जरा कहते हैं, सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने को मोक्ष कहते हैं तथा शुभफल देनेवाला कर्म पुण्य कहलाता है । इनमे पुण्य कथञ्चित् उपादेय है, क्योंकि उससे सत्साधनों की प्राप्ति होती है, किन्तु मोक्ष मे जाने के लिये उसका भी क्षय होना आवश्यक है ।

नवतत्त्व-प्रकरण तथा सटीक कर्मग्रन्थों मे नवतत्त्वों के सम्बन्ध मे उपयोगी जानकारी दी गई है ।*

ॐ सम्पादक ने 'जैन-धर्मदर्शन' नामक अपने बृहद् ग्रंथ में इस विषय पर वैज्ञानिक तुलना के साथ विस्तृत विवेचन किया है ।

तहियाणं तु भावाणं, सवभावे उवएसेणं ।

भावेण सद्दहंतस्स, सम्मत्तं तं वियाहियं ॥६॥

[उक्त० अ० २८, गा० १५]

स्वभाववग अथवा उपदेश के कारण इन तत्त्वों के यथार्थस्वरूप में भावपूर्वक श्रद्धा रखना, उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

विवेचन—सम्यग्दर्शन का अर्थ है तत्त्वों के यथार्थस्वरूप की भावपूर्वक श्रद्धा । वह स्वभाव से अर्थात् नैसर्गिक रीति से और उपदेश से अर्थात् गुरुजनो के व्याख्यानादि श्रवण करने से यो दो प्रकार से होती है । श्री उमास्वातिवाचक ने तत्त्वार्थधिगमसूत्र के प्रथम अध्याय में— 'तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्' और 'तन्निर्गदिधिगमाद् वा' इन दो सूत्रों द्वारा उसकी स्पष्टता की है ।

परमत्थसंथवो वा, सुदिट्ठपरमत्थसेवणा वा ।

वावन्नकुदंसणवज्जणा य, सम्मत्तसद्दहणा ॥७॥

[उक्त० अ० २८, गा० २८]

परमार्थसंस्तव, परमार्थज्ञातृसेवन, व्यापन्नदर्शनी का त्याग और कुदर्शनी का त्याग, ये सम्यग् दर्शन से सम्बन्धित श्रद्धा के चार अंग हैं ।

विवेचन—परमार्थसंस्तव का अर्थ है तत्त्व की विचारणा, तत्त्व सम्बन्धी परिशीलन । परमार्थज्ञातृसेवन का अर्थ है तत्त्व को जानने-वाले गीतार्थ गुरुजनों के चरणों की सेवा । व्यापन्नदर्शनी का अर्थ है जो एक बार सम्यक्त्व से युक्त हो, किन्तु किसी कारणवश उससे

भ्रष्ट हो गया हो । कुदर्शनी का अर्थ है मिथ्यादर्शन, की मान्यता रखनेवाला । इन चार अंगों में से आरम्भ के दो अंग श्रद्धा को पुष्ट करनेवाले हैं जबकि शेष दो अंग श्रद्धा का संरक्षण करनेवाले हैं ।

नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विना न हुंति चरणगुणा ।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वाणं ॥८॥

[उक्त० अ० २८, गा० ३०]

सम्यग् दर्शन के बिना सम्यग् ज्ञान नहीं होता, सम्यग् ज्ञान के बिना सम्यक् चरित्र के गुण नहीं आते, सम्यक् चरित्र के गुणों के बिना सर्व कर्मों से छुटकारा नहीं होता, और सर्व कर्मों से छुटकारा पाये बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती ।

विवेचन—ज्ञान से पदार्थों को जाना जा सकता है और दर्शन से उसपर श्रद्धा होती है, इसलिये 'नाण दसण चेव' यह क्रम दिखलाया है । परन्तु जीव मात्र का मोक्षमार्ग की ओर सच्चा प्रस्थान तो सम्यग् दर्शन की—सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के पश्चात् ही होता है ; यह वस्तु यहाँ स्पष्ट की गई है । जिसे सम्यग् दर्शन प्राप्त हो, उसे ही सम्यग् ज्ञान होता है । इसका अर्थ यह है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति में पूर्व जीव को जो कुछ ज्ञान रहता है, वह वास्तव में अज्ञान ही है, क्योंकि मोक्षप्राप्ति में वह उपकारक सिद्ध नहीं होता । सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के पश्चात् यही ज्ञान सम्यग् बन जाता है ।

जिसको सम्यग् ज्ञान हुआ हो उसको ही सम्यक्चरित्र की प्राप्ति होती है । इसका तात्पर्य यह समझना चाहिये कि मनुष्य चाहे जितने ऊंचे चरित्र का पालन करता हो, किन्तु वह सम्यग् ज्ञान में

रहित हो तो उसका चारित्र सम्यक् नहीं कहलाता और इसी कारण उसके द्वारा उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

यहाँ तप का समावेश सम्यक् चारित्र में ही किया गया है, अतः उसकी पृथक् गणना नहीं की गई ।

सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र—इन तीन साधनो को रत्नत्रयी कहते हैं । श्री उमास्वातिवाचक ने तत्त्वार्थाधिगमसूत्र के प्रारम्भ में मोक्षमार्ग के साधनरूप में इस रत्नत्रयी का ही उल्लेख किया है ।

उपर्युक्त तीन साधनो का संक्षेप ज्ञान और क्रिया इन—दो साधनो में किया जाता है ; वहाँ दर्शन का समावेश ज्ञान में किया जाता है, और चारित्र के स्थान पर क्रिया शब्द बोला जाता है । 'नागकिरियाहिं मोक्खो,' ये वचन उसके लिये प्रमाणभूत हैं । तात्पर्य यह कि यहाँ मोक्षमार्ग के चतुर्विध साधनो का वर्णन किया गया है, किन्तु ये साधन चार ही होते हैं, इनसे न्यूनाधिक नहीं हो सकते, ऐसा एकान्तिक आग्रह नहीं है । अपेक्षाभेद से इन साधनो की संख्या न्यूनाधिक हो सकती है ।

सामाइय त्थ पढमं, छेओवट्ठावणं भवे वीयं ।

परिहारविसुद्धीयं, सुहुमं तह संपरायं च ॥६॥

अकसायमहक्खायं, छउमत्थस्स जिणस्स वा ।

एयं चयरित्तकरं, चारित्तं होइ आहियं ॥१०॥

पहला सामयिक नाम का चारित्र्य है, दूसरा छेदोपस्थापनीय नामक चारित्र्य है, तीसरा परिहारविशुद्धि नामक चारित्र्य है और चौथा सूक्ष्मसपराय नामवाला चारित्र्य है ।

कषाय से रहित चारित्र्य यथाख्यात कहलाता है । वह छद्मस्थ और केवली को होता है । भगवान् ने कहा है कि ये पाँचो चारित्र्य कर्मों का नाश करनेवाले हैं ।

विवेचन—आत्मा को शुद्ध दशा में स्थिर करने का प्रयत्न चारित्र्य है । इसीको सवर, सयम, त्याग अथवा प्रत्याख्यान भी कहा जाता है । परिणामशुद्धि के तरतमभाव की अपेक्षा से चारित्र्य के पाँच प्रकार किये गये हैं । छद्म अर्थात् परदा । अब तक जिसके ज्ञान पर परदा है, वह है छद्मस्थ । केवलज्ञान होने से पूर्व सभी आत्माएँ इस अवस्था में रहती हैं ।

मन, वचन और काया से पापकर्म नहीं करना, नहीं कराना तथा करते हुए को अनुमति नहीं देना, ऐसे सकल्पपूर्वक जो चारित्र्य ग्रहण किया जाता है, उसे सामायिक-चारित्र्य कहते हैं । यह चारित्र्य व्रतधारी गृहस्थों में अल्पांश तथा साधुओं में सर्वांश मात्रा में होता है ।

नये शिष्य को दशवैकालिक-सूत्र का पञ्जीवनिका नामक चौथा अव्ययन पढ़ाने के बाद जो बड़ी दीक्षा दी जाती है, उसे छेदोपस्थापनीय चारित्र्य कहते हैं अथवा एक तीर्थङ्कर के साधु को अन्य तीर्थङ्कर के शासन में प्रवेश करने के लिये नया चारित्र्य ग्रहण करना पड़ता है, उसे भी छेदोपस्थापनीय चारित्र्य कहते हैं । श्री पाण्डनाथ भगवान् के चातुर्याम व्रतवाले साधुओं ने पाँच महाव्रतवाला श्रीमहावीर

स्वामी का मार्ग स्वीकृत किया, तब नये सिरे से चारित्र ग्रहण किया था, वह इस प्रकार का था। सामायिक-चारित्र के पर्याय का छेदन कर उपस्थापित किया जाता है इसलिये इसे छेदोपस्थापनीय कहते हैं। इसमें प्रवेश करने के बाद पूर्वविस्था के मुनियो के साथ व्यवहार में आ सकते हैं।

विशिष्ट प्रकार की तपश्चर्या से आत्मा की शुद्धि करना, परिहार विशुद्धि नामक तीसरा चारित्र है।

क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायो को सम्पराय कहते हैं। वह सूक्ष्म हो जाय अर्थात् उपशम या क्षय को प्राप्त हो जाय, तब सूक्ष्म-सम्पराय चारित्र की प्राप्ति मानी जाती है। इस चारित्र में सूक्ष्म लोभ का अश गेष रहता है।

जब सूक्ष्म लोभ भी चला जाय और इस प्रकार सम्पूर्ण कषाय रहित अवस्था प्राप्त हो, तब यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति मानी जाती है। इस चारित्र को वीतराग चारित्र भी कहते हैं, क्योंकि उस समय आत्मा राग और द्वेष दोनो से ऊपर उठ सम्पूर्ण माध्यस्थभाव को प्राप्त होती है।

छद्मस्थ आत्मा उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त करती हुई इस अवस्था तक पहुँचती है और केवलज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् भी इस चारित्र में स्थिर रहती है।

ये सब चारित्र उत्तरोत्तर शुद्ध हैं और कर्म का क्षय करने में परम उपकारक हैं।

तवो य दुविहो वुत्तो, वाहिरव्भन्तरो तहा ।
वाहिरो छ्विहो वुत्तो, एवमव्भन्तरो तवो ॥११॥

[उक्त० अ० २८ गा० ३४]

तप दो प्रकार का बतलाया गया है । बाह्य और आभ्यन्तर ।
बाह्य तप छह प्रकार का वर्णित है और आभ्यन्तर तप भी इतने ही
प्रकार का ।

विवेचन—जो शरीर के सातों घातुओ तथा मन को तपाये, वह
तप कहलाता है । कर्म की निर्जरा करने के लिये यह उत्तम साधन
है । तप दो प्रकार का है :—बाह्य और आभ्यन्तर । इन में बाह्य-
तप शरीर की शुद्धि में विशेष उपकारक है और आभ्यन्तर
तप मानसिक शुद्धि में । इन दोनों तपों के अलग-अलग छह
प्रकार हैं ।

अणसणमूणोरिया, भिक्खायरिया य रसपरिच्चाओ ।
कायक्लेशो संलीणया, य वज्झो तवो होई ॥ १२ ॥

[उक्त० अ० ३०, गा० ८]

बाह्यतप के छह प्रकार हैं—(१) अनशन, (२) ऊनोदरिका, (३)
मिक्षाचरो, (४) रसपरित्याग, (५) कायक्लेश तथा (६) सलीनता ।

विवेचन—भोजन का अमुक समय के लिये अथवा पूर्ण समय
के लिये परित्याग करना अनशन कहलाता है । एकागन, आयविल,
उपवास—ये सब इसी तप के प्रकार हैं । क्षुधा से कुछ कम भोजन
करने की क्रिया को ऊनोदरिका कहते हैं । शुद्ध भिक्षा पर निर्वाह

लोक-समूह का त्याग करके एकाग्रभाव से विचरण करना तथा काया के ममत्व को छोड़कर आत्मभाव में रहना व्युत्सर्ग है । *

खवित्ता पुत्रकम्माइं, संजमेण तवेण य ।

सच्चदुःखप्पहीणट्ठा, पक्कमंति महेसिणो ॥१४॥

[उक्त० अ० २८, गा० ३६]

जो महर्षि है, वे सयम और तप से पूर्व कर्मों का क्षय कर समस्त दुःखों से रहित ऐसे मोक्षपद की ओर शीघ्र गमन करते हैं ।

सद्धं नगरं किच्चा, तवसंवरमग्गलं ।

खन्ति निउणपागारं, तिगुत्तं दुप्पधंसगं ॥१५॥

धणुं परकमं किच्चा, जीवं च ईरियं सया ।

धिइ च केयणं किच्चा, सच्चेण पलिमन्थए ॥१६॥

तवनारायजुत्तेण, भित्तूणं कम्मकंचुयं ।

मुणी विगयसंगामो, भवाओ परिमुच्चए ॥१७॥

[उक्त० अ० ६, गा० २०-२१-२२]

तपोरत्नमहोदधि ग्रन्थ में अनेक प्रकार के तपों का वर्णन किया गया है और सम्पादक ने 'तप-विचार', 'तपनां तेज, (धर्मबोध-ग्रन्थमाला : पु० १२) और 'तपनी महत्ता' (जैन शिक्षावली प्रथम श्रेणी : पु० ८) तथा 'आयविल-रहस्य' (जैन शिक्षावली द्वितीय श्रेणी : पु० ६) नामक गुजराती पुस्तकों में तप के सम्बन्ध में विविध दृष्टियों से विचार किया है ।

श्रद्धारूपी नगर, क्षमारूपी दुर्ग और तप-सयमरूपी अगला बनाकर त्रिगुप्तिरूप शत्रु द्वारा कर्मशत्रुओ से अपनी रक्षा करनी चाहिये ।

पुनः पराक्रमरूपी धनुष की ईर्यासिमिति रूप डोरी बनाकर धैर्य-रूपी केतन से सत्य द्वारा उसे बाँधना चाहिये ।

उस धनुष पर तपरूपी बाण चढाकर कर्मरूपी कवच का भेदन करना चाहिये । इस प्रकार से सग्राम का सदा के लिये अन्त कर मुनि भवभ्रमण से मुक्त हो जाता है ।

विवेचन—इस वर्णन का तात्पर्य यह है कि मोक्षमार्ग के पथिक को नीचे लिखे गुण प्राप्त करने चाहिये ।

१ : श्रद्धा—आत्मश्रद्धा, देव-गुरु-धर्म के प्रति श्रद्धा, नव तत्त्वों पर श्रद्धा ।

२ : क्षमा—क्रोध पर विजय । यहाँ मान, माया और लोभ पर विजय का निर्देश नहीं किया गया है पर वह समझ लेना चाहिये । इस प्रकार आर्जव, सरलता और निर्लोभता भी अर्जित करनी चाहिये ।

३ : तप—अनेकविध तप ।

४ : सयम—पाँच इन्द्रियों पर नियन्त्रण ।

५ : त्रिगुप्ति—गुप्ति अर्थात् अप्रशस्त प्रवृत्ति का निग्रह । इसके तीन प्रकार हैं—(१) मनगुप्ति, (२) वचनगुप्ति और (३) कायगुप्ति । सयम मार्ग मे आगे बढ़ने के लिये ये तीनों गुप्तियाँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण साधन है ।

६ : पराक्रम—विघ्नो की परवाह किये बिना ध्येय की ओर अग्रसर होने का दृढ पुरुषार्थ ।

७ : इर्यासमिति—समिति अर्थात् सम्यक् प्रवृत्ति । इसके पाँच प्रकार हैं :—(१) ईर्या-समिति, (२) भाषा-समिति, (३) एषणा-समिति, (४) आदान-निक्षेप-समिति और (५) पारिष्ठा-पनिका-समिति । इन पाँचों समितियों का पालन सयमसाधना में अत्यन्त उपकारक सिद्ध होता है । तीन गुप्तियों और पाँच समितियों को अष्टप्रवचन-माता कहा जाता है । इसका वर्णन इस ग्रन्थ की अठारहवीं धारा में किया गया है ।

८ : धैर्य—चित्तस्वास्थ्य । जिस साधक का चित्त स्वस्थ नहीं है, वह मोक्षमार्ग की साधना में आगे प्रगति नहीं कर सकता । चाहे कष्टों के पहाड़ ही न टूट जाय तो भी उसे सहन करने की तैयारी रखनी चाहिये ।

९ : सत्य—सत्य की उपासना, सत्य के प्रति आग्रह ।

१० : तप—यहाँ तप शब्द से इच्छानिरोधरूपी तप समझना चाहिये ।

११ : कर्मरूपी कवच का भेदन—समस्त कर्मों का क्षय ।

तस्सेस मग्गो गुरु-विद्धसेवा,

विवज्जणा वालजणस्स दूरा ।

सज्झायएगंतनिसेवणा य,

सूत्तत्थसंचितणया धिई य ॥१८॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३]

गुरु और वृद्ध सन्तों की सेवा, अज्ञानी जीवों की सगति का दूर से ही त्याग, स्वाध्याय, स्त्री-नपुंसकादि रहित एकान्तस्थल का सेवन

सूत्रार्थ का उत्तम प्रकार से चिन्तन तथा धैर्य, ये एकान्तिक सुखरूप मोक्षप्राप्ति के मार्ग है ।

विवेचन—मोक्षमार्ग के पथिक में कुछ और भी गुण होने चाहिये, जो यहाँ दिखाये गये हैं :—

१ : गुरु की सेवा—ज्ञान दे वे गुरु । उनके प्रति विनय रखने से, उनकी सेवा करने से शास्त्रों का रहस्य समझ में आता है और मोक्ष की साधना में शीघ्र आगे बढ़ सकता है ।

२ : वृद्ध सन्तों की सेवा—यह भी गुरुसेवा के समान ही उपकारक है ।

३ : अज्ञानियों की सगति का त्याग—जो बालभाव में क्रीड़ा कर रहे हैं, उन्हें अज्ञानी समझना चाहिये । उनकी सगति करने से मोक्षसाधना का उत्साह शिथिल हो जाता है, अथवा उससे भ्रष्ट होने का प्रसंग भी आ जाता है । इसलिये उनकी सगति का परित्याग करना चाहिये । सगति करना हो तो परमार्थ जाननेवाले ज्ञानियों की ही करनी चाहिए ताकि कल्याण की प्राप्ति हो ।

४ : स्वाध्याय—आप्तप्रणीत शास्त्रों का अभ्यास ।

५ : एकान्त-निषेवण—एकान्त में रहना ।

६ : सूत्रार्थ का उत्तम प्रकार से चिन्तन—सूत्र और अर्थ दोनों का अच्छी तरह चिन्तन-मनन करने पर मन का विक्षेप टल जाता है और मोक्षसाधना के उत्साह में वृद्धि होती है ।

७ : धैर्य—चित्त की स्वस्थता ।

धारा : ६ :

साधना-क्रम

सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावगं ।

उभयं पि जाणइ सोच्चा, जं छेयं तं समायरे ॥१॥

[दश० अ० ४, गा० ११]

साधक सद्गुरु का उपदेश श्रवण करने से कल्याण का—आत्म-हित का मार्ग जान सकता है, ठीक वैसे ही सद्गुरु का उपदेश श्रवण करने से पाप का—अहित का मार्ग भी जान सकता है। जब इस प्रकार वह हित और अहित दोनों का मार्ग जान ले, तभी जो मार्ग हितकर हो उसका आचरण करे।

जो जीवे वि न जाणेइ, अजीवे वि न जाणइ ।

जीवाऽजीवे अयाणंतो, कहां सो नाहीइ सजमं ॥२॥

[दश० अ० ४, गा० १२]

जो जीवों को नहीं जानता है, वह अजीवों को भी नहीं जानता है। इस प्रकार जीव और अजीव दोनों को भी नहीं जाननेवाला भला समय को किस प्रकार जानेगा ?

विवेचन—साधक को सर्व-प्रथम जीवों का आत्मतत्त्व—का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये, अर्थात् उसके लक्षणादि से परिचित होना

चाहिये । जिसने इस तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसको अजीव का ज्ञान भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच का भेद उसकी समझ में नहीं आता । इस तरह जो जीवों और अजीवों, दोनों के स्वरूप से अज्ञात है, वह समय का स्वरूप भी नहीं जान सकता, क्योंकि समयपालन का जीवदया के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

जो जीवे वि वियाणइ, अजीवे वि वियाणइ ।

जीवाजीवे वियाणंतो, सो हु नाहीइ संजमं ॥३॥

[दश० अ० ४, गा० १३]

जो जीवोंको अच्छी तरह जानता है, वह अजीवों को भी अच्छी तरह जानता है । इसी प्रकार जीव और अजीव दोनों को सर्वोत्तम रूप में जाननेवाला समय को भी अच्छी तरह जान लेता है ।

जया जीवमजीवे य, दो वि एए वियाणइ ।

तया गइं बहुविहं, सव्वजीवाण जाणइ ॥४॥

[दश० अ० ४, गा० १४]

जब कोई साधक जीवों और अजीवों को उत्तम रीति से जानता है, तब वह सभी जीवों की बहुविध गति को भली-भाँति पहचानता है ।

विवेचन—यहाँ गति शब्द का अर्थ एक भव से दूसरे भव में जाने की क्रिया समझनी चाहिये । यह गति नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव इस तरह चार प्रकार की है । ससारी जीव को इन चार गतियों में से एक गति में अवश्य उत्पन्न होना पड़ता है, क्योंकि उसने इस

प्रकार का कर्मबन्धन किया है, ओर कर्म के फल भोगे बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती ।

जया गइं बहुविहं, सच्चजीवाण जाणइ ।

तया पुण्णं च पावं च, वंधं मोक्खं च जाणइ ॥५॥

[दश० अ० ४, गा० १५]

जब साधक सर्वजीवों की अनेकविध गतियों को जानता है, तब पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को जानता है ।

विवेचन—जब साधक जीवकी अनेकविध गति का कारण सोचता है तब उसके सामने पुण्य-पाप का सिद्धान्त आ जाता है । जैसे कि पुण्य करनेवालों की सद्गति होती है और पाप करनेवालों की दुर्गति । पीछे अधिक विचार करने पर पुण्य और पाप एक प्रकार का कर्मबन्धन है, यह बात उनके समझने में आती है, और जहाँ कर्मबन्धन है, वहाँ उसमें से छूटने की कोई प्रक्रिया भी अवश्य होनी चाहिये, ऐसा अनुमान होते ही मोक्ष का निर्णय हो जाता है ।

जया पुण्णं च पावं च, वंधं मोक्खं च जाणइ ।

तया निर्व्विदए भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे ॥६॥

[दश० अ० ४, गा० १६]

जब साधक पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष का स्वरूप अच्छी तरह जान लेता है, तब उसके मन में स्वर्गीय तथा मानुषिक दोनों प्रकार के भोग सारहीन हैं, यह बात उसके ध्यान में आ जाती है और उसके प्रति निर्वेद—वैराग्य उत्पन्न होता है ।

जया निर्विदए भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे ।

तया चयइ संजोगं, सन्भितर-वाहिरं ॥७॥

[दश० अ० ४, गा० १७]

जब साधक के मन में स्वर्गीय तथा मानुषिक भोगो के प्रति निर्वेद — वैराग्य उत्पन्न होता है, तब आभ्यन्तर और बाह्य संयोगो को वह छोड़ देता है ।

विवेचन :—यहाँ आभ्यन्तर संयोग से कषाय और बाह्य संयोग से घन, धान्यादि का परिग्रह तथा कुटुम्बिजनो का सम्बन्ध ऐसा अर्थ लेना चाहिये । तात्पर्य यह है कि साधक में जब स्वर्गीय अथवा मानुषिक भोग की इच्छा नहीं रहती, तब कषाय करने का कोई कारण नहीं रहता और घन-धान्यादि तथा कुटुम्बिजनो के प्रति रहे ममत्व में अपने आप ही कमी आ जाती है ।

जया चयइ संजोगं सन्भितर-वाहिरं ।

तया मुण्डे भवित्ताणं, पच्चयइ अणगारियं ॥८॥

[दश० अ० ४, गा० १८]

जब साधक आभ्यन्तर और बाह्य संयोगो को छोड़ देता है, तब सिर मुँडवाकर अणगार धर्म में प्रव्रजित होता है ।

विवेचन :—अणगार धर्म अर्थात् श्रमण-धर्म, साधु-धर्म । प्रव्रजित होना अर्थात् दीक्षित होना । निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय में साधु-धर्म की दीक्षा ग्रहण करते समय सिर मुँडवाना अत्यावश्यक होता है । बौद्ध-श्रमण भी दीक्षा ग्रहण करते समय सिर का मुण्डन कराते हैं ।

जिसने सिर मुँडवाया उसने शरीर सम्बन्धी सारी शोभा, सारे ममत्व का परित्याग कर दिया ऐसा समझा जाता है ।

जया मुण्डे भवित्ताणं, पन्वयइए अणगारियं ।

तया संवरमुक्किट्ठं, धम्मं फासे अणुत्तरं ॥६॥

[दश० अ० ४, गा० १६]

जब साधक मस्तक का मुण्डन करवा कर अणगार धर्म में प्रव्रजित होता है, तब उत्कृष्ट सयमरूपी धर्म का सर्वोत्तम ढग से आचरण कर सकता है ।

जया संवरमुक्किट्ठं, धम्मं फासे अणुत्तरं ।

तया धुणइ कम्मरयं, अवोहिकलुसं कडं ॥१०॥

[दश० अ० ४, गा० २०]

जब साधक उत्कृष्ट सयमरूपी धर्म का सर्वोत्तम रूप से आचरण करता है, तब मिथ्यात्वजनित कलुषित भावों से उत्पन्न कर्मरज को दूर कर देता है ।

जया धुणइ कम्मरयं, अवोहिकलुसं कडं ।

तया सवत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ॥११॥

[दश० अ० ४, गा० २१]

जब साधक मिथ्यात्वजनित कलुषित भावों से उत्पन्न कर्मरज को दूर कर देता है, तब सर्वव्यापी ज्ञान (केवलज्ञान) और सर्वव्यापी र्गन (केवलदर्शन) को प्राप्त कर सकता है ।

जया सवत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ।

तया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥१२॥

[दश० अ० ४, गा० २२]

जब साधक सर्वव्यापी ज्ञान और सर्वव्यापी दर्शन को प्राप्त करता है, तब वह लोक और अलोक को जान लेता है तथा जिन एवं केवली बनता है ।

जया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ।

तया जोगे निरुंभित्ता, सेलेसिं पडिवज्जइ ॥१३॥

[दश० अ० ४, गा० २३]

जब साधक लोक और अलोक का ज्ञाता जिन तथा केवली बनता है, तब अन्तिम समय में मन, वचन और काया की समस्त प्रवृत्तियों को रोककर शैलेशी अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात् पर्वत जैसी स्थिर-अकम्प दशा को प्राप्त होता है ।

जया जोगे निरुंभित्ता, सेलेसिं पडिवज्जइ ।

तया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ॥१४॥

[दश० अ० ४, गा० २४]

जब साधक मन, वचन और काया की समस्त प्रवृत्तियों को रोक कर शैलेशी अवस्था को प्राप्त करता है, तब सम्पूर्ण कर्मों को क्षीण कर शुद्ध रूप धारण कर सिद्धि को पाता है ।

जया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ।

तया लोगमत्थयत्थो, सिद्धो हवइ सासओ ॥१५॥

[दश० अ० ४, गा० २५]

जब वह समस्त कर्मों को क्षीण कर शुद्ध बना हुआ सिद्धि को पाता है, तब लोक के मस्तक पर रहनेवाला ऐसा गाश्वत सिद्ध बन जाता है ।

सुहसायगस्स समणस्स, सायाउलगस्स निगामसाइस्स ।

उच्छोलणापहोयस्स, दुल्लहा सुगई तारिसगस्स ॥१६॥

[दश० अ० ४, गा० २६]

जो श्रमण बाह्य-सुख का अभिलाषी है, और सुख कैसे प्राप्त हो ? इसी उधेड़-बुन में निरन्तर व्याकुल रहता है, सूत्रार्थ की बेला टल जाने के पश्चात् भी दीर्घकाल तक सोया रहता है, जो अपना शारीरिक सौन्दर्य बढ़ाने के हेतु सदा हाथ-पैर आदि घोता रहता है, ऐसे श्रमण को मोक्ष की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है ।

तवोगुणपहाणस्स, उज्जुमइ खंतिसंजमरयस्स ।

परीसहे जिणन्तस्स, सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥१७॥

[दश० अ० ४, गा० २७]

जो श्रमण तपोगुण में प्रवान है अर्थात् घोर तप करता है, जो प्रकृति से सरल है, क्षमा और सयम में सदा अनुरक्त रहता है, तथा परोपहो को जीतता है, उसके लिये मोक्षप्राप्ति सुलभ है ।

विवेचन—शुद्ध चरित्र का पालन करते समय जो कष्ट, आपत्तियाँ और कठिनाइयाँ आती हैं उनको समतापूर्वक सहन कर लेने को ही परीषह-जय कहते हैं । इसके निम्नलिखित वाईस प्रकार हैं :—

साधना-क्रम]

- १ : क्षुधापरीषह—भूख से उत्पन्न वेदना सहन करना ।
- २ : तृषापरीषह—तृषा से उत्पन्न वेदना सहन करना ।
- ३ : शीतपरीषह—ठण्ड से होनेवाली वेदना सहन करना ।
- ४ : उष्णपरीषह—ताप से उत्पन्न वेदना सहन करना ।
- ५ : दंश-मशकपरीषह—मच्छरो के काटने से उत्पन्न वेदना सहन करना ।
- ६ : अचेलकपरीषह—वस्त्र रहित अथवा फटे हुए वस्त्रवाली स्थिति से दुःखी नहीं होना ।
- ७ : अरतिपरीषह—चरित्र पालन करते हुए मन में ग्लानि न होने देना ।
- ८ : स्त्रीपरीषह—स्त्रियों के अग-प्रदर्शन से मन को विचलित न होने देना ।
- ९ : चर्यापरीषह—किसी एक गाँव अथवा स्थान के प्रति ममत्व न रखते हुए राष्ट्र में विचरण करते रहना और इस प्रकार के विहार-परिभ्रमण में जो कष्ट आए, उसे शान्तिपूर्वक सहन करना ।
- १० : निषद्यापरीषह—स्त्री, पशु, और नपुंसकरहित स्थान में रह कर एकान्त सेवन करना ।
- ११ : शय्यापरीषह—शयन का स्थान अथवा नयन के लिये पट्टिया आदि जो भी मिले उसके लिए दुःखी न होना ।
- १२ : आक्रोशपरीषह—कोई मनुष्य आक्रोश-क्रोध करे, तिरस्कार करे, अपमान करे उसे शान्ति से सह लेना ।

- १३ : वदपरीषह—कोई मारपीट करे तो भी शान्ति से सह लेना ।
- १४ : याचनापरीषह—साधु को प्रत्येक वस्तु मांग कर ही प्राप्त करना चाहिये, अतः मन में ग्लानि नहीं लाना ।
- १५ : अलाभपरीषह—भिक्षा मांगने पर भी कोई वस्तु न मिले तो, उसके लिये सन्ताप न करना ।
- १६ : रोगपरीषह—चाहे जैसा रोग अथवा व्याधि उत्पन्न क्यों न हुई हो किन्तु चीखना-चिल्लाना अथवा रोना-पीटना नहीं । साथ ही तत्सम्बन्धी सभी वेदनाएँ शान्ति-पूर्वक सहना ।
- १७ : तृणस्पर्शपरीषह—बैठते-उठते तथा सोते समय दर्मादि तृणों के कठोर स्पर्श को शान्ति-पूर्वक सह लेना ।
- १८ : मलपरीषह—पसीना तथा विहार आदि के कारण शरीर पर मैल जम जाने पर भी स्नान की इच्छा नहीं करना ।
- १९ : सत्कारपरीषह—कोई कैसा भी सत्कार क्यों न करे उसने अभिमान न करते हुए मन को वश में रखना और यह सत्कार मेरा नहीं अपितु चरित्र का हो रहा है, ऐसा मानना ।
- २० : प्रज्ञापरीषह—दुष्टि अथवा ज्ञान का अभिमान नहीं करना ।
- २१ : अज्ञानपरीषह—अत्यधिक परिश्रम करने पर भी सूत्रनिदान्त का चाहिये जितना बोध न हो तो उससे निराश न होना ।
- २२ : सम्यक्त्वपरीषह—किसी भी स्थिति में सम्यक्त्व को डाबाडोल न होने देना तथा उसका संरक्षण करना ।

धारा : १० :

धर्माचरण

जरामरणवेगेणं, बुज्झमाणाण पाणिणं ।

धम्मो दीवो पड्डा य, गई सरणमुत्तमं ॥१॥

[उक्त० अ० २३, गा० ६८]

जरा और मरण के प्रचंड भ्रमावात में जीवों की रक्षा के लिये धर्म एक द्वीप (बेट) है, आधार है और उत्तम शरण है ।

विवेचन—जहाँ जन्म है वहाँ जरा और मरण अवश्य है । जरा और मरण का वेग इतना तो प्रचण्ड है कि रोकने से रुक नहीं सकता, अर्थात् उसके प्रचंड प्रवाह में प्राणी मात्र को बहना ही पड़ता है और अनेक प्रकार के दुःखों का अनुभव भी करना पड़ता है । ऐसी अवस्था में धर्म ही एक अद्वितीय सहायक बनता है, इसके आधार पर ही जीव मात्र अचल-अटल रह सकते हैं, और उनकी उत्तम रीति से रक्षा होती है । अन्य शब्दों में कहे तो जिसने धर्म का आचरण नहीं किया उसको वृद्धावस्था में बहुत दुःख उठाना पड़ता है और उसकी मृत्यु बिगड़ जाती है ।

मरिहिसि रायं जया तथा वा,
मणोरसे कामगुणे विहाय ।

एको हु धम्मो नरदेव ताणं,
न विज्झई अन्नमिहेह किंचि ॥ २ ॥

[उक्त० अ० १४, गा० ४०]

हे राजन् ! इन मनोहर एव कमनीय ऐसे कामभोगों को छोड़कर एक दिन तुझे मरना ही है । उस समय हे नरदेव ! एकमात्र धर्म ही तेरा गरणावलम्बन सिद्ध होगा । धर्म के अतिरिक्त इस ससार में ऐसी कोई वस्तु विद्यमान नहीं कि जो तेरे उपयोग में आए ।

विवेचन — यहाँ राजा को सम्बोधित किया है, किन्तु बात सब के लिये समान रूप से उपयोगी है ।

जरा जाव न पीडिइ, वाही जाव न वडुई ।
जाविदिंया न हायंति, ताव धम्मं समाचरे ॥३॥

[दश० अ० ८, गा० ३६]

जब तक जरा पीडित न करे, व्याधि में वृद्धि न हो और इन्द्रियाँ बलहीन न हो जाएं तबतक की अवधि में उत्तम प्रकार से धर्माचरण कर लेना चाहिये ।

विवेचन — प्रायः मनुष्य ऐसा समझता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, वृद्ध बनूँगा, तब धर्माचरण करूँगा । अभी तो आमोद-प्रमोद के दिन हैं । किन्तु उसका यह समझना भ्रान्ति है । देह क्षणभंगुर है । यह कब नष्ट हो जायगा कहा नहीं जा सकता । यदि मान लिया जाय कि आयुष्य की डोरी लम्बी है, और वह वृद्ध होनेवाला है,

तो क्या उस समय वह धर्माचरण कर सकेगा ? उस समय उसकी शारीरिक शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, छोटी-बड़ी अनेक प्रकार की व्याधियाँ शरीर को ग्रस्त कर लेती हैं और इन्द्रियाँ यथेष्ट कार्य करने में प्रायः असमर्थ होती हैं। ऐसी स्थिति में भला किस-तरह धर्माचरण हो सकता है ? अतः सुज्ञ मनुष्य को आरम्भ से ही धर्म का आचरण कर लेना चाहिये। साथ ही यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जिसने बाल्यकाल में अथवा यौवन में धर्माचरण नहीं किया, उसे वृद्धावस्था में धर्म प्रिय नहीं लगता। फलतः जबसे मनुष्य कुछ समझने लगता है तब से ही उसे धर्माचरण करना आरम्भ कर देना चाहिये।

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जन्ति राइओ ॥ ४ ॥

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइओ ॥ ५ ॥

[उक्त० अ० १४, गा० २४-२५]

जो-जो रात्रियाँ बीतती हैं वे पुनः लौटकर नहीं आती और धर्मों की रात्रियाँ हमेशा निष्फल बीतती हैं।

जो जो रात्रियाँ बीतती हैं वे वापस लौट नहीं आती और धर्मों की रात्रियाँ हमेशा सफल होती हैं।

विवेचन—जो-जो रात बीतती हैं, वह पुनः लौट नहीं आती; वैसे ही जो-जो दिन बीतता है, वह भी पुनः लौट नहीं आता।

तात्पर्य यह है कि जो समय चला गया, वह सदा के लिये हाथ से निकल गया, वह पुनः आनेवाला नहीं है। ऐसी अवस्था में वृद्धिमान मनुष्यों का यह कर्तव्य हो जाता है कि समय का वन सके उतना सदुपयोग कर लेना चाहिये। जो मनुष्य अवर्म करता है, उसके समय का दुरुपयोग हुआ, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि उससे नया कर्मबन्धन होता है, जिसके फलस्वरूप उसे अनेकविध दुःख सहन करने पड़ते हैं। जो मनुष्य धर्म का आचरण करता है उसके समय का सदुपयोग हुआ मानना चाहिये, क्योंकि उससे नये कर्म नहीं बंधते और जो बंधे हुए हैं उनका भी क्षय हो जाता है। परिणामस्वरूप उसकी भव-परम्परा का अन्त आ जाता है और वह सर्वदुःखों से मुक्त हो जाता है।

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो ॥६॥

[दश० अ० १, गा० १]

धर्म उत्कृष्ट मंगल है। वह अहिंसा, सयम और तपरूप है। जिसके मन में सदा ऐसा धर्म है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं।

विवेचन—इस जगत् में मनुष्य मात्र सदा सर्वदा मंगल की कामना किया करते हैं। किन्तु उनको यह स्मरण नहीं होता कि उत्कृष्ट मंगल तो धर्म ही है, क्योंकि धर्म से दुरित (पाप) दूर होते हैं और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यहाँ धर्म शब्द से अहिंसा, सयम और तप की त्रिपुटी समझना चाहिये। जहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा होती है वहाँ धर्म नहीं रहता। जहाँ किसी भी

प्रकार की स्वच्छदता (दुराचार) हो वहाँ भी धर्म नहीं होता। और जहाँ एक अथवा अन्य प्रकार से भोग-विलास की पुष्टि हो, वहाँ भी धर्म नहीं होता। जो अहिंसा, संयम और तपोमय धर्म का शुद्ध भावसे पालन करता है, वह मानव समाज के लिये ही नहीं अपितु देवताओं के लिये भी वन्दनीय-पूजनीय सिद्ध होता है। सारांश यह है कि धर्म के पालन से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकता है।

अहिंसं सच्चं च अतेणगं च,

तत्तो य बम्भं अपरिग्गहं च ।

पडिचज्जिया पंच महच्चयाणि,

चरिञ्ज धम्मं जिणदेसियां विदू ॥७॥

[उक्त० अ० २१, गा० १२]

बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि वह अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—इन पाँच महाव्रतों को जीवन में स्वीकार कर श्री जिन भगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्म का आचरण करे।

विवेचन—जो इन पाँच महाव्रतों को स्वीकार नहीं कर सकता, उसके लिये पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत—ऐसे बारह प्रकार के अन्य व्रतों की भी योजना की गई है। कदाचित् इनका पालन भी नहीं किया जा सके तो इनमें से जितना ब्रन सके उतना पालन करना चाहिये और उसमें प्रतिदिन अर्धिकाविक प्रगति किस प्रकार हो, इसका सदा ध्यान रखना चाहिये।

बहिया उडुमांदाय, नावकंखे कयाइ वि ।

पूच्चकम्मखयडाए, इमं देहं समुद्धरे ॥८॥

[उक्त० अ० ६, गा० १४]

संसार से बाहर और सबसे ऊपर सिद्धगिला नामक जो स्थान है, वहाँ पहुँचने का उद्देश्य रखकर ही कार्य करना चाहिये । विषय-भोग की आकांक्षा कदापि नहीं करनी चाहिये । पहले जिन कर्मों का सचय किया हुआ है, उनका क्षय करने के लिये ही यह देह-धारण करनी चाहिये ।

विवेचन—मोक्ष में पहुँचने का अवसर केवल मनुष्यजन्म में ही मिल सकता है । मानवजन्म अनन्त भवों में भ्रमण करने के पञ्चात् अत्यन्त कष्टसे प्राप्त होता है । बुद्धिमान् लोगो को उपयुक्त तथ्य को लक्ष्य में रखकर ही मोक्षप्राप्ति को अपना ध्येय बनाना चाहिये । यह शरीर भोग-विलास के लिये नहीं है, बल्कि पूर्वसंचित कर्मों का क्षय करने के लिये है । इन बात को पुनः पुनः अपने मन में दृढ करने की अत्यन्त आवश्यकता है । जब यह बात पूर्णरूप में मन में दृढ हो जाएगी, तभी भोगासक्ति दूर होकर वर्माचरण करने का उत्साह बढ़ेगा ।

धम्मं हुरए वम्मं संतितित्थे,

अणाविले अत्तपमन्नलेसे ।

जहिं मिणाओ विमलो विसुद्धो,

सुसाइभूओ पजहामि दामं ॥९॥

[उक्त० अ० १२, गा० १६]

मिथ्यात्व आदि दोषो से रहित और आत्म-प्रसन्नलेश्या से युक्त धर्म एक जलाशय है और ब्रह्मचर्य एक प्रकार का शान्ति-तीर्थ । इसमें स्नान करके मैं विमल, विशुद्ध और सुशीतल होता हूँ । ठीक वैसे ही कर्मों का नाश करता हूँ ।

विवेचन—कुछ मनुष्य नहाना-घोना और बाहर से शुद्ध रहने को ही धर्म मान बैठे हैं, जबकि धर्म अन्तर की शुद्धि के साथ मुख्य सम्बन्ध रखता है । यह अन्तर की शुद्धि तभी प्राप्त होती है जब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषायादि दोष दूर कर दिये जाते हैं और आत्मा के परिणामों को शुद्ध रखा जाता है ।

आत्मा के परिणामों की योग्यता समझने के लिये भगवान् महावीर ने छह लेश्याओं का स्वरूप प्रकट किया है । उनमें कृष्ण, नील और कापोत—ये तीन लेश्याएं आत्मा के अशुद्धतम, अशुद्धतर और अशुद्ध परिणामो का सूचन करनेवाली हैं तथा पीत, पद्म तथा शुक्ल—ये तीन लेश्याएं आत्मा के शुद्ध—शुद्धतर—शुद्धतम परिणामो का सूचन करती हैं । अतः धर्माराधक को चाहिये कि वह सदा शुद्ध लेश्याओं में ही रहे ।

धर्माराधना में ब्रह्मचर्य का महत्त्व भी बहुत है । जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसका मन सदा विषय-विकार से दूर रहता है, और उससे अनन्य शान्ति मिलती है ।

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के लोकोत्तर—उच्च धर्म का जो आचरण करता है, उसके सब मल दूर होते हैं, उसकी सभी अशुद्धियाँ दूर होती हैं और उसके अन्तर के सारे ताप मिटकर

उसे अनुपम शान्ति मिलती है। ऐसी आत्मा के सब कर्म शीघ्रता से नष्ट हो जाय, यह स्वाभाविक ही है।

पडंति नरए घोरे, जं नरा पावकारिणो ।

दिव्वं च गइं गच्छंति, चरित्ता धम्ममारियं ॥१०॥

[उच्च० अ० १८, गा० २५]

जो मनुष्य पापकर्ता है वह घोर नरक में जाता है और जो आर्य धर्म का आचरण करनेवाला है वह दिव्य गति में जाता है।

विवेचन—कर्म का नियम अवाचित है। उसमें किसी का अनुनय-विनय अथवा अनुरोध नहीं चलता। जो अनुचित काम करता है, अवर्माचरण करता है, पाप-प्रवृत्ति में लीन रहता है, उसे मृत्यु के पश्चात् भयंकर नरक-योनि में जन्म लेना पड़ता है और वहाँ उसे अवर्णनीय दुःख सहने पड़ते हैं। इसी तरह जो अच्छे कर्म करते हैं, आर्यधर्म का आचरण करते हैं, अर्थात् दया-दान परोपकारादि प्रवृत्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात् स्वर्गीय सुख अथवा सिद्धिगति प्राप्त होती है।

धारा : ११ :

अहिंसा

नाइवाइञ्ज किंचण ॥१॥

[आ० श्रु० १, अ० २, उ० ४]

किसी भी प्राणी की हिंसा न करो ।

सच्चे पाणा पियाउया सुहसाया दुक्खपडिकूला
अप्पियवहा पियजीविणो, जीविउकामा सच्चेसिं जीवियं
पियं ॥२॥

[आ० श्रु० १, अ० २, उ० ३]

(क्योकि) सभी प्राणियों को अपना आयुष्य प्रिय है, सुख अनुकूल है और दुःख प्रतिकूल है । वध सभी को अप्रिय लगता है और जीना सब को प्रिय लगता है । जीवमात्र जीवित रहने की कामना वाले हैं । सब को अपना जीवन प्रिय लगता है ।

एस मग्गो आरिएहिं पवेइए, जहेत्थ कुसले नोवलिं-
पिज्जासि ॥३॥

[आ० श्रु० १, अ० २, उ० २]

आर्य महापुरुषों द्वारा अहिंसा के इस मार्ग का कथन किया गया है । अतः कुशल पुरुष भूलकर भी अपने को हिंसा से लिप्त न करे ।

पणया वीरा महावीहिं ॥४॥

[आ० श्रु० १, अ० १, उ० ३]

कुशल पुरुष परीपह सहन करने में सूर होते हैं और अहिंसा के प्रशस्त पथ पर चलनेवाले होते हैं ।

अदुवा अदिन्नादाणं ॥५॥

[आ० श्रु० १, अ० १, उ० ३]

जीवों की हिंसा करना यह एक प्रकार का अदत्तादान है यानी चोरी है ।

तं से अहियाए, तं से अवोहिए ॥६॥

[आ० श्रु० १, अ० १, उ० १]

पृथ्वीकायिक (आदि) जीवों की हिंसा, हिंसक व्यक्ति के लिए सदा अहितकर होती है और अवोत्रि (अज्ञान-मिथ्यात्व) का मुख्य कारण बनती है !

आयातुले पयासु ॥७॥

[सू० श्रु० १, अ० ११, गा० ३]

प्राणियों के प्रति आत्मतुल्य भाव रखो ।

सन्नाहिं अणुजुत्तीहि मतिमं पंडिलेहिया ।

सन्वे अकन्तदुक्खाय, अओ सन्वे न हिंसया ॥८॥

[सू० श्रु० १, अ० ११, गा० ६]

बुद्धिमान् पुरुष को सर्व प्रकार की युक्तियों से सोच-विचार कर तथा सभी प्राणियों को दुःख अच्छा नहीं लगता, इस तथ्य को ध्यान में रखकर किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिये ।

अहिंसा]

एयं खु नाणिणो सारं, जं न हिंसइ किंचण ।

अहिंसा समग्रं चेव, एयावन्तं वियाणिया ॥६॥

[सू० श्रु० १, अ० ११, गा० १०]

ज्ञानियो के वचन का यह सार है कि—‘किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो।’ अहिंसा को ही शास्त्रकथित शाश्वत धर्म समझना चाहिए।

संबुज्झमाणे उ नरे मइमं,

पावाउ अप्पाण निवट्टएज्जा ।

हिंसप्यसूयाइं दुहाइं मत्ता,

वेरानुवन्धीणि महब्भयाणि ॥१०॥

[सू० उ० १, अ० १०, गा० २१]

दुःख हिंसा से उत्पन्न हुए हैं, बैर को कराने तथा बढ़ानेवाले हैं और महाभयङ्कर हैं—ऐसा जानकर मतिमान् मनुष्य अपने आप को हिंसा से बचावे।

सयं तिवायए पाणे, अदुवाऽन्नेहिं धायए ।

हणन्तं वाऽणुजाणाइं, वेरं वडुई अप्पणो ॥११॥

[सू० श्रु० १, अ० १, उ० १, गा० ३]

परिग्रह में आसक्त मनुष्य स्वयं प्राणी का हनन करता है, दूसरे के द्वारा हनन करवाता है और हनन करनेवाले का अनुमोदन करता है—इस तरह अपना बैर बढ़ाता है।

विवेचन—जैसे-जैसे हिंसा का क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे वैर का भी विस्तार होता जाता है, क्योंकि जिन-जिन प्राणियों की हिंसा होती है, वे सब बदला लेने के लिए हर घड़ी तत्पर रहते हैं ; अतः अपना हित चाहनेवाले व्यक्ति को किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिये, न ही दूसरे के द्वारा हिंसा करवानी चाहिये । और यदि कोई हिंसा करता हो, तो उसका अनुमोदन भी नहीं करना चाहिये ।

अणोलिसस्स खेयन्ने,

ण विरुज्जेज्ज केणइ ॥१२॥

[सू० ध्रु० १, अ० १५, गा० १३]

संयम में निपुण मनुष्य को किसी के भी साथ वैर-विरोध नहीं करना चाहिए ।

सया सच्चेण संपन्ने,

मिच्छिं भूएहिं कप्पए ॥१३॥

[सू० ध्रु० १, अ० १५, गा० ३]

जिसकी अन्तरात्मा सदा सर्वदा सत्य भावों से ओतप्रोत है, उसे सभी प्राणियों के साथ मित्रता रखनी चाहिए ।

सच्चं जगं तू समयाणुपेही,

पियमप्पियं कस्सइ नो करेज्जा ॥१४॥

[सू० ध्रु० १, अ० १०, गा० ७]

मुमुक्षु को चाहिये कि वह सारे जगत् अर्थात् सभी जीवों को

तमभाव मे देगे । वह किसी को प्रिय और किसी को अप्रिय न बनाए ।

उहरे य पाणे बुहुं य पाणे,

ते आत्तओ पासइ सच्चलोए ॥१५॥

[सू० धु० १, अ० १२, गा० १८]

मुमुक्षु छोटे और बड़े समस्त जीवों को आत्मानुरूप माने ।
पुढवीजीवा पुढो सत्ता, आऊजीवा तहाऽगणी ।
वाउजीवा पुढो सत्ता, तणरुक्खा सवीयगा ॥१६॥
अहावरा तसा पाणा, एवं छक्कायं आहिया ।
एयावए जीवकाए, नावरे कोइ विज्जई ॥ १७ ॥
सच्चाहिं अणुजुतीहिं, मईमं पडिलेहिया ।
सच्चे अकन्तदुक्खा य, अओ सच्चे न हिंसया ॥१८॥

[सू० ध्रु० १, अ० ११, गा० ७-८-९]

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और बीजयुक्त तृण, वृक्ष आदि वनस्पति-काय जीव अति सूक्ष्म हैं । (ऊपर से एक आकृतिवाले दिखाई देने पर भी सब का पृथक्-पृथक् अस्तित्व है ।)

उक्त पाँच स्थावरकाय के अतिरिक्त अन्य त्रस प्राणी भी हैं । ये छह षड्जीवनिकाय कहलाते हैं । संसार में जितने भी जीव हैं, उन सब का समावेश इन षड्जनिकाय में हो जाता है । इनके अतिरिक्त अन्य कोई जीव-निकाय नहीं है ।

वृद्धिमान् मनुष्य उक्त षड्जीवनिकाय का सर्व प्रकार से सम्यग्-
ज्ञान प्राप्त करे और 'सभी जीव दुःख से घबराते हैं' ऐसा मानकर
उन्हे पीडा न पहुँचाए ।

जे केइ तसा पाणा, चिड्डन्ति अदु थावरा ।

परियाए अत्थि से अञ्जू, जेण ते तस-थावरा ॥ १६ ॥

[सू० श्रु० १, अ० १, उ० ४, गा० ८]

जगत् में जितने भी त्रस और स्थावर जीव हैं, अपनी-अपनी
पर्याय के कारण हैं । अर्थात् सभी जीव अपने-अपने कर्मानुसार त्रस
अथवा स्थावर होते हैं ।

उरालं जगओ जोगं,

विवज्जासं पल्लिन्ति य ।

सन्वे अकंतदुक्खा य,

अओ सन्वे अहिंसिया ॥२०॥

[सू० श्रु० १, अ० उ० ४. गा० ६]

एक जीव जो एक जन्म मे त्रस होता है, वही दूसरे जन्म मे
स्थावर होता है । त्रस हो अथवा स्थावर, सभी जीवों को दुःख
अप्रिय होता है, ऐसा मानकर मुमुक्षु को सभी जीवों के प्रति अहिंसक
बने रहना चाहिए ।

उडुं अहे य तिरिय, जे केइ तसथावरा ।

सन्वत्थ विरइं विज्जा, संति निन्वाणमाहियं ॥२१॥

[सू० श्रु० १, अ० ११, गा० ११]

अहिंसा]

ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यग्लोक, इन तीनों लोको में जितने भी त्रस और स्थावर जीव हैं, उनके प्राणों का अतिपात (विनाश) करने से दूर रहना चाहिये। वैर की शान्ति को ही निर्वाण कहा गया है।

विवेचन—ऊर्ध्वलोक अर्थात् ऊपर का भाग—स्वर्ग, अधोलोक अर्थात् नीचे का भाग—पाताल और तिर्यग्लोक अर्थात् इन दोनों के बीच का भाग—मनुष्यलोक। जब किसी भी प्राणी के प्रति हृदय के एक अणु में भी वैर-वृत्ति नहीं रहेगी तभी निर्वाण की प्राप्ति होगई, ऐसा समझना चाहिये। तात्पर्य यह है कि अहिंसा की पूर्णता ही निर्वाण है।

पभूदोसे निराकिच्चा,

न विरुज्जेज्ज केण वि ।

मणसा वयसा चेव,

कायसा चेव अंतसो ॥ २२ ॥

[सू० श्रु० १, अ० ११, गा० १२]

इन्द्रियो को जीतनेवाला समर्थ पुरुष मिथ्यात्व आदि दोष दूर करके किसी भी प्राणी के साथ यावज्जीव मन, वचन और काया से वैर-विरोध न करे।

विरए गामधम्महिं, जे केइ जगई जगा ।

तेसिं अबुत्तमायाए, थामं कुच्चं परिव्वए ॥ २३ ॥

[सू० श्रु० १, अ० ११, गा० ३३]

शब्दादि विषयो के प्रति उदासीन बने हुए मनुष्य को इस ससार में विद्यमान जितने भी त्रस और स्थावर जीव हैं, उनको आत्मतुल्य मान, उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिये और इसी प्रकार संयम का भी पालन करना चाहिये ।

जे य बुद्धा अतिक्रंता,

जे य बुद्धा अणागया ।

संति तेसिं पइङ्गाणं,

भूयाणं जगई जहा ॥२४॥

[सू० श्रु० १, अ० ११, गा० ३६]

जीवों का आचार-स्थान पृथ्वी है । वैसे ही भूत और भावी तीर्थङ्करों का आचार-स्थान शान्ति अर्थात् अहिंसा है । तात्पर्य यह है कि तीर्थङ्करों को इतना ऊंचा पद अहिंसा के उत्कृष्ट पालन से ही प्राप्त होता है ।

पुढवी य आऊ अगणी य वाऊ,

तण-रुक्ख-वीया य तसा य पाणा ।

जे अण्डया जे य जराउ पाणा,

संसेयया जे रसयाभिहाणा ॥ २५ ॥

एयाइं कायाइं पवेइयाइं,

एएसु जाणे पडिलेह सायं ।

एण काण य आयदण्डे,

एएसु या विप्परियासुविन्ति ॥२६॥

[सू० श्रु० १, अ० ७, गा० १-२]

(१) पृथ्वी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु, (५) तृण, वृक्ष, बीज आदि वनस्पति तथा (६) अण्डज, जरायुज, स्वेदज, रसज—इन सभी त्रस प्राणियों को जानियो ने जीवसमूह कहा है। इन सब में सुख की इच्छा है, यह जानो और समझो।

जो इन जीवकायो का नाश करके पाप का सचय करता है, वह बारबार इन्ही प्राणियों मे जन्म धारण करता है।

अज्झत्थं सच्चओ सच्च, दिस्स पाणे पियायए ।

न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उवरए ॥ २७ ॥

[उक्त० अ० ६, गा० ७]

सभी सुख-दुखो का मूल अपने हृदय मे है, यो मानकर तथा प्राणिमात्र को अपने अपने प्राण प्यारे है, ऐसा समझकर भय और वैर से निवृत्त होते हुए किसी भी प्राणी की हिंसा न करना।

समया सच्चभूएसु, सत्तुमित्तेसु वा जगे ।

पाणाइवायविरई, जावज्जीवाए दुक्करं ॥ २८ ॥

[उक्त० अ० १६, गा० २५]

शत्रु अथवा मित्र सभी प्राणियों पर समभाव रखना ही अहिंसा कहलाती है। आजीवन किसी भी प्राणी की मन-वचन-काया से हिंसा न करना, यह वस्तुतः दुष्कर व्रत है।

अभओ पत्थिवा तुब्भं, अभयदाया भवाहि य ।

अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं हिंसाए पसज्जसि ॥२६॥

[उ० अ० १८, गा० ११]

हे पार्थिव ! तुझे अभय है । तू भी अभयदाता बन । इस क्षणभंगुर संसार में जीवों की हिंसा के लिए तू क्यों आसक्त हो रहा है ?

जगनिस्सिएहिं भूएहिं, तसनामेहिं थावरेहिं च ।

नो तेसिमारभे दंडं, मणसा वयसा कायसा चेव ॥३०॥

[उक्त० अ० ८, गा० १०]

संसार में क्रोध और स्यावर जितने भी जीव हैं, उनके प्रति मन, वचन और काया से दण्ड-प्रयोग नहीं करना ।

विवेचन—कोई भी प्राणी हमें पीड़ित करे, हमें सताये अथवा हमारे मार्ग में विघ्नभूत हो, तो भी उसे दण्डित करने का—उसकी हिंसा करने का विचार मन, वचन तथा काया से कदापि नहीं करना चाहिये । यह हमारा व्यवहार जब पीडा पहुँचानेवाले आदि के प्रति भी उचित है, तब जिसने हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा अथवा हमें किसी भी रूप में कोई क्षति नहीं पहुँचाई—उसे भला क्योंकि दण्ड दे सकते हैं ? तात्पर्य यह है कि मुमुक्षु को मन, वचन और काया से अहिंसा का पालन करना चाहिये ।

समणामु एगे वयमाणा,

पाणव्हं मिया अयाणंता ।

मन्दा निरयं गच्छन्ति,

वाला पावियार्हि दिट्ठीर्हि ॥३१॥

[उक्त० अ० ८, गा० ७]

‘हम श्रमण हैं’ ऐसा कहनेवाला और प्राणिहिंसा में पाप नहीं माननेवाले मन्दबुद्धि कुछ अज्ञानी जीव अपनी पापदृष्टि से ही नरक में जाते हैं ।

न हु पाणवहं अणुजाणे,

मुञ्चेज्ज कयाई सच्चदुक्खाणं ।

एवारिएहिमक्खायं,

जेहिं इमो साहुधम्मो पन्नत्तो ॥३२॥

[उक्त० अ० ८, गा० ८]

जो प्राणिहिंसा का अनुमोदन करता है, वह सर्वदुःखो से कदापि मुक्त नहीं हो सकता । ऐसा तीर्थङ्करो ने कहा है कि जिनके द्वारा यह साधुघर्म का प्रतिपादन किया गया है ।

विवेचन—कहने का आशय यह है कि साधु स्वयं हिंसा न करे, दूसरों से भी हिंसा न करवाये और कोई हिंसा करता हो तो उसकी अनुमोदना भी न करे । यदि वह अनुमोदना करे तो उसका मोक्षप्राप्ति का ध्येय ही विफल हो जाता है ।

तत्थिमं पठमं ठाणं, महावीरेण देसियं ।

अहिंसा निउणा दिट्ठा, सच्चभूएसु संजमो ॥३३॥

[दश० अ० ६, गा० ९]

भगवान् महावीर ने सभी घर्मस्थानों में पहला स्थान अहिंसा को दिया है। सर्व प्राणियों के साथ संयमपूर्वक वर्ताव करना, इसमें उन्होंने उत्तम प्रकार की अहिंसा देली है।

जावन्ति लोए पाणा, तसा अदुव थावरा ।

ते जाणमजाणं वा, न हणे नो वि घायए ॥३४॥

[दश० अ० ६, गा० १०]

इस लोक में जितने भी तस और स्यावर जीव हैं, उनकी जाने-अनजाने हिंसा नहीं करना, और दूसरो के द्वारा भी हिंसा नहीं करवाना।

सन्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविउं न मरिज्जिउं ।

तम्हा पाणिवहं घोरं, निग्गंथा वज्जयन्ति णं ॥३५॥

[दश० अ० ६, गा० १०]

सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। अतः निर्ग्रन्थ मुनि मदा भयङ्कर ऐसी प्राणिहिंसा का परित्याग करते हैं।

विवेचन—निर्ग्रन्थ मुनि अर्थात् जैन धर्मगण। भयङ्कर अर्थात् परिणाम में भयङ्कर। प्राणिवध अर्थात् जीवहिंसा हिंसा, घातना अथवा मारणा।

तेमि अच्छणजोएण, निच्चं होयन्वरं मिया ।

मणमा कायवक्केण, एवं हवइ नंजए ॥३६॥

[दश० अ० ८, गा० ३]

इन जीवो के प्रति सदा अहिंसक वृत्ति से रहना । जो कोई मन, वचन और काया से अहिंसक रहता है, वही आदर्श संयमी है ।

अजयं चरमाणो उ, पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥३७॥

असावधानी से चलनेवाला मनुष्य त्रस-स्थायर जीवो की हिंसा करता है, जिससे कर्मबन्धन होता है और उसका फल कटु होता है ।

अजयं चिद्धमाणो उ, पाणभूयाहिं हिंसइ ।

बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥३८॥

असावधानी से खड़ा रहनेवाला पुरुष त्रस-स्थायर जीवो की हिंसा करता है, जिससे कर्मबन्धन होता है और उसका फल कटु होता है ।

अजयं आसमाणो उ, पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥३९॥

असावधानी से बैठनेवाला मनुष्य त्रस-स्थायर जीवो की हिंसा करता है, जिससे कर्मबन्धन होता है और उसका फल कटु होता है ।

अजयं सयमाणो उ, पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥४०॥

असावधानी से सोनेवाला पुरुष त्रस-स्थायर जीवों की हिंसा करता है, जिससे कर्मबन्धन होता है और उसका फल कटु होता है ।

अजयं भुज्जमाणो उ, पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥४१॥

असावधानी से भोजन करनेवाला मनुष्य त्रस-स्थायर जीवों की हिंसा करता है, जिससे कर्मवन्धन होता है और उसका फल कटु होता है ।

अजयं भासमाणो उ, पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥४२॥

[दश० अ० ४, गा० १ से ६]

असावधानी से बोलनेवाला पुरुष त्रस-स्थायर जीवों की हिंसा करता है, जिससे कर्मवन्धन होता है और उसका फल कटु होता है ।



धारा : १३ :

सत्य

तं सच्चं भयवं ॥ १ ॥

[प्रश्न० द्वितीय सवरद्वार]

वह सत्य भगवान है ।

पुरिसा ! सच्चमेव समभिजाणाहि, सच्चस्स आणाए
से उवड्ढिए मेहावी मारं तरइ ॥ २ ॥

[भा० श्रु० १, अ० ३, उ० ३]

हे पुरुष ! तू सत्य को ही वास्तविक तत्त्व जान । सत्य की
आज्ञा में रहनेवाला वह बुद्धिमान् मनुष्य मृत्यु को तैर जाता है ।

अप्पणट्ठा परट्ठा वा, कोहा वा जइ वा भया ।

हिंसगं न मुसं बूया, नो वि अन्नं वयावए ॥३॥

[दश० अ० ६, गा० ११]

अपने स्वार्थ के लिए अथवा दूसरे के लाभ के लिये, क्रोध से
अथवा भय से, किसी की हिंसा हो ऐसा असत्य वचन खुद नहीं
बोलना चाहिये, ठीक वैसे ही दूसरे से भी नहीं बोलवाना चाहिये ।

मुसावाओ य लोगम्मि, सच्चसाहूर्हि गरिहिओ ।

अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥४॥

[दश० अ० ६, गा० १२]

इस जगत में सभी साधु पुरुषों ने मृषावाद अर्थात् असत्य वचन की घोर निन्दा की है ; क्योंकि वह मनुष्यों के मन में अविश्वास उत्पन्न करनेवाला है । अतः असत्य वचन का परित्याग करना चाहिये ।

न लविज्ज पुट्ठो सावज्जं, न निरट्ठं न मम्मयं ।

अप्पणट्ठा परट्ठा वा, उभयस्संतरेण वा ॥५॥

[उक्त० अ० १, गा० २५]

यदि कोई पूछे तो अपने लिये अथवा अन्य के लिये, अथवा दोनों के लिए, स्वप्रयोजन अथवा निष्प्रयोजन, पापी एवं निरर्थक वचन नहीं बोलना चाहिये । न मर्मभेदी वचन ही बोलना चाहिये ।

आहच्च चण्डालियं कट्ठु, न निहविज्ज कयाइ वि ।

कडं कडेत्ति भासेज्जा, अकडं नो कडेत्ति य ॥६॥

[उक्त० अ० १, गा० ११]

यदि क्रोध के कारण कभी मुँह से असत्य वचन निकल पड़े, तो उसे छिपाये नहीं । यदि असत्य वचन बोल चुके हों तो वैसा साफ-साफ कह देना चाहिये और नहीं बोला हो तो वैसा कहना चाहिये । अर्थात् किये हुए को किया हुआ और नहीं किये हुए को नहीं किया हुआ कहना जरूरी है । इस तरह सदा सत्य बोलना चाहिये ।

चउण्हं खलु भासाणं, परिसंखाय पन्नवं ।

दोण्हं तु विणयं सिकखे, दो न भासिज्ज सन्नसो ॥७॥

[उक्त० अ० ७, गा० १]

प्रज्ञावान् साधक चार प्रकार की भाषाओं के स्वरूप को जानकर उनमें से दो प्रकार की भाषा द्वारा विनय (आचार) सीखे ; और दो प्रकार की भाषाओं का कदापि उपयोग न करे ।

विवेचन—भाषा के चार प्रकार हैं :—(१) सत्य, (२) असत्य, (३) सत्यासत्य अर्थात् मिश्र और (४) असत्यामृषा अर्थात् व्यावहारिक । इनमें से प्रथम और अन्तिम इन दो भाषाओं का साधक विनयपूर्वक व्यवहार करे और असत्य तथा मिश्र भाषा का सर्वथा परित्याग करे ।

जा य सच्चा अवत्तव्वा, सच्चामोसा य जा मुसा ।

जा य बुद्धेहिंऽनाइन्ना, न तं भासिज्ज पन्नवं ॥८॥

[दश० अ० ७, गा० २]

जो भाषा सत्य होने पर भी बोलने योग्य न हो, जो भाषा सत्य और असत्य के मिश्रणवाली हो, जो भाषा असत्य हो और जिस भाषा का तीर्थङ्करो ने निषेध किया हो—ऐसी भाषा का प्रयोग प्रज्ञावान् साधक को नहीं करना चाहिये ।

विवेचन—ऊपर की सातवीं गाथा में सत्य और व्यावहारिक भाषा बोलने के सम्बन्ध में कहा गया है । उसमें भी बहुत कुछ बात समझने योग्य है । उसीका स्पष्टीकरण प्रस्तुत गाथा में किया गया है । भाषा सत्य हो किन्तु बोलने जैसी न हो, अर्थात् जिसके बोलने से हिंसा अथवा अन्य किसी की हानि होने जैसी स्थिति हो तो वैसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिये । उदाहरण के लिये—बाजार में जाते हुए यदि कोई कसाई-वधिक पूछे, “मेरी गाय को देखा है ?”

तो गाय को जाती हुई देखने पर उत्तरदाता ऐसा कह दे—
 “हाँ, मैंने देखी है, वह उस ओर गई है।” तो परिणामस्वरूप
 हिंसा होना सम्भव है, क्योंकि कसाई उस दिशा में जाकर गाय को
 पकड़ लायगा और फिर उसका वध करेगा। अतः ऐसी भाषा नहीं
 बोलनी चाहिये।

असच्चमोसं सच्चं च, अणवज्जमककसं ।

समुपेहमसंदिद्धं, गिरं भामिज्ज पन्नवं ॥६॥

[दश० अ० ७, गा० ३]

व्यावहारिक भाषा तथा सत्य भाषा भी जो पापरहित हो,
 कर्कशता से मुक्त (कोमल) हो, निःसन्देह हो तथा स्व-पर का उपकार
 करनेवाली हो, ऐसी भाषा का ही प्रयोग प्रज्ञावान् सावक को करना
 चाहिये।

वितहं वि तहामुत्तिं, जं गिरं भासए नरो ।

तम्हा सो पुट्ठो पावेणं, किं पुण जो मुसं वए ॥१०॥

[दश० अ० ७, गा० ५]

जो मनुष्य प्रकट सत्य को भी वास्तविक असत्य के रूप में
 भूल से बोल जाय तो वह पाप का भागी बनता है, तब सर्वथा
 असत्य बोलनेवाले का तो कहना ही क्या ? वह अनन्त पापों का
 भागी बनता है।

तहेव फरुसा भासा, गुरुभूओवघाइणी ।

सच्चा वि सा न वत्तन्ना, जओ पावस्स आगमो ॥११॥

[दश० अ० ७, गा० ११-१]

इसी तरह सत्यभाषा भी अगर अनेकविध प्राणियो की हिंसा का कारण बनती हो अथवा कठोर हो तो कभी नही बोलनी चाहिये, क्योकि उससे पाप का आगमन होता है ।

तहेव काणं काणे त्ति, पंडगं पंडगे त्ति वा ।

वाहियं वा वि रोगि त्ति, तेणं चोरे त्ति नो वए ॥१२॥

[दश० अ० ७, गा० १२]

ठीक इसी प्रकार काने को काना, नपुसक को नपुसक, रोगी को रोगी और चोर को चोर भी नही कहना चाहिये, क्योकि यह सब सत्य होने पर भी सुनने मे अत्यन्त कठोर लगता है ।

एएणऽन्नेण अट्ठेणं, परो जेणुवहम्मइ ।

आयारभावदोसन्नू, न तं भासिज्ज पन्नवं ॥१३॥

[दश० अ० ७, गा० १३]

अतः प्रज्ञावान् साधक आचार और भाव के गुण-दोषो को परख कर उपर्युक्त तथा दूसरे के हृदय को आघात पहुँचानेवाली भाषा का प्रयोग न करे ।

तहेव सावज्जऽणुमोयणी गिरा,

ओहारिणी जा य परोवघायणी ।

से कोह लोह भय हास माणवो,

न हासमाणो वि गिरं वएज्जा ॥१४॥

[दश० अ० ७, गा० १४]

इसी प्रकार प्रजावान् साधक क्रोध, लोभ, भय, हास्य अथवा विनोद मे पापकारिणी, पाप का अनुमोदन करनेवाली, निश्चयकारिणी और दूसरे के मन को दुःख पहुँचानेवाली भाषा बोलना छोड़ दे ।

मुहुत्तदुक्खा उ हवंति कंटया,

अओमया ते वि तओ सुउद्धरा ।

वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि,

वेराणुवन्धीणि महब्भयाणि ॥१५॥

[दश० अ० ६, उ० ३, गा० ७]

यदि हमे लोहे का काँटा चुम जाय तो घड़ी दो घड़ी ही दुःख होता है और वह भी सरलता से निकाला जा सकता है, परन्तु अशुभ वाणीरूपी काँटा हृदय मे एक बार चुम जाने पर सरलता से नहीं निकाला जा सकता, साथ ही वह चिरकाल के लिए वैरानुबन्ध करनेवाला तथा महान् भय उत्पन्न करनेवाला होता है ।

दिद्धं मियं असंदिद्धं, पडिपुण्णं विय जियं ।

अयंपिरमणुन्निग्गं, भासं निसिर अत्तवं ॥१६॥

[दश० अ० ८, गा० ४६]

आत्मारथी साधक को चाहिये कि वह दृष्ट, परिमित, असन्दिग्ध, परिपूर्ण, स्पष्ट, अनुभूत, वाचाल्पना-रहित और किसी को भी उद्विग्न न करनेवाली ऐसी वाणी का उपयोग करे ।

भासाइ दोसे य गुणे य जाणिया,

तीसे य दुडे परिवज्जए सया ।

छसु संजए सामणिए सया जए,

वएज्ज बुद्धे हियमाणुलोमियं ॥१७॥

[दश० अ० ७, गा० ५६]

भाषा के दोष और गुणों को जानकर उसके दोषों को सदा के लिये छोड़ देना चाहिये । छह काय के जीवों का यथार्थ संयम पालने वाले और सदा सावधानी से बर्ताव करनेवाले ज्ञानी साधक हमेशा परहितकारी तथा मधुर भाषा का ही प्रयोग करे ।

सुवकसुद्धिं समुपेहिया सुणी,

गिरं च दुट्ठं परिवज्जए सया ॥

मियं अदुट्ठं अणुवीइ भासए,

सयाण मज्झे लहई पसंसणं ॥१८॥

[दश० अ० ७, गा० ५५]

मुनि हमेशा वचनशुद्धि का विचार करे और दुष्ट भाषा का सदा के लिये परित्याग करे । यदि अदुष्ट भाषा बोलने का अवसर भी आ जाय तो वह परिमित एव विचारपूर्वक बोले । ऐसा बोलनेवाला सन्त पुरुषों की प्रशंसा का पात्र बनता है ।

अप्पत्तिअं जेण सिया, आसु कुप्पिज्ज वा परो ।

सन्वसो तं न भासिज्जा, भासं अहिअगामिणिं ॥१९॥

[दश० अ० ८, गा० ४८]

जिससे अविश्वास पैदा हो अथवा दूसरे को जल्दी से क्रोध आ जाय ऐसी अहितकर भाषा का विवेकी पुरुष कदापि प्रयोग न करे ।

देवाणं मणुयाणं च, तिरियाणं च बुग्गहे ।
अमुगाणं जओ होउ, मा वा होउ त्ति नो वए ॥२०॥

[दश० अ० ७, गा० ५०]

देवता, मनुष्य तथा तिर्यचों में जत्र परस्पर युद्ध हो, तत्र इसकी जय हो और इसकी पराजय हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिये ।

विवेचन—क्योंकि इस प्रकार के वचनोच्चार से एक प्रसन्न होता है और दूसरा रुष्ट । ऐसी दुःखद परिस्थिति उपस्थित करना प्रज्ञाशाली सावक के लिये उपयुक्त नहीं है ।

अपुच्छिओ न भासेज्जा, भासमाणस्स अंतरा ।
पिड्ढिमंसं न खाएज्जा, मायामोसं विवज्जए ॥२१॥

[दश० अ० ८, गा० ४७]

संयमी सावक विना पूछे उत्तर न दे, अन्य लोग बातें करते हों तो उनके बीच में न बोले, पीठ पीछे किसी की निन्दा न करे तथा बोलने में कपट्युक्त असत्यवाणी का प्रयोग न करे ।

जणवयसम्मयठवणा,

नामे रूवे पडुच्चे सच्च य ।

ववहारभावजोगे,

दसमे ओवम्मसच्चे य ॥२२॥

[प्रज्ञापना सूत्र-भाषा पद]

सत्यवचनयोग के दस प्रकार हैं :—(१) जनपद-सत्य, (२) सम्मत-सत्य, (३) स्थापना-सत्य, (४) नाम-सत्य, (५) रूप-सत्य,

(६) प्रतीत-सत्य, (७) व्यवहार-सत्य, (८) भाव-सत्य, (९) योग-सत्य और (१०) उपमा-सत्य ।

विवेचन—दशवैकालिक-निर्युक्ति मे इन दस प्रकार के सत्य-वचनयोग की जानकारी इस प्रकार दी है :—

१ : जनपद-सत्य—जिस देश मे जैसी भाषा बोली जाती हो वैसी भाषा बोलना, उसे जनपद-सत्य कहते है । जैसे कि 'विल' शब्द से हिन्दी भाषा मे चूहे-सर्प आदि का निवास-स्थान समझा जाता है, जबकि अंग्रेजी भाषा में 'विल' शब्द से मूल्य-पत्रक, [की हुई सेवा के मूल्य का पत्रक] अथवा किसी नियम की स्थापना का पत्रक समझा जाता है ।

२ : सम्मत-सत्य—पूर्वाचार्यों ने जिस शब्द को जिस अर्थ में माना है, उस शब्द को उसी अर्थ मे मान्य रखना, वह है 'सम्मत-सत्य' । जैसे कि कमल और मेढक दोनों ही कीचड मे उत्पन्न होते है, तथापि पङ्कज शब्द कमल के लिये ही प्रयुक्त होता है, न कि मेढक के लिये ।

३ : स्थापना-सत्य—किसी भी वस्तु की स्थापना कर उसे इस नाम से पहिचानना, यह है, 'स्थापना-सत्य' । जैसे कि ऐसी आकृति-वाले अक्षर को ही 'क' कहना । एक के ऊपर दो बिन्दु और लगा देने से 'सौ' और तीन शून्य जोड देवे तो उसे 'हजार' कहना आदि । शतरज के मुहरों को 'हाथी', 'ऊँट', 'घोडा' आदि कहना यह भी इसीमे आता है ।

४ : नाम-सत्य—गुण-विहीन होने पर भी किसी व्यक्ति अथवा वस्तुविशेष का नाम निर्धारित करना 'नाम-सत्य' कहलाता है । जैसे एक बालक का जन्म किसी गरीब घर में होने पर भी उसका नाम रख लिया जाता है 'लक्ष्मीचन्द्र' ।

५ : रूप-सत्य—किसी विशेष रूप के धारण कर लेने पर उसे उसी नाम से सम्बोधित किया जाता है । जैसे कि साधु का वेष पहने हुए देखने पर उसे 'साधु' कहा जाता है ।

६ : प्रतीत-सत्य—(अपेक्षा-सत्य) एक वस्तु की अपेक्षा अन्य वस्तु को बड़ी, भारी, हल्की आदि कहना वह 'प्रतीत-सत्य' है । जैसे कि—अनामिका की अंगुली बड़ी है यह बात कनिष्ठा की अपेक्षा से सत्य है, परन्तु मध्यांगुली की अपेक्षा वह छोटी है ।

(७) व्यवहार-सत्य—(लोक-सत्य)—जो बात व्यवहार में बोली जाय वह 'व्यवहार-सत्य' । जैसे कि गाड़ी कलकत्ता पहुँचती है तब कहा जाता है कि कलकत्ता आ गया । रास्ता अथवा मार्ग स्थिर है, वह चल तो सकता नहीं, फिर भी कहा जाता है कि यह मार्ग आवू जाता है । इसी प्रकार वन में स्थित घास जलता है, तथापि कहा जाता है कि वन जल रहा है ।

(८) भाव-सत्य—जिस वस्तु में जो भाव प्रधानरूप में दिखाई पड़ता हो, उसे लक्ष्य में रख युक्त वस्तु का प्रतिपादन करना, 'भाव-सत्य' कहलाता है । कितने ही पदार्थों में पाँचों रस न्यूनाधिक प्रमाण में रहने पर भी उन रसों की प्रधानता मानकर काला, पीला

आदि कहा जाता है । जैसे तोते में अनेक रंग होने पर भी उसे हरे रंग का ही कहते हैं, यह है 'भाव-सत्य' ।

(६) योग-सत्य—योग अर्थात् सम्बन्ध से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को पहचानना, वह 'योग-सत्य' कहलाता है । जैसे कि अध्यापक को अध्यापन-काल के अतिरिक्त समय में भी अध्यापक कहा जाता है ।

(१०) उपमा-सत्य—किसी एक प्रकार की समानता हो, उसके आधार पर उस वस्तु की अन्य वस्तु के साथ तुलना करना और उसे तदनुसारी नाम से पहचानना वह उपमा-सत्य कहलाता है । जैसे कि 'चरण-कमल', 'मुख-चन्द्र', 'वाणी-सुधा' आदि ।

कोहे माणे माया, लोभे पेज्जे तहेव दोसे य ।

हासे भए अक्खाइय, उवघाए निस्सिया दसमा ॥२३॥

[प्रज्ञापनासूत्र-भाषापद]

क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य तथा भयभीत होकर बोली जानेवाली भाषा, कल्पित व्याख्या तथा दसमें उपघात (हिंसा) का आश्रय लेकर जिस भाषा का उपयोग किया जाय, वह असत्य भाषा कहलाती है ।



धारा : १३ .

अस्तेय

पंचविहो पण्णत्तो, जिणेहिं इह अण्हओ अणादीओ ।
हिंसामोसमदत्तं, अब्बंभपरिग्गहं चेव ॥ १ ॥

[प्रश्न० द्वार १, गा० २]

जिन भगवन्तों ने आस्रव को, अनादि तथा पाँच प्रकार का कहा है : (१) हिंसा, (२) मृपावाद, (३) अदत्त, (४) अब्रह्म और (५) परिग्रह ।

विवेचन—जिसके द्वारा आत्मप्रदेगों की ओर कर्मण-वर्गणा का आकर्षण हो उसे आस्रव कहते हैं । वह प्रवाह से अनादि है । हिंसादि पाँच प्रकार के पाप के कारण उसका उद्भव होता है । इनमें से हिंसा को रोकने के लिये प्राणातिपात-विरमणव्रत अर्थात् अहिंसा-व्रत, मृपावाद को रोकने के लिये मृपावादविरमणव्रत अर्थात् सत्यव्रत, तथा अदत्तादान को निवृत्ति के लिये अदत्तादानविरमणव्रत अर्थात् अस्तेयव्रत व्रत है । इसी प्रकार अब्रह्म को रोकने के लिये मैथुन-विरमणव्रत और परिग्रह को रोकने के लिये परिग्रह-विरमणव्रत है ।

तइयं च अदत्तादाणं हरदहमरणभयकलुमतासणपर-
संत्तिमऽभेज्ज लाभमूलं.....अकित्तिकरणं अणज्जं.....

साहुगरहणिज्जं पियजणमित्तजणभेदविप्पीतिकारकं राग-
दोसवहुलं ॥ २ ॥

[प्रश्न० द्वार ३, सूत्र ६]

तीसरा अदत्तादान दूसरों के हृदय को दाह पहुँचानेवाला, मरण-
भय, पाप, कष्ट तथा परद्रव्य की लिप्सा का कारण और लोभ का
मूल है। यह अपयशकारक है, अचार्य कर्म है, साधु-पुरुषों द्वारा
निन्दित है, प्रियजन और मित्रजनो से भेद करानेवाला है, और
अनेकविध रागद्वेष को जन्म देनेवाला है।

विवेचन—प्रश्नव्याकरण सूत्र के तृतीय द्वार मे स्तेय के तीस
नाम गिनाये हैं, जिनमे से कुछ इस प्रकार समझने चाहिये :—

(१) चोरी, (२) अदत्त, (३) परलाम, (४) असयम, (५) परघनगृद्धि,
(६) लौल्य, (७) तस्करत्व, (८) अपहार, (९) पापकर्मकरण,
(१०) कूटतूल-कूटमान, (११) परद्रव्याकाक्षा, (१२) तृष्णा आदि।

चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा वहुं।

दंतसोहणमित्तं वि, उग्गहंसि अजाइया ॥ ३ ॥

तं अप्पणा न गिण्हंति, नो वि गिण्हावए परं।

अन्नं वा गिण्हमाणं वि, नाणुजाणंति संजया ॥ ४ ॥

[दश० अ० ६, गा० १४-१५]

वस्तु सजीव हो या निर्जीव, कम हो या ज्यादा, वह यहाँ तक
कि दाँत कुतरने की सलाई के समान तुच्छ वस्तु भी उसके स्वामी
को पूछे बिना सयमी पुरुष स्वयं लेते नहीं, दूसरे से लिवाते नहीं तथा
जो कोई लेता हो, उसे अनुमति देते नहीं।

निच्चं तसे पाणिणो थावरे य,
 जे हिंसंति आयसुहं पडुच्च ।
 जे लूसए होइ अदत्तहारी,
 ण सिक्खई सेयवियस्स किंचि ॥५॥

[सूत्र० ध्रु० १, अ० ५, उ० १, गा० ४]

जो मनुष्य अपने सुख के लिये त्रस तथा स्यावर प्राणियों की निरन्तर हिंसा करता रहता है और जो दूसरे की वस्तुएं बिना लौटाये अपने पास रख लेता है अर्थात् चुरा लेता है, वह आदरणीय व्रतों का तनिक भी पालन नहीं कर सकता ।

उडुं अहेय तिरियं दिसासु,
 तसा य जे थावर जे य पाणा ।

हत्थेहि पाएहि य संजमित्ता,
 अदिन्नमन्नेसु य नो गहेज्जा ॥६॥

[सू० ध्रु० १, अ० १०, गा० २]

आत्मार्थी पुरुष को चाहिये कि वह ऊपर, नीचे और तिरछी दिशाओं में जहाँ त्रस और स्यावर जीव रहते हैं, उन्हें हाथ-पैरों के आन्दोलन से अथवा अन्य अर्गों द्वारा किसी प्रकार की यातना न पहुँचाते हुए सयम से रहे तथा दूसरे द्वारा नहीं दी गई वस्तु ग्रहण न करे अर्थात् अदत्तादान न करे ।

अस्तेय]

दंतसोहणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जणं ।
 अणवज्जेसणिज्जस्स, गिण्हणा अवि दुक्करं ॥७॥

[उक्त० अ० १६, गा० २८]

दाँत कुतरने का तिनका भी उसके मालिक के दिये विना ग्रहण नहीं करना, साथ ही निरवद्य और एषणीय वस्तुएँ ही ग्रहण करना—ये दोनो बातें अत्यन्त दुष्कर हैं ।

विवेचन—निरवद्य अर्थात् पापरहित । एषणीय वस्तुएँ अर्थात् साधुधर्म के नियमानुसार उपयोग में ली जायँ ऐसी वस्तुएँ ।

रूवे अतित्ते य परिग्गहे य,
 सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।

अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स,
 लोभाविले आययई अदत्तं ॥८॥

[उक्त० अ० ३२, गा० २६]

मनोहररूप ग्रहण करनेवाला जीव अतृप्त ही रहता है । उसकी आसक्ति बढ़ती ही जाती है, इसलिए तुट्ठि—तृप्ति नहीं होती । अतृप्ति-दोष से दुःखित होकर वह दूसरे की सुन्दर वस्तुओं का लोभी बनकर अदत्त ग्रहण करता है ।

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,
 रूवे अतित्तस्स परिग्गहे य ।

मायामुसं वडुइ लाभदोसा,

तत्था वि दुक्खा न विमुच्चई से ॥६॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३०]

रूप के संग्रह में असन्तुष्ट बना हुआ जीव तृष्णा के वशीभूत होकर अदत्त का हरण करता है और इस तरह प्राप्त वस्तु के रक्षणार्थ लोभदोष में फँसकर कपट-क्रिया द्वारा असत्य बोलता है। इन कारणों से वह दुःख से मुक्त नहीं होता।



धारा : १४ :

ब्रह्मचर्य

लोगुत्तमं च वयमिणं ॥१॥

[प्रश्न० संवरद्वार ४, सूत्र १]

यह व्रत लोकोत्तम है ।

वंभचेर उत्तमतव-नियम-नाण-दंसण-चरित्त-सम्मत्त-
विणयमूलं ॥२॥

[प्रश्न० संवरद्वार ४, सूत्र १]

ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सयम और
विनय का मूल है ।

एकं पि वंभचेरे जंमिय आराहियं पि, आराहियं
वयमिणं सत्वं तम्हा निउएण वंभचेरं चरियत्वं ॥३॥

[प्रश्न० संवरद्वार ४, सूत्र १]

जिसने अपने जीवन मे एक ही ब्रह्मचर्य-व्रत की आराधना
की हो, उसने सभी उत्तमोत्तम व्रतों की आराधना की है—ऐसा
समझना चाहिये । अतः निपुण साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना
चाहिये ।

तवेसु वा उत्तम वंभचेरं ॥४॥

[सू० श्रु० १, अ० ६, गा० २३]

अथवा तप में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है ।

विरड् अवंभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा ।

उगं महच्चयं वंभं, धारेयव्वं सुदुकरं ॥५॥

[उक्त० अ० १६, गा० २६]

कामभोग का रस जाननेवालों के लिए, मैथुन-त्याग और उग्र ब्रह्मचर्य-व्रत धारण करने का कार्य अति कठिन है ।

मोक्खाभिकंखिस्स उ माणवस्स,

संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मे ।

नेयारिसं दुत्थरमत्थि लोए,

जहित्थिओ बालमणोहराओ ॥५॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १७]

मोक्षार्थी, संसारभीरु और धर्मनिष्ठ पुत्रियों के लिये इस संसार में बाल जीवों का मन हरण करनेवाली स्त्रियों का परित्याग करने जितना मुश्किल कार्य दूसरा कोई नहीं है ।

एए य संगे समइक्कमित्ता,

सुदुत्तरा चेव भवंति सेसा ।

जहा महासागरमुत्तरिता,

नई भवे अवि गंगासमाणा ॥७॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १८]

जैसे महासागर को तैर जानेवाले के लिये गङ्गा नदी तैर जाना सुगम है, ठीक वैसे ही स्त्री-ससर्ग का त्याग करनेवालों के लिये अन्य वस्तुओं का त्याग करना अत्यन्त सरल है ।

णो रक्खसीसु गिज्जेज्जा,

गंडवच्छासु ऽणेगचित्तासु ।

जाओ पुरिसं पलोभित्ता,

खेल्लंति जहा व दासेहिं ॥८॥

[उक्त० अ० ८, गा० १८]

जिस तरह कोई राक्षसी किसी का सारा रक्त चूसकर उसके प्राण हर लेती है, ठीक उसी तरह पुष्ट स्तनवाली तथा अनेको का ध्यान चित्त में धारण करनेवाली स्त्रियाँ साधक के ज्ञान-दर्शन आदि सब का अपहरण कर उसकी साधना का नाश कर देती है । ऐसी स्त्री सर्वप्रथम पुरुषो को अपनी ओर आकृष्ट करती है और बाद में उनसे आज्ञाकारी दास के समान कार्य करवाती है ।

अवंभचरियं घोरं, पमायं दुरहिट्टियं ।

नाऽऽयरंति मुणी लोए, भेयाययणवज्जिणो ॥९॥

[दश० अ० ९, गा० १५]

सयम का भंग करनेवाले रमणीय स्थानो से दूर रहनेवाले साधु-पुरुष साधारण जन-समूह के लिये अत्यन्त दुःसाध्य, प्रमाद के कारण-रूप और महान् भयङ्कर ऐसे अन्नह्यचर्य का सपने मे भी सेवन नहीं करते ।

मूलमेयमहम्मस्स, महादोससमुस्सयं ।

तम्हा मेहुणसंसग्गं, निग्गंथा वज्जयंति णं ॥१०॥

[दश० अ० ६, गा० १६]

यह अब्रह्मचर्य, अघर्म का मूल और महान् दोषो का स्थान है ।
अतः निर्ग्रन्थ मुनि उसका सदा त्याग करते हैं ।

इत्थिओ जे न सेवन्ति, आइमोक्खा हु तेजणा ॥११॥

[सू० श्रु० १, अ० १५, उ० ६]

जो पुरुष स्त्रियों का सेवन नहीं करते, वे मोक्ष-मार्ग में अग्रगण्य होते हैं ।

विवेचन—इसी प्रकार जो स्त्रियाँ पुरुष-सेवन नहीं करती, वे भी मोक्ष-मार्ग में अग्रगण्य होती हैं । ब्रह्मचर्यव्रत पुरुष तथा स्त्री—दोनों के लिये समान रूप से हितकर है ।

जे विन्नवणाहिअजोसिया,

संतिणोहि समं वियाहिया ।

तम्हा उडुं ति पासहा,

अदक्खु कामाई रोगवं ॥१२॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० ३, गा० २]

काम को रोगरूप समझकर जो पुरुष स्त्रियों का सेवक नहीं बनते, वे मुक्त पुरुष के समान ही हैं । स्त्री-त्याग के पश्चात् ही मोक्ष-दर्शन सुलभ है ।

जंहिं नारीणं संजोगा, पूयणा पिट्टओ कया ।

सव्वमेयं निराकिञ्चा, ते ठिया सुसमाहिए ॥१३॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० ४, गा० १७]

जिन पुरुषों ने स्त्रीससर्ग और शरीरशोभा को तिलाञ्जलि दे दी है, वे समस्त विघ्नो को जीतकर उत्तम समाधि में निवास करते हैं ।

देवदाणवगंधच्चा, जक्खरक्खसकिन्नरा ।

वंभयारिं नमंसंति, दुक्करं जे करेति तं ॥१४॥

[उक्त० अ० १६, गा० १६]

अत्यन्त दुष्कर ऐसे ब्रह्मचर्यव्रत की साधना करनेवाले ब्रह्मचारी को देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नरादि सभी देवी-देवता नमस्कार करते हैं ।

एस धम्मो ध्रुवे निच्चे, सासए जिणदेसिए ।

सिद्धा सिज्झन्ति चाणेण, सिज्झस्सन्ति तहाऽवरे ॥१५॥

[उक्त० अ० १६, गा० १७]

यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिन-देशित है, अर्थात् जिनों द्वारा उपदिष्ट है । इसी धर्म के पालन से अनेक जीव सिद्ध बन गये, बन रहे हैं और भविष्य में भी बनेंगे ।

वाउच्च जालमच्चेइ, पिया लोगंसि इत्थओ ॥१६॥

[सू० श्रु० १, अ० १५, गा० ८]

जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को पार कर जाता है, वैसे ही महापरानुक्रमी पुरुष इस लोक में स्त्री-मोह की सीमा का उल्लंघन कर जाते हैं ।

नीवारे व न लीएज्जा, छिन्नसोए अणाविले ।

अणाइले सया दंते, संधिपत्त अणोलिसं ॥१७॥

[सू० श्रु० १, अ० १५, गा० १२]

विषय-वासना तथा इन्द्रियों को जीतकर जो छिन्नस्रोत (संसार के प्रवाह को काटनेवाले) बन गये हैं, साथ ही राग-द्वेष रहित हैं, वे भूलकर भी कदापि स्त्रीमोह में न फंसे। क्योंकि स्त्री-मोह सूअर को फंसानेवाले चावल के दाने के समान है। जो पुरुष विषयभोग में अनाकुल और सदा-सर्वदा अपनी इन्द्रियों को वश में रखनेवाला है, वह अनुपम भावसन्धि (कर्मक्षय करने की मानसिक दशा) को प्राप्त होता है।

आलओ थीजणाइण्णो, थीकहा च मणोरमा ।

संधवो चेष नारीणं, तेसिं इंदियदरिसणं ॥१८॥

कूइअं रुइअं गीअं, हासभुत्तासिआणि य ।

पणीअं भत्तपाणं च, अइमायं पाणभोअणं ॥१९॥

गत्तभूसणमिडुं च, कामभोगा य दुज्जया ।

नरस्मत्तगवेगिस्स, विसं तालउडं जहा ॥२०॥

[उक्त० अ० १६, गा० १६-१७-१३]

- (१) स्त्रियों से व्याप्त स्थान, (२) स्त्रियों की मनोहर कथाएँ, (३) स्त्रियों का परिचय, (४) स्त्रियों के अङ्गोपाङ्ग का निरीक्षण, (५) स्त्रियों के मधुर शब्द, रत्न, गीत, हंसी आदि का श्रवण, (६) पूर्वकाल में भुक्त भोगों तथा अनुभूतविषयों का स्मरण,

(७) अधिक चिकने पदार्थों का सेवन, (८) प्रमाण से अधिक आहार, (९) इच्छित शरीर-शोभा और (१०) दुर्जय कामभोग का सेवन— ये दस वस्तुएं आत्मार्थी पुरुष के लिए तालपुट विष के समान है ।

जं विवित्तमणाइन्नं, रहियं थीजणेण य ।

वंमचेरस्स रक्खट्ठा, आलयं तु निसेवए ॥२१॥

[उक्त० अ० १६, गा० १]

मुमुक्षु ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये ऐसे स्थान में निवास करे, जहाँ एकान्त हो, जो कम वस्तीवाला हो और स्त्री आदि से रहित हो ।

विवित्तसेज्जासणजंतियाणं,

ओमासणाणं दमिइंदियाणं ।

न रागसत्तू धरिसेइ चित्तं,

पराइओ वाहिरिवोसहेहिं ॥२२॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १२]

जिस तरह सर्वोत्तम औषधियों से दूर की गई व्याधियाँ पुनः अपना सिर ऊपर नहीं उठाती अर्थात् पैदा नहीं होती, ठीक उसी तरह विवित्त शय्या और आसन का सेवन करनेवाले अल्पाहारी तथा जितेन्द्रिय महापुरुषों के चित्त को राग और विषयरूपी कोई शत्रु सता नहीं सकता, चंचल बना नहीं सकता ।

मणपल्हायजणणी,

कामराग-विवडुणी ।

वंमचेररओ भिक्खू, थीकहं तु विवज्जए ॥२३॥

[उक्त० अ० १६, गा० २]

ब्रह्मचर्यपरायण साधक को चाहिए कि वह मन में आह्लाद उत्पन्न करनेवाली तथा विषय-वासनादि की वृद्धि करनेवाली स्त्री-कथा का निरन्तर त्याग करे ।

समं च संथवं थीहि, संकहं च अभिक्खणं ।

वंमचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥२४॥

[उक्त० अ० १६, गा० ३]

ब्रह्मचर्य में अनुराग रखनेवाले साधक स्त्रियों के परिचय और उनके साथ वैठकर बारबार वार्तालाप करने के अवसरो का सदा के लिए परित्याग कर दे ।

कुञ्चन्ति संथवं ताहिं,

पब्भट्ठा समाहिजोगेहिं ।

तम्हा उ वज्जए इत्थी,

विसलित्तं व कण्ठगं नच्चा ॥२५॥

[सू० श्र० १, अ० ४, उ० १, गा० १६-११]

जो स्त्रियों के साथ परिचय रखता है, वह समाधियोग से भ्रष्ट हो जाता है । अतः स्त्रियों को विषलित्त कंटक के समान समझकर ब्रह्मचारी उनका सम्पर्क छोड़ दे ।

नो तासु चक्खु संघेज्जा,

नो वि य साहसं समभिजाणे ।

नो सहियं पि विहरेज्जा,

एवमप्या सुरक्खिओ होई ॥२६॥

[सू० श्रु० १, अ० ४, उ० १, गा० ५]

ब्रह्मचारी स्त्रियो पर कुदृष्टि न डाले । उनके साथ कुकर्म करने का साहस न करे । ठीक वैसे ही उनके साथ विहार अथवा एकान्तवास भी न करे । इस प्रकार स्त्री-सम्पर्क से बचनेवाला ब्रह्मचारी अपनी आत्मा को सुरक्षित रख सकता है ।

जतुकुंभे जहा उवज्जोई,

संवासं विदू विसीएज्जा ॥ २७ ॥

[सू० श्रु० १, अ० ४, उ० १, गा० २६]

जैसे अग्नि के पास रहने से लाख का घडा पिघल जाता है, वैसे ही विद्वान् पुरुष भी स्त्री के सहवास से विषाद को प्राप्त होता है, अर्थात् उसका मन सक्षुब्ध बन जाता है ।

हत्थपायपडिच्छिन्नं, कन्ननासविगप्पियं ।

अवि वाससयं नारिं, बंभयारी विवज्जए ॥२८॥

[उक्त० अ० ८, गा० ५६]

जिस के हाथ-पैर कट चुके हो, नाक-कान बेडोल बन गये हों, तथा जो सौ वर्ष की आयु की हो गई हो ऐसी वृद्धा और कुरूप स्त्री का सम्पर्क भी ब्रह्मचारी को छोड़ देना चाहिये ।

अहसेऽणुत्तप्पई पच्छा,

भोच्चा पायसं व विसमिस्सं ।

एवं विवेगमायाय,
संवासो नवि कप्पएदविण ॥२६॥

[सू० श्रु० १, अ० ४, उ० १, गा० १०]

विषमिश्रित भोजन करनेवाले मनुष्य की तरह ही स्त्री-समागम करनेवाले ब्रह्मचारी को वाद में बहुत पछताना पडता है। इसलिये प्रारम्भ से ही विवेकी बन, मुमुक्षु आत्मा को स्त्रियों के साथ समागम नहीं करना चाहिये।

जहा विरालावसहस्स मूले,
न मूसगाणं वसही पसत्था।
एमेव इत्थीनिलयस्स मज्झे,
न वंभयारिस्स खमो निवासो ॥३०॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १३]

जैसे विल्लियों के वास-स्थान के पास रहना चूहों के लिये योग्य नहीं है, वैसे ही स्त्रियों के निवास-स्थान के बीच रहना ब्रह्मचारी के लिये योग्य नहीं है।

जहा कुक्कुडपोअसस्स, निच्चं कुललओ भयं।
एवं खु वंभयारिस्स, इत्थी विग्गहओ भयं ॥३१॥

[दश० अ० ८, गा० ५४]

जिस तरह मुर्गी के बच्चे को विल्ली मेरा प्राण हरलेगी ऐसा भय सदा बना रहता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मचारी को भी नित्य स्त्री-सम्पर्क में आने हुए अपने ब्रह्मचर्य के भंग होने का भय बना रहता है।

अंगपञ्चंगसंठाणां, चारुल्लवियपेहियां ।

वंभचैररओ थीणं, चक्खुगिज्झं विवज्जए ॥३२॥

[उक्त० अ० १६, गा० ४]

ब्रह्मचर्य मे अनुराग रखनेवाले साधक को चाहिये कि वह स्त्रियो के अङ्ग-प्रत्यग, सस्थान, मधुर भाषण तथा कटाक्ष का रसास्वादन करना छोड दे ।

न रूवलावण्णविलासहासां,

न जंपियां इंगियपेहियां वा ।

इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता,

दट्ठुं ववस्से समणे तवस्सी ॥३३॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १४]

तपस्वी श्रमण स्त्रियो के रूप-लावण्य, विलास, हास-परिहास, भाषण-सभाषण, स्नेहचेष्टा अथवा कटाक्षयुक्त दृष्टि को अपने मन मे स्थान न दे अथवा उसे देखने का प्रयास न करे ।

चित्तभित्तिं न निज्झाए, नारिं वा सुअलांकियां ।

भक्खरं पिव दट्ठूणं, दिट्ठिं पडिसमाहरे ॥३४॥

[दश० अ० ८, गा० ५५]

साधक श्रृङ्गारपूर्ण चित्रो से सुसज्जित दीवार तथा उत्तम रीति से अलंकृत ऐसी नारी की ओर टकटकी लगाकर देखने का प्रयास न करे । और तिसपर भी यदि दृष्टि पड जाय तो उसे सूर्य पर पडी दृष्टि की तरह शीघ्र ही हटा ले ।

अदंसणं चैव अपत्थणं च,
अर्चितणं चैव अकित्तणं च ।

इत्थीजणस्साऽऽरियज्झाणजुग्गं,
हियं सया वंभवए रयाणं ॥३५॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १५]

ब्रह्मचर्य में लीन और धर्म-ध्यान के योग्य साधु स्त्रियों को रागदृष्टि से न देखे, स्त्रियों की अभिलाषा न करे, मन से उनका चिन्तन न करे और वचन से उनकी प्रशंसा न करे । यह सब उसके ही हित में है ।

जइ तं काहिसी भावं,
जा जा दिच्छसि नारिओ ।
वायाविद्धो एव हडो,
अट्ठिअप्पा भविस्ससि ॥३६॥

[उक्त० अ० २२, गा० ४५]

हे साधक ! जिन-जिन स्त्रियों पर तेरी दृष्टि पड़े, उन सब को भोगने की अभिलाषा करेगा तो वायु से कम्पायमान हड वृक्ष की तरह तू अस्थिर बन जाएगा और अपने चित्त की समाधि खो बैठेगा ।

कूइयं रुइयं गोयं, हसियं थणियकंदियं ।
वंभचंररओ थीणं, सोयगेज्झं विवज्जए ॥३७॥

[उक्त० अ० १६, गा० ५]

ब्रह्मचर्यानुरागी साधक स्त्रियो के मीठे शब्द, प्रेम-रुदन, गीत, हास्य, चित्कार, विलाप, आदि श्रोत्रग्राह्य विषयो का परित्याग कर दे ; अर्थात् इन्हे कानो पर पडने ही न दे ।

हासं किङ्कं रङ्गं दप्पं, सहसा वित्तासियाणि य ।

ब्रंभचेररओ थीणं, नाणुचिन्ते कयाइ वि ॥३८॥

[उक्त० अ० १६, गा० ६]

ब्रह्मचर्य-प्रेमी साधक ने पूर्वविस्था मे स्त्रियो के साथ हास्य, झूतक्रीडा, गरीर-स्पर्श का आनन्द, स्त्री का मान-भर्दन करने के लिये धारण किये हुए गर्व तथा विनोद के लिये की गई सहज चेष्टादि क्रियाओ का जो कुछ अनुभव किया हो, उनका मन से कदापि विचार न करना चाहिये ।

मा पेह पुरा-पणामए,

अभिकंखे उवहिं धुणित्तए ।

जे दूमणएहि नो नया,

ते जाणंति समाहिमाहियं ॥३९॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० २, गा० २७]

हे प्राणी ! पूर्वानुभूत विषय-भोगों का स्मरण न कर ; न ही इनकी कामना कर । सभी माया-कर्मों को दूर कर । क्योंकि मन को दुष्ट बनानेवाले विषयों द्वारा जो नहीं भुक्तता है, वही जिनकथित समाधि को जानता है ।

जहा दवग्गी पठारधणे चणे,

समारुओ नोवसमं उवेइ ।

एविन्दियग्गी वि पगामभेइणो,

न वंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥४०॥

[उक्त० अ० ३०, गा० ११]

जैसे अधिक ईंधनवाले वन में लगी हुई तथा वायु द्वारा प्रेरित दावाग्नि शान्त नहीं होती, वैसे ही सरस एवं अधिक प्रमाणमें आहार करनेवाले ब्रह्मचारी की इन्द्रियरूपी अग्नि शान्त नहीं होती ।

विभूषा इत्थिसंसग्गो, पणीयं रसभोयणं ।

नरस्सत्तगवेसिस्स, विसं तालउडं जहा ॥४१॥

[दश० अ० ८, गा० ५७]

आत्म-गवेषी—आत्मान्वेषक पुरुष के लिये देहविमूषा, स्त्रीससर्ग (सम्पर्क) तथा रसपूर्ण स्वादिष्ट भोजन तालपुट विष के समान हैं ।

पणीयं भत्तपाणं तु, खिप्पं मयविवड्डणं ।

वंभचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥४२॥

[उक्त० अ० १६, गा० ७]

ब्रह्मचर्य के अनुरागी साधक को शीघ्र ही मद (उन्मत्तता) बढाने वाले स्निग्ध भोजन का सदा के लिये परित्याग कर देना चाहिये ।

विवेचन—स्निग्ध अर्थात् रसपूर्ण । घी, दूध, दही, तेल, गुड़ और मिठाई, ये सब स्निग्ध पदार्थों में गिने जाते हैं ।

ब्रह्मचर्य]

धम्मलद्धं मियं काले, जत्तत्थं पणिहाणवं ।

नाइमत्तं तु भुंजिज्जा, वंभचेररओ सया ॥४३॥

[उक्त० अ० १६, गा० ८]

ब्रह्मचर्यानुरागी साधक को चाहिए कि भिक्षा के समय शुद्ध एषणा द्वारा प्राप्त आहार को ही स्वस्थ चित्त होकर सयम-यात्रा के लिये परिमित मात्रा में ग्रहण करे, किन्तु अधिक मात्रा में ग्रहण न करे ।

विभूसं परिवज्जेज्जा, सरीरपरिमंडणं ।

वंभचेररओ भिक्खू, सिंगारत्थं न धारए ॥४४॥

[उक्त० अ० १६, गा० ९]

ब्रह्मचर्यप्रेमी साधक हमेशा आभूषणों का त्याग करे, शरीर की शोभा बढ़ाये नहीं तथा श्रृ गार सजाने की कोई क्रिया करे नहीं ।

सद्दे रूवे य गंधे य, रसे फासे तहेव य ।

पंचविहे कामगुणे, निच्चसो परिवज्जेए ॥४५॥

[उक्त० अ० १६, गा० १०]

ब्रह्मचर्यप्रेमी साधक को शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शादि इन पाँच प्रकार के काम-गुणों का सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये ।

दुज्जेए कामभोगे य, निच्चसो परिवज्जेए ।

संकाठाणाणि सन्नाणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं ॥४६॥

[उक्त० अ० १६, गा० १४]

एकाग्र मन रखनेवाला ब्रह्मचारी दुर्जय कामभोगों को सदा के लिये त्याग दे और सर्व प्रकार के शकास्पद स्थानों का परित्याग करे ।

विमण्णसु मणुन्नेसु, पेमं नाभिनिवेसए ।

अणिच्चं तेसिं विन्नाय, परिणामं पुग्गलाण य ॥४७॥

[दश० अ० ८, गा० ५६]

शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शरूप समस्त पुद्गलों के परिणामों को अनित्य समझ कर ब्रह्मचारी साधक मनोज्ञ विषयों में आसक्त न बने ।

पोग्गलाणं परिणामं, तेसिं नच्चा जहा तथा ।

चिणीयतिण्हो विहरे, सीईभूएण अप्पणा ॥४८॥

[दश० अ० ८, गा० ६०]

शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शरूप पुद्गल परिणामों का यथार्थ स्वरूप जानकर ब्रह्मचारी साधक अपनी आत्मा को शान्त करे तथा तृष्णारहित बन कर जीवन विताये ।



धारा : १५ .

अपरिग्रह

धणधन्नपेसवग्गेसु, परिग्गहविवज्जणं ।
सव्वारंभपरिच्चाओ, निम्ममत्तं सुदुक्करं ॥१॥

[उक्त० अ० १६, गा० २६]

धन, धान्य, नौकर-चाकर आदि का परिग्रह छोड़ना, सर्व हिंसक प्रवृत्तियों का त्याग करना और निर्ममत्व भाव से रहना, यह अत्यन्त दुष्कर है ।

चित्तमंतमचित्तं वा, परिगिज्झ किंसांमवि ।

अन्नं वा अणुजाणाइ, एवं दुक्खाण मुच्चइ ॥२॥

[सू० श्रु० १, अ० १, उ० १, गा० २]

जो सजीव अथवा निर्जीव वस्तु का स्वयं सग्रह करता है और दूसरे के द्वारा भी ऐसा ही सग्रह करवाता है अथवा अन्य व्यक्ति को ऐसा परिग्रह करने की सम्मति देता है, वह दुःख से मुक्त नहीं होता । अर्थात् संसार में अनन्त काल तक परिभ्रमण करता रहता है ।

परिव्वयन्ते अणियत्तकामे,

अहो य राओ परितप्पमाणं ।

अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे,
पप्पोत्ति मच्चुं पुरिसे जरं च ॥३॥

[उक्त० अ० १४, गा० १४]

जो पुरुष काम-भोग से निवृत्त नहीं हुआ है, वह रात-दिन सन्तप्त रहता है। और तदर्थ इधर उधर भ्रमण किया करता है। साथ ही स्वजनो के लिये वह दूषित प्रवृत्ति से धन प्राप्त करने के प्रयत्न में ही जरा एव मृत्यु को प्राप्त होता है।

आउक्खयं चैव अवुज्झमाणे,
ममाइसे साहसकारि मंदे ।

अहो य राओ परितप्पमाणे,
अट्ठेसु मूढे अजरामरेच्च ॥४॥

[सू० श्रु० १, अ० १०, गा० १८]

आयुष्य पल-पल घट रहा है। इस तथ्य को न समझ कर मूर्ख मनुष्य 'मेरा-मेरा' करते हुए नित्य प्रति नया साहस करता रहता है। वह मूढ अजरामर हो इस प्रकार अर्थ-प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है और आर्त्तध्यान वशात् दिन और रात सन्तप्त होता है।

माहणा खत्तिया वेस्सा, चण्डाला अदु वोक्कसा ।
एसिया वेसिया सुद्धा, जेहि आरम्भनिस्मिया ॥५॥
परिग्गहनिविट्ठाणं, वेरं तेसिं पवड्ढई ।
आरंभसंभिया कामा, न ते दुःखविमोयगा ॥६॥

[सू० श्रु० १, अ० ६ गा० २-३]

अपरिग्रह]

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाण्डाल, बोकस, ऐषिक, वैशिक, शूद्र जो कोई आरम्भ मे मग्न है और परिग्रह मे आसक्त है, उसका वैर बहुत बढ जाता है। विषय-वासनादि प्रवृत्तियाँ आरम्भ-समारम्भ से परिपूर्ण है अतः वे मनुष्य को दुःख से छुडा नही सकती।

विवेचन—बोकस अर्थात् वर्णसङ्कर—जाति मे उत्पन्न। ऐषिक अर्थात् बहेलिया आदि। वैशिक अर्थात् वेश्याओ से सम्बन्ध रखने-वाला।

जे पावकम्मेहिं धणं मणूसा,
समाययन्ती अमइं गहाय ।

पहाय ते पासपयट्टिए नरे,
वेरोणुवद्धा णरयं उवेन्ति ॥७॥

[उक्त० अ० ४, गा० २]

जो मनुष्य धन को अमृत मान कर अनेकविध पापकर्मों द्वारा धन की प्राप्ति करता है, वह कर्मों के दृढ पास मे बँध जाता है और अनेक जीवो के साथ वैरानुबन्ध कर अन्त मे सारा धन-ऐश्वर्य यही पर छोड नरक मे जाता है।

थावरं जंगमं चेष, धणं धन्नं उवक्खरं ।

पच्चमाणस्स कम्मेहिं, नालं दुक्खाओ मोअणे ॥८॥

[उक्त० अ० ६, गा० ६]

कर्मवश दुःख भोगनेवाले प्राणी को चल-अचल सम्पति, धन, धान्य, उपकरण आदि कोई भी दुःख से मुक्त करवाने मे समर्थ नही है।

खेतं वत्थुं हिरण्णं च,
 पुत्तदारं च वन्धवा ।
 चइत्ता णं इमं देहं,
 गन्तव्यमवसस्स मे ॥६॥

[उच्च० अ० १६, गा० १७]

मनुष्य मात्र को हमेशा ऐसा सोचना चाहिये कि क्षेत्र (भूमि), घर, सोना-चाँदी, पुत्र, स्त्री, सगे-सम्बन्धी तथा शरीरादि सभी को छोड़कर मुझे एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा ।

जस्सिं कुले समुप्पन्ने, जेहिं वा संवसे नरे ।

ममाइ लुप्पई वाले, अन्नमन्नेहि सुच्छए ॥१०॥

[सू० श्रु० १, अ० १, उ० १, गा० ४]

मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होता है अथवा जिनके साथ वास करता है, उनके साथ अज्ञानवश ममत्व से लिपट जाता है । (अर्थात् यह मेरी माता, यह मेरी पत्नी, यह मेरा पुत्र, ऐसा मानता है ।) ठीक वैसे ही अन्यान्य वस्तुओं में (धन-धान्यादि में) भी मूर्च्छित (ममत्व-शाली) होता है ।

चित्तं सोयरिया चेव, सत्त्वमेयं न ताणइ ।

संखाए जीवियं चेव, कम्मणुणा उ तिउट्टइ ॥११॥

[सू० श्रु० १, अ० १, उ० १, गा० ५]

धन-धान्य और वान्धव आदि कोई भी आत्मा को ससार-परि-भ्रमण से बचा नहीं सकते । अतः सुज सावक को यह जीवन स्वल्प

है—ऐसा समझ कर [समयानुष्ठान द्वारा] कर्म से मुक्त होना चाहिये ।

कसिणं पि जो इमं लोयं,
पणिपुण्णं दलेज्ज इक्कस्स ।
तेणाऽवि से न संतुस्से,
इइ दुप्पूरए इमे आया ॥१२॥

[उक्त० अ० ८, गा० १६]

यदि धन-धान्य से परिपूर्ण यह सारा जगत् किसी मनुष्य को दे दिया जाय तो भी इससे उसे सन्तोष नहीं होगा । लोभी आत्मा की तृष्णा इस प्रकार शान्त होनी अत्यन्त कठिन है ।

सुवण्णरूपस्स उ पच्चया भवे,
सिया हु केलाससमा असंखया ।
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किंचि,
इच्छा हु आगाससमा अणंतिआ ॥१३॥

[उक्त० अ० ९, गा० ४८]

कदाचित् सोने और चाँदी के कैलास के समान असख्य पर्वत बन जाँय तो भी वे लोभी मनुष्य के लिये कुछ भी नहीं हैं । वास्तव में इच्छा आकाश के समान अनन्त है ।

वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते,
इमम्मि लोए अदुवा परत्था ।

दीवप्यण्डे व अणंतमोहे,

नेयाउयं दडुमदडुमेव ॥१४॥

[उक्त० अ० ४, गा० ५]

प्रमादी पुरुष इस लोक में अथवा परलोक में कही भी धन के बल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता । कारण जिसका ज्ञानदीपक अनन्त मोह से बुझ गया है, (अत्यन्त अन्वकारपूर्ण बन गया है) ऐसी आत्मा न्यायमार्ग को देखते हुए भी नहीं देखते हुए के समान वर्तन करती है ।

वियाणिया दुक्खविवडुणं धणं,

ममत्तवन्धं च महब्भयावहं ।

सुहावहं धम्मधुरं अणुत्तरं,

धारेज्ज निव्वाणगुणावहं महं ॥१५॥

[उक्त० अ० १६, गा० ६८]

हे भव्यजनो ! धन को दुःख बढ़ानेवाला, ममत्त्वरूपी बन्धन का कारण तथा महान् भयदाता मानकर उत्तम और महान् धर्मधुरा को धारण करो कि जो सुखदायक और निर्वाण-गुणों को देनेवाली है ।

विडमुब्भेड्मं लोणं, तिल्लं सर्पि च फाणियं ।

न ते सन्निहिमिच्छंति, नायपुत्तवओरया ॥१६॥

[दश० अ० ६, गा १७]

जो लोग भगवान् महावीर के वचनो में अनुरक्त हैं अर्थात् भगवान् महावीर द्वारा बताये हुए सयम-मार्ग में विचरण कर रहे हैं,

वे मक्खन, नमक, तेल, घृत, गुड़ आदि का सग्रह (एक रात्रि के लिए भी) नहीं करते ।

लोहस्सेस अणुप्फासे, मन्ने अन्नयरामवि ।

जे सिया सन्निकामे, गिही पच्चइये न से ॥१७॥

[दश० अ० ६, गा० १८]

क्योकि इस तरह सञ्चित करना, यह एक अथवा अन्य रूप मे लोभ का ही स्पर्श करने जैसा है , अतः जो सग्रह करने की वृत्तिवाले है, वे साधु नहीं बल्कि (सांसारिक वृत्तियो मे रमे हुए) गृहस्थ ही है ।

जं पि वत्थं च पायं वा, कंवलं पायपुंछणं ।

त पि संजमलज्जठा, धारेन्ति परिहरन्ति य ॥१८॥

[दश० अ० ६, गा० १९]

सयमी पुरुष वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादलुञ्छन आदि जो कुछ भी अपने पास रखते है, वह सयम के निर्वाह हेतु ही रखते है (अतः वह परिग्रह नहीं है) । किसी समय वे संयम की रक्षा के लिये इनका त्याग भी करते हैं ।

न सौ परिग्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा ।

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इइ वुत्तं महेसिणा ॥१९॥

[दश० अ० ६, गा० २०]

प्राणिमात्र के सरक्षक ज्ञातपुत्र श्रीमहावीर देव ने वस्त्रादि बाह्य

वस्तुओ को परिग्रह नहीं कहा है, बल्कि उनके प्रति मन में रहे ममत्व को परिग्रह कहा है ।

सन्नत्थुवहिणा बुद्धा, संरक्षणपरिगृहे ।

अवि अप्पणो वि देहम्मि, नाऽऽयरंति समाइयं ॥२०॥

[दश० अ० ६, गा० २१]

ज्ञानी पुत्र वस्त्र, पात्र आदि सर्वप्रकार की साधन-सामग्री के संरक्षण या स्वीकार में ममत्व-वृत्ति का अवलम्बन नहीं रखते । अधिक क्या ? वे अपने शरीर के प्रति भी ममत्व नहीं रखते ।

सामान्य साधुधर्म

पंचासत्रपरिष्णाया, तिगुत्ता छसु संजया ।
पंचनिग्गहणा धीरा, निग्गंथा उज्जुदंसिणो ॥१॥

[दश० अ० ३, गा० ११]

निर्ग्रन्थ मुनि (हिंसादि) पाँच आश्रवद्वार के त्यागी. तीन गुप्तियो से गुप्त, छह प्रकार के जीवो की दया पालनेवाले, पाँच इन्द्रियो का निग्रह करनेवाले, स्वस्थ चित्तवाले और सरलस्वभावी होते हैं ।

गारवेषु कपाएसु, दण्डसल्लभएसु अ ।
नियत्तो हाससोगाओ, अनियाणो अवंधणो ॥२॥

[उक्त० अ० १६, गा० ६२]

साधु (रसगारव, ऋद्धिगारव और सातागारवादि तीन प्रकार के) गारव, (क्रोधादि चार प्रकार के) कषाय, (मन, वचन, काया की) दुष्प्रवृत्तिआँ तथा (माया, निदान और मिथ्यात्वादि तीन) शल्य, भय, हास्य एवं शोक से निवृत्त होता है । वह जप-तप के फलस्वरूप सासारिक सुखो की कामना नही करता और माया के बन्धनो से पूर्णतया मुक्त होता है ।

अप्पसत्थेहिं दारेहिं, सच्चओ पिहियासवो ।

अज्झप्पज्झाण जोगेहिं, पसत्थदमसासणो ॥३॥

[उक्त० अ० १६, गा० ६४]

साधु कर्म आने के सभी अप्रगस्त द्वारों को सब ओर से बंद कर अनास्रवी हो जाता है और अध्यात्म तथा ध्यान-योग से आत्मा का प्रशस्त दमन एव अनुशासन करनेवाला होता है ।

अतिंतिणे अचवले, अप्पभासी मियासणे ।

हविज्ज उअरे दंते, थोवं लद्धुं न खिसए ॥४॥

[दश० अ० ८, गा० २६]

साधु क्रोध से बड़बड़ाहट न करनेवाला, स्थिर-बुद्धि, तोलकर बोलनेवाला, परिमित आहारकर्ता तथा भूख का दमन करनेवाला होता है । वह थोडा आहार मिलने पर कभी क्रोध नहीं करता ।

जाइ सद्धाइ निक्खंतो, परियायट्ठाणमुत्तमं ।

तमेव अणुपालिज्जा, गुणे आयरियसम्मए ॥५॥

[दश० अ० ८, गा० ६१]

(साधु ने) जिस अनन्य श्रद्धा से गृहत्याग कर उत्तम चारित्र-पद अगीकार किया हो, उसी श्रद्धा से महापुरुषों द्वारा प्रदर्शित कल्याण-मार्ग का अनुसरण करना चाहिये ।

देवलोगसमाणो च, परियाओ महेसिणं ।

रयाणं अरयाणं च, महानरयसारिसो ॥६॥

[दश० चू० १, गा० १०]

सयम मे अनुरक्त महर्षियों को चारित्रपर्याय देवलोक जैसा सुख-
ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला होता है । जो सयम मे अनुरक्त नहीं है,
उनके लिए वही चारित्रपर्याय महानरक जैसा कष्टदायक बन
जाता है ।

आयावयाही चय सोअमल्लं,
कामे कमाही कमियं खु दुक्खं ।

छिंदाहि दोसं विणएज्ज रागं,
एवं सुही होहिसि संपराए ॥७॥

[दश० अ० २, गा० ५]

आत्मा को तपाओ (क्लेश पहुँचाओ), सुकुमारता का त्याग
करो और कामनाओ को छोड़ दो, इससे दुःख अवश्य दूर होंगे ।
द्वेष को छिन्न-भिन्न करो और राग का उच्छेद करो । ऐसा करने
से संसार में सुखी बनोगे ।

जे न वंदे न से कुप्पे, वंदिओ न समुक्खसे ।

एवमन्नेसमाणस्स, सामण्णमणुचिट्ठइ ॥ ८ ॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० ३०]

यदि कोई वन्दन न करे तो क्रुद्ध न होवे और यदि कोई वन्दन
करे तो अभिमान न करे । इस प्रकार जो विवेकपूर्वक सयम-धर्म का
पालन करता है, उसका साधुत्व स्थिर रहता है ।

न सयं गिहाइं कुच्चिज्जा, नेव अन्नेहिं कारए ।

गिहकम्मसमारंभे, भूयाणं दिस्सए वहो ॥९॥

[उक्त० अ० ३५, गा० ८]

माघु स्वयं गृहादि का निर्माण न करे, दूसरों के पास न करवाये और कोई करता हो तो उसका अनुमोदन भी न करे। क्योंकि गृह-कार्य के समारम्भ मे अनेक प्राणियों का वध प्रत्यक्ष दिखाई देता है।

तमाणं थावराणं च, सुहुमाणं वायराण य ।

गिहकम्मसमारंभं, संजओ परिवज्जए ॥१०॥

[उक्त० अ० ३५, गा० ६]

गृहादिनिर्माण मे व्रत, स्यावर, मूकम और वादर (स्तूल) जीवों का वध होता है। इसलिये साघु गृहकार्य-समारम्भ का परिवर्जन करे।

तहेव भत्तयाणेसु, पयणे पयावणेसु य ।

पाणभूयदयडाए, न पए न पयावए ॥११॥

[उक्त० अ० ३५, गा० १०]

इसी प्रकार भोजन बनाने-वनवाने मे भी जीववध प्रत्यक्ष दिखाई देना है। अतः प्राणियों तथा भूतमात्र की दया के लिये माघु स्वयं भोजन बनाये नहीं और दूसरों ने भी बनवाये नहीं।

एगयाचेरए होइ, मचेले यात्रि एगया ।

एअं घम्महियं नच्चा, नाणो नां परिदेवए ॥१२॥

[उक्त० अ० २, गा० १३]

माघु कभी वन्य-रहित होता है तो कभी वन्य-रहित। इन दोनों भवन्व्याजों को घर्म में हितकारी मानकर उनका खेद न करे।

सामान्य साधुधर्म]

कण्णसोक्खेहिं सद्देहिं, पेमं नाभिनिवेसए ।
दारुणं कक्कसं फासं, काएण अहियासए ॥१३॥
[दश० अ० ८, गा० २६]

साधु कर्ण-प्रिय शब्दों पर मुग्ध न होवे, साथ ही दारुण और कर्कश स्पर्शों को समभावपूर्वक सहन करे ।

समणं संजयं दन्तं, हणेज्जा को वि कत्थइ ।
नत्थि जीवस्स नासोत्ति, एवं पेहेज्ज संजए ॥१४॥
[उक्त० अ० २, गा० २७]

इन्द्रियो का दमन करनेवाले संयमी साधु को यदि कोई दुष्ट व्यक्ति किसी प्रकार से सताये अथवा मार-पीट करे तो 'जीव का कभी नाश नहीं होता' ऐसा विचार करे ।

खुअं पिवासं दुस्सेज्जं, सीउण्हं अरइं भयं ।
अहियासे अन्वहिओ, देहदुक्खं महाफलं ॥१५॥
[दश० अ० ८, गा० २७]

क्षुधा, तृषा, दुःशय्या, ठड, गर्मी, अरति, भय, आदि सभी कष्टों को साधक अदीन भाव से सहन करे । [समभाव से सहन किये गये]
दैनिक कष्ट महाफलदायी होते हैं ।

सूरं मण्णइ अप्पाणं, जाव जेयं न पस्सई ।
जुज्झंतं दढधम्माणं, सिसुपालो व महारहं ॥१६॥

पयाया सूरा रणसीसे, संगामम्मि उवड्डिए ।

माया पुत्तं न जाणाइ, जेण परित्रिच्छए ॥१७॥

एवं सेहे वि अप्पुड्डे, भिक्खायरियाअकोविए ।

सूरं मन्नइ अप्पाणं, जाव लूहं न सेवए ॥१८॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० १ २-३]

जहाँ तक कायर पुरुष विजयी पुरुष को नहीं देखता है, वहाँ तक वह अपने को शूर मानता है, परन्तु युद्ध करते समय महारथी श्रीकृष्ण से गिणुपाल ज्यो क्षुब्ध हुआ था, त्यों ही क्षुब्ध होता है ।

स्वय को गूरवीर माननेवाला पुरुष संग्राम के अग्रिम मोर्चे पर चला जाता है, किन्तु जब युद्ध आरम्भ होता है तो ऐसी घबराहट फैल जाती है कि माता को अपनी गोद से गिरते बच्चे की भी सुवि नहीं रहती, तब शत्रुओं के प्रहार से भयभीत बना वह अल्प पराक्रमी पुरुष दीन बन जाता है ।

जैसे कायर पुरुष शत्रुओं द्वारा घायल न होवे तबतक अपने आपको गूरवीर मानता है । ठीक वैसे ही भिक्षाचर्या में अकुशल तथा परीषहों से अस्पृष्ट ऐसा नवदीक्षित मुनि भी कठोर समय का पालन नहीं करता, तबतक अपने को वीर मानता है ।

जया हेमंतमासम्मि, सीयं फुसइ सन्नगं ।

तत्थ मन्दा विसीयंति, रज्जहीणा व खत्तिया ॥१९॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० ४]

जिस तरह राज्य-भ्रष्ट क्षत्रिय विषाद का अनुभव करता है, ठीक उसी तरह अल्प पराक्रमी साधु पुरुष भी हेमन्त ऋतु के महीने में सर्वांगो को शीत स्पर्श करने पर विषाद का अनुभव करता है ।

पुडे गिम्हाहितावेणं, विमणे सुपिवासिए ।

तत्थ मन्दा विसीयन्ति, मच्छा अप्पोदए जहा ॥२०॥

[सू० ध्र० १, अ० ३, उ० १, गा० ५]

ज्यों थोड़े जल में मछली विषाद का अनुभव करती है, त्यो ही ग्रीष्म ऋतु के अति ताप से तृषापीडित होने पर अल्प पराक्रमी साधु पुरुष भी विषाद का अनुभव करता है ।

सया इत्तंसणा दुक्खा, जायणा दुप्पणोल्लिया ।

कम्मत्ता दुब्भगा चेव, इच्चाहंसु पुट्टोजणा ॥२१॥

[सू० ध्र० १, अ० ३, उ० १, गा० ६]

साधुजीवन में दो गई वस्तु लेना, यह दुःख सदा रहता है । याचना का परीषह असह्य होता है । सामान्य मनुष्य प्रायः यह कहते पाये जाते हैं कि 'यह भिक्षु भाग्यहीन है और अपने कर्मों का फल भोग रहा है' ।

एए सहा अचायन्ता, गामेसु नगरेसु वा ।

तत्थ मन्दा विसीयन्ति, संगामम्मि व भीरुया ॥२२॥

[सू० ध्र० १, अ० ३, उ० १, गा० ७]

गाँव और नगरो में इसतरह कहे गये आक्रोशपूर्ण वचनों को सहन न कर सकनेवाला अल्प पराक्रमी साधु पुरुष सग्राम में गये हुए भीरु पुरुष के समान ही विषाद को प्राप्त होता है ।

अप्येगे खुधियं भिक्षुं, सुणी उंसइ लूसए ।

तत्थ मन्दा विसीयन्ति, तेउपुट्टा व पाणिणो ॥२३॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० ८]

भिक्षा के लिये निकले हुए भूखे सावु को जब कोई क्रूर प्राणी—कुत्ता आदि काट खाता है, तब अल्प पराक्रमी सावु पुरुष अग्नि से झुलसे गये प्राणी के समान विषाद को प्राप्त होता है ।

पुट्टो व दंममसगेहिं, तणफासमचाइया ।

न मे दिट्ठे परे लोए, जइ परं मरणं सिया ॥२४॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० १०]

डाँस और मच्छर के टग तथा तृण की गव्या के रखे स्पर्शको सहन न कर सकनेवाला अल्प पराक्रमी सावु पुरुष ऐसा भी सोचने लगता है कि—'मैंने परलोक तो प्रत्यक्ष देखा नहीं, किन्तु इस कष्ट से तो साक्षात् मरण ही दिखाई दे रहा है' ।

संतत्ता केसलोएणं, वंभचेरपराइया ।

तत्थ मन्दा विसीयन्ति, मच्छा विट्टा व केयणे ॥२५॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० १३]

केसलोच से पीड़ित एवं ब्रह्मचर्य पालन में अक्षम अल्प पराक्रमी सावु पुरुष जाल में फँसी हुई मछली के समान दुःख का अनुभव करता है ।

आयदण्डसमायारे, मिच्छासंठियभावना ।

हरिसप्यओसमावन्ना, केई लूसन्ति जनारिया ॥२६॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० १४]

सामान्य साधुधर्म]

कितने अनार्य-पुरुष मिथ्यात्व की भावना में डूबे हुए राग-द्वेष-पूर्वक जान-बूझकर साधुओं को पीडा पहुँचाते हैं और अपनी आत्मा को दण्डभागी बनाते हैं ।

अप्येगे पलियन्ते सिं, चारो चोरो त्ति सुच्चयं ।

बन्धन्ति भिक्खुयं वाला, कसायवयणेहि य ॥२७॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० १५]

कई अज्ञानी जन विहार करते हुए सुत्रती साधु को यह 'गुप्तचर है' 'यह चोर है' ऐसा कहकर रस्सी आदि से बँधवाकर तथा कटु-वचनों से पीडा पहुँचा कर कष्ट देते रहते हैं ।

तत्थ दंडेण संवाते, मुट्ठिणा अट्टु फलेण वा ।

नाईणं सरई वाले, इत्थी वा कुद्धगामिणी ॥२८॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० १६]

अनार्य देश के असस्कारी लोग साधु को लाठी, मुक्का अथवा लकड़ी के पट्टिये आदि से मारते—पीटते हैं । उस समय अल्प पराक्रमी साधु पुरुष क्रोधवश घर से बाहर निकली हुई तथा बन्धु-बान्धवों का स्मरण करती हुई स्त्री के समान अपने बन्धु-बान्धवों का स्मरण करता है ।

न वि ता अहमेव लुप्पए,

लुप्पन्ती लोगंसि पाणिणो ।

एवं सहिएहि पासए,

अनिहे से पुट्टे हियासए ॥२९॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० १, गा० १३]

कष्ट या आपत्ति के टूट पडने पर ज्ञानी पुरुष प्रायः खेदरहित मन से ऐसा विचार करता है कि निरा मैं ही इन कष्टों से पीड़ित नहीं हूँ, किन्तु संसार में दूसरे भी दुःखित हैं। और जो कष्ट या आपत्तियाँ सिरपर आती हैं—उन्हे शान्तिपूर्वक सहन करता है।

ए ए भो कसिणा फासा, फरुसा दुरहियासया ।

हत्थी वा सरसंवित्ता, कीवा वस गया गिहं ॥३०॥

[सू० ध्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० १७]

हे शिष्यो ! ये सारे परीपह कष्टदायी और दुःसह हैं। ऐसी स्थिति में कायर-पुरुष वाणो के प्रहार से घायल हुए हाथी की तरह भयभीत होकर गृहवास में चला जाता है।

जहा संगामकालम्मि, पिट्ठओ भीरू पेहइ ।

वलरं गहणं नूमं, को जाणइ पराजयं ॥३१॥

एवं उ समणा एगे, अवलं नच्चाण अप्पगं ।

अणागयं भयं दिस्म, अविक्कप्पंतिमं सुयं ॥३२॥

[सू० ध्रु० १, अ० ३, उ० ३, गा० १३]

जैसे युद्ध के समय कायर पुरुष किमकी विजय होगी ? ऐसी शका-कुम्भका करता हुआ हमेशा पीछे की ओर देखता है और किसी बल्य (गोल आकार का तबुद्धा), झाड़ी आदि घना प्रदेश अथवा दुर्गम भाग पर दृष्टि डालता है, वैसे ही कुछ धर्मण अपने को समय का पालन करने में अत्ययं पाकर अनागत भय की आशङ्का में व्याकरण और ज्योतिष आदि की शरण लेते हैं।

जे उ संगामकालम्भि, नाया सूरपुरंगमा ।

नो ते पिट्टमुवेहिंत्ति, किं परं मरणं सिया ॥३३॥

सू० श्र० १, अ० ३, उ० गा० ६]

परन्तु जो पुरुष लडने में प्रसिद्ध और शूरो में अग्रगण्य होते हैं वे पिछली बातों पर कतई ध्यान नहीं देते। क्योंकि वे यह भली-भाँति जानते हैं कि मृत्यु से अधिक और क्या होनेवाला है ?

जे लक्खणं सुविण पउंजमाणे,

निमित्तकोउहलसंपगाढे,

कुहेडविज्जासवदारजीवी,

न गच्छई सरणं तम्मि काले ॥३४॥

[उक्त० अ० २०, गा० ४५]

जो साधु लक्षणशास्त्र तथा स्वप्नशास्त्र का प्रयोग करता है, सदा निमित्त-कुतूहल में आसक्त रहता है, जन साधारण को आश्चर्य चकित कर आश्रव बढ़ानेवाली विद्याओं से जीवन चलाता है, उसका कर्मफल भोगने के समय कोई शरणभूत नहीं होता।

जे सिया सन्निहिं कामे, गिही पव्वइए न से ॥३५॥

[दश० अ० ६, गा० १६]

जो साधु (घृत, गुड, मिस्री, शकर आदि का) संग्रह करना चाहता है, वह वस्तुतः साधु नहीं, गृहस्थ है।

गोवालो भंडवालो वा, जहा तद्द्वणिस्सरो ।

एवं अणिस्सरो तं पि, सामण्णस्स भविस्ससि ॥३६॥

[उक्त० अ० २२, गा० ४६]

हे गिण्य ! जिस तरह ग्वाला गौओ के चराने मात्र से उनका स्वामी नहीं बन जाता अथवा कोपाध्यक्ष घन की सुरक्षा करने मात्र से ही उसका स्वामी नहीं बन पाता । ठीक उसी तरह तू भी केवल सावु के वेग-वस्त्रादि की रक्षा करने से सावुत्व का अधिकारी नहीं बन सकेगा ।

कह न कुज्जा सामणं, जो कामे न निवारए ।

पए पए विसीयंतो, संकप्पस्स वसं गओ ॥३७॥

[दश० अ० २, गा० १]

जो सावक सङ्कल्प-विकल्प के बगीभूत होकर पद-पद पर विषाद-युक्त अर्थात् गिथिल हो जाता है और विषय-वासनादि का निवारण नहीं करता, वह भला श्रमणत्व का पालन किस तरह कर सकेगा ? तात्पर्य यह है कि वह कदापि नहीं कर सकेगा ।

न पूयणं चेव मिलोयकामी,

पियमप्पियं कम्मइ णो करेज्जा ॥

सन्वे अणट्ठे परिवज्जयंते,

अणाउले या अकसाइ भिक्खू ॥३८॥

[सू० श्रु० १, अ० १३, गा० २२]

सावु पूजन और कीर्ति की कामना न करे, किसी को प्रिय अथवा अप्रिय न बनाये । वह सभी प्रकार की अनर्थकारी प्रवृत्तियों का त्याग करे और भयरहित तथा कपायरहित बने ।

सुकज्ज्ञाणं झियाएजा, अनियाणे अकिंचणे ।

वोसट्टकाए विहरेजा, जाव कालस्स पज्जओ ॥३६॥

[उक्त० अ० ३५, गा० १६]

साधु शुक्ल ध्यान मे मग्न रहे, जप-तप के फलरूप सासारिक सुखो की कामना न करे, सदा अकिञ्चनवृत्ति से रहे तथा मृत्यु-पर्यन्त काया का ममत्व त्याग कर विचरण करता रहे ।

जे माहणे खत्तियजायए वा, तहुग्गपुत्ते तह लेच्छई वा ।

जे पव्वइए परदत्तभोई, गोत्ते ण जे थब्भति माणवद्धे ॥४०॥

[सू० श्रु० १, अ० १३, गा० १०]

जिसने प्रव्रज्या ग्रहण कर ली और जो दूसरे को दी गई भिक्षा का भोक्ता बन गया, वह पहली अवस्था मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, उग्रवंश अथवा लिच्छवी आदि किसी भी वंश या जाति का हो, किन्तु उसे अपने पूर्व गोत्र के अभिमान मे बंधे रहना नहीं चाहिये ।

आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं,

सहायमिच्छे निउणत्थवुद्धि ।

निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोगं,

समाहिकामे समणं तवस्सी ॥४१॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ४]

समाधि के इच्छुक तपस्वी साधु को परिमित और शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिये, निपुणार्थ बुद्धिवाले को अपना साथी रखना

चाहिये और रहने के लिये स्त्री आदि के ससर्ग से रहित स्थान को पसन्द करना चाहिये ।

न वा लभेज्जा निउणं सहायं,

गुणाहियं वा गुणओ समं वा ।

एको वि पावाइ विवज्जयंतो,

विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥४२॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ५]

यदि योग्य छान-वीन के वाद भी गुण मे अपने से अधिक या अपने जैसी ही कक्षावाला—योग्यतावाला निपुण साथी नही मिले तो वह सदा-सर्वदा पापो का वर्जन करता हुआ और भोग के प्रति अनासक्त वृत्ति धारण कर अकेला ही विचरण करे ।

जे ममाइअमइं जहाइ, से जहाइ ममाइअं ।

से हु दिट्ठभए सुणी, जस्स नत्थि ममाइअं ॥४३॥

[आचा० अ० २, उ० ६]

जो अपनी ममतावाली बुद्धि का त्याग कर सकता है, वही परिग्रह का त्याग कर सकता है । जिसके चित्त मे ममत्व नही है, वही ससार के भयस्थानो को भली-भाँति देख सकता है ।

वत्थगंधमलंकारं, इत्थिओ सयणाणि य ।

अच्छन्दा जे न भुंजंति, न से चाइत्ति वुच्चइ ॥४४॥

[वष० अ० २, गा० २]

जो वस्त्र, गन्ध, अलंकार, स्त्री, पलग आदि का परवशता के कारण उपभोग नहीं कर सकता, उसे सच्चा त्यागी अर्थात् साधु नहीं कहा जा सकता ।

जे य कंते पिए भोए, लद्धं वि पिट्टिकुच्चई ।

साहीणं चयई भोए, से हु चाइ त्ति बुच्चइ ॥४५॥

[दश० अ० २, गा० ३]

जो इष्ट और मनोहर भोग प्राप्त होने पर भी उनका परित्याग करता है, तथा स्वाधीन भोगों को भी नहीं भोगता है, वही सच्चा त्यागी अर्थात् साधु कहा जाता है ।

छज्जीवकाए असमारभन्ता,

मोसं अदत्तं च असेवमाणा ।

परिग्गहं इत्थिओ माणमायं,

एयं परिन्नाय चरन्ति दन्ता ॥४६॥

[उक्त० अ० १२, गा० ४१]

इन्द्रियो का दमन करनेवाले साधु पुरुष छह काय के जीवों को पीडा नहीं पहुँचाते, मृषावाद और अदत्त का सेवन नहीं करते तथा परिग्रह, स्त्री, मान और माया को त्याग करके विचरते हैं ।

निहं च न बहु मन्नेजा, सप्पहासं विवज्जए ।

मिहो कहाहिं न रमे, सज्झायम्मि रओ सया ॥४७॥

[दश० अ० ८, गा० ४२]

साधु पुरुष को चाहिये कि वह निद्रा का विशेष आदर न करे, हँसी-मजाक का त्याग करे, किसी की गुप्त बातों में दिलचस्पी न ले और स्वाध्याय में सदा मग्न रहे ।

अचचणं रयणं चैत्र, वन्दणं पूजणं तथा ।

डडूसकारसम्माणं, मणसा वि न पत्थए ॥४८॥

[उक्त० अ० ३५, गा० १८]

साधुपुरुष अर्चना, रचना, वन्दन, पूजन, ऋद्धि, सत्कार और सम्मान की मन से भी कभी इच्छा न करे ।

चरे पयाई परिमंक्रमाणो,

जं किंचि पामं इह मण्णमाणो ।

लाभांतरे जीविय ब्रह्मइत्ता,

पच्छा परिन्नाय मलावधंसी ॥४९॥

[उक्त० अ० ४, गा० ७]

साधुपुरुष इस जगत् में स्त्री, पुत्र, धन, सम्पत्ति आदि जो कुछ भी सुख की सामग्री है उसे एक प्रकार का जाल या मत्स्य माने ; और वही मेरे चारित्र्य में इनसे दोष न लग जाय, ऐसी शका धारण कर सावधानी में अपना कदम उठाये । जहाँ तक ज्ञानादि का लाभ होना हो वहाँ तक वह जीवन की वृद्धि करे और जब यह परीत मयम-सावना में नित्ययोगी प्रतीत हो, तब मउ के समान उमका त्याग कर दे ।

निम्ममो निरहंकारो, निस्संगो चत्तगारवो ।

समो अ सच्चभूएसु, तसेसु थावरेसु य ॥५०॥

[उक्त० अ० १६, गा० ८६]

साधु पुरुष ममत्वरहित, अहङ्काररहित, निःसंगी, गौरव का परित्याग करनेवाला और त्रस-स्थावर सभी प्राणियों के प्रति समदृष्टि रखनेवाला होता है ।

लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीविए मरणे तहा ।

समो निंदापसंसासु, समो माणावमाणवो ॥५१॥

[उक्त० अ० १६, गा० ६०]

साधु पुरुष लाभ-हानि, सुख-दुःख, जीवन-मरण, निन्दा-प्रशंसा और मानापमान आदि हर स्थिति में समभाव से रहनेवाला होता है ।

गारवेसु कसाएसु, दंड-सल्ल-भएसु य ।

नियत्तो हास-सोगाओ, अणियाणो अवंधणो ॥५२॥

[उक्त० अ० १६, गा० ६१]

साधु पुरुष (तीन प्रकार के) गारव से, (चार प्रकार के) कषाय से, (तीन प्रकार के) दण्ड से, (तीन प्रकार के) शल्य से, (सात प्रकार के) भय-स्थानो से, हास्य से तथा शोक से निवृत्त होता है । वह समय के फलरूप किसी प्रकार के सासारिक सुखों की इच्छा करता नहीं, किसी प्रकार के बन्धन में फँसता नहीं ।

अणिस्सियो इहं लोए, परलोए अणिस्सियो ।

वासीचंदणकप्पो य, असणे अणसणे तहा ॥५३॥

[उक्त० अ० १६, गा० ६२]

साधु इस लोक में सुख भोगने की इच्छा न रखे, और न ही परलोक में सुख भोगने की इच्छा रखे। कोई अपने शरीर को बसौले से छील डाले अथवा चन्दन का लेप करे, ठीक वैसे ही भोजन मिले या अनगन करना पड़े तो भी हर स्थिति में समभाव धारण करे।

हम्ममाणो न कुप्पेज्जा, बुच्चमाणो न संजले ।

सुमणो अहियासिज्जा, न य कोलाहलं करे ॥५४॥

[सू० ध्रु० १, अ० ६, गा० ३१]

कोई पीटे तो क्रोध न करे, कोई कटुवचन कहे तो गर्म न होवे, सभी परीपह समभाव से सहन करे और किसी प्रकार का कोलाहल न करे।

सुवकसुद्धिं समुपेहिया मुणी,

गिरं च दुडुं परिवज्जे सया ।

मिअं अदुडुं अणुवीइ भासए,

सयाण मज्जे लहई पसंसणं ॥५५॥

[दग० अ० ७, गा० ५२]

जो मुनि वाक्यशुद्धि का अच्छी तरह में विचार कर गन्दी भाषा का प्रयोग करना सदा के लिये छोड़ देता है, जो मित और अदुष्ट भाषा बोलता है, वह सन्तुष्टों में प्रशंसा का पात्र होता है।

निज्जूहिऊण आहारं, कालधम्मे उव्वट्टिए ।
 जहिऊण माणुसं वोदिं, पहू दुक्खा विमुच्चई ॥५६॥
 निम्ममो निरहंकारो, वीयरगो अणासवो ।
 संपत्तो केवलं नाणं, सासयं परिणिव्वुए ॥५७॥

[उक्त० अ० ३५, गा० २० २१]

जो सामर्थ्यवान् मुनि कालधर्म (मृत्यु) के निकट आते ही आहार का त्याग करता है और अनशन-व्रत धारण कर इस शरीर का परित्याग कर देता है, वह सभी दुःखों से मुक्त होता है ।

जो साधु ममत्व-रहित, अहङ्कार-रहित, वीतराग और अनास्रवी बनता है, वह केवलज्ञान प्राप्त कर शाश्वत सुख का भोक्ता बनता है ।



साधु का आचरण

पुढविं भित्तिं सिलं लेलुं, नेव भिंदे न संलिहे ।

तिविहेण करणजोगेणं, संजए सुसमाहिए ॥१॥

[दश० ८, गा० ४]

समाधिवृत सयमी—पुरुष—पृथ्वी, दीवाल, पाषाण, गिला तथा ईंटो को तीन करण और तीन योग से तोडे नही तथा उनके टुकडे भी करे नही ।

विवेचन—करना, कराना और करनेवाले का अनुमोदन करना—ये तीन करण कहलाते है । जबकि मन, वचन और काया—ये तीन योग कहलाते है । अतः साधु को चाहिए कि वह मन, वचन और काया से ये क्रियाएँ न करे दूसरे के पास न करवाये और कोई करता हो तो उसका अनुमोदन भी न करे ।

सुद्धपुढवीं न निसीए, ससरक्खंम्मि अ आसणे ।

पमज्जितु निसीइज्जा, जाइत्ता जस्स उग्गहं ॥२॥

[दश० अ० ८, गा० ५]

इसी प्रकार आसन के अतिरिक्त जमीन पर अथवा सजीव पृथ्वी पर धूल के ही बने हुए आसन पर बैठे नही । यदि बैठने की

आवश्यकता पड जाय तो स्वामी की आज्ञा लेकर अचित्त पृथ्वी पर प्रमार्जना (योग्य साफ-सफाई) कर बैठे ।

सीओदगं न सेविज्ञा, सिलावुडुं हिमाणि य ।

उसिणोदगं तत्तफासुयं, पडिगाहिज्ज संजए ॥३॥

[दश० अ० ८, गा० ६]

सयमी पुरुष (नदी, कुआँ, तालाब आदि के) ठडे पानी का उपयोग न करे, वर्षा के पानी को काम मे न लावे और वर्ष के पानी का भी उपयोग न करे । वह सदा खूब उबले हुए निर्जीव पानी गहण करे और उसी का उपयोग करे ।

उदुल्लं अप्पणो कायं, नेव पुंछे न संलिहे ।

समुप्पेह तहाभूयं, नो ण संघट्टेए सुणी ॥४॥

[दश० अ० ८, गा० ७]

यदि अपना गरीर सचित्त जल से भीग गया हो तो मुनि उसे पोंछे नही और घिस कर सुखाने का प्रयत्न करे नही । शरीर को भीगा देखकर उसका स्पर्श भी न करे अर्थात् गरीर सूखे तब तक उसे वैसा-का-वैसा रहने दे ।

विवेचन—शीचादि आवश्यक कार्यों से निपटने के लिये गाँव से बाहर जाते समय यदि वर्षा हो जाय और गरीर भीग जाय तो उस समय क्या करना चाहिये—वह इस गाथा मे बतलाया गया है ।

जायतेयं न इच्छति, पात्रगं जलिइत्तए ।

तिक्खमन्नयरं सत्थां, सच्चओ वि दुरासयं ॥५॥

[दश० अ० ६, गा० ३२]

साधु कभी भी आग को प्रकट करने की अथवा उसे बढ़ाने की इच्छा नहीं करते, क्योंकि वह (अनेक जीवों का अहित करनेवाली होने से) पापकारी है और अन्य शस्त्रों की अपेक्षा अत्यन्त तीक्ष्ण भी है । वह सब ओर से सहन न हो सके ऐसी है । तात्पर्य यह कि अन्य शस्त्रों के तो एक ओर ही धार होती है, जबकि अग्नि के सब ओर धार होती है ।

भूयाण मेसमाघाओ, हव्ववाहो न संसओ ।

तं पईवपयावडा, संजया किंचि नारभे ॥६॥

[दश० अ० ६, गा० ३४]

अग्नि प्राणिमात्र के लिए घातक है, इसमें कोई सन्देह नहीं । अतः संयमी पुरुष प्रकाश अथवा ताप प्राप्त करने के लिए उसका आरम्भ नहीं करते, अर्थात् प्रज्वलित नहीं करते ।

इंगालं अगणिं अच्चि, अलायं वा सजोइयं ।

न उंजिज्जा न घट्टिज्जा, नो णं निन्वावए मुणी ॥७॥

[दश० अ० ८, गा० ८]

मुनि को चाहिये कि वह गोला, अग्नि, ज्वाला या ज्योति सहित अवजली लकड़ी को कभी ज्यादा प्रज्वलित करे नहीं, उसका स्पर्श भी करे नहीं और उसे बुझाये भी नहीं ।

अणिलस्स समारंभं, बुद्धा मन्नांति तारिसं ।

सावज्जवहुलं चेयं, नेयं ताईहि सेवियं ॥८॥

[दश० अ० ६, गा० ३६]

ज्ञानीजन वायुकाय के समारम्भ को भी वैसा ही (अग्नि के समारम्भ के समान ही बहुत पापकारी) मानते हैं । अतः छहकाय का रक्षक साधु उसका कदापि सेवन न करे ।

तालियंटेण पत्तेण, साहाविहुअणेण वा ।

न ते वीइउमिच्छंति, वीयावेऊण वा परं ॥६॥

[दश० अ० ६, गा० ३७]

साधु ताडपत्र के पखे से अथवा वृक्ष की टहनी को हिलाकर हवा खाने को अथवा वायुसेवन को चेष्टा करते नहीं । इसी तरह दूसरे को अपने ऊपर हवा करने का आदेश देते नहीं और अन्य पदार्थ पर भी (गरम दूध को ठंडा करने आदि के लिये) पखा का उपयोग करते नहीं ।

तणरुक्खं न छिंदिज्जा, फलं मूलं च कस्सई ।

आमगं विविहं वीयं, मणसा वि न पत्थए ॥१०॥

[दश० अ० ८, गा० १०]

सयमी भिक्षु तृण, वृक्ष, फल अथवा किसी वृक्ष की जड़को कभी काटने का प्रयास न करे । वैसे ही भिन्न-भिन्न प्रकार के सचित्त बीजो का सेवन करने की मनसे भी इच्छा न करे ।

गहणेसु न चिद्धिज्जा, वीएसु हरिएसु वा ।

उदगम्मि तथा निच्चं, उत्तिंगपणगेसु वा ॥११॥

[दश० अ० ८, गा० ११]

मुनि कुज-निकुंजो मे खड़ा न रहे (क्योंकि वहाँ वनस्पति का स्पर्श होना सम्भव है)। इसी प्रकार जहाँ वीज पड़े हुए हो अथवा हरी वनस्पति उगी हुई हो वहाँ भी खड़ा न रहे। साथ ही जहाँ अनन्तकाय वनस्पति, दिल्ली के टोप अथवा लील-फूग उगे हुए हो, वहाँ भी खड़ा न रहे।

अड्ड सुहुमाइं पेहाए, जाइं जाणित्तु संजए ।

दयाहिगारी भूएसु, आस चिड्ड सएहि वा ॥१२॥

[दश० अ० ८, गा० १३]

सयमी मुनि (आगे कहे गये) आठ प्रकार के सूक्ष्मजीवों से परिचित होने के कारण सभी जीवों के प्रति दया का अधिकारी होता है। अतः वह इन सभी जीवों को अच्छी तरह से देख भालकर बैठे, खड़ा रहे अथवा सोए।

कयराइं अड्डसुहुमाइं ? जाइं पुच्छिज्ज संजए ।

इमाइं ताइं मेहावी, आइंक्खिज्ज विअक्खणो ॥१३॥

सिण्हं पुण्णसुहुमं च, पाणुत्तिगं तहेव य ।

पणयं वीयहरियं च, अण्डसुहुमं च अड्डमं ॥१४॥

[दश० अ० ८, गा० १४-१५]

जत्र मावु पृच्छे कि वे आठ जीव कौन से हैं ? तत्र वृद्धिमान् और विचक्षण आचार्य इमंजा निम्नानुसार वर्णन करते हुए उत्तर दे :-
(१) स्नेहसूक्ष्म—अर्थात् अप्काय के सूक्ष्मजीव । (२) पुण्यसूक्ष्म—अर्थात् तद्वर्णसूक्ष्म । (३) प्राणिसूक्ष्म—अर्थात् कुंयु आदि सूक्ष्म जन्तु ।

(४) पनकसूक्ष्म—अर्थात् वर्षा में लकड़ी आदि पर रहनेवाले पचवर्णी लील-फूग । (५) उत्तिगसूक्ष्म—अर्थात् चीटियों का स्थान, उदई का घर आदि । (६) बीजसूक्ष्म—अर्थात् सूक्ष्म प्रकार के धान्यादि के बीज । (७) हरित सूक्ष्म—अर्थात् नये उत्पन्न हुए पृथ्वी के समान रग वाले अङ्कुर और (८) अण्डसूक्ष्म—अर्थात् मक्खी, चीटी आदि के अति सूक्ष्म अण्डे ।

एवमेयाणि जाणिता; सच्चभावेण - संजए ।

अप्पमत्तो जए निच्चं, सच्चिदियसमाहिए ॥१५॥

[दश० अ० ८, गा०-१६]

सर्व इन्द्रियो को शान्त रखनेवाला साधु उपर्युक्त आठ प्रकार के सूक्ष्म जीवों को बराबर पहचान कर सदा प्रमादरहित वर्तन करे और तीन करण और तीन योग से सयत बने ।

तसे पाणे न हिंसिजा, वाया अदुव कम्मुणा ।

उवरओ सच्चभूएसु, पासेज्ज विविहं जगं ॥१६॥

[दश० अ० ८, गा० १२]

सर्व प्राणियों की हिंसा से विरक्त बना साधु, इस ससार में छोटे-बड़े सभी जीवों के जीवन में कौसी-कौसी विचित्रताएँ व्याप्त हैं—इसे विवेकपूर्वक जानकर किसी भी त्रस प्राणी की मन, वचन, और काया से हिंसा न करे ।

इच्चयेयं छज्जीवणियं, सम्मदिट्ठी सया जए ।

दुल्लहं लेहित्तु सामणं, कम्मुणा न विराहिज्जासि ॥१७॥

[दश० अ० ४, गा० २६]

इस प्रकार सतत सावधान और सम्यग्दृष्टिवाला मुनि दुर्लभ श्रमणत्व को प्राप्त करके इन षड्निकाय के जीवों की मन-वचन-काया से किसी प्रकार की विराधना न करे ।

कंससु कंसपाएसु, कुंडमोएसु वा पुणो ।

भुंजंतो असणपाणाइं, आयारा परिभस्सइ ॥१८॥

[दश० अ० ६, गा० ५०]

जो मुनि गृहस्थ की काँसी आदि घातु की कटोरी और घाली में तथा मिट्टी के पात्र में अन्न-पान आदि का भोजन करता है, वह अपने आचार से सर्वथा भ्रष्ट हो जाता है ।

सीओदगसमारं भे, मत्तधोअणछड्डणे ।

जाइं छंनंति भूयाइं, दिट्ठो तत्थ असंजमो ॥१९॥

[दश० अ० ६, गा० ५१]

गृहस्थ वर्तनों को घोते और मांजते हैं, जिसमें सचित्त जल का आरम्भ होता है । ठीक वैसे ही वर्तन घोने के बाद उस गन्दे जल को इधर-उधर फेंक देते हैं, उससे अनेक जीवों की हिंसा होती है । इसलिये गृहस्थों के वर्तनों में भोजन करने में जानियों ने असंयम देखा है ।

पच्छाकम्मं पुरे क' सया तत्थ न कप्पइ ।

एयमट्ठं न भुंजंति, निग्गंथा गिहिभायणे ॥२०॥

[दश० अ० ६, गा० ५२]

गृहस्थ के वर्तनों में भोजन करने से पश्चात् कर्म और पुरःकर्म

का दोष लगाने की सम्भावना होती है। अतः साधु के लिये वह कतई उपयुक्त नहीं है। ऐसा सोचकर निर्ग्रन्थ मुनि गृहस्थ के वर्तनो में कभी भोजन नहीं करते।

विवेचन—खा लेने के पश्चात् सचित्त जल से वर्तन धोना, इसे पश्चात्-कर्म और खाने से पूर्व सचित्त जल से वर्तन धोने को पुरः-कर्म कहते हैं।

आसंदीपलिअंकेसु, भंचमासालएसु वा ।

अणायरियमज्जाणं, आसइत्तु सइत्तु वा ॥२१॥

नासंदीपलिअंकेसु, न निसिज्जा न पीढए ।

निग्गंथाऽपडिलेहाए, बुद्धवुत्तमहिट्ठगा ॥२२॥

[दश० अ० ६, गा० ५३-५४]

आर्यसाधु अर्थात् निर्ग्रन्थ श्रमणों के लिये कुर्सी, पलंग, खटिया अथवा आरामकुर्सी आदि पर बैठना अथवा सोना अनाचार माना गया है। सर्वज्ञ का कहा हुआ अनुष्ठानादि में तत्पर निर्ग्रन्थ साधु कुर्सी, पलङ्ग आदि तथा वेत से भरा हुआ पटिये पर बैठे अथवा सोये नहीं क्योंकि उसका पडिलेहण बराबर हो सकता नहीं।

विवेचन—पडिलेहण का अर्थ है प्रतिलेखना, सूक्ष्म निरीक्षण। साधुओं को वस्त्र-पात्र आदि की दिन में दो बार प्रतिलेखना करनी पडती है। इस वख्त कोई जीव-जन्तु देखने में आ जाय तो उसे तकलीफ न पहुँचे इस तरह हटाया जाता है।

गंभीरविजया एए, पाणा दुप्पडिलेहगा ।

आसंदीपलिअङ्को य, एयमड्ड विवज्जिया ॥२३॥

[दश० अ० ६, गा० ५५]

कुर्सी, पलङ्ग आदि में गहरे छिद्र होने से प्राणियों की प्रतिलेखना होना कठिन है । इसलिये मुनियों को उसपर बैठना छोड़ देना चाहिये ।

गोअरग्गपविठस्स, निसिज्जा जस्स कप्पइ ।

इमेरिसमणायारं, आवज्जइ अवोहिअं ॥२४॥

विवत्ती वंभचेरस्स, प्राणाणं च वहे वहो ।

वणीमगपडिग्वाओ, पडिकोहो अगारिणं ॥२५॥

अगुत्ती वंभचेरस्स, इत्थीओ वाचि संकणं ।

कुसीलवड्डुणं ठाण, दूरओ परिवज्जए ॥२६॥

[दश० अ० ६, गा० ५६-५७-५८]

गोचरी (मधुकरी) के निमित्त गृहस्थ के घर में प्रवेश करने के पश्चात् साधु को वहाँ बैठना अनाचार है, जिसका वर्णन आगे करेंगे । इससे मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है ।

गृहस्थ के घर बैठने से साधु के ब्रह्मचर्य का भंग होने की तथा प्राणियों का वध होने की पूरी सम्भावना होने से सयमनाश का भय बँना रहता है । साथ ही कोई भिक्षारी भिक्षा के लिये आये तो उसे अन्तराय होने की भी सम्भावना रहती है । ठीक वैसे ही गृहस्थ को क्रोध आ जाय यह भी सम्भव है ।

गृहस्थ के घर जाकर बैठने से ब्रह्मचर्य की गुप्तियों का यथार्थ पालन नहीं हो सकता (क्योंकि वहाँ पर स्त्रियों के अङ्ग-प्रत्यङ्ग देखने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है) और गृहस्थ की स्त्री के साथ अतिपरिचय होने से दूसरो को मुनि के चरित्र के विषय में शका करने का अवसर मिल जाता है। इसलिये ऐसी कुशीलता को बढ़ानेवाले स्थान से मुनि दूर रहकर ही उसका त्याग करे। तात्पर्य यह कि वह गृहस्थ के यहाँ जाकर बैठने का सदैव के लिए बंद ही कर दे।

वाहियो वा अरोगी वा, सिणाणं जो उ पत्थए ।

बुक्कंतो होइ आयारो, जढो हवइ संयमो ॥२७॥

मंतिमे सुहुमा पाणा, घसासु भिलगासु य ।

जे य भिक्खु सिणायंतो, वियडेणुप्पिलावये ॥२८॥

तम्हा ते न सिणायंति, सीएण उसिएण वा ।

जावज्जीवं वयं घोरं, असिणाणमहिठ्ठगा ॥२९॥

[दश० अ० ६, गा० ६०-६१-६२]

रोगी हो या निरोगी, जो साधु स्नान करने की इच्छा करता है वह निश्चय ही आचार से भ्रष्ट होता है, और समयहीन व्रतता है।

क्षारभूमि अथवा ऐसी ही अन्य भूमियों में प्रायः सूक्ष्म प्राणी व्याप्त होते हैं। इसलिये साधु प्राणुक—उष्णजल से स्नान करे तो भी उसकी विराधना हुए बिना नहीं रहती अर्थात्—अवश्य होती है। इसी कारण शुद्ध समय का पालन करनेवाले साधु ठंडे अथवा गरम

पानी से कदापि स्नान नहीं करते और जीवन पर्यन्त अस्नान नामक अति कठिन व्रत का पालन करते हैं ।

सिणाण अदुवा कक्कं, लोद्धं पउमगाणि य ।

गायस्सुच्चट्टणट्ठाए, नायरंति कयाइ वि ॥३०॥

[दश० अ० ६, गा० ६३]

सयमी पुरुष स्नान नहीं करते तथा चन्दन-कल्क-चूर्ण, लोघ्र, केशर आदि सुगन्धित-पदार्थों का उपयोग अपने शरीर पर उवटन करने के लिये कभी नहीं करते ।

विभूसावत्तियं भिक्खू, कम्मं वंधइ चिकणं ।

संसारसायरे धोरे, जेणं पडइ दुरुत्तरे ॥३१॥

विभूसावत्तियं चेयं, बुद्धा मन्नंति तारिसिं ।

सावज्जवहुलं चेयं, नेयं ताईहिं सेवियं ॥३२॥

[दश० अ० ६, गा० ६५-६६]

विभूषा के कारण साधु को चिकने कर्मों का बन्धन होता है, उससे वह घोर दुस्तर संसारसागर में गिरता है ।

ज्ञानी पुरुष स्नान को शारीरिक विभूषा और चिकने कर्मबन्धन का कारण और बहुत से पापों की उत्पत्ति का हेतु मानते हैं । अतः छहकाय के जीवों की रक्षा करनेवाले मुनि इसका सेवन कदापि नहीं करते ।

सुरं वा मेरुगं वा वि, अन्नं वा मज्जगं रसं ।

ससक्खं नं पिवे भिक्खू, जसं सारक्खमप्पणो ॥३३॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० ३६]

अपने संयमरूपी यज्ञ का संरक्षक भिक्षु सर्वज्ञ की साक्षी में सदा परित्यक्त ऐसी सुरा, मदिरा तथा मद उत्पन्न करनेवाले अन्य किसी भी रस का पान न करे ।

पियए एगओ तेणो, न मे कोइ वियाणइ ।

तस्स पस्सह दोसाइं, नियडिं च सुणेह मे ॥३४॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० ३७]

“मुझे कोई नहीं देखता है” ऐसा मानकर भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन करनेवाला चोर साधु एकान्त में गुप्तरूप से मदिरापान करता है । उसके दोषों को देखो । साथ ही उसके मायाचार का जो मैं वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो—

वडुइ सुंडिया तस्स, माया मोसं च भिक्खुणो ।

अयसो य अनिच्चाणं, सययं च असाहुया ॥३५॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० ३८]

मदिरापान करनेवाले साधु में आसक्ति, माया, मृषावाद, अपयश, अतृप्ति आदि दोष बढ़ते ही रहते हैं । साथ ही साथ उसकी असाधुता भी सतत बढ़ती ही रहती है ।

आयरिए नाराहेइ, समणे आवि तारिसो ।

गिहत्थावि णं गरिहंति, जेण जाणंति तारिसं ॥३६॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० ४०]

मदिरापान करनेवाला विचारमूढ साधु न तो आचार्य की सेवा कर सकता है और न ही साधुओं की । यह साधु तो मदिरा पीता

है, ऐसी बात जब गृहस्थो के ध्यान मे आ जाती है, तब वे भी उसकी निन्दा करने लगते है ।

तवं कुन्वद् मेहावी, पणीयं वज्जए रसं ।

मज्जप्पमायविरआ, तवस्सी अइउक्कसो ॥३७॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० ४२]

मेहावी साधु तप करता है और स्निग्ध रसो का त्याग करना है । फिर वह मद्यपान और प्रमाद से विरत होकर निरभिमानी तपस्वी होता है । -

मणोहरं - चित्तधरं, मल्लधूवेण वासियं ।

सकवाडं पंडुरुल्लोयं, मणसा वि न पत्थए ॥३८॥

इंदियाणि उ भिक्खुस्स, तारिसम्मि उवस्सए ।

दुक्कराइं निवारेउं, कासरागविबुद्धणे ॥३९॥

[उक्त० अ० ३५, गा० ४-५]

जो घर मनोहर हो, विविध चित्रो से सुशोभित हो, पुष्पमाला और धूप से वासित हो, चंदोवे से सज्जित हो तथा किवाडवाला हो ऐसे सुन्दर घर को साधु पुरुष मन से भी इच्छा न करे । -

क्योकि ऐसे विषय-चामनादिक प्रवृत्तियो मे वृद्धि करनेवाले स्थान मे रहने से विषय-भोग की ओर प्रवृत्त होती इन्द्रियो का निवारण करता साधु के लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है ।

सुसाणे सुन्नगारे वा, रूक्खमूले व एगओ ।

पइरिके परकडे वा, वासं तत्थाभिरोयए ॥४०॥

[उक्त० अ० ३५, गा० ६]

साधु पुरुष हमेशा श्मशान, शून्य गृह, वृक्ष के नीचे अथवा गृहस्थ द्वारा उसके लिये बनाये गये परकृत एकान्त स्थान मे अकेला रहना पसन्द करे ।

फासुयम्मि अणावाहे, इत्थीहिं अणभिद्दुहे ।

तत्थ संकप्पए वासां, भिक्खू परमसंजए ॥४१॥

[उक्त० अ० ३५, गा० ७]

परमसंयमी साधु ऐसे स्थान मे रहने का संकल्प करे कि जो जीवो की उत्पत्ति से रहित हो, स्व-पर बाधाओ से रहित हो और स्त्री-पण्डक आदि के उपद्रव से शून्य हो ।

चिरं दूड्ढमाणस्स, दोसो दाणिं कुओ तव ।

इच्चेव णं निमंतेन्ति, नीवारेण व सूररं ॥४२॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० २, गा० १६]

हे मुनिवर ! बहुत समय से समयपूर्वक विहार करनेवाले आप जैसी महान् आत्मा को भला दोष कैसे लग सकता है ?' इस प्रकार भोग भोगने का आमन्त्रण देकर लोग साधु को इस तरह फँसाते हैं जैसे चावल के दाने से सूअर को ।

धम्माउ भड्डं सिरिओ अवेयं,

जन्नग्गि विज्झाअमिवऽप्पतेयं ।

हीलांति णं दुव्विहिअं कुसीला,

दाढुड्डियं घोरविसं व नागं ॥४३॥

[दश० चू० १, गा० १२]

जैसे यज्ञान्त में मंद बनी अग्नि-शिखा अथवा डाढ निकले हुए उग्र विषधर की हर कोई अवहेलना करता है ठीक वैसे ही धर्म-भ्रष्ट और आध्यात्मिक सम्पत्ति से पतित ऐसे दुष्कृत्यकारी मुनि की दुराचारी तक अवहेलना करते हैं ।

विवेचन—अपमान करना, तिरस्कार करना, निन्दा करना, यह अवहेलना कहलाती है ।

इहेवधम्मो अयसो अकित्ती,

दुन्नामधिज्जं च पिहुज्जणंमि ।

चुयस्स धम्माउ अहम्मसेविणो,

संभिन्नचित्तस्स य हिट्ठओ गई ॥४४॥

[दय० चू० १, गा० १३]

जो धर्म से च्युत होता है और अधर्म का सेवन करता है, उसकी सामान्य जनता में भी बदनामी होती है और वह अधर्मी कहलाता है । साथ ही अपयश और अकीर्ति का पात्र बनता है । व्रतभङ्ग करनेवाले की परलोक में भी अधमगति होती है ।

भुंजित्तु भोगाइं पसज्जचयेसा,

त्तहाविहं कट्ठु असंजमं वट्ठुं ।

गइं च गच्छे अणहिज्झियं दुहं,

चोही य से नो मुलहा पुणो पुणो ॥४५॥

[दय० चू० १, गा० १४]

सयमभ्रष्ट मनुष्य दत्तचित्त से भोगो का उपभोग करके तथा अनेक प्रकार के असयमो का सेवन करके दुःखद अनिष्ट गति में जाता है । और परिणामस्वरूप वार-वार जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहता है । उसे बोधि सुलभ नहीं होती ।

आयावयंति गिम्हेसु, हेमंतेसु अवाउडा ।

वामासु पडिसंलीणा, संजया सुममाहिया ॥४६॥

[दश० अ० ३, गा० १२]

सुसमाधिस्थ चित्तवाले सयमी पुरुष ग्रीष्मकाल में सूर्य की आतापना लेते हैं, शीतकाल में निर्वस्त्र रहते हैं तथा वर्षाकाल में एक स्थान पर अगोपाग का गोपन कर स्थिर रहते हैं ।

परीसहरिऊदंता, धूअमोहा जिइंदिया ।

सच्चदुक्खप्पहीणट्टा, पक्कमांति महेसिणो ॥४७॥

[दश० अ० ३, गा० १३]

महर्षिगण परीषह्रूपी शत्रुओं को जीतनेवाले, मोहरहित तथा जितेन्द्रिय होते हैं । वे सब दुःखों का नाश करने के लिये अद्भुत पराक्रम करते हैं ।

दुक्कराइं करित्ताणं, दुस्सहाइ सहेत्तु य ।

केइ त्थ देवलोएसु, केइ सिज्झंति नीरया ॥४८॥

[दश० अ० ३, गा० १४]

दुष्कर करनी करके तथा असह्य कष्ट सहन कर कितनेक मुनि देवलोक में जाते हैं और कितनेक कर्मरहित होकर सिद्धिपद प्राप्त करते हैं ।

खवित्ता पुन्वकम्माइं, संजमेण तवेण य ।

सिद्धिमगमणुप्पत्ता, ताइणो परिनिञ्चुडे ॥४६॥

[दश० अ० ३, गा० १५]

छहकाय के रक्षक मृनिगण संयम और तप द्वारा पूर्वसञ्चित कर्मों का मूल से क्षय कर सिद्धि-मार्ग को प्राप्त करते हुए मुक्ति-पद को पाते हैं ।

जे केइ उ पच्चइए, निदासीले पगामसो ।

भोच्चा पेच्चा सुहं सुवइ, पावसमणित्ति बुच्चइ ॥५०॥

[उक्त० अ० १७, गा० ३]

प्रव्रज्या ग्रहण करने के पश्चात् जो खूब निद्रालु बनता है और खा-पीकर निश्चिन्त हो सोता है, वह पापश्रमण (पापमय प्रवृत्ति करनेवाला साधु) कहलाता है ।

कहं चरे ? कहं चिट्ठे ? कहं भासे ? कहं सए ?

कहं भुंजन्तो भासन्तो ? पावं कम्मं न बंधइ ॥५१॥

[दश० अ० ४, गा० ७]

(शिष्य गुरु ने पूछता है कि हे पूज्य !) कैंने चलना ? कैंने खडा रहना ? कैंने बैठना ? कैंने सोना ? कैंने खाना और कैंने बोलना कि जिनसे पापकर्म का बन्धन न होवे ?

जयं चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जयं मये ।

जयं भुंजन्तो भासन्तो, पावं कम्मं न बंधइ ॥५२॥

[दश० अ० ४, गा० ८]

(प्रत्युत्तर मे गुरु कहते है कि हे शिष्य !) उपयोगपूर्वक चलना, उपयोगपूर्वक रहना, उपयोगपूर्वक बैठना, उपयोगपूर्वक सोना, उपयोगपूर्वक खाना और उपयोगपूर्वक बोलना । इस प्रकार का आचरण करने पर पापकर्म नही बंधते ।

विवेचन—यहाँ उपयोग शब्द का अर्थ जागृति, सावधानी समझना चाहिये । उपयोगवान् आत्मा को हर वखत यह ख्याल रहता है कि मेरी प्रवृत्ति से कोई जीव मर न जाय, मेरे से कोई भूल न हो जाय ।

सन्वभूयप्पभूयस्स, सम्मं भूयाइं पासओ ।

पिहियासवस्स दंतस्स, पावं कम्मं न बंधइ ॥५३॥

[दश० अ० ४, गा० ६]

जो प्राणिमात्र को अपनी आत्मा के समान मानता है, उनपर समभाव रखता है तथा पापास्रवो को रोकता है, ऐसे दमितेन्द्रिय सयमी पुरुष को पापकर्म का बन्धन नही होता ।

अप्पपिण्डासि पाणासि, अप्पं भासेज्ज सुच्चए ।

खंतेऽभिनिव्वुडे दंते, वीतगिद्धी सया जए ॥५४॥

[सू० क्षु० १, अ० ८, गा० २५]

सुव्रती पुरुष थोडा खाये, थोडा पिये और थोड़ा बोले । वह क्षमावान् बने, लोभादि से निवृत्त रहे, जितेन्द्रिय होवे, अनासक्त होवे तथा सदाचार मे सदा प्रयत्नशील रहे ।

तत्थ मन्दा विसीयन्ति, वाहच्छिन्ना व गद्दभा ।

पिड्डओ परिसप्पन्ति, पिड्डसप्पी व संभमे ॥५५॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० ४, गा० ५]

मन्द पराक्रमी पुरुष सचित्त जल-धान्यादि के परिभोग के लोभ मे भार उठाकर थके हुए गधे के समान समय मे गिथिल बनते हैं और सभ्रम से भग्न मतिवाले होकर जीवन के हर क्षेत्र मे पिछड़ गये लोगो की तरह संयमियों की श्रेणी मे पीछे रह जाते हैं ।

तं च भिक्खु परिन्नाय, सव्वे संग्गा महासवा ।

जीवियं नावकंखिज्जा, सोच्चा धम्ममणुत्तरं ॥५६॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० २, गा० १३]

श्रेष्ठव्रम का श्रवण कर तथा संसार के सब रिठ्ठे और सम्बन्धो को कर्म-बन्धन का महा प्रवेशद्वार समझकर भिक्षु असयमी अथवा गृहस्थ-जीवन की इच्छा न करे ।

विज्जहित्तु पुच्चसंजोयं,

न सिणेहं कर्हिचि कुव्वेज्जा ।

असिणेहसिणेहकरेहिं,

दोसपओसेहिं मुच्चए भिक्खु ॥५७॥

[उक्त० अ० ८, गा० २]

पूर्व सयोगो को छोड़ देने के पश्चात् भिक्षु पुनः किसी भी वस्तु के प्रति स्नेह न करे—मोह न रखे । स्नेह करनेवालों के बीच जो

निःस्नेही—निर्मोही बना रहता है, वह सभी प्रकार के दोष-प्रदोषों से मुक्त हो जाता है ।

अत्थं गयंमि आइच्चे, पुरत्था य अणुग्गये ।

आहारमाइयं सव्वं, मणसा वि न पत्थए ॥५८॥

[दश० अ० ८, गा० २८]

संयमी पुरुष को सूर्यास्त होने के पश्चात् और सूर्योदय होने से पूर्व किसी प्रकार के आहार आदि की इच्छा मन में नहीं लानी चाहिये ।

सन्ति में सुहुमा पाणा, तसा अदुव थावरा ।

जाइं राओ अपासंतो, कहमेसणियं चरे ॥५९॥

[दश० अ० ९, गा० २३]

इस धरती पर ऐसे त्रस और स्थावर सूक्ष्म जीव सदैव व्याप्त रहते हैं, जो रात्रि के अन्धकार में दीख नहीं पड़ते । अतः ऐसे समय में भला आहार की शुद्ध गवेषणा किस प्रकार हो सकती है ?

उदउल्लं वीयसंसत्तं, पाणा निच्चडिया महिं ।

दिया ताइं विवज्जेज्जा, राओ तत्थ कहं चरे ? ॥६०॥

[दश० अ० ९, गा० २४]

पानी से जमीन भीगी हो, उसपर बीज गिर गये हो, अथवा चीटी-कथवा—आदि अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव हो, उन सब का वर्जन करके दिन में तो चला जा सकता है, पर रात्रि में कुछ दिखाई नहीं पड़ता । अतः भला किस तरह चला जा सकता है ?

सञ्चाहारं न भुञ्जति, निग्गंथा राइभोयणं ॥६१॥

[दश० अ० ६, गा० २५]

तभी तो निर्ग्रन्थो रात्रिभोजन करते नहीं, रात्रि मे किसी प्रकार का आहार उपयोग मे लेते नहीं ।

चउच्चिहे वि आहारे, राइभोयणवज्जणं ।

संनिही-संचओ चेव, वज्जेयच्चो सुदुकरं ॥६२॥

[उक्त० अ० १६, गा० ३०]

अशन, पान, खादिम और स्वादिम इस चार प्रकार के आहार का रात्रि मे त्याग करना और समय बीत जाने के पश्चात् कुछ भी पास मे नहीं रखना, ठीक वैसे ही उसका संग्रह नहीं करना—यह बात वास्तव मे अत्यन्त कठिन है, (किन्तु सयमी पुरुष को तो ये कठिनाइयाँ सहन करनी ही चाहिये ।)

अष्ट-प्रवचनमाता

अद्भु पत्रयणमायाओ, समिई गुत्ती तहेव य ।

पंचेव य समिईओ, तओ गुत्तोओ आहिया ॥१॥

प्रवचनमाता के आठ प्रकार है । वह समिति और गुप्तिरूप है । उसमे पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ कही गई है ।

विवेचन—साधु, मुनि, अथवा योगी के जीवन मे अष्ट-प्रवचन-माता अति आवश्यक अङ्ग की पूर्ति करती है । इन आठ प्रकार की प्रवचनमाताओ का एक भाग समिति और दूसरा भाग गुप्ति कहलाता है । समिति का सीधा अर्थ है सगति अथवा सम्यक् प्रवृत्ति और गुप्ति का अर्थ है प्रशस्त प्रवृत्ति-सहित अप्रशस्त प्रवृत्ति का निग्रह । परन्तु गहराई से देखे तो समिति मे साधु, मुनि, अथवा योगी के जीवन की समस्त जीवनचर्या का समावेश है, जबकि गुप्ति में उसके पालन योग्य साधनो का समावेश है ।

इरियाभासेसणादाणे, उच्चारे समिई इय ।

मणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अद्भुमा ॥२॥

पाँच समितियाँ इस प्रकार है :—(१) ईर्यात्तमिति, (२) भाषा-समिति, (३) एषणासमिति, (४) आदान-निक्षेप समिति और

(५) उच्चारप्रस्रवण-समिति । तीन गुप्तियाँ ये हैं — (१) मनोगुप्ति, (२) वचनगुप्ति और (३) कायगुप्ति । कायगुप्ति आठवी है अतः इसके साथ अष्ट प्रवचनमाता की गणना पूरी होती है ।

एयाओ अट्ट समिईओ, समासेण वियाहिया ।

दुवालसंगं जिणक्खायं, मायं जत्थ उ पवयणं ॥३॥

ये आठ समितियाँ सक्षेप में कही गई हैं । प्रवचन अर्थात् जिन भगवन्तों द्वारा कथित द्वादशाङ्गी । वह इन आठ समितियों में अन्तर्भूत है, इसीलिये इन्हें अष्ट-प्रवचनमाता कहा जाता है ।

विवेचन—जबकि ऊपर पाँच समिति और तीन गुप्ति कहा गया है तो भला यहाँ आठ समिति कैसे हो गई ? ऐसा प्रश्न मन में उठना सम्भव है । इसका समाधान यह है कि गुप्ति भी अपेक्षाविशेष से एक प्रकार की समिति है और यह निर्दिष्ट करने के लिये ही यहाँ 'आठ समिति' ऐसा कहा गया है । देवाधिदेव श्री जिनेश्वर भगवान् ने जो उपदेश दिया, उसे गणधर भगवन्तों ने आचारादि बारह अङ्गों में ग्रथित किया । उसको ही निर्ग्रन्थ-प्रवचन अथवा प्रवचन कहा जाता है । इस प्रवचन में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य तीनों का वर्णन है, तथापि उसमें मोक्षप्राप्ति के अनन्तर कारणरूप सम्यक् चारित्र्य की ही प्रधानता है, जिसे अन्य शब्दों में निर्वाणप्राप्तक योग-साधना भी कहते हैं । इस योगसाधना को माता के समान रक्षण करनेवाली और इसका पालन-पोषण करनेवाली ये आठ समितियाँ हैं । इसलिये इनका 'अष्ट प्रवचनमाता' ऐसा रहस्यमय नाम दिया गया है ।

आलंबगण कालेण, मग्गेण जयणाइ य ।

चउकारणपरिसुद्धं, संजए इरियं रिए ॥४॥

साधुपुरुष को आलम्बन, काल, मार्ग और यतनादि चार कारणों की शुद्धिपूर्वक ईर्यासमिति का पालन करना चाहिये ।

विवेचन—ईर्यासमिति का वास्तविक अर्थ है चलते समय कोई भी जीव न मरे, इसकी पूरी सावधानी रखना ।

तत्थ आलंबणं नाणं, दंसणं चरणं तथा ।

काले य दिवसे बुत्ते, मग्गे उप्पहवज्जिए ॥५॥

उसमें आलम्बन से ज्ञान, दर्शन और चारित्र को निर्दिष्ट किया गया है, जबकि काल से दिन और मार्ग से उत्पथ का परिवर्जन ।

विवेचन—आलम्बन की शुद्धिपूर्वक चलना अर्थात् ज्ञान-दर्शन-चारित्र की रक्षा अथवा वृत्ति का हेतु हो तभी साधुपुरुष को चलना चाहिये, अन्यथा नहीं । काल की शुद्धिपूर्वक चलना अर्थात् दिन में ही चलना चाहिये, रात्रि में नहीं । मार्ग की शुद्धिपूर्वक चलना अर्थात् सभी के लिए निश्चित आवागमनवाले मार्ग में ही चलना, किन्तु टेढ़े-मेढ़े मार्ग पर नहीं चलना । टेढ़े-मेढ़े उबड़-खाबड़ मार्गपर चलने से जीवाकुल भूमि पर पैर गिरने की सम्भावना रहती है, जिससे बहुत जीवों की विराधना होना सम्भव है ।

द्व्वओ खेत्तओ चेष, कालओ भावओ तथा ।

जयणा चउविहा बुत्ता, तं मे कित्तयओ सुण ॥६॥

यतना द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, इस तरह चार प्रकार की कही गई है, जिसका वर्णन करता हूँ, उमे मुनो ।

दन्वओ चक्खुसा पेहे, जुगमितं च खित्तओ ।

कालओ जाव रोइज्जा, उवउत्ते य भावओ ॥७॥

द्रव्य से यतना करना अर्थात् आख से बराबर देखना ; क्षेत्र से यतना करना अर्थात् आगे की एक घुरा जितनी भूमि का निरीक्षण करते रहना । काल से यतना करना अर्थात् जहाँ तक चलने की क्रिया चालू रहे, वहाँ तक यतना करना और भाव से यतना करना अर्थात् उस समय पूर्णरूप से सावधानी रखना ।

इदियत्थे विवज्जित्ता, सज्झायं चेव पंचहा ।

तम्मुत्ती तप्पुरक्कारे, उवउत्ते रियं रिए ॥८॥

मुनि इन्द्रिय के अर्थ तथा पाच प्रकार के स्वाध्याय का परित्याग करे और ईयासमिति को प्रचानता देकर उसमे तन्मय हो सावधानी से चले ।

विवेचन — ईयासमिति के बारे में दूसरी सूचना यह है कि चलते समय इन्द्रियों के विषय में अर्थात् शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श सम्बन्धी अनुकूल-प्रतिकूल कोई विचार नहीं करना । यदि मन में ऐसे विचारों का उफान आ गया तो सावधानी नहीं रहेगी और किसी जीव-जन्तु के पैरों के नीचे आ जाने से उसकी विराघना होगी ।

स्वाध्याय अर्थान् पठन-पाठन से सम्बन्धित प्रवृत्ति । जिन-शासन में स्वाध्याय के वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा एवं धर्मकथा

ऐसे पाँच प्रकार बतलाये गये हैं । चलते समय इन पाँच प्रकार के स्वाध्याययो मे भी मन को नही उलभाना चाहिए । मन मे पाठ चलता हो अथवा उसके अर्थ के बारे मे किसी के साथ वार्तालाप हो रहा हो या फिर उसकी पुनरावृत्ति होती हो तो चलते समय सावधानी नही बरती जाती । इसी प्रकार यदि मन उसके गहरे चिन्तन मे खो गया हो तो स्वयं कहाँ चल रहे है ? और किस तरह चल रहे हैं ? इसका भी उन्हे ध्यान नही रहता । साथ ही उस समय किसी को धर्मकथा सुनाने का काम जारी हो तो भी चलने मे अपेक्षित सावधानी नही रहती । इन्ही कारणो से इन दोनों वस्तुओ के निषेध की आज्ञा की गई है ।

कोहे माणं य मायाए, लोभे य उवउत्तया ।

हासे भए मोहरिए, विकहासु तहेव य ॥६॥

एयाइं अट्ट ठाणाइं, परिवज्जितु संजए ।

असावज्जं मियं काले, भासं भासिज्ज पन्नवं ॥१०॥

भाषासमिति का अर्थ यह है कि प्रज्ञावान् मुनि क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय, हास्य, भय, वाचालता और विकथा आदि आठ स्थानो का त्याग कर योग्य समय पर परिमित और निरवद्य वचन ही बोले ।

गवेसणाए गहणं य, परिभोगेसणा य जा ।

आहारोवहिसेज्जाए, एए तिन्नि विसोहए ॥११॥

एषणासमिति के तीन भेद हैं—गवेषणा, ग्रहणैषणा और परिभोगैषणा । आहार, उपवि और शय्या के समय इन तीनों के बारे में पूरी शुद्धि रखनी चाहिए ।

उग्गमुप्पायणं पठमे, वीए सोहेज्ज एसणं ।

परिभोयम्मि चउक्कं, विसोहेज्ज जयं जई ॥१२॥

यतनावान् साधु प्रथम एषणा में उद्गम-उत्पादन दोष की शुद्धि करे, दूसरी एषणा में गद्धितादि दोषों की शुद्धि करे और तीसरी परिभोगैषणा में सयोजना, मोह, कारण और प्रमाण—इन चारों दोषों की शुद्धि करे ।

विवेचन—गवेषणा करते समय सोलह उद्गम के और सोलह उत्पादन के—कुल मिलाकर ३२ दोष टालने पडते हैं । जबकि ग्रहण करते समय गद्धितादि १० दोष । इस प्रकार कुल ४२ दोष टालकर आहारादि की एषणा करनी चाहिये । इन ४२ दोषों का विस्तार से वर्णन पिण्डनिर्युक्ति में किया गया है । परिभोग करते समय सयोजना, मोह, कारण और प्रमाणादि चारों की निर्दोषता के बारे में पूरा निर्णय कर लेना चाहिये । सक्षेप में साधु को अपनी आजोविका के लिये आहार-पानी, वस्त्र, पात्र, औषधि, जय्या आदि जो कुछ भी प्राप्त करना—उपभोग करना आवश्यक रहता है, वह सब शास्त्रप्रदर्शित विधिपूर्वक प्राप्त करने—उपयोग करने से इस समिति का पालन हुआ ऐसा माना जाता है ।

ओहोवहोवग्गहियं, भंडगं दुविहं सुणी ।

गिण्हंतो निक्खवंतो वा, पउंजेज्ज इयं विहिं ॥१३॥

पात्र आदि ओघोपधि कहलाते है और सस्तारक (शय्या) आदि औपग्रहिक उपधि कहलाते है । इन दोनो प्रकार की उपधियो को ग्रहण करते समय तथा स्थापित करते समय मुनि को इस विधि का पालन करना चाहिये ,—

चक्रखुसा पडिलेहिता, पमज्जेज्ज जयं जई ।

आइए निक्खिखेज्जा वा, दुहओ वि समिए सया ॥१४॥

[उक्त० अ० २४, गा० १-१४]

यतनावान् साधु आँख से देखकर दोनो प्रकार की उपधि को प्रभार्जना करे तथा उपधि को उठाने से पूर्व और रखते समय इस समिति का सदा पूरी तरह से पालन करे ।

संथारं फलगं पीठं, निसिज्जं पायकम्मलं ।

अप्पमज्जियमारुहई, पावसमणित्ति बुच्चई ॥१५॥

[उक्त० अ० १७, गा० ७]

जो साधु सस्तारक (शय्या), फलक, पीठ, पादपोछन और स्वाध्यायभूमि, इन पाचो का प्रभार्जन किये बिना ही बैठता है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

पडिलेहेइ पमत्ते, अवउज्झइ पायकम्मलं ।

- पडिलेहा अणाउत्ते, पावसमणित्ति बुच्चइ ॥

[उक्त० अ० १७, गा० ६]

जो (साधु) प्रतिलेखना मे प्रमाद करता है, पात्र-कम्मल आदि

अव्यवस्थित रखता है और प्रतिलेखना मे पूर्ण सावधानी नही रखता है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

धुवं च पडिलेहिज्जा, जोगसा पायकंवलं ।

सिज्जमुच्चारभूमिं च, संधारं अदुवासणं ॥१७॥

[दश० अ० ८, गा० १७]

साधु को चाहिये कि वह नियमित रूप से यथासमय पात्र, कम्बल, शय्या-स्थान, उच्चारभूमि (मलविसर्जन का स्थान), सस्तारक और आसन आदि की सावधानीपूर्वक प्रतिलेखना करे ।

पुट्ठी-आउक्काए, तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाणं ।

पडिलेहणापमत्तो, छण्हं पि विराहओ होइ ॥१८॥

[उक्त० अ० २६, गा० ३०]

प्रतिलेखना मे प्रमाद करनेवाला साधु पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तथा त्रसकाय इन छहों कार्यों का विरावक होता है ।

पुट्ठी-आउक्काए, तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाणं ।

पडिलेहणाआउत्तो, छण्हं संरक्खओ होइ ॥१९॥

[उक्त० अ० २६, गा० २१]

प्रतिलेखना मे जो सावधान रहनेवाला साधु पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तथा त्रसकाय इन छहों कार्यों का संरक्षक होता है ।

अष्ट-प्रवचननाता]

उच्चारं पासवणं, खेलं सिंघाणजल्लियं ।

आहारं उवहिं देहं, अन्नं वावि तहाविहं ॥२०॥

[उक्त० अ० २४, गा० १५]

मल, मूत्र, कफ, नाक का मल, शरीर का मैल, आहार, उपधि, देह, (श्व तथा ऐसी अन्य वस्तुओं को विधिपूर्वक परिठवनी-ठिकाने लगानी) चाहिये ।

विवेचन—उच्चार-प्रवचन-समिति को परिष्ठापनिका-समिति भी कहते हैं । वेकार वस्तुओं का सावधानीपूर्वक परिष्ठापन करने से—ठिकाने लगाने से इस समिति का पालन होता है । मल, मूत्र, कफ, नासिका का मल, शरीर का मैल परठवने (ठिकाने लगाने) का प्रसग प्रतिदिन आता है, जबकि आहार परठवने (ठिकाने लगाने) का प्रसग तो क्वचित ही आता है । उपधि को परठवने (ठिकाने लगाने) का प्रसग वर्षाकाल से पूर्व आता है और श्व को परठवने (ठिकाने लगाने) के प्रसग कभी-कभी आते हैं । ये सभी वस्तुएँ कहाँ रखनी चाहिये ? इसकी सूचना अगली गाथाओ मे दी गई है ।

अणावायमसंलोए, अणवाए चव होइ संलोए ।

आवायमसंलोए, आवाए चव संलोए ॥२१॥

अणावायमसंलोए, परस्सणुवधाइये ।

समे अज्जुसिरे वावि, अचिरकालकयंमि य ॥२२॥

विच्छिन्ने दूरमोगाडे, नासन्ने विलवज्जिए ।

तयपाण बीयरहिए, उच्चाराइणि वोसिरे ॥२३॥

[उक्त० अ० २४, गा० १६-१७-१८]

(१) जहाँ किसीके आने की सम्भावना न हो और कोई देखता भी न हो, (२) जहाँ किसीके आने की सम्भावना न हो किन्तु कोई देखता हो, (३) जहाँ कोई आता हो किन्तु देखने की सम्भावना न हो और (४) जहाँ कोई आता भी हो और देखता भी हो, ऐसे चार स्थानों में से जहाँ कोई आता भी नहीं हो और कोई देखता भी नहीं हो, ठीक वैसे ही जहाँ जीवों का घात होने की सम्भावना न हो, जो स्थान सम हो, छिद्रवाला न हो, और थोड़े समय में अचित्त बना हुआ हो, जो स्थान विस्तृत हो, नीचे दीर्घकाल तक अचित्त हो, जो ग्रामादि के समीप न हो और चूहे आदि के बिल से रहित तथा कीटकादि प्राणी और बीज से रहित हो, ऐसे स्थान पर साधु को मलादि का त्याग करना चाहिये ।

एयाओ पंच समिईओ, समासेण वियाहिया ।

इत्तो य तओ गुत्तीओ, वोच्छामि अणुपुब्बसो ॥२४॥

[उक्त० अ० २४, गा० १६]

ऊपर पाँच समितियों को मैंने संक्षेप में बताया है । अब तीन गुप्तियों को अनुक्रम से कहता हूँ ।

सच्चा तद्देव मोसा य, सच्चमोसा तद्देव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य, मणगुत्ती चउन्निहा ॥२५॥

[उक्त० अ० २४, गा० २०]

मनोगुप्ति चार प्रकार की है :—(१) सत्या, (२) असत्या, (३) मिश्रा और (४) असत्यामृषा ।

विवेचन—मन (१) सत्य, (२) असत्य, (३) अर्ध-सत्य और अर्ध असत्य तथा (४) सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, ऐसे चार विषयो मे प्रवृत्त होता है। इस लिए मनोगुप्ति का चार प्रकार माना गया है।

सरंभसमारंभे, आरंभे य तहेव य ।

मणं पवत्तमाणं तु, नियत्तिज्ज जगं जई ॥२६॥

[उक्त० अ० २४, गा० २१]

संयमी पुरुष सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ मे प्रवृत्त होते मन का नियन्त्रण करे।

विवेचन—आरम्भ अर्थात् जीवविराघना। उसके सम्बन्ध मे सकल्प किया जाय वह सरम्भ और जो आवश्यक प्रवृत्ति की जाय वह समारम्भ।

मणो साहसिओ भीमो, दुड्डस्सो परिधावइ ॥२७॥

[उक्त० अ० २३, गा० ५८]

मन एक साहसिक, भयकर और दुष्ट घोड़े के समान है, जो चारो ओर दौड़ता है।

साहरे हत्थपाए य, मणं पंचेदियाणि य ।

पावकं च परिणामं, भासादोसं च तारिसं ॥२८॥

[सू० ध्रु० १, अ० ८, गा० १७]

ज्ञानी पुरुष हाथ- पैर का संकोच करते हैं, मन और पाँच इन्द्रियों को बश मे रखते हैं और दूष्ट भावो को हृदय मे उठने नहीं देता। उसी तरह वह सावद्य भाषा का सेवन भी नहीं करता।

समाइ पेहाइ परिव्वयंतो,
सिया मणो निस्सरई बहिद्धा ।

‘न सा महं नो वि अहं वि तीसे,’

इच्चेव ताओ विणएज्ज रागं ॥२६॥

[दृष्ट० अ० २, गा० ४]

समदृष्टिपूर्वक समययात्रा में विचरण करते हुए भी कदाचित् (परिभुक्त भोगों का स्मरण होने से अथवा अभुक्त भोगों के भोगने की वासना जागृत होने से) संयमी पुरुष का मन संयममार्ग से विचलित होने लगे तब उसे ऐसा विचार करना चाहिये कि ‘विषय-भोगों की सामग्री मेरी नहीं है और मैं इनका नहीं हूँ।’ इस प्रकार सुविचार के अंकुश से उसके मन में उत्पन्न क्षणिक आसक्ति को दूर करे।

सच्चा तहेव मोसा य, सच्चमोसा तहेव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य, वयगुत्ती चउच्चिहा ॥३०॥

[उक्त० अ० २४, गा० २२]

वचनगुप्ति चार प्रकार की हैं :—(१) सत्य भाषा सम्बन्धी, (२) असत्य भाषा सम्बन्धी, (३) सत्यासत्य भाषा सम्बन्धी और (४) असत्यामृषा-भाषा सम्बन्धी ।

संरंभसमारंभे, आरम्भे य तहेव य ।

वयं पवत्तमाणं तु, नियत्तिज्ज जयं जई ॥३१॥

[उक्त० अ० २४, गा० २३]

संयमी पुरुष सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ मे प्रवृत्त होती वाणी पर सावधानी पूर्वक नियन्त्रण करे।

ठाणे निसीयणे चेव, तहेव य तुयट्टणे ।

उल्लंघणपल्लंघणे, इंदियाण य जुंजणे ॥३२॥

[उक्त० अ० २४, गा० २४]

संयमी पुरुष खडा रहने मे, बैठने मे, सोने मे उल्लघन—प्रलघन करने मे तथा इन्द्रियो के प्रयोग मे सदा काया का नियन्त्रण करे।

सरंभसमारंभे, आरंभे तहेव य ।

कायं पवत्तमाणं तु, नियत्तिञ्ज जयं जई ॥३३॥

[उक्त० अ० २४, गा० २५]

संयमी पुरुष सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ मे प्रवृत्त होती काया को सावधानी से नियन्त्रण करे।

मणगुत्तयाए णं भंते ! जीवे किं जणयई ?

मणगुत्तयाए णं जीवे एगगं जणयई,

एगगचित्ते णं जीवे मणगुत्ते संजमाराहए भवइ ॥३४॥

[उक्त० अ० २६, गा० ५३]

प्रश्न—हे भगवन् ! मनोगुप्ति से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! मनोगुप्ति से जीव एगगचित्त प्राप्त करता है और एगगचित्तवाला मनोगुप्त जीव समय का व्यय करने होता है।

वयगुत्तयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

वयगुत्तयाए णं निन्विकारत्तं जणयइ, निन्विकारे

णं जीवे वइगुत्ते अज्झप्पजोगसाहणजुत्ते यावि भवइ ॥३५॥

[उक्त= अ० २६, गा० ५४]

प्रश्न—हे भगवन् ! वचनगुप्ति से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! वचनगुप्ति से जीव निर्विकार भाव को उत्पन्न

करता है । और इसी निर्विकार भाव से वचनगुप्त जीव अव्यात्मयोग-
साधन से युक्त होता है ।

कायगुत्तयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

कायगुत्तयाए संवरं जणयइ, संवरेणं [णं जीवे]

कायगुत्ते पुणो पावासवनिरोहं करेइ ॥३६॥

[उक्त= अ० २६, गा० ५५]

प्रश्न—हे भगवन् ! कायगुप्ति से जीव क्या उपार्जित करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! कायगुप्ति से जीव संवर उत्पन्न करता है

और संवर से कायगुप्त बना हुआ जीव पापास्रव का निरोध करता है ।

एयाओ पंचसमिईओ, चरणस्स य पवत्तणं ।

गुत्ती नियत्तणं बुत्ता, असुभत्येसु सन्नसो ॥३७॥

[दश० अ० २४, गा० २६]

इस तरह ये पांच नमितियाँ चारित्र्य की प्रवृत्ति के लिये हैं और
तीन गुप्तियाँ सर्व प्रकार की अशुभप्रवृत्तियों को रोकने के लिये हैं ।

अष्ट-प्रवचनमाता]

एसा पवयणमाया, जे सम्मं आयरे मुणी ।

से खिप्पं सन्नसंसारा, विप्पमुच्चइ पंडिए ॥३८॥

[उक्त० अ० २४, गा० २७]

जो विद्वान् मुनि उपर्युक्त प्रवचन माताओ का सम्यग् आचरण करता है, वह ससार परिभ्रमण से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है।

विवेचन—गृहस्थ साधक भी इन समिति-गुप्तियों का यथाशक्ति पालन करने पर चारित्रशुद्धि का लाभ प्राप्त कर सकता है।



धारा : १६ :

भिक्षाचरी

एषणासमिओ लज्जू , गामे अणियओ चरे ।

अप्पमत्तो पमत्तेहिं, पिण्डवायं गवेसए ॥१॥

[उक्त० अ० ६, गा० १४]

सयमी सावु एषणासमिति का पालन करता हुआ गाँव में अनियतवृत्ति से अप्रमादी होकर गृहस्थों के घर से भिक्षा की गवेपणा करे ।

समुयाणं उंछमेसिजा, जहासुत्तमणिंदियं ।

लामालामम्मि संतुडे, पिण्डवायं चरे मुणी ॥२॥

[उक्त० अ० ३५, गा० १६]

मुनि को चाहिये कि वह सूत्रानुसार और अनिन्दित अनेक परिवारों से थोड़ा-थोड़ा आहार ग्रहण करे और मिले अथवा न मिले तो भी सन्तुष्ट रहकर भिक्षावृत्ति का पालन करे ।

भिक्षिखयन्नं न केयन्नं, भिक्षुणा भिक्षवत्तिणा ।

कयविक्रओ महादोसो, भिक्षावित्ती सुहावहा ॥३॥

[उक्त० अ० ३५, गा० १५]

भिक्षावृत्तिवाले भिक्षुक को भिक्षा का ही अवलम्बन करना चाहिये, परन्तु मूल्य देकर कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिये, क्योंकि क्रय-विक्रय में महादोष है और भिक्षावृत्ति सुख देनेवाली है ॥

कालेण निक्खमे भिक्खू, कालेण य पडिक्कमे ।

अकालं च विवज्जिता, काले कालं समायरे ॥४॥

[उक्त० अ० १, गा० ३१]

साधु नियत समय पर भिक्षा के लिए जाए और वहाँ-से यथा समय लौट आये। वह अकाल को छोड़कर योग्य काल में उसके अनुरूप क्रिया करे।

सइकाले चरे भिक्खू, कुज्जा पुरिसकारियं ।

अलाभुत्ति न सोएज्जा, तवोत्ति अहियासए ॥५॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० ६]

भिक्षुक समय होते ही भिक्षा के लिए जाए और यथोचित पुरुषार्थ करे। कभी भिक्षा नहीं मिले तो शोक न करे, परन्तु उस समय 'चलो सहज तप होगा' ऐसा विचार कर क्षुधादि परीषहों को सहन करे।

संपत्ते भिक्खुकालम्मि, असंभंतो अमुच्छिओ ।

इमेण कम्मजोगेण, भत्तपाणं गवेसए ॥६॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० १]

भिक्षा का समय होने पर साधु उत्सुक और आहारादि के

अन्यान्य विचारो मे होश न खो कर आगे कही गई विधि के अनुसार
आहार-पानी की गवेषणा करे ।

से गामे वा नगरे वा, गोयरग्गओ मुणी ।

चरे मन्दमणुव्विग्गो, अवक्खित्तेण चयेसा ॥७॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० २]

गाँव में अथवा नगर में गोचरी के लिये गया हुआ मुनि
उद्वेगरहित बनकर स्वस्थ चित्त हो धीरे-धीरे चले ।

पुरओ जुगमायाए, पेहमाणो मर्हि चरे ।

वज्जंतो वीयहरियाईं, पाणे य दग्गमट्ठियं ॥८॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ३]

मुनि अपने सामने की घुरा प्रमाण (चार हाथ जितनी) भूमि
को देखता हुआ चले । वह चलते समय बीज, हरी वनस्पति, सूक्ष्म
जीवजन्तु तथा कीचड़ आदि को छोड़कर चले अर्थात् इन पर पैर न
पड़ जाय इसकी पूरी सावधानी रखे ।

न चरेज्ज वासे वासंते, महियाए वा पडंतिए ।

महावाए व वायंते, तिरिच्छसंपाइमेसु वा ॥९॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० १०]

वर्षा हो रही हो, कुहासा छा रहा हो, आँधी चल रही हो
अथवा पतंगे आदि अनेक प्रकार के जीवजन्तु उड़ रहे हों, ऐसी
परिस्थिति में साधु अपने स्थान से बाहर न निकले ।

अणाययणे चरंतस्स, संसग्गीए अभिक्खणं ।

हुञ्ज वयाणं पीला, सामण्णम्मि य संसओ ॥१०॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० १०]

गोचरी के लिये वेश्याओ के मुहल्ले मे जानेवाले साधु को उनका चार-चार संपर्क होता है, जिससे महाव्रतो को पीडा होती है और समाज उसकी साधुता पर सन्देह करने लगता है ।

तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्डणं ।

वज्जए वेससामन्तं, मुणी एगंतमस्सिए ॥११॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ११]

इसलिये दुर्गति को बढाने मे सहायता देनेवाले उपर्युक्त दोषो को समझकर एकान्त मोक्ष की कामना रखनेवाले मुनि वेश्याओ के मुहल्लों मे भिक्षा के लिए जाना छोड दे ।

साणं सूइअं गाविं, दित्तं गोणं हयं गयं ।

सडिम्मं कलहं जुद्धं, दूरओ परिवज्जए ॥१२॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० १२]

जहाँ कुत्ता हो, तत्काल व्याही हुई गाय हो, साड, हाथी अथवा घोडा हो या जिस स्थान पर बालक क्रीडा करते हों, कलह हो रहा हो, युद्ध मच रहा हो, वहाँ साधु पुरुषको नही जाना चाहिये । बल्कि उसका दूर से ही त्याग करना चाहिये ।

अणुन्नए नावणए, अप्पहिट्ठे अणाउले ।

इंदियाणि जहाभागं, दमइत्ता मुणी चरे ॥१३॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० १३]

गोचरी के लिये जाता हुआ साधु अपनी नजर को - बहुत ऊपर अथवा बहुत नीचे न रखे, अभिमान अथवा दीनता धारण न करे, स्वादिष्ट भोजन मिलने से प्रसन्न न होवे अथवा न मिलने से व्याकुल न बने और अपनी इन्द्रियो तथा मन को निग्रह कर उसे सन्तुलित रख सदा विचरण करे ।

दवदवस्स न गच्छेज्जा, भासमाणो य गोयरे ।

हसंतो नाभिगच्छेज्जा, कुलं उच्चावयं सया ॥१४॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० १४]

गोचरी के लिये जानेवाला साधु जल्दी-जल्दी न चले, हंसता-हंसता न चले अथवा वात-चीत करता न चले । वह सदा धनवान और निर्धन दोनो प्रकार के कुलो मे समान भाव से जाय ।

पडिकुट्टं कुलं न पविसे, मामगं परिवज्जए ।

अचियत्तं कुलं न पविसे, चियत्तं पविसे कुलं ॥१५॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० १७]

साधु को चाहिए कि वह गास्त्रनिषिद्ध कुल मे गोचरी के लिये न जाए, गृह के स्वामी ने इन्कार किया हो तो उस घर मे न जाए, तथा प्रीतिरहित गृह मे भी प्रवेश न करे । वह अनुराग-श्रद्धावाले गृहों मे ही प्रवेश करे ।

समुयाणं चरे भिक्खू, कुलमुच्चावयं सया ।

नीयं कुलमइक्कम्मं, ऊमठं नाभिधारए ॥१६॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० २५]

साधु सदा ही सामुदानिक (धनवान् और निर्धन इन दोनों) के गृह में गोचरी करे । वह निर्धन कुल का घर समझकर उसे टालकर धनवान् के घर न जाए ।

असंसत्तं पलोइज्जा, नाइदूरावलोयए ।

उप्फुल्लं न विनिज्झाए, निअट्टिज्ज अयंपिरो ॥१७॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० २३]

गोचरी के लिये गया हुआ साधु घर में रही स्त्री की नजर से नजर मिला कर न देखे, दूर तक लम्बी नजर न डाले, आँखें फाड़-फाड़ कर न देखे । यदि भिक्षा न मिले तो बडबडाए बिना ही वापस आ जाए ।

जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आवियइ रसं । -

ण य पुप्फं किलामेइ, सो य पीणेइ अप्पयं ॥१८॥

एमे ए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहुणो ।

विहंगमा व पुप्फेसु, दाणभत्तेसणे रया ॥१९॥

[दश० अ० १, गा० २-३]

भँवरे जब वृक्षों के फूलों का रस पीते हैं, तब फूलों को तनिक भी पीड़ा नहीं पहुँचाते और अपनी आत्मा को तृप्त कर लेते हैं । उसी प्रकार इस जगत में जो समत्व की साधना करनेवाले ब्राह्मण-अभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त साधु हैं, वे भ्रमर के समान इस ससार में केवल अपने लिये उपयुक्त ऐसी गृहस्थ द्वारा दी गई सामग्री (वस्त्र-पात्रादि) तथा शुद्ध निर्दोष भिक्षा प्राप्त करके सन्तुष्ट रहता है ।

महुकारसमा बुद्धा, जे भवंति अणिस्सिया ।

नाणापिण्डरया दंता, तेण वुच्चंति साहुणो ॥२०॥

[दश० अ० १, गा० ५]

भ्रमर के समान सुचतुर मुनि अनासक्त तथा हर किसी प्रकार के भोजन में सन्तुष्ट रहने का अभ्यासी होने से अपनी इन्द्रियों पर काबू पाने का आदी होता है और इसीलिए वह साधु कहलाता है ।

अदीणो वित्तिमेसिज्जा, न विसीइज्ज पंडिए ।

अमुच्छियो भोयणंमि, मायण्णे एसणारए ॥२१॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० २६]

निर्दोष भिक्षा ग्रहण की गवेषणा करने में रत और आहार की मर्यादा को माननेवाला पण्डित साधु भोजन के प्रति अनासक्ति भाव रखे और दीन भावना को छोड़कर भिक्षावृत्ति करे । ऐसा करते हुए यदि कभी भिक्षा न मिले तो किसी प्रकार का दुःख अनुभव न करे ।

समरेसु अगारेसु, संधीसु य महापहे ।

एगो एगित्थिए सद्धिं, नेव चिट्ठे न संलवे ॥२२॥

[उक्त० अ० १, गा० २६]

लुहार-शाला, सूना घर, दो घरों के बीच की गली और राज-मार्ग में अकेला साधु अकेली नारी के साथ खड़ा न रहे और वातचीत न करे ।

नाइदूरमणासन्ने, नन्नेसिं चक्खुफासओ ।

एगो चिट्ठेज्ज भत्तट्ठा, लंघित्ता तं नइक्कमे ॥२३॥

[उक्त० अ० १, गा० ३३]

गृहस्थ के घर से (भोजनालय से) अति दूर नहीं और अति निकट भी नहीं, तथा अन्य श्रमणों की नजर पड़े ऐसे भी नहीं, इस तरह साधु को भिक्षा के लिए खड़ा रहना चाहिये । वह किसी का भी उल्लघन कर आगे बढ़े नहीं ।

अङ्भूमिं न गच्छेज्जा, गोयरग्गओ मुणी ।

कुलस्स भूमिं जाणित्ता, मियं भूमिं परिकमे ॥२४॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० २४]

गोचरी के लिए गया हुआ साधु, जिस परिवार का जैसा आचार हो वही तक परिमित भूमि में गमन करे । नियत सीमा के भीतर, गमन नहीं करे ।

दग्गमट्टियआयाणे, वीयाणि हरियाणि य ।

परिवज्जंतो चिट्ठिज्जा, सविंदियसमाहिए ॥२५॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० २६]

सब इन्द्रियों को वश में रखनेवाला समाधिशील मुनि जहाँ पानी और मिट्टी लाने का मार्ग हो, बीज पड़े हो अथवा हरी वनस्पति हो, ऐसे स्थान को छोड़कर खड़ा रहे ।

पविसित्तु परागारं, पाणट्ठा भोयणस्स वा ।

जयं चिट्ठं मियं भासे, न य रूवेसु मणं करे ॥२६॥

[दश० अ० ८, गा० १६]

साधु पानी अथवा भोजन के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करके यतनापूर्वक खड़ा रहे, थोड़ा बोले और स्त्रियों के सौन्दर्य की ओर आकृष्ट हो उसका विचार न करे ।

तत्थ से चिट्ठमाणस्स, आहरे पाणभोयणं ।

अकप्पियं न गेहिज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पियं ॥२७॥

[द्वा० अ० ५, उ० १, गा० २७]

वहाँ (गृहस्थ के घर) मर्यादित भूमि में खड़े हुए सावु को गृहस्थ आहार-पानी देवे । वह कल्पनीय हो तो सावु उसे ग्रहण करे और अकल्पनीय हो तो ग्रहण न करे ।

विवेचन—सावु के आचार अनुसार जो वस्तु ग्रहण की जा सके उसे कल्पनीय और न ली जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं ।

नाइउच्चे नाइनीए, नासन्ने नाइदूरओ ।

फासुयं परकडं पिण्डं, पडिगाहेज्ज संजए ॥२८॥

[उक्त० अ० १, गा० ३४]

दाता से ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा नीचे भी नहीं अथवा ज्यादा पास नहीं और ज्यादा दूर भी नहीं यों खड़ा रहकर भिक्षार्थी सावु प्रामुक अर्थात् अचित्त और परकृत अर्थात् दूसरे के निमित्त बना हुआ आहार ग्रहण करे ।

दुण्हं तु भुंजमाणं, एगो तत्थ निमंतए ।

दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, छंदं से पडिलेहए ॥ २९ ॥

[द्वा० अ० ५, उ० १, गा० ३८]

गृहस्थ के घर में यदि दो व्यक्ति भोजन कर रहे हों और उनमें से एक व्यक्ति निमन्त्रण दे तो सावु उसे लेने की इच्छा न करे ।

दूसरे का अभिप्राय भी जान ले । तात्पर्य यह है कि दोनों की इच्छा हो तभी उनके पास से आहार-पानी ग्रहण करे ।

गुन्विणीए उवण्णत्थं, विविहं पाणभोयणं ।

भुंजमाणं विवज्जिजा, भुत्तसेसं पडिच्छए ॥३०॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ३९]

गर्भवती स्त्री के लिये बनी विविध प्रकार की भोज्य-सामग्री यदि वह खा रही हो तो भिक्षार्थी साधु उसे ग्रहण न करे । उसके खालेने के पश्चात् यदि अवशिष्ट रहे तो उसे ग्रहण करे ।

सिया य समण्डाए, गुन्विणी कालमासिणी ।

उट्ठिआ वा निसीइजा, निसन्ना वा पुणुड्डए ॥३१॥

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दिंत्तियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥३२॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ४०-४१]

जिसका नौवाँ महीना चल रहा है ऐसी गर्भवती स्त्री कदाचित् खडी हो और साधु को आहार-पानी देने के लिये नीचे बैठे अथवा पहले बैठी हुई हो और बाद में उठना पडे तो वह आहार-पानी साधु के लिये अकल्पनीय बन जाता है । ऐसे प्रसंग पर भिक्षा देनेवाली महिला से साधु यो निषेध करे कि—इस प्रकार की भिक्षा ग्रहण करना मेरे लिये उचित नहीं है ।

थणगं पिज्जेसाणी, दारगं वा कुमारियं ।

तं निक्खवित्तु रोयंतं, आहरे पाणभोयणं ॥३३॥

तं भवे भक्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिय ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥३४॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ४२-४३]

बालक अथवा बालिका को स्तनपान कराती हुई स्त्री यदि उसे रोता हुआ छोड़ कर आहार-पानी देवे तो वह साधु के लिये अकल्पनीय है । अतः देनेवाली महिला को साधु इस तरह निषेध व्यक्त करे कि—इस प्रकार का आहार मेरे लिये कल्पनीय नहीं है ।

असणं पाणगं वाचि, खाइमं साइमं तथा ।

जं जाणिज्ज सुणिज्जा वा, दाणट्ठा पगडं इमं ॥३५॥

तारिसं भक्तपाणं तु, संजयाणं अकप्पिय ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥३६॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ४७-४८]

जो साधु ऐसा जान ले अथवा कही से सुन ले कि यह अशन, पान, खादिम और स्वादिम वस्तुएं साधु को दान देने के लिये ही तैयार करवाई गई हैं, तो उसके लिये वह आहार-पानी अकल्पनीय हो जाता है, अतः उस दाता से साधु को कहना चाहिये कि—इस तरह का आहार-पानी मेरे लिये कल्पनीय नहीं है ।

विवेचन—आहार के चार प्रकार हैं :—(१) अशन, (२) पान, (३) खादिम और (४) स्वादिम । इन में धुवा का शमन करे ऐसे पदार्थ जैसे कि भात, कठोल, रोटी, मोटी रोटी, पूड़ी, वडे, मांड, सत्तू आदि अशन कहलाने हैं; पीने योग्य पदार्थ जैसे कि चावल का

घोन, छाछ, जौ का पानी, केर का पानी आदि पान कहलाते हैं; सुभक्ष्य पदार्थ जैसे कि भुने हुए घान्य, पोहे, बादाम, (द्राक्ष) दाख, सूखा मेवा आदि खादिम कहलाते हैं, और स्वाद लेने योग्य जैसे कि चूर्ण की गोली, हरे आदि स्वादिम पदार्थ कहलाते हैं ।

न य भोयणम्मि गिद्धो, चरे उच्छं अयंपिरो ।

अफासुयं न भुंजिञ्जा, कीयमुद्देसियाहडं ॥३७॥

[दश० अ० ८, गा० २३]

साधु भोजन में आसक्त हुए बिना गरीब तथा धनवान् सभी दाताओं के यहाँ भिक्षा के लिये जावे । वहाँ अप्रासुक अर्थात् सचित्त वस्तु, क्रीत अर्थात् साधु के लिये ही खरीद कर लाई गई वस्तु, औद्देशिक अर्थात् साधु का उद्देश्य रख कर बनवाई गई वस्तु तथा आहृत अर्थात् सामने लायी हुई वस्तु ग्रहण न करे । भूल से ग्रहण कर ली गई हो तो उसका भोग न करे ।

वहुं परघरे अत्थि, विविहं खाइमसाइमं ।

न तत्थ पंडिओ कुप्पे, इच्छा दिज्ज परो न वा ॥३८॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० २७]

गृहस्थ के घर में खाद्य और स्वाद्य अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं, परन्तु वह न देवे तो बुद्धिमान् साधु उस पर क्रोध न करे । वह ऐसा विचार करे कि देना या नही देना, यह उसकी इच्छा की बात है ।

निट्ठाणं रसनिज्जूढं, भद्दगं पावगं ति वा ।

पुट्ठो वा वि अपुट्ठो वा, लाभालाभं न निदिसे ॥३९॥

[दश० अ० ८, गा० २२]

किस्ती के पूछने पर अथवा पूछे बिना सावृ ऐसा कभी न कहे कि अमुक आहार सरस्त था, और अमुक नीरस्त । वह आहार बहुत अच्छा था और वह बहुत खराब । सावृ उसके लाभालाभ की चर्चा भी न करे ।

विणएण पविसित्ता, सगासे गुरुणो मुणी ।

इरियावहियमायाय, आगओ य पडिकमे ॥४०॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ८८]

गोचरी से लौटकर आने के पश्चात् सावृ विनयपूर्वक अपने स्थान में प्रवेग करे और गुरु के समझ आकर, ईर्याविही का पाठ करके कायोत्सर्ग करे ।

आभोइत्ता ण नीसेसं, अइयारं जहकमं ।

गमणागमणे च्च, भत्तपाणे व संजए ॥४१॥

उज्जुप्पन्तो अणुच्चिग्गो, अन्वक्खित्तणे च्चयसा ।

आलोए गुरुसगासे, जं जहा गहियं भवे ॥४२॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ८९-९०]

कायोत्सर्ग करते समय नावृ आने-जाने में तथा आहार-पानी ग्रहण करने में जो कोई व्यतिचार लगे हों उन सब को वह यथाक्रम याद करे और उसके लिए हृदय से खेद प्रकट करे ।

वाद में सरलचित्तवाला और अनुद्विग्न ऐसा सावृ अव्याप्तिपत्त से गोचरी कैंसे मिली, उसका वर्गन गुरु के समझ निवेदित करे ।

भिक्षाचरी]

न सम्ममालोइयं हुजा, पुर्विं पुच्छा व जंकडं ।
 पुणो पडिक्कमे तस्स, वोसट्ठो चिन्तए इमं ॥४३॥
 अहो जिणेहिं असावजा, वित्ती साहूण देसिया ।
 मोक्खसाहणहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥४४॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ६१-६२]

पहले अथवा बाद मे किये गये दोषो की उस समय यदि पूरी तरह आलोचना न हुई हो तो फिरसे इसका प्रतिक्रमण करे और तब कायोत्सर्ग करके ऐसा चिन्तन करे कि 'अहो ! जिनेश्वर देवो ने मोक्षप्राप्ति के साधनभूत साधु का शरीर धारण करने के लिये कैसी निर्दोष भिक्षावृत्ति बताई है ?'

णमुक्कारेण पारित्ता, करित्ता जिणसंथवं ।

सज्झाणं पट्टवित्ता णं, वीसमेज्ज खणं मुणी ॥४५॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ६३]

पीछे 'नमो अरिहंताण' उच्चारणपूर्वक कायोत्सर्ग पालन कर जिनस्तुति करके स्वाध्याय करता हुआ मुनि कुछ समय के लिये विश्राम करे ।

वीसमंतो इमं चित्ते, हियमट्ठं लाभमट्ठिओ ।

जइ मे अणुग्गहं कुज्जा, साहू हुज्जामि तारिओ ॥४६॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ६४]

विश्राम लेने के पश्चात् निर्जरारूपी लाभ का इच्छुक वह साधु अपने कल्याण के लिये ऐसा चिंतन करे कि 'अन्य मुनिवर मुझ पर

अनुग्रह करके मेरे इस आहार मे से थोड़ा भी ग्रहण करे तो मैं संसार-समुद्र पार पा जाऊँ ।'

साहवो तो चियत्तेणं, निमंतिजा जहक्कमं ।

जइ तत्थ केइ इच्छिज्जा, तेहि सद्धिं तु भुंजए ॥४७॥

[द्य० अ० ५, उ० १, गा० ६५]

इस प्रकार विचार कर मुनि सर्व साधुओं को प्रीतिपूर्वक निमन्त्रित करे और उनमें से जो भी साधु उसके साथ आहार करना चाहे तो उसके साथ आहार करे ।

विवेचन—इसका क्रम ऐसा है कि प्रथम दीक्षावृद्ध को आमन्त्रित करे, बाद में उन से उतरते हुए क्रमवाले साधुओं को आमन्त्रित करे, बाद में उनसे उतरते हुए क्रमवालों को आमन्त्रित करे । इस प्रकार सभी को आमन्त्रित करे ।

अह कोइ न इच्छिज्जा, तओ भुंजिज्ज एकओ ।

आलोए भायणे साहू, जयं अप्परिसाडियं ॥४८॥

[द्य० अ० ५, उ० १, गा० ६६]

यदि आमन्त्रण देने के बाद कोई साधु आहार का इच्छुक न हो तो उक्त साधु अकेला ही चौड़े मुखवाले प्रकाशयुक्त पात्र में, वस्तु नीचे न गिरे ऐसी पद्धति से यतनापूर्वक आहार करे ।

पडिग्गहं संलिहित्ता णं, लेवमायाए संजए ।

दुगन्धं वा सुगन्धं वा, सच्चं भुंजे न छड्ढए ॥४९॥

[द्य० अ० ५, उ० २, गा० १]

भिक्षाचरी]

गोचरी मे दुर्गन्धयुक्त अथवा सुगन्धवाला अर्थात् अस्वादु या स्वादु जो कुछ आहार मिला हो, वह सब साधु उपयोग मे ले लेवे । उसमे से कुछ भी नही छोडे । पात्र को जो कुछ भी आहार लिपटा हुआ हो उसके भी अतिम कण को अँगुली से चाट जाये ।

सुकडं त्ति सुपकं त्ति, सुच्छिन्ने सुहडे मडे ।

सुणिट्टिए सुलट्टि त्ति, सावज्जं वज्जे मुणी ॥५०॥

[उक्त० अ० १, गा० ३६]

यह ठीक बना है, यह अच्छी तरह पकाया है, यह अच्छी तरह काटा है, इसकी कडुवाहट ठीक तरह से दूर हुई है, यह अच्छे मशालों से बना हुआ है, यह बहुत सुन्दर है आदि वचन सावद्य होने से मुनि इनका प्रयोग न करे ।

तित्तगं व कडुअं व कसायं, अंबिलं व महुर लवणं व ।

एयलद्धमन्नट्टपउत्तं, महुघयं व भुंजिज्ज संजए ॥५१॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ६७]

गृहस्थ द्वारा अपने लिये बनाया तथा शास्त्रीय विधि से प्राप्त आहार कडवा, तीता, कसैला, खट्टा, मीठा, अथवा खारा चाहे जैसा हो तो भी साधु उसे मधु अथवा घृत जैसा मीठा मान कर उपयोग मे लेवे ।

विवेचन—सस्कृत-प्राकृत मे तित्त का अर्थ कडवा और कटु का अर्थ तीता ऐसा होता है ।

अरसं विरसं वा वि, सइयं वा असइयं ।

उल्लं वा जइ वा सुकं, मंथुकुम्मासभोयणं ॥५२॥

उष्णं नाइहीलिज्जा, अप्पं वा बहु फासुयं ।

मुहालद्धं मुहाजीवी, भुंजिज्जा दोसवज्जियं ॥५३॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ६८-६९]

शास्त्रोक्त विधि से प्राप्त आहार रसरहित हो अथवा विरस हो अथवा व्यंजनादि-युक्त हो अथवा व्यजनादि-रहित हो, आर्द्र हो या शुष्क हो, सत्तू हो या उडद के वाकले हों, अथवा सरस आहार थोडा हो और नीरस आहार ज्यादा हो, इस प्रकार जैसा भी आहार प्राप्त हुआ हो उसकी साधु निन्दा न करे। वह निःस्पृह भाव से केवल सयमयात्रा के निर्वाह के लिये दाता द्वारा निःस्वार्थ भाव से दिये गये दोषवर्जित आहार का भोजन करे।

अलोले न रसे गिद्धे, जिब्भादंते अमुच्छिण्ण ।

न रसट्ठाए भुंजिज्जा, जवणट्ठाए महामुणी ॥५४॥

[उक्त० अ० ३५, गा० १७]

साधु जिह्वा का लोलुप न बने, रस मे आसक्त न बने, जिह्वा को वश मे रखे और मूर्च्छारहित बने। वह स्वाद के लिये भोजन न करे, केवल सयम-निर्वाह के लिये भोजन करे।

भिक्षु की पहचान

निक्खम्ममाणाइ अ बुद्धवयणे,

निच्चं चित्तसमाहिओ हविज्जा ।

इत्थीण वसं न आवि गच्छे,

वंतं नो पडिआयइ जे स भिक्खू ॥१॥

जिसने ज्ञानियों के वचन सुनकर गृहस्थाश्रम का त्याग किया हो, जो नित्य अपने चित्त को समाहित—शान्त रखता हो, जो स्त्रियों के मोहजाल में नहीं फँसता हो तथा व्रत किये हुए भोगों को भोगने की इच्छा नहीं रखता हो, उसको ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

विवेचन—भिक्षु, साधु, यति, सयति, मुनि, अणगार, ऋषि आदि एकार्थ शब्द है ।

पुट्ठिं न खणे न खणावए,

सीओदरं न पिए न पिआवए ।

अगणिसत्थं जहा सुनिसिअं,

तं न जले न जलावए जे स भिक्खू ॥२॥

जो स्वयं पृथ्वी को न खोदे तथा दूसरे से न खुदवाये, सचित्त पानी न पिये और न पिलाये, तीक्ष्ण शस्त्ररूप अग्नि को स्वयं न जलाये और न दूसरे से जलवाये, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

विवेचन—सच्चा भिक्षु इनमे से किसी क्रिया का अनुमोदन भी न करे ।

अनिलेण न वीए न वीयावए,

हरियाणि न छिंदे न छिंदावए ।

वीआणि सया विवज्जयंतो,

सचित्तं नाहारए जे स भिक्खू ॥३॥

जो पखे आदि साधनों से स्वयं हवा न करे तथा दूसरे के द्वारा न कराये, जो वनस्पति को स्वयं न तोड़े और न दूसरे से तोड़वाये, जो मार्ग में पड़े वीजों को छूए, विना ही चले और सचित्त का भक्षण न करे, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

वहणं तसथावराण होइ, पुढवीतणरुद्धनिस्सिआणं ।

तम्हा उद्देसिअं न भुंजे, नो वि पए न पयावए

जे स भिक्खू ॥४॥

पृथ्वी, तृण और काष्ठ के सहारे रहनेवाले स्थावर तथा त्रस जीवों की हिंसा होती है । अतः जो अपने लिये तैयार की हुई भिक्षा न ले, स्वयं रसोई न बनाये तथा दूसरे से न बनवाये, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

रोइअ नायपुत्तवयणे, अप्पसमे मन्नेज्ज छप्पि काए।

पंच य फासे महच्चयाइं, पंचासवसंवरे जे स भिक्खू ॥५॥

जिसे ज्ञातपुत्रभगवान् महावीर के वचन प्रिय लगते हो और उनके अनुसार जो छक्राय के जीवो को आत्मानुरूप मानता हो, जिसने पाँच महाव्रतो का स्पर्श किया हो और जिसने पाँच आश्रव-द्वारो (इन्द्रियो) का सवर किया हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

चत्तारि वमे सया कसाए,

धुवजोगी य हविज्ज बुद्धवयणे ।

अहणे निज्जायरुवरयए,

गिहियोगं परिवज्जए जे स भिक्खू ॥६॥

जो क्रोधादि चार कषायो को छोडे, जो ज्ञानियो के वचन में अचल—अटल निष्ठावान् हो, जो पशुओ तथा सुवर्ण-रौप्य आदि सपत्ति से रहित हो, जो मूर्च्छाविश गृहस्थ के सम्बन्ध को न करता हो, उसे सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

सम्मदिट्ठि सया अमूढे,

अत्थि हु नाणे तवे संजमे अ ।

तवसा धुणइ पुराणपावगं,

मणवयकायसुसंबुडे जे स भिक्खू ॥७॥

जो सम्यग्दर्शी हो, जो सदा विक्षेपरहित चित्तवाला हो, जो ज्ञान, तप और सयम में निष्ठावान् हो, जो तप करके अपने पुण्य पापों का नाश करनेवाला हो और मन, वचन तथा कर्मा को सयम में रखता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

तद्देव असणं पाणणं वा,
विविहं खाडमसाडमं लभित्ता ।

होही अट्टो सुए परे वा,
तं न निहे न निहावए जे म भिक्खु ॥८॥

इसी तरह जो विविध प्रकार के अन्न, पान, आदिम तथा स्वादिम पदार्थों का क्लृप्त या परमों-नरमों तथा आगामी दिनों के लिये सचय करके नहीं रखता हो और दूसरे में भक्षित करके नहीं रखा जाता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

तद्देव अमणं पाणणं वा,
विविहं खाडमसाडमं लभित्ता ।

उंदिअ माहम्मिआण भुंजे.

भुञ्ज्या मज्झायणए य जे म भिक्खु ॥९॥

इसी प्रकार जो विविध तरह के अन्न, पान, आदिम और स्वादिम पदार्थों को प्राप्त करके अपने माहम्मिसाधनों—मायो मदी साधनों को निमित्तकर कर उनके माधर्मिक कर भाग्य करण, जो और अन्नान के पक्षान् रखाए य में भक्ष रखता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

भिक्षु की पहचान]

न य वृग्गहियं कं कहिज्जा,
न य कुप्पे निहुइन्दिए पसन्ते ।
संजमधुवजोगजुत्ते,

उवसंते अविहेडए जे स भिक्खू ॥१०॥

जो लडाई-भाडे खडे हो जाय ऐसी कथा-कहानी नहीं सुनाता हो, जो किसी पर क्रोध नहीं करता हो, जो पाँचों इंद्रियो को सयम में रखता हो, जो रागादि से रहित हो, जो मन, वचन और शरीर को निश्चित सयम में रखनेवाला हो, जो उपशान्त अर्थात् कायचापल्य रहित हो, और जो किसी का अनादर नहीं करता हो, उसे ही सब्बा भिक्षु समझना चाहिये ।

जो महइ हु गामकंटए,
अक्कोसपहारतज्जणाओ य ।

भयभेरवसदसप्पहासे,

समसुहदुक्खसहेअ जे स भिक्खू ॥११॥

[दश० अ० १०, गा० १, से० ११]

जो इन्द्रिय-समूह को प्रिय न लगनेवाले प्रसंग, किसी के द्वारा किया गया क्रोध, दण्डादि का प्रहार, अपमान, (वेताल आदि के द्वारा किये गये) भयङ्कर शब्द और अट्टहास को शान्त भाव से सहन करलेता हो, तथा सुख-दुःख में समवृत्ति रखता हो, उसे ही सब्बा भिक्षु समझना चाहिये ।

असइं वोसङ्कचत्तदेहे,

अकुङ्के व हए लूसिए वा ।

पुढवीसमे मुणी हविज्जा,

अनियाणे अकोउहले जे स भिक्खू ॥१२॥

[दश० अ० १०, गा० १३]

जो सदा देहभावना से रहित हो, जो आक्रोश करने पर भी, मार-पीट होने पर भी अथवा घायल हो जाने पर भी पृथ्वी के समान क्षमाशील हो, जो नियाणा न करता हो, अथवा नृत्य-गीतादि में उत्सुकता नहीं दिखलाता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

विवेचन—संयम और तप के फल स्वरूप किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख की अपेक्षा रखना इसको नियाणा (निदान) कहते हैं ।

अभिभूय कायेण परीसहाइं,

समुद्धरे जाइपहाउ अप्पयं ।

विइतु जाईभरणं महब्भयं,

तवे रए सामणिए जे स भिक्खू ॥१३॥

[दश० अ० १०, गा० १४]

जो शरीर से (क्षुवा आदि) परीषहों को जीते, जो संनार से अपनी आत्मा का उद्धार करे, जो जन्म और मरण को महाभय का कारण मानकर तप में तथा श्रमणवर्म में मग्न रहे, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

भिक्षु की पहचान]

इत्थसंजए पायसंजए, वायसंजए संजइन्दिए ।

अज्झप्परए सुसमाहिअप्पा, सुत्तत्थं च विजाणइ

जे स भिक्खू ॥१४॥

[दश० अ० १०, गा० १५]

जो हाथ, पाँव, वाणी और इन्द्रियो को सयम मे रखनेवाला हो,
जो अध्यात्मभाव मे तत्पर हो, जिसकी आत्मा सुसमाहित हो और
जो सूत्र के अर्थ को बराबर जानता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना
चाहिये ।

उवहिम्मि अमुच्छिए अगिद्धे,

अन्नायउंछं पुलनिप्पुलाए ।

कयविक्रयसन्निहिओ विरए,

सन्वसंगावगए य जे स भिक्खू ॥१५॥

[दश० अ० १०, गा० १६]

जो उपधि अर्थात् संयम के उपकरणो में निर्मोही हो, खान-पान
मे आसक्त न हो, जो अपरिचित कुटुम्बो में पहुचकर निर्दोष भिक्षा
लेता हो, जो सयम को बिगाडनेवाले दोषों से दूर भागता हो, जो
वस्तु का क्रय-विक्रय अथवा सचय न करता हो, जो विरक्त हो और
जो रागद्वेषवाले समस्त सम्बन्धो से दूर रहता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु
समझना चाहिये ।

अलोलभिक्खू न रसेसु गिद्धे,

उंछं चरे जीवियनाभिकंखे ।

इडिं च सकारणपूयणं च,

चए ठिअप्पा अणिहे जे स भिक्खू ॥१६॥

[दश० अ० १०, गा०१७]

जो अलोलुप हो, किसी प्रकार के रस्तों में आसक्त न हो, अपरिचित गृहों से आहारादि ग्रहण करता हो, जो जीवितव्य के प्रति मोह न दिखलाता हो, जो अपने यग, सत्कार और पूजा का त्याग करने-वाला हो, जिसकी आत्मा स्थिर हो और आकाक्षारहित हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

न परं वड्ज्जासि अयं कुसीले,

जेणं च कुप्पेज्ज न तं वड्ज्जा ।

जाणिय पत्तयं पुण्ण-पावं,

अत्ताणं न समुक्खसे जे स भिक्खू ॥१७॥

[दश० अ० १० गा० १८]

‘यह कुसील है’ ऐसा शब्द दूसरे को न कहता हो, सामनेवाला व्यक्ति क्रुद्ध होवे ऐसे वचन न बोलता हो, जो प्रत्येक आत्मा स्वयं-वृत्त पाप अथवा पुण्य के फल भोगती है, ऐसा जानता हो और जो अपने गुणों को बड़ाई न करता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

न जाइमत्ते न य रूवमत्ते,

न लाभमत्ते न सुएण मत्ते ।

भयाणि सन्नाणि विवज्जइत्ता,

धम्मज्झाणरणं य जे स भिक्खू ॥१८॥

[दश० अ० १०, गा० १६]

जो जातिमद, रूपमद, काममद, श्रुतमद, तथा अन्य मदों का वर्जन करके धर्मध्यान में मग्न रहता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

पवेयए अज्जपयं महामुणी,

धम्मे ठिओ ठावयई परं पि ।

निक्खम्म वज्जेज्ज कुसीललिंगं,

न यावि हासंकुहए जे स भिक्खू ॥१९॥

[दश० अ० १० गा० २०]

जो महामुनि आर्यमार्ग को कहता हो, जो सयममार्ग में स्थिर रहता हो और दूसरों को भी सयममार्ग में स्थिर रखता हो, जो संसार को त्यागने के पश्चात् कुशीलचेष्टित आरम्भादि कार्य नहीं करता हो तथा हास्य उत्पन्न करनेवाली चेष्टा न करता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

बहुं सुणेई कन्नेहिं, बहुं अच्छीहिं पिच्छइ ।

न य दिट्ठं सुयं सच्चं, भिक्खू अक्खाउमरिहइ ॥२०॥

[दश० अ० ८ गा० २०]

भिक्षु कानों से बहुत-सी बातें सुनता है और आँखों से अनेक

वस्तुएं देखता है, परन्तु सुनी हुई अथवा देखी हुई सभी बातें वह किसी दूसरे को कहे, यह उचित नहीं है ।

अक्रोसेज्ज परो भिक्षुं, न तेसिं पडिसंजले ॥२१॥

[उक्त० अ० २, गा० २४]

कोई तिरस्कार करे तो भिक्षु उसपर क्रोध न करे ।

चत्तपुत्तकलत्तस्स, निव्वावारस्स भिक्षुणो ।

पियं न विज्जई किंचि, अप्पियं पि न विज्जई ॥२२॥

[उक्त० अ० ६, गा० १५]

पुत्र-पत्नी को छोड़नेवाले तथा सासारिक व्यवहार से दूर ऐसे भिक्षु के लिये कोई वस्तु प्रिय नहीं होती और कोई अप्रिय भी नहीं होती ।

सन्वेहिं भूएहिं दयाणुकंपी,

खंतिक्खमे संजयवंभयारी ।

सावज्जजोगं परिवज्जयंतो,

चरेज्ज भिक्षू सुसमाहिंइन्दिए ॥२३॥

[उक्त० अ० २१, गा० १३]

भिक्षु को चाहिये कि वह सर्व प्राणियों के प्रति दयानुकम्पी रहे, कठोर वचनों को सहन करनेवाला बने, संयमी रहे, ब्रह्मचारी रहे, इन्द्रियों की सुसमाधिवाला बने और सर्व पापकारी प्रवृत्ति का वर्जन करता हुआ विचरण करे ।

नारीसु नो पगिज्झेज्जा,
इत्थी विप्पजहे अणगारे ।
धम्मं च पेसलं णच्चा,

तत्थ ठविज्ज भिक्खु अप्पाणं ॥२४॥

[उक्त० अ० ८, गा० १६]

अणगार स्त्रियो के प्रति आसक्त न बने और उनका सम्पर्क—
समागम छोड़े । भिक्षु धर्म को सुन्दर मानकर उसमे अपनी आत्मा
को स्थिर रखे ।

बहुं खु मुणिणो भद्दं, अणगारस्स भिक्खुणो ।

सत्त्वओ विप्पमुक्कस्स, एगन्तमणुपस्सओ ॥२५॥

[उक्त० अ० ६, गा० १६]

सर्व बन्धनों से मुक्त होकर एकत्वभाव मे रहनेवाले, गृहरहित,
भिक्षाचरी करनेवाले मुनि निश्चय ही बहु सुखी होता है ।

तं देहवासं असुइं असासयं, सया चए निच्चहिअट्ठिअप्या ।

छिंदित्तु जाईमरणस्स बंधणं, उवेइं भिक्खू अपुणागमं गइं ॥२६॥

[वृश्च० अ० १०, गा० २१]

आत्मा के हित साधन मे तत्पर साधु इस अशुचिमय और
अशाश्वत शरीर का सदा के लिये परित्याग कर देता है तथा जन्म-मरण
के बन्धनों को काट कर, 'जहाँ जाने के बाद फिर संसार मे जाना नहीं
होता, ऐसे मुक्ति स्थान को प्राप्त कर लेता है ।

धारा : ३१ :

संयम की आराधना

एगओ विरइं कुज्जां, एगओ य पवत्तणं ।
असंजमे नियत्तिं च, संजमे य पवत्तणं ॥१॥

[उक्त० अ० ३१, गा० २]

साधक एक वस्तु की विरति करे और एक वस्तु का प्रवर्तन करे ।
वह असंयम की निवृत्ति करे और सयम का प्रवर्तन करे ।

जो सहस्सं सहस्साणं, मासे मासे गवं दए ।

तस्स वि संजमो सेयो, अदिन्तस्स वि किंचण ॥२॥

[उक्त० अ० ६, गा० ४०]

एक मनुष्य प्रति मास दस लाख गायों का दान करता हो और
दूसरा मनुष्य कुछ भी नहीं करते हुए केवल सयम की आराधना करता
हो, तो उस दान की अपेक्षा इसका यह सयम श्रेष्ठ है । तात्पर्य यह
है कि अपने पास सम्पत्ति हो, तो दान देना सरल बात है, किन्तु
अपनी आत्मा पर अनुशासन करना यह सरल बात नहीं है ।

तमाहु लोए पडिबुद्धजीवी,

सो जीयइ संजमजीविणं ॥३॥

[दश० चू० २, गा० १५]

इस लोक में उसको ही प्रतिबुद्धजीवी—सदा जागृत रहनेवाला कहा जाता है—जो संयमी जीवन व्यतीत करता है ।

गार्त्थेहि य सव्वेहिं, साहवो संजमुत्तरा ॥४॥

[उक्त० अ० ५, गा० २०]

सर्व गृहस्थो की अपेक्षा साधु संयम में श्रेष्ठ होते हैं । तात्पर्य यह कि गृहस्थ चाहे जितने व्रत और नियमों का पालन करते हों, किन्तु संयम के विषय में वे साधु की समानता नहीं कर सकते ।

तहेव हिंसं अलियं, चोज्जं अबम्भसेवणं ।

इच्छाकामं च लोभं च, संजओ परिवज्जए ॥५॥

[उक्त० अ० ३५, गा० ३]

संयमी पुरुष सदा हिंसा, भ्रूठ, चोरी, अब्रह्मसेवन, भोगलिप्सा तथा लोभ का परित्याग करे ।

अणुस्सुओ उरालेसु, जयमाणो परिच्चए ।

चरियाए अप्पमत्तो, पुट्ठो तत्थ हियासए ॥६॥

[सू० श्रु० १, अ० ६, गा० ३०]

उदारभोगो के प्रति अनासक्त रहता हुआ मुमुक्षु यत्नपूर्वक संयम में रमण करे, धर्मचर्या में अप्रमादी बने और विपत्ति आ जाने पर अदीन भाव से उसे सहन करे ।

अणुसोअपट्ठिए वहुजणम्मि,

पडिसोयलद्धलक्खेणं ।

पडिसोअमेव

अप्पा,

दायन्वो होउ कामेणं ॥७॥

[दश० चू० २, गा० २]

जगत मे बहुत से लोग अनुत्तोतगामी अर्थात् विषय के प्रवाह में वहनेवाले होते हैं। किन्तु जिसका लक्ष्य किनारे पहुँचने का है वह प्रतिलोतगामी अर्थात् विषय-प्रवाह के सामने जानेवाला होता है। जो ससारसागर को पार करना चाहता है उसे अपनी आत्मा को निःसन्देह प्रतिलोत मे-विषय-पराङ्मुखता मे ही स्थिर करनी चाहिए।

अणुसोअसुहो लोओ, पडिसोओ आसवो सुविहिआणं ।

अणुसोओ संसारो, पडिसोओ तस्स उत्तारो ॥८॥

[दश० चू० २, गा० ३]

सामान्य मनुष्य विषय के प्रवाह मे वहनेवाले तथा उसीमें सुख माननेवाले होते हैं, जबकि साधु पुरुषों का उद्देश्य तो प्रतिलोत ही होता है। इतना समझ लो कि अनुत्तोत यह ससार है और प्रतिलोत उससे बाहर निकलने का उपाय है।

सुसंबुडा पंचहिं संवरेहिं,

इह जीवियं अणवक्रंखमाणा ।

वोसडुकाया

सुइचत्तदेहा,

महाजयं जयइ जन्नसिट्ठं ॥९॥

[उच्च० अ० १२, गा० ४२]

जो पांच महाव्रतों से हिंसादि आस्रव के रोधक है, जो ऐहिक जीवन की आकाक्षा नहीं करते, जो काया की ममता छोड़ चुके हैं, और जो देह की सार-सवार वृत्ति से पर हैं, वे ही महाविजय के लिए श्रेष्ठ यज्ञ करते हैं ।

कावोया जा इमा वित्ती, केसलोओ अ दारुणो ।

दुक्खं वंभच्चयं घोरं, धारेउं य महप्पणा ॥१०॥

[उक्त० अ० १६, गा० ३४]

मुनि जीवन कापोतवृत्ति के समान है, केशलोच अत्यन्त दारुण है; और उग्र ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना कठिन है; परन्तु महात्माओं को वे गुण धारण करने चाहिये ।

विवेचन—कापोतवृत्ति का अर्थ है कबूतर के समान जो मिले उस पर जीवन चलाना ।

वालुयाकवले चेव, निरस्साए उ संजमे ।

असिधारागमणं चेव, दुक्करं चरिउं तवो ॥११॥

[उक्त० अ० १६, गा० ३८]

सयम रेती के कौर की तरह नीरस है और तपश्चर्या तलवार की धार पर चलने की तरह दुष्कर है ।

जहा अग्गिसिहा दित्ता, पाउं होइ सुदुक्करं ।

तहा दुक्करं करेउं जे, तारुण्णे समणत्तणं ॥१२॥

[उक्त० अ० १६, गा० २६]

जैसे प्रज्वलित अग्निशिखा का पान करना अति दुष्कर है, वैसे ही तरुणावस्था में श्रमणत्व का पालन करना अति दुष्कर है ।

जहा दुक्खं भरेउं जे, होइ वायस्स कोत्थलो ।

तहा दुक्खं करेउं जे, कीवेणं समणत्तणं ॥१३॥

[उक्त० अ० १६, गा० ४०]

जिस तरह कपड़े के थैले को वायु से भरना कठिन है, उसी तरह कायर (पुरुष) के लिये श्रमणत्व का—सयम का पालन करना कठिन है ।

जहा भुयाहिं तरिउं, दुक्करं रयणायरो ।

तहा अणुवसन्तेणं, दुक्करं दमसागरो ॥१४॥

[उक्त० अ० १६, गा० ४२]

जैसे भुजाओं से समुद्र को तैर कर पार करना अति कठिन है वैसे ही अनुपशान्त आत्मा द्वारा सयमरूपी समुद्र को पार करना अति कठिन है ।

इह लोए निप्पिवासस्स,

नत्थि किंचि वि दुक्करं ॥१५॥

[उक्त० अ० १६, गा० ४४]

इस लोक में जो तृष्णारहित है, उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है ।

विरया वीरा समुद्धिया, कोहकोयरियाइपीसणा ।

पाणेण हणंति सच्चसो, पावाओ विरयाऽभिनिच्चुडा ॥१६॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० १, गा० १२]

जो ससार से विरक्त है, जो आत्मशुद्धि के लिये तत्पर है, जो क्रोध, लोभ आदि दुष्ट मानसिक वृत्तियों को दूर करनेवाले है, वे प्राणियों की हिंसा कभी नहीं करते । जो पापों से निवृत्त हो गये हैं और जो शान्ति को धारण करते हैं, वे ही सच्चे वीर हैं ।

जया या चयइ धम्मं, अणज्जो भोगकारणा ।

से तत्थ मुच्छिण्णं चाले, आयइं नाववुज्झई ॥१७॥

[दश० चू० १, गा० १]

जब कोई अनार्य पुरुष केवल भोग की इच्छा से अपने चिरसञ्चित संयमधर्म को छोड़ देता है, तब वह भोगासक्त अज्ञानी अपने भविष्य का जरा भी विचार नहीं करता ।

जया य पूइमो होइ, पच्छा होइ अपूइमो ॥१८॥

[दश० चू० १, गा० ४]

मनुष्य जब सयमी होता है, तब पूज्य बनता है, परन्तु सयम से अष्ट होता है, तो अपूज्य बन जाता है ।

जं मयं सन्नसाहूणं, तं मयं सहलगत्तणं ।

साहइत्ताण तं तिण्णा, देवा वा अभविंसु ते ॥१९॥

[सू० श्रु० १, अ० १५, गा० २४]

सर्वसाधुओं द्वारा मान्य ऐसा जो संयमधर्म है, वह पाप का नाश करनेवाला है । इसी सयम धर्म की आराधना कर अनेक जीव संसारसागर से पार हुए हैं और अनेक जीवों ने देवयोनि प्राप्त की है ।

तिविहेण वि पाण मा हणे.

आयहिते अणियाण संबुडे ।

एवं सिद्धा अणंतसो,

संपइ जे अ अणागयावरे ॥२०॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० ३, गा० २६]

आत्मकल्याण के लिये मन, वचन और काया से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, संयमपालन के फलस्वरूप किसी सांसारिक सुख की इच्छा नहीं रखना और तीन गुणियों का पालन करना । इस प्रकार अनन्त आत्माएँ सिद्धि-पद को प्राप्त हुई हैं, वर्तमान काल में सिद्ध हो रही हैं और भविष्य में भी होंगी ।

तपश्चर्या

बलं थामं च पेहाए, सद्धामारुग्गमप्पणो ।

खेत्तं कोलं च विन्नाय, तहप्पाणं निजुंजए ॥१॥

[दश० अ० ८, गा० ३५]

इन्द्रियो शक्ति का श्रद्धा और आरोग्य देखकर तथा क्षेत्र और काल को पहचानकर अपनी आत्मा को शारीरिक बल धर्म कार्य में नियुक्त करे ।

एगमप्पाणं सपेहाए धुणे सररीरगं ॥२॥

[भा० ध्रु० १, अ० ४, उ० ३]

साधु आत्मा को अकेला समझकर (अमोहभाव से) शरीर को उग्र तप द्वारा क्षीण करे ।

सउणी जह पंसुगुण्डिया,

विहुणिय धंसयई सियं रयं ।

एवं दविओवहाणवं,

कम्मं खवइ तवस्सिमाहणे ॥३॥

[सु० ध्रु० १, अ० २, उ० १, गा० १५]

जैसे शकुनिका नामक एक पक्षी अपने शरीर में लगी हुई धूल को पख फड़फड़ा कर दूर कर देती है, वैसे ही जितेन्द्रिय ऐसा अहिंसक तपस्वी अनशनादि तप करके अपने आत्म-प्रदेशों पर कर्म रूपी जमी हुई मिट्टी को दूर कर देता है ।

जं किञ्चुवक्कम जाणं, आउक्खेमस्स अप्पणो ।

तस्सेव अन्तराखिप्पं, सिक्खं सिक्खेज्ज पण्डिए ॥४॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० १५]

यदि पण्डित पुरुष किसी भी तरह अपनी आयु का क्षयकाल जान ले, तो उस से पूर्व वह शीघ्र ही सलेखनारूप शिक्षा को ग्रहण करे ।

खवेत्ता पुब्बक्कम्माइं संजमेण तवेण य ।

सच्चदुक्खपहीणट्ठा, पक्कमंति महेसिणो ॥५॥

[उक्त० अ० २८, गा० ३६]

महर्षिगण संयम और तप द्वारा अपने सभी पूर्व कर्मों को क्षीण करके सर्व दुःखों से रहित ऐसा जो मोक्षपद है उसे पाने के लिए प्रयत्न करते हैं ।

तवनारायजुत्तणं, भित्तूण कम्मकंचुयं ।

मुणी विगयसंगामो, भवाओ परिमुच्चए ॥६॥

[उक्त० अ० ९, गा० २२]

तपरूपी वाण से सयुक्त मुनि कर्मरूपी कवच को भेदकर कर्म के साथ होनेवाले युद्ध का अन्त करता है और भव-परम्परा से मुक्त होता है ।

एवं तवं तु दुविहं, जे सम्मं आयरे मुणी ।

सो खिप्पं सच्चसंसारं, विप्पमुच्चइ पंडिओ ॥७॥

[उक्त० अ० ३०, गा० ३७]

जो पण्डित मुनि बाह्य-और आभ्यन्तर ऐसे दोनो प्रकार के तपों का सम्यग् आचरण करता है, वह समस्त तपार से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है ।

धारा : ३३ :

विनय (गुरु-सेवा)

मूलाओ खंधप्पभवो दुमस्स,
खंधाउ पच्छा समुवेन्ति साहा ।
साहप्पसाहा विरुहन्ति पत्ता,
तओ सि पुप्फं च फलं रसो अ ॥१॥
एवं धम्मस्स विणओ,
मूलं परमो से मोक्खो ।
जेण किंत्तिं सुयं सिग्घं,
निस्सेसं चाभिगच्छइ ॥२॥

[दश० अ० ६, उ० २, गा० १-२]

वृक्ष के मूल से तना निकलता है। वाद मे तने से विभिन्न शाखाएँ निकलती है। उन शाखाओं से अन्य कई छोटी-छोटी प्रशाखाएँ (डालियाँ) फूटती हैं। उन प्रशाखाओ पर पत्ते लगते हैं, फिर पुष्प खिलते हैं, फल लगते हैं और उसके पश्चात् फलों मे रस होता है।

इसो प्रकार धर्मरूपी वृक्ष का मूल विनय है और उसका अन्तिम परिणाम मोक्ष है । विनय से ही मनुष्य कीर्ति, श्रुतज्ञान और महा-पुरुषो की प्रशंसा आदि पूर्ण रूप से प्राप्त करता है ।

जहा सुई ससुत्ता, पडिआ वि न विणस्सइ ।

तहा जीवे ससुत्ते, संसारे न विणस्सइ ॥३॥

[उक्त० अ० २६, गा० ५६]

जैसे घागा (सूता) पिरोई हुई सुई के गिर जाने पर भी वह खो नहीं जाती, ठीक वैसे ही (विनय-पूर्वक) श्रुतज्ञान की प्राप्ति करने-वाला जीव चार गतिरूपी संसार मे परिभ्रमण नहीं करता ।

सुस्ससमाणो उवासेज्जा, सुप्पन्नं सुत्तवस्सियं ॥४॥

[सू० श्रु० १, अ० ६, गा० ३३]

मोक्षार्थी पुरुष को चाहिये कि वह प्रज्ञावान् और तपस्वी ऐसे गुरु की सेवा-सुश्रूषापूर्वक उपासना करे ।

जहाहिअग्गी जलणं नमंसे,

नाणाहुईमंतपयाभिसिंत्तं ।

एवायरियं उवचिड्डइज्जा,

अणंतनाणोवगओ वि संतो ॥५॥

[दश० अ० ६, उ० १, गा० ११]

जैसे अग्निहोत्री ब्राह्मण भिन्न-भिन्न प्रकार के (घृत, मधु आदि) पदार्थों की आहुति से तथा वेदमन्त्रो द्वारा अभिषिक्त ऐसी होमाग्नि

को नमस्कार करता है, वैसे ही शिष्य अनन्त ज्ञानी हो जाने पर भी अपने आचार्य की (गुरु की) विनयपूर्वक सेवा करे ।

जस्सन्तिए धम्मपयाइ सिक्खे,
तस्सन्तिए वेणइयं पउंजे ।

सकारए सिरसा पंजलीओ,
कायग्गिरा भो ! मणसा य निच्चं ॥६॥

[दश० अ० ६, उ० १, गा० १२]

शिष्य का यह परम कर्तव्य है कि जिस गुरु के पास उसने धर्म-पदों की शिक्षा ग्रहण की हो अर्थात् धर्मज्ञान प्राप्त किया हो, उनका श्रद्धासिक्त मन से आदर करे, (वचन से सत्कार करे) और काया से दोनों हाथ जोड़कर शिर से प्रणाम करे । इस प्रकार सदा मन, वचन और काया से उनके प्रति विनय प्रदर्शित करे ।

थंभा व कोहा व मयप्पमाया,
गुरुस्सगासे विणयं न सिक्खे ।

सो चेव उ तस्स अभूइभावो,
फलं व कीयस्स वहाय होइ ॥७॥

[दश० अ० ६, उ० १, गा० १]

जो शिष्य अभिमानवश, क्रोधवश, मद या प्रमादवश गुरु के पास रहकर भी विनय नहीं सीखता, अर्थात् उनके प्रति विनय से व्यवहार नहीं करता, उसका यह अविनयी वर्तन वाँस के फल की तरह विनाश का कारण बनता है ।

विवेचन—बाँस के फल आते हैं तब बाँस फट जाता है । उसी प्रकार जो शिष्य गुरु के साथ अविनय से व्यवहार करता है, उसका सर्वप्रकार से अधःपतन होता है ।

विणय पि जो उवाएण, चोइओ कुप्पई नरो ।

दिञ्चं सो सिरिमिज्जंति, दण्डेण पडिसेहए ॥८॥

[दश० अ० ६, उ० २, गा० ४]

कोई उपकारी महापुरुष सुन्दर शिक्षा देकर विनय-मार्ग पर चलने की प्रेरणा करे, तब जो मनुष्य उस पर क्रोध करता है (और उसके द्वारा प्रदत्त शिक्षा का अनादर करता है) वह स्वयं अपने घर आयी दिव्य लक्ष्मी को झण्डा उठाकर हाँक देता है—भगा देता है ।

जे आयरियउवज्झायाणं,

सुसूसावयणंकरे ।

तेसिं सिक्खा पवड्ढति,

जलसित्ता इव पायवा ॥९॥

[दश० अ० ६, उ० २, गा० १२]

जो शिष्य आचार्य और उपाध्याय की सेवा करता है तथा उनके कयनानुसार चलता है, अर्थात् उनकी आज्ञा का सदा पालन करता है, उसकी शिक्षा खूब अच्छी तरह जल से सिञ्चित वृक्ष के समान सद्तर बढ़ती जाती है ।

विवेचन—शिक्षा दो प्रकार की है :—(१) ग्रहण और (२) आसेवना । शास्त्रज्ञान सम्पादन करने को ग्रहण-शिक्षा कहते

हैं और साधु के आचार के अनुरूप वर्तवि-व्यवहार करने की शिक्षा को आसेवना-शिक्षा कहते हैं। जहाँ शिक्षा का सामान्य निर्देश किया गया हो, वहाँ इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं को समझना चाहिये।

आणानिद्देसकरे, गुरूणमुववायकारे ।

इंगियागारसंपन्ने, से विणीए त्ति बुच्चई ॥१०॥

[उक्त० अ० १, गा० २]

जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करनेवाला हो, गुरु के निकट रहता हो (गुरुकुलवासी हो) और गुरु के इंगित तथा आकार से मनोभाव को समझकर कार्य करनेवाला हो, वह विनीत कहलाता है।

अह पणरसहिं ठाणेहिं, सुविणीए त्ति बुच्चई ।

नीयावत्ती अचवले, अमाई अकुळहले ॥११॥

अप्यं च अहिक्खिखवई, पवन्धं च न कुच्चई ।

मेत्तिज्जमाणो भयई, सुयं लद्धं न मज्जई ॥१२॥

न य पावपरिक्खेवी, न य मित्तेसु कुप्पई ।

अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कल्लण भासई ॥१३॥

कलहडमरवज्जिए, बुद्धे अभिजाइए ।

हिरिमं पडिसंलीणे, सुविणीए त्तिबुच्चई ॥१४॥

[उक्त० अ० ११, गा० १० से० १३]

निम्नांकित पन्द्रह स्थानों में वर्तन करता हुआ साधु सुविनीत कहलाता है :—

(१) वह नम्रवृत्तिवाला हो, (२) चपलता-रहित हो, (३) शठता-रहित हो, (४) कुतूहल-रहित हो, (५) किसी का अपमान करने-वाला न हो, (६) जिसका क्रोध अधिक समय तक न टिकता हो, (७) जो मित्रता निभानेवाला हो, (८) जो विद्या प्राप्त कर अभिमान करनेवाला न हो, (९) अपने से झुटि हो जाने पर हितशिक्षा देनेवाले आचार्यादि का तिरस्कार करनेवाला न हो, (१०) मित्रों के प्रति क्रोध करनेवाला न हो, (११) अप्रिय मित्र की भी पीठ पीछे-प्रगसा करता हो, (१२) भगडा-टटा अथवा किसी प्रकार का कलह करनेवाला न हो, (१३) बुद्धिमान् हो, (१४) कुलीन हो और (१५) आँख की शर्म रखनेवाला तथा स्थिर-वृत्तिवाला हो ।

आणानिद्वेसकरे, गुरुणमणुववायकारए ।

पडणीए असंबुद्धे, अविणीए त्ति बुच्चई ॥१५॥

[उक्त० अ० १, गा० ३]

जो शिष्य गुरु की आज्ञा पालन करनेवाला न हो, गुरु के निकट रहनेवाला न हो (गुरुकुलवासी न हो), गुरु के मनोभाव के प्रतिकूल वर्तन करनेवाला हो तथा तत्त्वज्ञान से रहित हो वह अविनीत कहलाता है ।

अह चोद्सहिं ठाणेहिं, वट्टमाणे उ संजए ।

अविणीए बुच्चई सो उ, निच्चाणं च न गच्छइ ॥१६॥

अभिक्षणं कोही हवइ, पवन्धं च पकुब्बई ।
 मेत्तिजमाणो वमइ, सुयं लद्धूण मज्जई ॥१७॥
 अवि पावपरिक्खेवो, अवि मित्तेसु कुप्पई ।
 सुप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे भासइ पावगं ॥१८॥
 पइण्णवाई दुहिले, थद्धे लुद्धे अणिग्गहे ।
 असंविभागी अवियत्ते, अविणीए त्ति वुच्चई ॥१९॥

[उक्त० अ० ११, गा० ६ से ९]

यहाँ वर्णित चौदह स्थानों में वर्तन करनेवाला साधु अविनीत कहलाता है और वह निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता—(१) जो शिष्य वार-वार क्रोध करता हो, (२) जिसका क्रोध शीघ्रता से शान्त न होता हो, (३) जो मैत्री भावना को छोड़नेवाला हो, (४) विद्या प्राप्त करके अभिमान करनेवाला हो, (५) किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने पर हितशिक्षक आचार्यादि का तिरस्कार करनेवाला हो, (६) मित्रों पर भी क्रोध करनेवाला हो, (७) अत्यन्त प्रिय मित्र की भी पीठ पीछे निन्दा करनेवाला हो, (८) असम्बद्ध प्रलापकारी हो, (९) द्रोही हो, (१०) अभिमानी हो, (११) रसादि में आसक्त हो, (१२) इन्द्रियों को वश में नहीं रखनेवाला हो, (१३) असंविभागी हो अर्थात् साधमिकों को आमन्त्रित किये बिना ही खान-पान को अकेला ही भोगनेवाला हो और (१४) अप्रीतिकारक हो ।

विद्यत्ती अविणीअस्स, संपत्ती विणिअस्स य ।

जस्सेयं दुहओ नायं, सिक्खं से अभिगच्छइ ॥२०॥

[दश० अ० ६, उ० २, गा० २१]

अविनयी के ज्ञानादिगुण नष्ट हो जाते हैं और विनयी को ज्ञानादिगुणों की सम्प्राप्ति होती है। इन दो बातों को जिसने बराबर जान लिया है, वही सच्ची शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

अह पंचहिं ठाणेहिं, जेहिं सिक्खा न लब्धई ।

धम्भा कोहा पमाएणं, रोगेणालस्सएण य ॥२१॥

[उक्त० अ० ११, गा० ३]

(१) अभिमान, (२) क्रोध, (३) प्रमाद, (४) रोग और (५) आलस्य इन पाँच कारणों से शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती।

अह अट्ठहिं ठाणेहिं, सिक्खासीलि त्ति वुच्चई ।

अहस्सिरे सया दन्ते, न य मम्ममुदाहरे ॥२२॥

नासीले न विसीले वि, न सिया अइलोलुए ।

अकोहणं सच्चरणं, सिक्खासीले त्ति वुच्चई ॥२३॥

[उक्त० अ० ११, गा० ४-५]

निम्नांकित आठ कारणों से साधु शिक्षाशील कहलाता है :—
(१) वह बार-बार हँसनेवाला न हो, (२) निरन्तर इन्द्रियों को बश में रखनेवाला हो, (३) दूसरों के मर्म को कहनेवाला न हो, (४) शीलरहित न हो, (५) शीलको पुनः पुनः अतिचार लगानेवाला न हो, (६) खाने-पीने में लोलुप न हो, (७) शान्तवृत्तिवाला हो और (८) सत्यपरायण हो।

मणोगयं वक्कगयं, जाणित्तायरियस्स उ ।

त्तं परिगिज्झ वायाए, कम्मुणा उववायए ॥२४॥

[उक्त० अ० १, गा० ४३]

विनीत गिष्य आचार्य के मनोगत-भावों को जानकर अथवा उनके वचन सुनकर अपने वचनो द्वारा उनको स्वीकृत करे और कार्य द्वारा उसका आचरण करे ।

चित्ते अचोइए निच्चं, खिप्पं हवइ सुचोइए ।

जहोवइडं सुकयं, किच्चाइं कुव्वई सया ॥२५॥

[उक्त० अ० १, गा० ४४]

विनीत गिष्य गुरु द्वारा प्रेरणा दिये विना भी कार्य में सदा प्रवृत्त रहता है और गुरु द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रेरित किया गया हो तो वह कार्य शीघ्र सम्पादित करता है । अथिक क्या ? गुरु के उपदेगानुसार वह सभी कार्य उत्तम प्रकार से करता है ।

न बाहिरं परिभवे, अत्ताणं न समुक्कसे ।

सुयलाभे न मज्जेज्जा, जच्चा तवस्मि बुद्धिए ॥२६॥

[उक्त० अ० ८, गा० ३०]

विनीत गिष्य किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार न करे और न आत्म-प्रशंसा ही करे । इस तरह वह शान्त्रज्ञान, जाति, तप अथवा बुद्धि का अभिमान भी न करे ।

भासमाणो न भासेज्जा, णेव वंफेज्ज मम्मयं ।

मातिट्ठाणं विवज्जेज्जा, अणुचिन्तिय वियागरे ॥२७॥

[सू० श्रु० १, अ० ६, गा० २५]

वह (विनीत गिष्य) हमारे जत्र बोलने हो तत्र बीच में न बोले,

मर्मभेदी (दिल को बुरी लगे ऐसी) बात न करे, मायावी वचनो का त्याग करे और जो बोले वह खूब सोच-समझ कर विचार पूर्वक बोले ।

निस्सन्ते सिया अमुहरी, बुद्धाणमन्ति ए सया ।

अद्भुत्ताणि सिक्खिज्जा, निरद्वाणि उ वज्जए ॥२८॥

[उक्त० अ० १, गा० ८]

वह सदा शान्त रहे, असम्बद्ध बाते न करे, ज्ञानियो के निकट रहकर सदा अर्थयुक्त परमार्थसाधक बातो को ग्रहण करे और निरर्थक बातो को छोड़ दे ।

अणुसासियो न कुपिपज्जा, खांति सेवेज्ज पंडिए ।

खुद्दुहि सह संसग्गि, हासं कीडं च वज्जए ॥२९॥

[उक्त० अ० १, गा० ९]

गुरु के अनुशासन करने पर क्रोध न करे अपितु क्षमावान् बना रहे और दुराचारियो की सगति, हास्य तथा क्रीडा का वर्जन करे ।

मा य चण्डालियं कासी, ब्रह्मं मा य आलवे ।

कालेण य अहिज्जिता, तओ झाइज्ज एगगो ॥३०॥

[उक्त० अ० १, गा० १०]

वह क्रोधादि के वशीभूत हो असत्य न बोले, साथ ही अधिक भी न बोले, किन्तु कालानुसार शास्त्रो का अध्ययन करे और एकाग्र होकर उन पर चिन्तन-मनन किया करे ।

मा गलियस्सेव कसं, वयणमिच्छे पुणो पुणो ।

कसं व दद्दुमाइणो, पावगं परिवज्जए ॥३१॥

[उक्त० अ० १, गा० १०]

जैसे अडियल घोड़ा वार-वार चावुक की अपेक्षा रखता है, वैसे ही विनीत गिष्य वार-वार अनुशासन की अपेक्षा न रखे। जिस तरह सीधा घोड़ा चावुक को देखते ही कुमार्ग को छोड़ देता है, वैसे ही विनीत गिष्य भी गुरुजनों की दृष्टि आदि का सकेत पाकर दुष्ट मार्ग को छोड़ दे।

ना पुट्टो वागरे किंचि, पुट्टो वा नालियं वए ।

कोहं असच्च कुव्वेज्जा, धारेज्जा पियमप्पियं ॥३२॥

[उत्त० अ० १, गा० १४]

विनीत गिष्य विना पूछे कुछ भी न बोले और पूछे जाने पर असत्य न बोले। वह क्रोध को निष्फल बना दे और प्रिय-अप्रिय-को समभाव से ग्रहण करे।

न पक्खओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिट्ठओ ।

न जुंजे ऊरुणा ऊरं, सयणे नो पडिस्सुणं ॥३३॥

[उत्त० अ० १, गा० १८]

विनीत गिष्य आचार्य की पंक्ति में न बैठे, उनसे आगे भी न बैठे, उनके पीठ पीछे भी न बैठे और वह इतना निकट भी न बैठे कि उनकी जाँघ से जाँघ मिल जाय। यदि गुरु ने किसी कार्य का आदेश दिया हो तो वह शय्या पर सोते-सोते अथवा बैठे-बैठे न सुने। तात्पर्य यह कि खड़ा होकर तथा उनके पास जा कर विनय-पूर्वक सुने।

हत्थं पायं च कायं च, पणिहाय जिइंदिए ।

अह्णीणगुत्तो निमीए, सगासे गुरुणो मुणी ॥३४॥

[दश० अ० ८, गा० ४५]

जितेन्द्रिय मुनि गुरु के समक्ष हाथ, पैर और शरीर को यथा-
वस्थित रखकर तथा अपनी चपल इन्द्रियो को वश मे रखकर (बहुत
दूर भी नहीं और पास भी नहीं इस प्रकार) बैठे ।

नीयं सिज्जं गइं ठाणं, नीयं च आसणाणि य ।

नीयं च पाए वंदिज्जा, नीयं कुज्जाय अंजलिं ॥३५॥

[दश० अ० ६, उ० २, गा० १७]

विनीत शिष्य अपनी शय्या, अपनी गति, अपना स्थान और
अपना आसन गुरु से नीचा रखे, वह नीचा झुककर गुरु के चरणों
की वन्दना करे और कार्य उपस्थित होने पर नीचे झुककर ही
अजलि करे ।

आसणे उवचिड्ढेज्जा, अणुच्चे अकुए थिरे ।

अप्पुट्टाई निरुट्टाई, निसीएज्जप्पकुक्कुए ॥३६॥

[उक्त० अ० १, गा० ३०]

शिष्य ऐसे आसन पर बैठे कि जो गुरु से ऊँचा न हो, आवाज
करनेवाला न हो और स्थिर हो । ऐसे आसन पर बैठने के पश्चात्
वह बिना प्रयोजन उठे नहीं और यदि प्रयोजन हो तो भी बार-बार
उठे नहीं । वह भोहे, हाथ अथवा पैरों से किसी प्रकार की चेष्टा
किये बिना ही शान्ति से बैठे ।

नेव पल्हत्थियं कुञ्जा, पक्खपिडं च संजए ।

पाए पसारिए वावि, न चिद्धे गुरुणन्तिए ॥३७॥

[उक्त० अ० १, गा० १९]

शिष्य गुरु के समक्ष पाँव पर पाँव चडाकर, छाती से घुटने सटा कर, एवं पैर फैला कर न बैठे ।

आयरिएहिं वाहित्तो, तुसिणीओ न कयाइ वि ।

पसायपेहि नियागट्ठी, उवचिद्धे गुरुं सया ॥३८॥

[उक्त० अ० १, गा० २०]

आचार्यों द्वारा बुलाये जाने पर शिष्य कभी मौन का अवलम्बन न करे, बल्कि गुरुकृपा और मोक्ष का अभिलाषी ऐसा शिष्य उनके समीप विनय से जाए ।

आलवन्ते लवन्ते वा, न निसीएज्ज कयाइ वि ।

चइज्जणमासणं धीरो, जओ जत्तं पडिस्सुणे ॥३९॥

[उक्त० अ० १, गा० २१]

गुरु एक वार आवाज दें अथवा वार-वार आवाज दें, किन्तु बुद्धिमान् सावु कभी भी अपने आसन पर बैठे न रहे । वह अपना आसन छोड़कर यतनापूर्वक गुरु के निकट जाए और उन्हें क्या कहना है, वह विनयपूर्वक सुने ।

आसणगओ न पुच्छेज्जा,

नेव सेज्जागओ कया ।

आगम्मुक्कडुओ संतो,

पुच्छेज्जा पंजलीउडो ॥४०॥

[उक्त० अ० १, गा० २२]

गुरु महाराज से यदि कुछ पूछना हो तो शिष्य अपने आसन अथवा शय्या पर बैठ-बैठा कभी नहीं पूछे, अपितु गुरु के समीप जाकर और उनके पास उकडू बैठ कर और दोनो हाथ जोडकर पूछे ।

जं मे बुद्धाणुसासन्ति, सीएण फरुसेण वा ।

मम लाभो त्ति पेहाए, पयओ तं पडिस्सुणे ॥४१॥

[उक्त० अ० १, गा० २७]

गुरु महाराज कोमल अथवा कठोर शब्दो मे मुझे जो कुछ शिक्षा देते है, उसमे मेरी ही भलाई छिपी हुई है—मुझे ही लाभ है, ऐसा विचार कर शिष्य उसे अत्यधिक सावधानी से ग्रहण करे ।

अणुसासणमोवायं, दुक्कडस्स य चोयणं ।

हियं तं मण्णई पण्णो, वेस्सं होइ असाहुणो ॥४२॥

[उक्त० अ० १, गा० २८]

प्रज्ञावान् साधु सदा ऐसा मानता है कि गुरु महाराज (मधुर अथवा कटु शब्दो से) मुझे जो कुछ अनुशासित करते है, वह सब आत्मोन्नति के उपाय-स्वरूप ही है और मेरे दुष्कृतो का नाश करनेवाला है । परन्तु जो असाधु है उसके लिये यही अनुशासन द्वेष का कारण बनता है । आशय यह है कि गुरुमहाराज द्वारा हितबुद्धि से दिया गया उपालम्भ या कहे गये दो-चार कटु शब्दो को सुनकर

जो साधु रोष करता है अथवा गुरु के प्रति अनादर व्यक्त करता है, वह वास्तव में साधु नहीं है ।

हियं विगयभया बुद्धा, फरुसं पि अणुसासणं ।

वेसं तं होइ मूढाणं, खंतिसोहिकरं पयं ॥४३॥

[उक्त० अ० १, गा० २६]

निर्भय और तत्त्वज्ञ शिष्य गुरुजनों के कठोर अनुशासन को भी अपने लिए परम हितकारी मानते हैं, जब कि मूढ़ अज्ञानी शिष्यों के लिये क्षमा और आत्म-शुद्धिकर वह शिक्षापद द्वेष का कारण बन जाता है ।

न कोवए आयरियं, अप्पाणं पि न कोवए ।

बुद्धोचघाई न सिया, न सिया तोत्तगवेसए ॥४४॥

[दश० अ० १, गा० ४०]

विनीत शिष्य आचार्य पर कदापि क्रोध न करे । वैसे ही अपनी आत्मा पर भी क्रोध न करे । न ही वह तत्त्ववेत्ताओं का उपघात करे और उनके छिद्र खोजे ।

आयरियं कुवियं नच्चा, पत्तिएण पमायए ।

विज्झवेज्ज पंजलीउडो, वएज्ज न पुणुत्ति य ॥४५॥

[उक्त० अ० १, गा० ४६]

विनीत शिष्य आचार्य को कुपित जानकर प्रीतिकारक वचनों से प्रसन्न करे और हाथ जोड़कर यो कहे—‘फिर मे फेसा अपना कमी न कटंगा ।’

जे य चंडे मिए थद्धे, दुज्वाई नियडी सढे ।

बुज्झइ से अविणीअप्पा, कट्टं सोअगयं जहा ॥४६॥

[दश० अ० ६, उ० २, गा० ३]

जो आत्मा क्रोधी, अज्ञानी, अहकारी, सदा कटु बोलनेवाला, मायावी और धूर्त होता है, उसे अविनीत समझना चाहिये । वह पानी के बहाव में गिरी हुई लकड़ी की तरह संसार के बहाव में बह जाता है ।

स देवगान्धवमणुस्सपूइए, चइत्तु देहं मलपंकपुच्चयं ।

सिद्धे वा हवइ सासए, देवे वा अप्परए महिड्डिए ॥४७॥

[उक्त० अ० १, गा० ४८]

देव, गन्धर्व और मनुष्यो से पूजित ऐसा वह विनीत शिष्य मल-मूत्रादि से युक्त ऐसे इस शरीर को त्याग कर सिद्ध और शाश्वत बनता है, अथवा अल्पकर्म बाकी रहने पर महान् ऋद्धिशाली देव बनता है ।

कुशिष्य

वहणे वहमाणस्स, कन्तारं अइवत्तई ।

जोए वहमाणस्स, संसारो अइवत्तई ॥१॥

जैसे गाडी मे सघे हुए बैलो को जोतने से वे सरलता से वन-प्रातर को पार कर जाते हैं, वैसे ही सुशिष्यों को योग-सयम रूपी वाहन मे जोजने से वे भी ससाररूपी अरण्य को सुखपूर्वक पार कर जाते हैं ।

खलुंके जो उ जोएइ, विहम्माणो किलिस्सई ।

असमाहिं च वेएइ, तोत्तओ से य भज्जई ॥२॥

जो पुरुष वाहन मे अडियल बैलो को जोतता है, वह उन्हें पीटते-पीटते हैरान हो जाता है, विषाद का अनुभव करता है और उसका कोड़ा भी टूट जाता है ।

एगं डसइ पुच्छम्मि, एगं विन्धइऽभिक्खणं ।

एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपट्ठिओ ॥३॥

जब वे दुष्ट बैल वाहक की इच्छा के अनुसार गमन नहीं करते तब वह क्रोध मे आकर एक की पूँछ मरोडता है तो दूसरे को बार-बार आर लगाता है । तब एक बैल जुए को तोड डालता है और दूसरा इधर-उधर जाता है ।

एगो पडइ पासेणं, निवेसइ निवजई ।
उक्कुद्दई उप्फिडई, सटे बालगवी वए ॥४॥

कोई अडियल बैल एक तरफ भूमि पर गिर पडता है, कोई बैठ जाता है, कोई सो जाता है, कोई उछलता है, कोई कूदता है, तो कोई तरुण गाय के पीछे भागने लग जाता है ।

माई मुद्धेण पडई, कुद्धे गच्छइ पडिप्पहं ।
मपलक्खेण चिद्धई, वेगेण य पहावई ॥५॥

कोई कपट कर सिर झुकाकर गिर पडता है, कोई गुस्से हो पीछे भागने लगता है, कोई मृत लक्षण से खडा रहता है, तो कोई पूँछ उठाकर बेग से भागता है ।

छिन्नाले छिन्दई सेल्लि, दुद्धन्ते भज्जइ जुगं ।
सेवि य सुस्सुयाइत्ता, उज्जहित्ता पलायई ॥६॥

कोई अडियल बैल नासिका-रज्जु (नथ) को तोड देता है, कोई निरकुश बनकर जुए को तोड डालता है, तो कोई सूँ-सूँ की आवाज निकालता गाडी को ले भाग जाता है ।

खलुंका जारिसा जोज्जा, दुस्सीसा वि हु तारिसा ।
जोइया धम्मजाणम्मि, भज्जन्ती धिइदुब्बला ॥७॥

ऐसे अडियल वैलो को गाडी मे जोडने पर जो स्थिति होती है, वही स्थिति धर्मरूपी वाहन मे कुशिष्यो को जोतने से होती है ।

धर्मरूपी वाहन मे नियोजित किये गये कुशिष्य दुर्बल घृतिवाले होने से भली भाँति प्रवृत्ति नही करते ।

इड्ढीगारविए एगे, एगेऽथ रसगारवे ।

सायागारविए एगे, एगे सुचिरकोहणं ॥८॥

कुशिष्यों मे से कोई ऋद्धिगारव मे, कोई रसगारव मे, तो कोई सातागारव मे निमग्न होते हैं इसी तरह कोई तो दीर्घकाल तक क्रोध को धारण करनेवाले भी होते हैं ।

विवेचन—गृहस्थ अपनी ऋद्धि—सम्पत्ति का अभिमान करे तो ऋद्धिगारव कहलाता है । साधु अपने भक्तमण्डल अथवा शिष्यमण्डल का अभिमान करे तो ऋद्धिगारव कहलाता है । गृहस्थ प्राप्त सुन्दर भोजन का अभिमान करे तो वह रसगारव कहलाता है और साधु प्राप्त इच्छानुसारी भिक्षा का अभिमान करे तो वह रसगारव कहलाता है । गृहस्थ अपनी सुख-सुविधा का अभिमान करे तो वह सातागारव कहलाता है और साधु 'मुझे जैसा आनन्द किसी को नही है' ऐसा अभिमान करे तो वह सातागारव कहलाता है ।

भिक्षवालसिए एगे, एगे ओमाणभीरुए ।

थद्धं एगेऽणुसासम्मि, हेऊर्हि कारणेहि य ॥९॥

कोई भिक्षाचरी मे आलस्य करता है, तो कोई अपमान से डरता है । कोई जाने योग्य घरों मे जाता नही । कुछ मिथ्याअभिमान से ऐसे अकड हो जाते हैं कि किसी को वंदन करने के लिए ही तैयार नही । ऐसे हेतु और विविध कारणों के वशीभूत कुशिष्यों को मैं कैसे

अनुशासन में रखूँ? ऐसा विचार आचार्य को खेदपूर्वक करना पड़ता है।

सो वि अंतरभासिल्लो, दोसमेव पकुच्चई ।

आयरियाणं तु वयणं, पडिकूलेइऽभिकखणं ॥१०॥

कुशिष्य बीच में बोल उठता है, अपने गुरु अथवा अन्य साधुओं पर मिथ्या दोषारोपण करता है और आचार्य के वचनों के विपरीत बार-बार व्यवहार करता है।

न सा ममं वियाणाइ, न सा मज्झ दाहिई ।

निग्गया होहिई मन्ने, साहू अन्नोऽत्थ वज्जउ ॥११॥

(भिक्षा के लिये जाने का आदेश देने पर प्रत्युत्तर में कुशिष्य कहता है कि) वह श्राविका मुझे नहीं पहचानती, वह मुझे आहार नहीं देगी, मैं मानता हूँ कि वह घर भी नहीं होगी। अच्छा हो कि आप अन्य साधु को ही भेज दे।

पेसिया पलिउंचन्ति, ते परियन्ति समंतओ ।

रायवेट्ठिं व मन्नंता, करेन्ति मिउडिं मुहे ॥१२॥

कुशिष्य जिस कार्य के लिये भेजे गये हो वह कार्य करते नहीं और आकर मनगढ़न्त उत्तर दे देते हैं। वे इधर-उधर भटकते रहते हैं किन्तु गुरु के पास बैठते नहीं। कभी-कभी कार्य करते भी हैं तो राजा की बेगारी के समान करते हैं और मुँह विगाड़ते हैं।

वाइया संगहिया चैव, भक्तपाणेण पोसिया ।

जायपक्खा जहा हंमा, पक्कमंति दिसो दिसिं ॥१३॥

अह सारही विचिंतेइ, खलुंकेहि समागओ ।

किं मज्ज दुइसीसेहिं, अप्पा मे अवसीयई ॥१४॥

ऐसे प्रसंग पर धर्मरथ के सारथि स्वरूप आचार्य विचार करते हैं कि मैंने इनको शास्त्र पढाये, अपने पास रखा, आहार-पानी से इनका पोषण किया । किन्तु जिस तरह हंसों के पख फूटने पर वे अलग-अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी तरह सब भी स्वेच्छानुसारी आचरण करनेवाले बन गये हैं । मुझे भला इन दुष्ट शिष्यों से क्या प्रयोजन है ? मेरी आत्मा व्यर्थ ही खिन्न होती है ।

जारिसा मम सीसा उ, तारिसा गलिगद्दहा ।

गलिगद्दहे जहिचाणं, दढं पगिण्हई तवं ॥१५॥

[उक्त० अ० २७, गा० २ से १६]

जैसे गधे आलसी और अडियल होते हैं, वैसे मेरे शिष्य हैं । इन आलसी और अडियल गधों जैसे शिष्यों को छोड़कर मैं उग्र तप का आचरण क्यों न करूं ? तात्पर्य यह है कि मोक्षाभिलाषी आचार्य को ऐसे कुशिष्यों का त्याग करके अपना कल्याण साध लेना चाहिये ।

रमए पंडिए सासं, हयं भटं व वाहए ।

वालं सम्मइ सासन्तो, गलियस्सं व वाहए ॥१६॥

[उक्त० अ० ६, गा० ३०]

कुशिष्य]

सीधे-साधे घोड़े पर सवारी करनेवाला सवार जिस तरह आनन्द पाता है, वैसे ही पण्डितों पर अनुशासन रखनेवाला आचार्य आनन्दित होता है। जैसे अडियल घोड़े पर सवारी करनेवाला सवार कष्ट भोगता है, वैसे ही मूर्ख शिष्यो पर अनुशासन रखनेवाला आचार्य कष्ट का भागी बनता है।

दुःशील

चीराजिणं नगिणिणं, जडी संघाडिमंडिणं ।

एयाणि वि न तायन्ति, दुस्सीलं परियागयं ॥१॥

[उक्त० अ० ५, गा० २१]

चीवर, मृगचर्म, नग्नत्व, जटा, सघाटिका (बौद्ध साधुओं के ओढ़ने का उत्तरीय वस्त्र) और सिर का मुण्डन आदि किसी भी दुःशील को दुर्गति से बचा नहीं सकते । तात्पर्य यह है कि बाह्य दृश्य (लिङ्ग) कितना भी अच्छा क्यों न हो ? किन्तु शील उत्तम हो तभी वह पुरुष सद्गति प्राप्त कर सकता है ।

जहा सुणी पुइकन्नी, निकसिज्जई सव्वसो ।

एवं दुस्सीलपडिणीए, मुहरी निकसिज्जई ॥२॥

[उक्त० अ० १, गा० ४]

जैसे सड़े हुए कानवाली कुतिया सब स्थानों से निकाल दी जाती है, वैसे ही दुःशील और गुरुजनों के प्रति वैर रखनेवाला, असम्बद्ध प्रलापी मनुष्य सब स्थानों से निकाल दिया जाता है ।

कणकुण्डगं चइत्ता णं, विट्ठं भुंजइ सूयरै ।

एवं सीलं चइत्ता णं, दुस्सीलं रमई मिए ॥३॥

[उक्त० अ० १, गा० ५]

जैसे सूअर अनाज को तजकर विष्ठा खाता है, वैसे ही मूर्ख मनुष्य सदाचार का त्याग कर दुराचार में प्रवृत्त होता है ।

सुणिया भावं साणस्स, सूयरस्स नरस्स य ।

विणए ठविज्ज अप्पाणं, इच्छंतो हियमप्पणो ॥४॥

[उक्त० अ० १, गा० ६]

कुतिया और सूअर के साथ अविनयी मनुष्य की तुलना होती देखकर निजहित चाहनेवाला व्यक्ति अपनी आत्मा को विनय और सदाचार में प्रस्थापित करे ।

जविणो मिगा जहा संता, परिताणण वज्जिया ।

असंक्रियाइं संकंति, संक्रियाइं असंक्रियो ॥५॥

परियाणियाणि संकंता, पासियाणि असंक्रियो ।

अन्नाणभयसंविग्गा, संपलित्ति तहिं तहिं ॥६॥

अह तं पवेज्ज वज्जं, अहे वज्जस्स वा वए ।

मुच्चेज्ज पयपासाओ, तं तु मदेण देहए ॥७॥

अहिअप्पाऽहियप्पन्नाणे, तिसमंतेणवागए ।

स वद्धे पयपासेणं, तत्थ घायं नियच्छइ ॥८॥

[सू० भ्रु० १, अ० १, उ० २, गा० ६ से० ६]

रक्षण-रहित वन्य पशु निःशङ्क (सुरक्षित) स्थान में शङ्कित रहते हैं और शङ्कित (भयग्रस्त) स्थान में निःशङ्क रहते हैं । इस तरह सुरक्षित स्थान में शङ्का करते हुए तथा पाशवाले स्थान में शङ्कारहित वनकर वे अज्ञानी और भयग्रस्त जीव पाशयुक्त स्थान में फँस जाते हैं । यदि ये पशु सभी प्रकार के वन्चनों को लाँघ कर अथवा उसके नीचे से निकल जाय तो वन्चनों से मुक्त हो सकते हैं । किन्तु मूर्ख पशुओं को यह बात दिखाई नहीं देती—समझ में नहीं आती । फलतः अपना हित न जाननेवाले ये पशु भयङ्कर पाशवाले प्रदेश में पहुँच कर पैरों से पाश में फँस जाते हैं और वहीं वध कर दिये जाते हैं ।

एवं तु समणा एगे, मिच्छदिट्ठी अणारिया ।

असकियाइं संकंति, सकियाइं असंकिणो ॥६॥

धम्मपन्नवणा जा सा, तं तु संकंति मूढगा ।

आरंभाइं न संकंति, अवियत्ता अक्रोविया ॥१०॥

सच्चप्पगं विउक्कस्सां, सच्चं णूमं विहूणिया ।

अप्पत्तियं अकम्मंसे, एयमट्ठं मिगे चुए ॥११॥

जे एयं नाभिजाणंति, मिच्छदिट्ठी अणारिया ।

मिगा वा पासवद्धा ते, धायमेसंति णंतसो ॥१२॥

[सू० श्रु० १, अ० १, उ० २, गा० १० से० १३]

इस प्रकार कुछ ध्रमण जो कि मिथ्यादृष्टि और अनार्य हैं, वे शङ्कारहित स्थानों में शङ्का करते हैं और शङ्कित स्थान में अज्ञ-

द्विकृत बने रहते है । और ऐसे ही ये मूढ जो सच्ची धर्म-प्ररूपणा है, उसमें शङ्का करते हैं और आरम्भ-समारम्भ के कार्यों में निःशङ्क बने रहते है ।

लोभ, मान, माया और क्रोध का परित्याग कर मनुष्य कर्मरहित बन सकता है, किन्तु अज्ञानी-मूर्ख मनुष्य इस बात को छोड़ देता है ।

जो बन्वन-मुक्ति के उपायो को कतइ नही जानते, ऐसे मिथ्या-दृष्टि अनार्य लोग इसी तरह पाशबद्ध पशुओ के समान अनन्त बार घात को प्राप्त होते हैं ।

धम्मज्जियं च व्यवहारं, बुद्धेहिं आयरियं सया ।

तमायरंतो व्यवहारं, गरहं नाभिगच्छइ ॥१३॥

[उक्त० अ० १, गा० ४२]

जो व्यवहार धर्म-सम्मत है और जिसका ज्ञानी पुरुषो ने भी सदा आचरण किया है, उस व्यवहार का आचरण करनेवाला मनुष्य कभी भी निन्दा का पात्र नही होता ।

अमणुन्नसमुप्पायं, दुक्खमेव विजाणिया ।

समुप्पायमजाणंता, कर्हं नायंति संवरं ॥१४॥

[सू० श्रु० १, अ० १, उ० ३, गा० १०]

अशुभ अनुष्ठान करने से दुःख की उत्पत्ति होती है । जो मनुष्य दुःख की उत्पत्ति का कारण नही जानते, वे भला दुःख के विनाश का उपाय किस प्रकार जान सकते हैं ?

धारा : ३६ :

काम-भोग

अणायमपस्मंता, पञ्चुप्पन्नगवेसगा ।

ते पच्छा परितप्पन्ति, खीणे आउम्मि जोञ्जणे ॥१॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० ४, गा० १४]

असत्कर्म से भविष्य में होनेवाले दुःखों की ओर न देखते हुए जो केवल वर्तमान सुखों को ढूँढते हैं, अर्थात् कामभोग में मग्न रहते हैं, वे यौवन और आयु के क्षीण होने पर पश्चात्ताप करते हैं ।

जे केइ सरीरे यत्ता, वण्णे रूवे य सञ्जसो ।

मणमा काय-वक्केणं, मञ्जे ते दुक्खमभवा ॥ २ ॥

[उक्त० अ० ६, गा० १२]

जो कोई मनुष्य शरीर के प्रति ही आसक्त है और मन, जाया तथा वचन से केवल रूप और रंग में पूरी तरह सराबोर रहते हैं, वे सब दुःख उत्पन्न करनेवाले हैं ।

जे इह सायाणुगा नरा,

अज्जोव्वन्ना कामेहिं मुच्छिया ।

क्रिवणेण समं यगन्भिया,

न वि जाणंति समाहिमाहितं ॥ ३ ॥

[सू० ध्रु० १, अ० २, उ० ३, गा० ४]

जो मनुष्य इस जगत् में पूर्वजन्म के सुकृत्यों के फलस्वरूप सुख-वैभव को प्राप्त किये हुए है, और काय-भोग में आसक्त होकर विलासी जीवन विताते है, वे कृपण की तरह घर्माचरण में गिथिलता प्रदर्शित करते है और ज्ञानी पुरुषों द्वारा कथित समाधि-मार्ग को नहीं जानते ।

भोगामिसदोसविसन्ने,

हियनिस्सेयसवुद्धिवोच्चत्थे ।

बाले य मंदिए मूढे,

बज्झई मच्छिया व खेलम्मि ॥४॥

[उक्त० अ० ७, गा० ५]

भोगरूपी मास-दोष में लुब्ध, हित और मोक्ष में विपरीत बुद्धि रखनेवाला अज्ञानी, मन्द और मूर्ख जीव कर्मपाश में इस प्रकार फँस जाता है, जिस प्रकार मक्खी बलगम में ।

उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई ।

भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥ ५ ॥

[उक्त० अ० २५, गा० ३६]

भोग में फँसा हुआ मनुष्य कर्म से लिप्त होता है, अभोगी कर्म से

लिप्त नहीं होता । भोगी संसार में परिभ्रमण करता है और अभोगी संसार से मुक्त हो जाता है ।

उल्लो सुक्को य दो छूढा, गोलया मट्टियामया ।

दो वि आवडिया कुड्हे, जो उल्लो सोऽत्थ लग्गई ॥६॥

एवं लग्गन्ति दुम्मेहा, जे नरा कामलालसा ।

विरत्ता उ न लग्गन्ति, जहा से सुक्कगोलए ॥७॥

[उ० अ० २५, गा० ४२-४३]

गीला और सूखा ऐसे मिट्टी के दो गोलो को यदि हम किसी दीवार पर फेंके तो उनमे से जो गीला होता है वह दीवार पर चिपक जाता है और सूखा चिपकता नहीं । ठीक उसी तरह जो मनुष्य काम-भोग मे आसक्त है और दुष्ट बुद्धिवाला है, वह सासारिक बन्धनो में फँस जाता है और जो कामभोग से विरक्त है, वह सासारिक बन्धनों मे फँसता नहीं ।

गिद्धोवमा उ नच्चाणं, कामे संसारवडुणे ।

उरगो सुवण्णपासे व्व, संकमाणो तणुं चरे ॥ ८ ॥

[उ० अ० १४, गा० ४७]

गीघ पक्षी की उपमावाले और संसार को बढानेवाले इन काम-भोगों को जानकर जैसे साँप गरुड़ के समीप शकाशील होकर चलता है, उसी प्रकार तू भी संयममार्ग मे यत्न से चल ।

जे गिद्धे कामभोगेसु, एगे कूडाय गच्छई ।

न मे दिद्धे परे लोए, चक्खु दिद्धा इमा रई ॥ ६ ॥

[उ० अ० ५, गा० ५]

जो कोई जीव काम-भोग मे आसक्त होता है, वह नरक मे जाता है । वह ऐसा विचार करता है कि मैंने परलोक तो देखा नही, और यहाँ का सुख तो मुझे प्रत्यक्ष दीखता है ।

हत्थागया इमे कामा, कालिया जे अणागया ।

को जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥ १० ॥

जणेण सद्धि होक्खामि, इइ बाले पगब्भई ।

कामभोगाणुराएणं, केसं संपडिवज्जई ॥ ११ ॥

[उ० अ० ५, गा० ६-७]

ये काम-भोग तो हाथ मे आये हुए है, जबकि भविष्य मे मिलने-वाला सुख तो परोक्ष है । और भला कौन जानता है कि परलोक का अस्तित्व है या नही ?

‘जो स्थिति दूसरों की होगी, वही मेरी भी होगी ।’ ऐसा अज्ञानी जीव बोलता है । परन्तु वह काम-भोग के अनुराग से क्लेश पाता है ।

तओ से दंडं समारभई, तसेसु थावरेसु य ।

अट्ठाए य अणट्ठाए, भूयगामं विहिंसई ॥ १२ ॥

[उ० अ० ५, गा० ८]

वाद में वह त्रस और स्थावर जीवों में दड का आरम्भ करता है। किसी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध होता ही या नहीं, फिर भी वह भोगी प्राणिसमूह की विविध प्रकार से हिंसा किया ही करता है।

हिंसे वाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणे सडं ।

भुंजमाणे सुरं मंसं, सेयमेयं ति मन्नई ॥१३॥

[उ० अ० ५, गा० ६]

अज्ञानी जीव हिंसा, असत्य, कपट, चुगली, धूर्तता आदि के सेवन करने लगता है। वह मदिरा और मास खानेवाला बनता है और उनको ही श्रेयस्कर मानता है।

कायसा वयसा मत्तं, वित्ते गिद्धेय इत्थिसु ।

दुहओ मलं संचिणई, मिसुनागो च्च मड्डियं ॥१४॥

[उ० अ० ५, गा० १०]

घन और स्त्रियो में आसक्त बना हुआ भोगी पुरुष काया से मद-मत्त बन जाता है और उसके वचनों में भी मिथ्याभिमान की भल्लक आ जाती है। वह कैचुआ की भाँति बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार से मल का सचय करता है।

विवेचन - कैचुआ का आहार ही मिट्टी है, अतः वह पेट में मिट्टी भरता है और बाहर भी मिट्टी से सना रहता है। इसी तरह भोगी पुरुष भी आन्तरिक रूप में मलिन कर्मों का सञ्चय करता है, और बाह्य रूप से भी अपवित्र बनता है।

तओ पुट्टो आयंकेणं, गिलाणो परितप्पई ।

पमीओ परलोगस्स, कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥१५॥

[उक्त० अ० ५, गा० ११]

फिर भयानक रोगो से पीड़ित होकर अनेकविध दुःखो को भोगता है । तथा परलोक से बहुत ही डरकर—भयभीत बन अपने दुष्कर्मों के लिये निरंतर पश्चात्ताप करता है ।

सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोपमा ।

कामे य पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दोग्गई ॥१६॥

[उक्त० अ० ६, गा० ५३]

कामभोग शल्यरूप है, कामभोग विष के समान है और कामभोग भयङ्कर सर्प जैसे है । जो कामभोगो की इच्छा करता है, वह उसे प्राप्त किये बिना ही दुर्गति में जाता है ।

खणसेत्तसोकखा बहुकालदुक्खा,

पगामदुक्खा अणिगामसोकखा ।

संसारमोकखस्स त्रिपक्खभूया,

खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥१७॥

[उक्त० अ० १४, गा० १३]

कामभोग क्षणमात्र सुख देनेवाले है और दीर्घकाल तक दुःख देनेवाले है । कामभोगो के लिये उपयुक्त सामग्री उपलब्ध करने के लिये बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि सुख तो नाममात्र का ही

मिलता है। फिर ससार से छूटने के लिये जो उपाय हैं, उनके ये प्रतिपक्षी हैं—पक्के विरोधी हैं और अनर्थ की खान हैं।

जहा किंपागफलाण, परिणामो न सुंदरो ।

एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुंदरो ॥१८॥

[उक्त० अ० १६, गा० १७]

जैसे किंपाक फल खाने का परिणाम अच्छा नहीं होता, वैसे ही परिभुक्त भोगो का परिणाम भी अच्छा नहीं होता।

विवेचन—किंपाक फल दीखने में सुन्दर और स्वाद में मीठा होता है, किन्तु उसके खाते ही जहर चढ़ने लगता है और शीघ्र ही प्राण निकल जाते हैं।

जहा य किंपागफला मणोरमा,

रसेण वण्णेण य भुज्जमाणा ।

ते खुड्डए जीविय पच्चमाणा,

एओवमा कामगुणा विवागे ॥१९॥

[उक्त० अ० ३२, गा० २०]

जिस तरह किंपाक फल स्वादु और वर्ण से मनोहर होते हैं, किन्तु उसके खाते ही प्राण का विनाश हो जाता है, ठीक ऐसा ही काम-भोग का विपाक समझना चाहिये। तात्पर्य यह है कि कामभोग प्रथम क्षण में मनोहर लगते हैं, किन्तु भोगने के पश्चात् अत्यन्त दुःखप्रद सिद्ध होते हैं।

सत्त्वं विलवियं गीयं, सत्त्वं नष्टं विडंबियं ।
सत्त्वे आभरणा भारा, सत्त्वे कामा दुहावहा ॥२०॥

[उक्त० अ० १३ गा० १६]

(कामवासना का पोषण करनेवाले तथा बढ़ानेवाले) सभी गीत-विलाप तुल्य हैं, सभी नृत्य विडम्बना के समान हैं और सर्व आभूषण भाररूप हैं । इसी तरह सर्वप्रकार के काम-भोग अन्त में दुःख को ही लानेवाले हैं ।

अच्चेद् कालो तूरन्ति शइओ,
न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा ।

उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति,
दुमं जहा खीणफलं व पक्खी ॥२१॥

[उक्त० अ० १३, गा० ३१]

समय बहता जाता है, रात्रियाँ व्यतीत हाती जाती हैं और पुरुषों के कामभोग भी नित्य नहीं हैं । जैसे पक्षी फलहीन वृक्षों को छोड़ देते हैं, वैसे ही कामभोग भी क्षीण गन्तिवाले पुरुषों के पास आकर उनको छोड़ देते हैं ।

पुरिसोरम पावकम्मुणा, पलियन्तं मणुयाण जीवियं ।
सन्ना इह कामसुच्छिया, मोहं जन्ति नरा असबुडा ॥२२॥

[सू० धू० १, अ० २, उ० ६, गा० १०]

हे मनुष्य ! तू जीवन को शीघ्रगामी मानकर पापकर्मों से विरत

हो जा । जो मनुष्य असयमी बनकर काम-मूर्च्छित हो जाते हैं, वे मोह को प्राप्त होते हैं अर्थात् हिताहित का विवेक करने में शक्तिमान् नहीं बनते ।

अधुवं जीवियं नच्चा, सिद्धिमगं वियाणिया ।

विणिअट्टञ्ज भोगेसु, आउं परिमिअमप्पणो ॥२३॥

[दश० अ० ८, गा० ३४]

मनुष्य की आयु परिमित (अल्प) है; और प्राप्त जीवन क्षण-भंगुर है । मात्र सिद्धिमार्ग हो नित्य है, ऐसा मानकर भोगों से निवृत्त होना चाहिये ।

संबुज्झह ! किं न बुज्झह ?

संबोहि खलु पेच्च दुल्लहा ।

नो ह्वणमन्ति राइओ,

नो सुलभं पुणरावि जीवियं ॥२४॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० १ गा० १]

हे लोगो ! तुम समझो । इतना क्यों नहीं समझते कि परलोक में सम्बोधि अर्थात् सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है । जो रात्रियाँ बीत जाती हैं, वे पुनः लौट नहीं आती और मनुष्य का जीवन भी पुनः प्राप्त होना सुलभ नहीं है । साराग यह है कि काम-भोग का परित्याग करके इस जीवन में जितना बन सके उतना आत्म-कल्याण कर लो ।

इह जीवियमेव पासहा,

तरुणे वाससयस्स तुट्टई ।

इत्तरवासे य बुज्झह,

गिद्धनरा कामेसु मुच्छिया ॥२५॥

[सू० श्रु० १, अ०, उ० ३२, गा० ८]

इस ससार में तू जीवन को ही देख । उसे ही भली-भाँति परख । वह तरुणावस्था में अथवा सौ वर्ष की आयु में ही टूट जाता है । यहाँ तेरा कितना क्षणिक निवास है, इसे तू अच्छी तरह समझ । आश्चर्य है कि आयु का विश्वास न होने पर भी मनुष्य कामभोग में आसक्त रहते हैं ।

इह कामाणियडुस्स, अत्तडु अवरज्झई ।

सोच्चा नेयाउयं मग्गं, जं भुज्जो परिभस्सई ॥२६॥

[उक्त० अ० ७, गा० २५]

इस ससार में कामभोग से निवृत्त न होनेवाले पुरुष का आत्म-प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है । मोक्षमार्ग को सुनकर भी वह पुनः पुनः भ्रष्ट हो जाता है ।

वाहेण जहा व विच्छए, अबले होइ गधं पचोइए ।

से अन्तसो अप्पथामए, नाइवहे अबले विसीयइ ॥२७॥

एवं कामेसणं विऊ, अज्ज सुए पयहेज्ज संथवं ।

कामी कामे ण कामए, लद्धे वा वि अलद्ध कण्हुई ॥२८॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० ३, गा० ५-६]

जैसे वाहक द्वारा पीडा पहुँचाकर चलाया गया बैल थक जाता है और मार खाने पर भी निर्बल होने के कारण चल नहीं सकता और

वह अन्त मे कष्ट का अनुभव करता है, वैसे ही क्षीण मनोबलवाला अविवेकी पुरुष सद्वोधप्राप्त होने पर भी कामभोगरूपी कीचड से बाहर नहीं निकल पाता । वह प्रायः ऐसे ही विचार करता रहता है कि 'मैं आज अथवा कल कामभोगों को छोड़ दूंगा' । सुख की इच्छा रखनेवाला पुरुष कामभोग की कामना कदापि न करे और प्राप्त भोगों को भी अप्राप्त कर दे अर्थात् छोड़ दे ।

दुष्परिच्रया इमे कामा,

नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं ।

अह सन्ति सुन्वया साहू,

जे तरंति अतरं वणिया वा ॥२६॥

[उक्त० अ० ८, गा० ६]

कामभोगों का त्याग करना अत्यन्त कठिन है । निर्वल पुरुष इन्हे सरलता से नहीं छोड़ सकते । परन्तु जो सुव्रतो को धारण करनेवाले साधु पुरुष हैं, वे जहाज द्वारा व्यापार करनेवाले पुरुषों के समान कामवासना के दुस्तर समुद्र को पार कर जाते हैं ।

कामाणुगिद्विप्पभवं खु दुक्खं,

सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।

जं काइयं माणसियं च किंचि,

तस्सऽन्तगं गच्छइ वीयरगो ॥३०॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १६]

देवलोक सहित अखिल विश्व में जो कोई शारीरिक और मानसिक दुःख हैं, वे सब काम-भोग की आसक्ति मे से ही पैदा हुए हैं । एकमात्र वीतराग ही उनका अन्त प्राप्त कर सकते हैं ।

कामकामी खलु अयं पुरिसे, से सोयइ, जूरइ,
तिप्पइ, परितप्पइ ॥३१॥

[आ० छु० १, अ० २, उ० ५]

विषयो का लोलुपी यह पुरुष (विषयों के चले जाने पर) शोक करता है, विलाप करता है, लज्जा-मर्यादा छोड़ देता है और अत्यन्त पीडा का अनुभव करता है ।



धारा : २७ :

प्रमाद

पमायं कम्ममाहंसु, अप्पमायं तहाऽवरं ।

तब्भावादेसओ वावि, वालं पंडियमेव वा ॥१॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० ३]

तीर्थङ्करादि महापुरुषों ने प्रमाद को कर्मोपादान का कारण बतलाया है और अप्रमाद को कर्मक्षय का । इसी कर्मोपादान और कर्मक्षय के कारणवश ही मनुष्य को बाल और पंडित कहा जाता है । सारांश यह है कि जो प्रमाद के वशीभूत होकर कर्मोपादान करता है, वह बाल है—अज्ञानी है और जो अप्रमत्त बनकर कर्म का क्षय करता है, वह पण्डित है—जानी है ।

विश्लेषण—धर्मारोचन में आलस्य और विषय-कषाय में प्रवृत्ति इसे सामान्यतया प्रमाद कहा जाता है । इस प्रकार के प्रमाद का सेवन करते हुए कर्म का उपादान होता है, अर्थात् आत्मा को कर्म का बन्धन होता है और उससे आत्मा भारी बन जाती है । जबकि अप्रमत्त बनने से अर्थात् सद्बुद्धि का सेवन करने से कर्म का क्षय होता है और आत्मा हल्की बनती है । इसलिये मुझ मनुष्य के लिए प्रमाद का त्याग करना ही उचित है ।

इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि,

इमं च मे किञ्च इमं अकिञ्चं ।

त एवमेवं लालप्पमाणं,

हरा हरंति त्ति कहं पमाए ॥२॥

[उक्त० अ० १४, गा० १५]

‘यह मेरा है,’ ‘यह मेरा नहीं है,’ ‘यह मैंने किया है,’ ‘यह मैंने नहीं किया,’ इस प्रकार सलाप करते हुए पुरुष का आयुष्य रात्रि और दिवसरूपी लुटेरे लूटा करते हैं, वहाँ प्रमाद कैसे किया जाय ?

असंखर्यं जीविय मा पमायए,

जरोवणीयस्स हु नत्थि ताणं ।

एवं विजाणाहि जणे पमत्ते,

किण्णु विहिंसा अजया गहिनत्ति ? ॥३॥

[उक्त० अ० ४, गा० १]

जीवन टूट जाने के बाद जुडता नहीं और जरावस्था के आ पहुँचने पर उससे बचकर नहीं रहा जा सकता । जो प्रमत्त है, अनेक प्रकार की हिंसा करनेवाले हैं और समय-विहीन है, वे भला अन्त समय में किसकी शरण में जाएंगे ?

जे पावकम्भेहि धणं मणुस्सा,

समाययन्ती असइं गहाय ।

पहाय ते पासपयट्टिए नरे,
वेराणुवद्धा नरयं उवेन्ति ॥४॥

[उक्त० अ० ४, गा० २]

जो मनुष्य कुमति से पाप-कर्म करता हुआ धन सपादन करते हैं, वह विषय रूप पाश में बंध जाता है। ऐसे मनुष्य सग्रह किये हुए धन को यहाँ पर छोड़ नरक में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह धन सपादन करते हुए कई प्राणियों के साथ वैरानुबन्ध किया है।

संसारमावन्न परस्स अट्ठा,
साहारणं जं च करेइ कम्मं ।

कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले,
न वन्धवा वन्धवयं उवेन्ति ॥५॥

[उक्त० अ० ४, गा० ४]

ससारी जीव अपने कुटुम्ब-परिवार के लिये कृषि, वाणिज्य आदि प्रवृत्तियाँ कर कर्म बाँधता है। पर जब वह कर्म का फल भोगने का समय आता है, तब बन्धुजन बन्धुता नहीं दिखलाते, अर्थात् उन कर्मों के फल का बंटवारा नहीं करवाते। अतः कर्मों का फल उस अकेले को ही भोगना पडता है।

वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते,
इम्मि लोए अदुवा परत्था ।

दीवप्पणट्ठे व अणंतमोहे,
नेयाउयं दट्ठुमदट्ठुमेव ॥६॥

[उक्त० अ० ४, गा० ५]

प्रमादी पुरुष इस लोक में अथवा परलोक में वही भी धन के द्वारा अपना रक्षण नहीं कर सकता । अनन्त मोहवाले इस प्राणी का विवेकरूपी दीपक बुझ जाता है, अतः वह न्याय-मार्ग को देखते हुए भी नहीं देख कर कार्य करता रहता है । तात्पर्य यह कि वह न्याय-मार्ग में प्रवृत्त नहीं होता ।

सुत्तेसु यावी पडिबुद्धजीवी,

न वीससे पंडिए आसुपन्ने ।

घोरा मुहुत्ता अबलं सरीरं,

भारंडपक्खीव चरेऽप्पमत्तो ॥७॥

[उक्त० अ० ४, गा० ६]

मोहनिद्रा में गाढ सोये हुए मनुष्यों के बीच रहते हुए भी सदा जागृत बुद्धिमान् पण्डित प्रमाद का विश्वास न करे । अर्थात् वह प्रमादी न बने । काल भयकर है और शरीर निर्बल, ऐसा मानकर वह भारड पक्षी के समान अप्रमत्त बनकर विचरण करे ।

छन्दं निरोहेण उवेइ मोक्खं,

आसे जहा सिक्खियवम्मधारी ।

पुच्चाइं वासाइं चरेऽप्पमत्तो,

तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ मोक्खं ॥८॥

[उक्त० अ० ४, गा० ८]

जैसे सवा हुआ कवचधारी घोडा अपनी स्वच्छन्द वृत्ति को रोकने के पश्चात् ही विजयी होता है, वैसे ही मनुष्य भी अपनी स्वच्छन्द

प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने पर ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है । अप्रमत्त साधक को दीर्घकाल तक सयम का आचरण करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है ।

खिप्पं न सक्केइ विवेगमेउं,

तम्हो समुट्ठाय पहाय कामे ।

समिच्च लोयं समया महेसी,

आयाणुरक्खी चरेऽप्पमत्तो ॥६॥

[उक्त० अ० ४, गा० १०]

विवेक शीघ्र ही प्राप्त नहीं हो सकता । अतः आत्मानुरक्षी साधक काम-भोग का परित्याग कर और समभाव पूर्वक लोक का स्वरूप जान कर अप्रमत्त रूप से विचरण करे ।

दुमपत्तए पंडुयए, जहा निवडइ राइगणाण अच्चए ।

एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१०॥

[उक्त० अ० १०, गा० १]

रात्रि बीतने पर वृक्ष के पीले पत्ते झड जाते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन का भी एक न एक दिन अन्त आता ही है ; ऐसा समझ कर हे गौतम ! तू समय मात्र का प्रमाद मत कर ।

विवेचन—काल के सूक्ष्मतम विभाग को समय कहते हैं । उसकी तुलना में क्षण बहुत बड़ा काल है ।

कुसग्गे जह ओसविन्दुए,

थोवं चिड्ड लम्बमाणए ।

एवं मणुयाण जीवियं,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥११॥

[उक्त० अ० १०, गा० २]

जैसे कुश के अग्रभाग पर स्थित ओस की बूंद गिरने की तैयारी में रहती है और थोड़े समय तक ही टिकती है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी नष्ट होने की स्थिति में ही रहता है और अल्प समय तक ही स्थिर रहता है ; ऐसा मानकर हे गौतम ! तू समयमात्र का भी प्रमाद मत कर ।

इइ इत्तरियम्मि आउए,

जीवियए बहुपच्चवायए ।

विहुणाहि रयं पुरे कडं,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥१२॥

[उक्त० अ० १०, गा० ३]

आयु थोड़ा है और जीवितव्य अनेकविध विघ्नों से भरा हुआ है, अतः पूर्व भव के कर्मों की रज दूर करने के लिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

दुल्लहे खलु माणुसे भवे,

चिरकालेण वि सच्चपाणिणं ।

गाढा य विवाग कम्मणो,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥१३॥

[उक्त० अ० १०, गा० ४]

सर्व प्राणियों को दीर्घकाल के बाद भी मनुष्य-जन्म मिलना दुर्लभ है, क्योंकि दुष्कर्म का विपाक अत्यन्त गाढ़ होता है। अतः हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

विवेचन—कहने का आशय यह है कि प्राणी पहले किये हुए गाढ़ कर्मों को भोग ले और पुण्य का कुछ संचय करे तब ही मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है ।

एवं भवसंसारे संसरइ,
सुहासुहेहिं कम्मेहिं ।

जीवो पमायवहुलो,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥१४॥

[उक्त० अ० १०, गा० १५]

इस प्रकार प्रमाद की अधिकतावाला जीव अपने शुभाशुभ कर्मों से संसार में परिभ्रमण करता है । अतः हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

लद्धूण वि माणुसत्तणं,

आरियत्तं पुणरावि दुल्लहं ।

वहवे दसुया मिलक्खुया,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ १५ ॥

[उक्त० अ० १०, गा० १६]

मनुष्य-जन्म मिलने पर भी आर्यत्व मिलना अत्यन्त कठिन है,

क्योंकि मनुष्यो मे भी अनेक दस्यु और म्लेच्छ होते है, अर्थात् अनार्य होते है । इसलिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

लद्धूण वि आरियत्तणं,

अहीणपंचदियया हु दुल्लहा ।

विगलिन्दियया हु दीसई,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥१६॥

[उक्त० अ० १०, गा० १७]

आर्यत्व प्राप्त करने के उपरान्त भी पाँचो इन्द्रियों से पूर्ण होना दुर्लभ है, क्योंकि अनेक मनुष्य इन्द्रियो की विकलता, न्यूनता अथवा हीनता वाले होते है । अतः हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अहीणपंचेदियत्तं पि से लहे,

उत्तमधम्मसुई हु दुल्लहा ।

कुतित्थिनिसेवए जणे,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥१७॥

[उक्त० अ० १०, गा० १८]

पाँच इन्द्रियो से पूर्ण होने पर भी उत्तम धर्म का श्रवण-वस्तुतः दुर्लभ है ; क्योंकि बहुत से मनुष्य कुतरीयियो की सेवा करनेवाले होते है । इसलिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

लद्धूण वि उत्तमं सुइं,

सद्दहणा पुणरावि दुल्लहा ।

मिच्छन्तनिसेवए जणे,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥१८॥

[उक्त० अ० १०, गा० १६]

उत्तम धर्मश्रवण का अवसर प्राप्त होने पर भी उस पर श्रद्धा होना अत्यन्त दुष्कर है, क्योंकि बहुत-से लोग उत्तम धर्मश्रवण के पश्चात् भी मिथ्यात्व का सेवन करते दिखाई देते हैं । इसलिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

धम्मं पि हु मद्दहन्तया,

दुल्लहया काएण फासया ।

इह कामगुणेषु मुच्छिया,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥१९॥

[उक्त० अ० १०, गा० २०]

धर्म पर अदृष्ट श्रद्धा बँठ जाने पर भी उसका काया से आचरण करना अति कठिन है, क्योंकि धर्म पर श्रद्धा रखनेवाले लोक भी कामभोगों में मूर्च्छित दिखाई देते हैं । इसलिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

परिजूरइ ते सरीरयं,

केसा पडुरया हवंति ते ।

से सोयवले य हायई,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२०॥

[उक्त० अ० १०, गा० २१]

तेरा शरीर जीर्ण होता जा रहा है, तेरे केश सफेद होते जा रहे हैं और तेरा सारा बल भी घट रहा है; इसलिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अरई गण्डं विसूइया,

आयंका विविहा फुसन्ति ते ।

विहडइ विद्धंसइ ते सरीरयं,

समयं गोयम मा पमायए ॥२१॥

[उक्त० अ० १०, गा० २७]

अरुचि, फोडे-फुन्सी, अजीर्ण, दस्त आदि विविध रोग तुम्हें घेरने लगे हैं । तेरा शरीर दिन ब दिन दुर्बल हो रहा है और विनाश की अन्तिम सीढ़ी पर आ पहुँचा है । अतः हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

वोच्छिन्दं सिणहमप्पणो,

कुमुय सारइयं व पाणियं ।

से सन्नमिणेहवज्जिए,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२२॥

[उक्त० अ० १०, गा० २८]

जैसे गरुड ऋतु का कमल पानी से अलस रहता है, वैसे ही तू भी अपने स्नेहभाव को छिन्न-भिन्न कर दे और अपने समस्त स्नेह-भाव को दूर करने में ही गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

चिच्चा ण धणं च भारियं,

पन्वइओ हि सि अणगारियं ।

मा वन्तं पुणो वि आविए,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२३॥

[उक्त० अ० १०, गा० २६]

तू धन और भार्या को छोड़ कर अणगार धर्म में दीक्षित हो गया है । अब इस व्रत किये हुए विषयभोगों को पुनः भोगने की इच्छा मत कर । अतः इस कार्य में ही गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अवउज्झिय मित्तवन्धवं,

विउलं चैव धणोहसंचयं ।

मा तं विइयं गवेसए,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२३॥

[उक्त० अ० १०, गा० ३०]

मित्र, वन्धुवर्ग तथा बहुत-सा धन छोड़कर तू यहाँ आया है, अतः फिर से उसकी इच्छा मत कर । ही गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अवसोहिय कटगापहं,

ओङ्णोऽसि पहं महालयं ।

गच्छसि मग्गं विसोहिया,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२५॥

[उक्त० अ० १०, गा० ३२]

कुतीर्थरूपी कण्टकमय मार्ग को छोड़कर तू मोक्ष के विराट मार्ग पर आया है । अतः विशुद्धमार्ग पर जाने के लिये हे गीतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अबले जह भारवाहए,

मा मग्गे विसमेऽवगाहिया ।

पच्छा पच्छाणुतावए,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२६॥

[उक्त० अ० १०, गा० ३३]

जैसे निर्बल भारवाहक विषम मार्ग पर नहीं चलता, और कदाचित् चलता भी है तो बाद में पछताता है, वैसे ही समय का भार वहन करनेवाले को चाहिये कि वह विषयमार्ग पर न चले । कदाचित् चला भी जाय तो बाद में पश्चात्ताप करे, इसलिये हे गीतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

तिण्णो हु सि अण्णवं महं,

किं पुण चिद्धसि तीरमागओ ।

अभितुर पारं गमित्तए,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२७॥

[उक्त० अ० १०, गा० ३४]

निःसदेह तू संसारसमुद्र को तैर गया है, फिर भला किनारे पहुँच कर क्यों बैठ रहा है ! उस पार पहुँचने के लिये तुझे शीघ्रता करनी चाहिये । इसमे हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अणाइकालप्पभवस्स एसो,

सव्वस्स दुक्खस्स पमोक्खमग्गो ।

वियाहिओ जं समुविच्च सत्ता,

कमेण अच्चन्तसुही भवन्ति ॥२८॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १११]

अनादि काल से उत्पन्न समस्त दुःखो से छूटने का यह मार्ग बतलाया गया है, जिसका पूर्णतया आचरण कर जीव क्रमशः अत्यन्त सुखी होते हैं ।

धारा . ३८ :

विषय

रूवस्स चक्खुं गहणं वयंति,
चक्खुस्स रूवं गहणं वयंति ।

रागस्स हेउं समणुन्नमाहु,
दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥१॥
[उक्त० अ० ३२, गा० २३]

रूप को ग्रहण करनेवाली चक्षुरिन्द्रिय कहलाती है और चक्षु-
रिन्द्रिय का ग्राह्य विषय रूप (सौन्दर्य) है। मनोज्ञ (प्रिय) रूप राग
का कारण बनता है एवं अमनोज्ञ (अप्रिय) रूप द्वेष का।

रूवेसु जो गिद्धिसुवेइ तिव्वं,
अकालियं पावइ से विणास ।

रागाउरे से जह वा पयंगे,
आलयलोले समुवेइ मच्चुं ॥२॥
[उक्त० अ० ३२, गा० २४]

जैसे स्निग्ध दीपशिखा के 'दर्शन' में जाहृष्ट बना हुआ रागात्त

पतंग अकाल मौत का शिकार बनता है, वैसे ही रूप में अत्यन्त आसक्ति रखनेवाला असमय में ही विनाश का भोग बनता है ।

जे यात्रि दोसं समुवेइ तिव्वं,

तंसि कखणे से उ उवेइ दुक्खं ।

दुहंतदोसेण सएण जंतू,

न किंचि रूवं अवरज्झई से ॥३॥

[दश० अ० ३०, गा० २५]

जो जीव अहचिकर रूप देख कर तीव्र द्वेष करता है, वह उसी समय दुःख का अनुभव करता है । वह अपने दुष्टान्त दोष से ही दुःखी होता है । रूप उसे कुछ भी दुःख नहीं देता ।

एगंतरत्तं रुइरंसि रूवे,

अतालसे से कुणई पओसं ।

दुक्खस्स संपीलमुवेइ वाले,

न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥४॥

[उक्त० अ० ३०, गा० २६]

जो जीव मनोहर रूप के प्रति एकान्त राग रखता है और अहचिकर रूप के प्रति ऐकान्तिक द्वेष रखता है, वह अज्ञानी अनन्त दुःखों का शिकार बनता है । जबकि विरक्त मुनि उसमें लिप्त नहीं होता । (इसलिए वह उस दुःख-समूह का शिकार नहीं बनता) ।

रूवाणुगासाणुगए य जीवे,

चराचरे हिंसइ णेरूवे ।

चित्तेहि ते परितावेइ बाले,

पीलेइ अत्तडुगुरू किलिङ्गे ॥५॥

[उक्त० अ० ३२, गा० २७]

रूप की आशा के वश में पड़ा हुआ अज्ञानी जीव अपने स्वार्थ के लिये रागान्ध बनकर चराचर (त्रस और स्थावर) जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करता है, उन्हे अनेकविध कष्ट देता है और अनेक से पीड़ा पहुँचाता है ।

रूवाणुवाएण

परिग्गहेण,

उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।

वए विओगे य कहं सुहं से,

संभोगकाले य अत्तिलाभे ॥६॥

[उक्त० अ० ३२, गा० २८]

रूप के मोह मे फँसा जीव मनोहर रूपवाले पदार्थों की प्राप्ति में उसके रक्षण और व्यय मे तथा वियोग की चिन्ता मे सलग्न रहता है । वह सम्भोगकाल मे भी अतृप्त ही रहता है । फिर भला उसे सुख कहाँ से मिले ?

रूवे अत्तित्ते य परिग्गहम्मि,

सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।

अत्तुट्ठिदोसेण दुही परस्स,

लोभाविले आययई अदत्तं ॥७॥

[उक्त० अ० ३२, गा० २९]

प्रिय रूप को पाने का लालची और आसक्त जीव कदापि सन्तुष्ट नहीं होता और असन्तुष्ट होने के कारण वह दुःखो का भोगी बनता है। तथा दूसरे की वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होकर उनके स्वामी के दिये बिना ही ले लेता है, अर्थात् उसकी चोरी करने के पाप तक पहुँच जाता है।

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,

रूवे अतित्तस्स परिग्गहे य ।

मायामुसं वड्ढइ लोभदोसा,

तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥८॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३०]

तृष्णा के वशीभूत हुआ चोरी करनेवाला और रूप के परिग्रह में अतृप्त जीव लोभ दोष से माया एव मृषावाद की वृद्धि करता है, शरन्तु फिर भी वह दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता।

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,

पओगकाले य दुहो दुरंते ।

एवं अदत्ताणि समाययंतो,

रूवे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥९॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३१]

वह दुरन्त आत्मा भूठ बोलने के पहले और पश्चात् और बोलने समय भी दुःखी होता है। साथ ही अदत्त वस्तु ग्रहण करने के

पश्चात् भी वह रूप से सन्तुष्ट न होने के कारण सदैव दुःखी रहता है । उसका कोई सहायक नहीं होता ।

रूवाणुरत्तस्स नरस्स एवं,

कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि ? ।

तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं,

निव्वत्तई जस्स कए ण दुक्खं ॥१०॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३२]

इस प्रकार रूप में आसक्ति रखनेवाले मनुष्य को थोडा-सा भी सुख कहाँ से मिल सकता है ? जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसने अपार कष्ट उठाया, उसका उपभोग करने में भी अत्यन्त कष्ट है ।

एमेव रूवम्मि गओ पओसं,

उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।

पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्मं,

जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥११॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३३]

इसी तरह अमनोज्ञरूप के प्रति द्वेष करनेवाला जीव भी दुःख की परम्परा को प्राप्त होता है और दुष्ट चित्त से कर्म का उपार्जन करता है । फिर वही कर्म उसके लिए विपाक-काल में दुःखरूप हो जाता है ।

रूवे विरत्तो मणुओ विसोगो,

एएण दुक्खोहपरंपरेण ।

न लिप्पई भवमज्जे वि सन्तो,

जलेण वा पुक्खरिणीपलासं ॥१२॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३४]

रूप से विरक्त मनुष्य शोकरहित हो जाता है। जैसे जल में रहते हुए भी कमलपत्र जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही संसार में रहते हुए भी वह विरक्त पुरुष दुःख-समूह से लिप्त नहीं होता।

सद्दस्स सोयं गहणं वयंति,

सोयस्स सद्दं गहणं वयन्ति ।

रागस्स हेउं समणुन्नमाहु,

दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥१३॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३६]

शब्द को ग्रहण करनेवाली श्रोत्रेन्द्रिय कहलाती है और श्रोत्रेन्द्रिय का ग्राह्यविषय शब्द है। मनोज्ञ (प्रिय) शब्द राग का कारण बनता है, जबकि अमनोज्ञ (अप्रिय) शब्द द्वेष का कारण बनता है।

सद्दं सु जो गिद्धिमुवेइ तित्थं,

अकालिअं पावइ से विणासं ।

रागाउरे हरिणमिण च्च मुद्धे,

सद्दं अत्तित्ते समुवेइ मच्चुं ॥१४॥

[उक्त० ३२, गा० ३७]

जैसे मधुर शब्द का श्रवण करने में सरल, रागातुर हरिण असमय में ही मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसे ही शब्द में अत्यन्त आसक्ति रखनेवाला भी अकाल में विनाश को प्राप्त होता है ।

विवेचन—इसके पश्चात् चक्षुरिन्द्रिय के लिये जो कुछ कहा गया है, वही श्रोत्रेन्द्रियादि सभी इन्द्रियों के बारे में समान रूप से समझना चाहिये ।

गंधस्स घाणं गहणं वयंति,

घाणस्स गंधं गहणं वयंति ।

रागस्स हेउं समणुन्नमाहु,

दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥१५॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ४६]

गन्ध को ग्रहण करनेवाली घ्राणेन्द्रिय कहलाती है और घ्राणेन्द्रिय का ग्राह्यविषय गन्ध है । मनोज्ञ गन्ध राग का कारण बनती है, जबकि अमनोज्ञ गन्ध द्वेष का कारण बनती है ।

गंधेषु जो गिद्धिमुवेइ तिच्चं,

अकालिअं पावइ से विणासं ।

रागाउरे ओसहिगंधगिद्धे,

सप्पे चिलाओ विव निक्खमंते ॥१६॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ५०]

जैसे औषधि की सुगन्ध लेने के लिए आसक्त बना रागातुर

सर्प बिल से बाहर निकलते ही मारा जाता है, वैसे ही गन्ध के प्रति आसक्ति रखनेवाला भी अकाल में विनष्ट हो जाता है ।

रसस्त जिब्भं गहणं वयंति,

जिब्भाए रसं गहणं वयंति ।

रागस्त हेउं समणुन्नमाहु,

दोसस्त हेउं अमणुन्नमाहु ॥१७॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ६२]

रस को ग्रहण करनेवाली जिह्वेन्द्रिय (अथवा रसनेन्द्रिय) कहलाती है और जिह्वेन्द्रिय का विषय रस है । मनोज्ञ (प्रिय) रस राग का कारण बनता है, जबकि अमनोज्ञ (अप्रिय) रस द्वेष का कारण बनता है ।

रसेसु जो गिद्धिमुवेड तिव्वं,

अकालियं पावड् से विणासं ।

रागाउरे वडिसविभिन्नकाए,

मच्छे जहा आमिसभोगगिद्ध ॥१८॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ६३]

जैसे मांस खाने के लिये लालची बना मत्स्य टसी के काँटे में फँस कर अकाल-मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसे ही रस में अति आसक्ति रखनेवाला भी अतामयिक मृत्यु को प्राप्त होता है ।

फासस्त कायं गहणं वयंति,

कायस्त फासं गहणं वयंति ।

रागस्स हेउं समणुन्नमाहु,

दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥१६॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ७५]

स्पर्श को ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय काया (अथवा स्पर्शेन्द्रिय) कहलाती है और काया का ग्राह्य विषय स्पर्श है । मनोज्ञ (प्रिय) स्पर्श राग का कारण बनता है, जबकि अमनोज्ञ (अप्रिय) स्पर्श द्वेष का कारण बनता है ।

फासस्स जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं,

अकालिअं पावइ से विणासं ।

रागाउरे सीयजलावसन्ने,

गाहग्गहीए महिसे व रण्णे ॥२०॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ७६]

जैसे शीतल स्पर्श का लोभी भैसा रागातुर बनकर जगल के तालाब में गिरता है और मगर का भक्ष्य बन अकाल में मरण को प्राप्त होता है, वैसे ही स्पर्श में अति आसक्ति रखनेवाला भी अकाल में ही विनष्ट होता है ।

भावस्स मणं गहणं वयंति,

मणस्स भावं गहणं वयंति ।

रागस्स हेउं समणुन्नमाहु,

दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥२१॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ८८]

मन भाव को ग्रहण करता है और भाव मन का ग्राह्य विषय है । मनोज्ञ भाव राग का कारण बनता है, जबकि अमनोज्ञ (अप्रिय) भाव द्वेष का कारण बनता है ।

भावेसु जो गिद्धिमुवेइ तिल्लं,
अकालियं पावइ से विणासं ।

रागाउरे कामगुणेषु गिद्धे,
करेणुमग्गावहिण्ण गजे वा ॥२२॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ८६]

जैसे रागातुर और कामवासना में आसक्त हाथी हथिनी के प्रति आकर्षित होकर मृत्यु पाता है, वैसे ही जो मनुष्य भाव में तीव्र आसक्ति रखता है, वह (उन्मार्ग में प्रेरित होकर) असमय में ही विनाश को प्राप्त होता है ।

एविन्दियत्था य मणस्स अत्था,
दुक्खस्स हेऊं मणुयस्स रागिणो ।

ते चेव थोवं पि कयाइ दुक्खं,
न वीयरागस्स करेन्ति किञ्चि ॥२३॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १००]

इन्द्रिय और मन के विषय रागी पुरुष के लिये ही दुःख के कारण बनते हैं । ये विषय बीतराग को जरा सा भी दुःख या कष्ट नहीं पहुँचाने ।

न कामभोगा समयं उवेन्ति,

न यावि भोगा विगडं उवेन्ति ।

जे तप्पओसी य परिग्गही य,

सो तेसु मोहा विगडं उवेइ ॥२४॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १०१]

कामभोगादि विषय न तो राग-द्वेष को दूर कर सकते हैं और न उनकी उत्पत्ति के कारण हैं, किन्तु जो पुरुष उनमें राग अथवा द्वेष करता है, वही राग और द्वेष के कारण विकृति को प्राप्त हो जाता है ।

मुहुं मुहुं मोहगुणे जयंतं,

अणेगरूवा समणं चरंतं ।

फासा फुसन्ती असमंजसं च,

न तेसि भिक्खू मणसा पउस्से ॥२५॥

[उक्त० अ० ४, गा० ११]

बार-बार मोह गुणो पर विजय प्राप्त करनेवाले और संयम-मार्ग पर चलनेवाले साधु को कष्ट देनेवाले अनेक प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल स्पर्श, स्पर्शित होते हैं, अर्थात् असाता उत्पन्न करनेवाले अनेक प्रकार के उपसर्गों का साधु को सामना करना पड़ता है, परन्तु संयमशील भिक्षु उनके साथ मन से भी द्वेष न करे ।

मन्दा य फासा ब्रह्मलोहणिजा,

तहप्पगारेसु मणं न कुजा ।

रक्खिज्ज कोहं विणएज्ज माणं,

मायं न सेवेज्ज पहेज्ज लोहं ॥२६॥

[उक्त० अ० ४, गा० १२]

कई वार मन्द दिखाई देनेवाले अनुकूल स्पर्श भी बहुत लुभावने प्रतीत होते हैं, किन्तु उस तरह के स्पर्शों की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिये । साधु को क्रोध से अपनी आत्मा को बचाना चाहिये, अभिमान का त्याग कर देना चाहिये, माया का सेवन नहीं करना चाहिये और लोभ को हमेगा के लिए छोड़ देना चाहिये ।

जेऽसंखया तुच्छपरप्पवाई,

ते पिज्जदोसाणुगया परज्झा ।

एए अहम्मे त्ति दुगुंछमाणो,

कंखे गुणे जाव शरीरभेउ ॥२७॥

[उक्त० अ० ४, गा० १३]

जो परतीर्थिक ऊपर से सस्कारी दिखाई देने पर भी वास्तव में तुच्छ, तात्त्विक-शुद्धिरहित, यथेच्छभाषी, रागद्वेष से युक्त और पर-पदार्थों का सदा चिन्तन करनेवाले हैं वे अधर्म के मार्ग पर हैं, ऐसा मानकर साधक को अपना शरीर विनष्ट होने तक चारित्र के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिये ।

विरज्जमाणस्स य इंदियत्था,

सदाइया तावइयप्पगारा ।

न तस्स सव्वे वि मणुन्नयं वा,

निच्चतयंती अमणुन्नयं वा ॥२८॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १०६]

जो इन्द्रियो के शब्दादि नाना प्रकार के विषयो से विरक्त हो गया है, उसमें ये सब विषय मनोज्ञता अथवा अमनोज्ञता के भाव पैदा नहीं कर सकते ।

सवीयरागो कयसच्चकिच्चो,

खवेइ नाणावरणं खणेणं ।

तहेव जं दंसणमावरेइ,

जं चंतरायं पकरेइ कम्मं ॥२९॥

[दश० अ० ३२, गा० १०८]

जो वीतराग है, वह सर्वप्रकार से कृतकृत्य है । वह क्षणमात्र में ही ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय करलेता है । इसी प्रकार दर्शन का आवरण करनेवाले और विविध प्रकार के अन्तराय लानेवाले कर्मों का भी क्षय करता है ।

सव्वं तओ जाणइ पासए य,

अमीहणे होइ निरंतगाए ।

अणासवे ज्ञाणसमाहिजुत्ते,

आउक्खए मोक्खमुवेइ सुद्धं ॥३०॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १०९]

वह मोह, अन्तराय और आलसों से रहित वीतराग, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाता है। वह शुक्लध्यान तथा सुसमाधिशील होता है और आयुष्य का क्षय होने पर परमशुद्ध होकर मोक्षपद को प्राप्त करता है।

सो तस्स सन्नस्स दुहस्स मुक्को,

जं वाहई सययं जंतुमेयं।

दीहामयं विप्पमुक्को पसत्थो,

तो होइ अच्चंतसुही कयत्थो ॥३१॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ११०]

वाद मे वह मुक्तात्मा उन समस्त दुःखों से मुक्त हो जाती है, कि जो सदा ससारी जीवों को पीड़ित करते रहते हैं। फिर दीर्घ-रोग से मुक्त बनी हुई वह कृतार्थ आत्मा अत्यन्त सुखी होती है।

धारा : ३६ :

कषाय

प्रज्ञापना — सूत्र के तेरहवें पद में कषाय की व्याख्या इस प्रकार की गई है :—

सुह-दुःख-सहिय, कम्मखेत्त कसति जे जम्हा ।

कलुसति ज च जीव, तेण कसायत्ति वुच्चति ॥

कई प्रकार के सुख-दुःख के फल योग्य ऐसे कर्मक्षेत्र का जो कर्षण करता है, अथवा जीव के शुद्ध स्वरूप को कलुषित करता है, वह कषाय कहलाता है ।

कोहं च माणं च तहेव मायं,

लोभं चतुत्थं अज्झत्थदोसा ॥१॥

[सू० श्रु० १, अ० ६, गा० २६]

क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारो अध्यात्मदोष हैं ।

कोहं माणं च मायं च, लोहं च पाववड्डणं ।

वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छन्तो हियमप्पणो ॥२॥

[दश० अ० ८, गा० ३७]

जो अपना हित चाहता है, उसे पाप की वृद्धि करनेवाले क्रोध,

मान, माया, और लोभ इन चार महादोषों का परित्याग कर देना चाहिये ।

कोहो पीइं पणासेइ, माणो विणयनासणो ।

माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सञ्चविणासणो ॥३॥

[उच्च० अ० ८, गा० ३८]

क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रों का नाश करती है, और लोभ सर्व का नाश करता है ।

उवसमेण हणे कोहं, माणं मद्दवया जिणं ।

मायं च अज्जवभावेण, लोभं संतोसओ जिण ॥४॥

[द्य० अ० ८, गा० ३६]

गान्ति से क्रोध को, नम्रता से मान को, सरलता से माया को, एव सन्तोष से लोभ को जीतना चाहिये ।

कोहो य माणो य अणिग्गहीया,

माया य लोभो य पवड्डुमाणा ।

चत्तारि एए कसिणा कसाया,

सिंचन्ति मूलाइं पुणब्भवस्स ॥५॥

[द्य० अ० ८, गा० ४०]

वनिगृहीत क्रोध और मान तथा प्रवर्द्धमान माया और लोभ ये चारों कुटिल कषाय पुनर्जन्मरूपी वृक्ष की जड़ों को जल-सिंचन करते हैं ।

अहे वयइ कोहेणं, माणेणं अहमा गई ।

माया गईपडिग्घाओ, लोहाओ दुहओ भयं ॥६॥

[उक्त० अ० ६, गा० ५४]

क्रोध से जीव नरक में जाता है, मान से जीव नीचगति पाता है, माया से जीव की शुभ गति का नाश होता है, तथा लोभ से जीव के लिये इस लोक और परलोक में भय उत्पन्न होता है ।

जे कोहेण होइ जगड्ढभासी,

विओसियं जे उ उदीरएज्जा ।

अंधे व से दंडपहं गहाय,

अविओसिए धासति पावकम्मी ॥७॥

[सू० श्रू० १, अ० १३, गा० ५]

जो क्रोध में आकर जैसा हो वैसा आतुरता से कह देता है तथा शांत पड़े हुए कलह-क्लेश को पुनः उत्तेजित करता है, वह अनुपशान्त राग-द्वेषवाला पापकर्मी, संक्षिप्त मार्ग ग्रहण कर चलते हुए अन्धे के समान पीडित होता है ।

विवेचन—कोई अन्धा (पुरुष) शीघ्र पहुचने की धुन में पास का किन्तु विषम मार्ग ग्रहण करता है तो मार्ग में रहे काँटे तथा शिकारी पशुओं के कारण दुःख पाता है, वैसे ही क्रोधादि करनेवाले पुरुष पापकारी क्रिया के फलस्वरूप विविध प्रकार की पीडा पाते हैं ।

जे परिभवई परं जणं,

संसारे परिवत्तइ महं ।

अदु. इंखिणिया उ पाविया,

इति संखाय मुणी ण मज्जई ॥८॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० २, गा० २]

जो मिथ्याभिमान के आवेश में आकर दूसरे की अवज्ञा करता है, वह दीर्घकाल तक ससार में परिभ्रमण करता है। परनिन्दा तो स्पष्ट रूप में पापकारी है। यह समझ कर मुनि अपने कुल, श्रुत एवं तपादि का अभिमान न करे (और किसी की निन्दा भी न करे)।

विवेचन—गृहस्थों के लिये भी यही हितशिक्षा है।

न तस्स जाई व कुलं व ताणं,

गण्णत्थ विज्जाचरणं सुचिण्णं ॥९॥

[सू० श्रु० १, अ० १३, गा० ११]

मनुष्य को जाति अथवा कुल ससार-सागर से तार नहीं सकते। मात्र ज्ञान और सदाचार ही तार सकते हैं।

पूयणट्ठा जसोकामी, माणसम्माणकामए ।

वहुं पसवई पावं, मायासल्लं च कुच्चई ॥१०॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० ३५]

जो पूजा, कीर्ति अथवा मान-सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वह अति पाप करता है और मायास्त्रो शल्य को इकट्ठा करता है।

पुढ्धी साली जवा चेव,

हिरण्णं पसुभिस्सह ।

पडिपुण्णं नालमेगस्स,

इइ विज्जा तवं चरे ॥११॥

[उक्त० अ० ६, गा० ४६]

किसी एक लोभी मनुष्य को चावल, जी आदि धान्य से युक्त तथा हिरण्य और पशुओ से परिपूर्ण सारी पृथ्वी दी गई हो तो भी उसे सन्तोष नहीं होता । ऐसा जानकर विद्वान् पुरुष को तृष्णा-त्यागरूपी तप का आचरण करना चाहिये ।

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई ।

दोमासकयं कज्जं, कोडीए वि न निट्ठियं ॥ १२ ॥

[उक्त० अ० ८, गा० १७]

जैसे-जैसे लाभ होता जाता है, वैसे-वैसे लोभ बढ़ता जाता है । लाभ से लोभ की वृद्धि होती है । दो मासा सोने से होनेवाला कार्य करोडो (सोने की मुहरों) से भी पूर्ण नहीं हुआ ।

कसायपच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

कसायपच्चक्खाणेणं वीयरगभाव जणयइ ।

वीयरगभावपडिवन्नेवि यणं जीवे समसुहदुक्खे भवइ ॥ १३ ॥

[उक्त० अ० २६, गा० ३६]

प्रश्न—हे भगवन् ! कषाय का परित्याग करने से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! कषाय का परित्याग करने से जीव में वीतरागभाव पैदा होता है और वीतरागभाव को प्राप्त किया हुआ वह जीव सुख-दुःख में सदा समान भाववाला होता है ।

क्रोहविजएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

क्रोहविजएणं खन्ति जणयइ, क्रोहवेयणिज्जं

कम्मं न चंघइ, पुच्चवट्ठं च निज्जरेइ ॥ १४ ॥

[उक्त० अ० २६, गा० ६७]

प्रश्न—हे भगवन् ! क्रोध को जीतने से जीव क्या उपार्जन करता है !

उत्तर—हे शिष्य ! क्रोध को जीतने में जीव क्षमागुण का उपार्जन करता है । ऐसा क्षमायुक्त जीव क्रोधवेदनीय—क्रोध जन्यकर्मों का वन्ध नहीं करता और पूर्ववद् कर्मों को निर्जग कर देता है ।

माणविजएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

माणविजएणं महवं जणयइ, माणवेयणिज्जं कम्मं न चंघइ,

पुच्चवट्ठं च निज्जरेइ ॥ १५ ॥

[उक्त० अ० २६, गा० ६८]

प्रश्न—हे भगवन् ! मान का मर्दन करने से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! मान का मर्दन करने से जीव मार्दव (मृदुता) को प्राप्त करता है । ऐसा मार्दवयुक्त जीव मानवेदनीय-मानजन्य कर्मों का बन्ध नहीं करता और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा कर देता है ।

मायाविजयेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

मायाविजयेणं अज्जवं जणयइ,

मायावेयणियज्जं कम्मं न बंधइ, पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥१६॥

[उक्त० २६, गा०६६]

प्रश्न—हे भगवन् ! माया को जीतने से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! माया को जीतने से जीव आर्जव (सरलता) गुण उपार्जन करता है । ऐसा आर्जवयुक्त जीव मायावेदनीय-माया-जन्य कर्मों का बन्ध नहीं करता और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा कर देता है ।

लोभविजयेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

लोभविजयेणं संतोसं जणयइ, लोभवेयणियज्जं कम्मं

न बंधइ, पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥१७॥

[उ० अ०२६, गा० ७०]

प्रश्न—हे भगवन् ! लोभ पर विजय पाने से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! लोभ पर विजय पाने से जीव सतोष गुण का उपार्जन करता है । ऐसा सतोषयुक्त जीव लोभवेदनीय-लोभजन्य-कर्मों का बन्ध नहीं करता और पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा कर देता है ।

धारा : ३० :

बाल और पंडित

एएसु वाले य पकुच्चमाणे, आवट्टई कम्मसु पावएसु ॥१॥

[सू० श्रु० १, अ० १०, गा० ५]

पृथ्वीकाय आदि जीवो के साथ दुर्व्यवहार करता हुआ बाल जीव पापकर्मों से लिप्त होता है ।

विवेचन—जो आत्मा सत् और असत् के विवेक से रहित है, अज्ञानी है, उनके लिये यहाँ बाल शब्द का प्रयोग हुआ है ।

रागदोसस्सिया बाला, पावं कुव्वंति ते बहुं ॥२॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० ८]

बाल जीव राग-द्वेष के अधीन होकर बहुत पाप करते हैं ।

जावन्तऽविज्जा पुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंभवा ।

लुप्पन्ति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणन्तए ॥३॥

[उत्त० अ० ६, गा० १]

जो अविद्यापुरुष है, वे सर्व प्रकार के दुखों को भोगनेवाले हैं । वे-मूर्ख इस अनन्त संसार में अनेक बार पीड़ित होते हैं ।

विवेचन—अविद्या अर्थात् मिथ्यात्व अथवा ज्ञानहीन-अवस्था ।

इससे जो पुरुष युक्त हैं वे अविद्यापुरुष हैं । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष मोह-मिथ्यात्व के कारण सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें अविद्या-पुरुष समझना चाहिये । वे पाप-प्रवृत्ति में सदा लिप्त रहने से कर्मबन्धन करते हैं और उसी के फलस्वरूप भयङ्कर दुःख भोगते हैं । ऐसे बहुकर्मों आत्माओं का ससार बढ जाने से वे विविध योनियों में उत्पन्न होकर मरते ही रहते हैं । उनकी इस जन्म-मरण की श्रृंखला का अन्त दीर्घ काल तक नहीं आता ।

समिक्ख पंडिए तम्हा, पासजाइपहे वह ।

अप्पणा सच्चमेसेज्जा, मेत्ति भूएसु कप्पए ॥४॥

[उच्च० अ० ६, गा० २]

अतः पण्डित पुरुष एकेन्द्रियादिक पाशरूप बहुत प्रकार के जाति-पथ का विचार करके अपनी आत्मा के द्वारा सत्य का अन्वेषण करे और सब प्राणियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे ।

निच्चुच्चिग्गो जहा तेणो, अत्तकम्मेहिं दुम्मई ।

तारिसो मरणंते वि, न आराहेइ संवरं ॥५॥

[द्य० अ० ५, उ० २, गा० ३६]

जैसे चोर सदा भयभीत रहता है और अपने कुकर्मों की वजह से ही दुःख पाता है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भी नित्य प्रति भयभीत रहता है और अपने कुकर्मों के कारण ही दुःख पाता है । (उसकी इस स्थिति में अन्त तक कोई परिवर्तन नहीं होना ।) मृत्यु का भय सामने दीवने पर भी वह संयम की आश्रयता नहीं करता ।

वित्तं पसवो य नाइओ, तं बाले सरणं ति मन्नइ ।

एते मम तेसुवि अहं, नो ताणं सरणं न विज्जई ॥६॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० ३, गा० १६]

बाल जीव ऐसा मानता है कि घन, पशु तथा ज्ञातिजन मेरा रक्षण करेंगे । वे मेरे हैं, मैं उनका हूँ । परन्तु इस प्रकार उसकी रक्षा नहीं होती अथवा उनको शरण नहीं मिलता ।

भणंता अकरेन्ता य, बंधमोक्खपइण्णिणो ।

वायाविरियमेत्तेणं, समासारंति अप्पयं ॥७॥

न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासणं ।

विसन्ना पापकम्महिं, बाला पंडियमाणिणो ॥८॥

[उक्त० अ० ६, गा० १०-११]

बन्ध और मोक्ष को माननेवाला वादीगण संयम की बातें करते हैं, किन्तु सयम का आचरण नहीं करते हैं । वे केवल वचनों के दल से ही आत्मा को आश्वासन देते हैं ।

अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान मनुष्य को शरणभूत नहीं होता । विद्या-मन्त्र की साधना भी कहाँ से शरणभूत हो ? वे अपने को भले ही दिग्गज पण्डित मानें, परन्तु पापकर्म से लिप्त होने के कारण वास्तव में अज्ञानी हैं ।

मासे मासे तु जो बालो, कुसग्गेणं तु भुंजए ।

न सो सुअक्खायधम्मस्स, कलं अग्घइ सोलसिं ॥९॥

[उक्त० अ० ६, गा० ४४]

जो वाल्जीव एक-एक महीने तक भोजन का त्याग कर केवल धर्म के अग्र भाग पर रहे उतने भोजनसे पारणा करता है, वह तीर्थङ्कर-प्ररूपित धर्म की सोलहवी कला को भी प्राप्त नहीं कर सकता ।

विवेचन—इस जगत् में वाल जीव भी अनेकविध तपस्याएं करते हैं । उनमें से कुछ तो अत्यन्त क्लिष्ट होती हैं । एक-एक महीने का उपवास करना और पारणा के समय नाम मात्र का अन्न लेना, यह कोई ऐसी-वैसी तपस्या नहीं है । इतना होने पर भी वह अज्ञानमूलक होने से उसका आध्यात्मिक दृष्टि से कोई विशेष मूल्य नहीं है । तीर्थङ्कर भगवन्तो ने जो धर्म बतलाया है, वह ज्ञानमूलक है और उसमें अहिंसा, संयम तथा तप को योग्य स्थान दिया गया है । ऐसे ज्ञानमूलक धर्म के साथ अज्ञानमूलक तपश्चर्या की तुलना ही कैसे हो सकती है ? इसलिये यहाँ पर कहा गया है कि—वह इसकी सोलहवी कला को भी प्राप्त नहीं होते ।

जहा कुम्मे सअंगाइं, सए देहे समाहरे ।

एवं पावाइं मेहावी, अज्झप्पेण समाहरे ॥१०॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० १६]

जैसे (सकट आजाने पर) कछुआ अपने सभी अङ्गों को सिकोड़ लेता है, वैसे ही विवेकी मनुष्य भी अपनी पापपरायण सभी इन्द्रियों को आध्यात्मिक जीवन द्वारा अपने भीतर सिकोड़ लेवे ।

उहरे य पाणे बुढुं य पाणे,

ते आत्तओ पासइ सच्चलोए ।

उच्चेहई लोगमिणं महन्तं,

बुद्धेऽपमत्तेसु परिव्वएज्जा ॥११॥

[सू० श्रु० १, अ० १२, गा० १८]

ज्ञानी पुरुष इस सर्व लोक में रह कर छोटे तथा बड़े प्राणियों को आत्मतुल्य देखते हैं, अर्थात् अपने समान ही सुख-दुःख की वृत्तिवाले मानते हैं। वे षड्द्रव्यात्मक इस महान् लोक का बराबर निरीक्षण करते हैं और ज्ञानी बनकर अप्रमत्तो के साथ विचरण करते हैं। सार यह है कि वे इन छोटे-बड़े जीवों की हिंसा न हो जाय इसलिए प्रव्रजित होकर अप्रमत्त दशा धारण करते हैं।

न कम्मणुणा कम्म खवेन्ति बाला,

अकम्मणुणा कम्म खवेन्ति धीरा ।

मेहाविणो लोभभयावतीता,

संतोमिणो नो पकरेन्ति पावं ॥१२॥

[सू० श्रु० १, अ० १२, गा० १५]

अज्ञानी जीव भी प्रवृत्तियाँ तो काफी करते हैं, पर वे सभी कर्मोत्पादक होने से पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय नहीं कर पाती। जबकि धीर पुरुषों की प्रवृत्तियाँ अकर्मोत्पादक अर्थात् संयमवाली होने के कारण अपने पूर्वबद्ध कर्मों को क्षीण कर सकती हैं। जो पुरुष वस्तुतः बुद्धिमान् हैं, वे लोभ और भय—इन दोनों वृत्तियों से सदा दूर रहते हैं। और इस प्रकार सन्तोषगुण से विभूषित होने के कारण किसी भी प्रकार की पापमय प्रवृत्ति नहीं करते।

तिउट्टई उ मेहावी, जाणं लोंगंसि पावगं ।

तुट्टंति पावकम्माणि, नयं कम्ममकुच्चओ ॥१३॥

[सू० श्रु० १, अ०, १५, गा० ६]

पापकर्मों को जाननेवाला बुद्धिमान् पुरुष ससार मे रहते हुए भी पापों को नष्ट करता है । जो पुरुष नये कर्म नही बाँधता, उसके सभी पाप-कर्म क्षीण हो जाते है ।

जहा जुन्नाइं कट्टाइं ह्ववाहो पमत्थति, एवं अत्तस-
माहिए अणिहे ॥१४॥

[अ० श्रु० १, अ० ४, उ० ३]

जैसे अग्नि पुरानी सूखी लकड़ियों को शीघ्र जला देती है, वैसे ही आत्मनिष्ठ और मोहरहित पुरुष कर्मरूपी काष्ठ को जला डालता है ।

तुलियाणं बालभावं, अवालं चैव पंडिए ।

चइऊण बालभावं, अवालं सेवई मुणी ॥१५॥

[उक्त० अ० ७, गा० ३०]

पण्डित मुनि बालभाव और अवालभाव की सदा तुलना करे और बालभाव को छोड कर अवालभाव का सेवन करे ।

धारा : ३१ :

ब्राह्मण किसे कहा जाय ?

जो न सज्जइ आगन्तुं, पच्यन्तो न सोयई ।

रमइ अज्जवयणम्मि, तं वयं बूम माहणं ॥१॥

जो मनुष्य-जन्म लेकर स्वजनादि में आसक्त नहीं रहता और उनसे दूर रहने पर शोक नहीं करता तथा सदा आर्य-वचनों में ही रमण करता है, उसको हम 'ब्राह्मण' कहते हैं ।

जायरूवं जहामडुं, निद्धन्तमलयावगं ।

राग-दोस-भयाईर्यं, तं वयं बूम माहणं ॥२॥

जो अग्नि के द्वारा शुद्ध किया हुआ स्वर्ण के समान तेजस्वी और शुद्ध है, तथा राग, द्वेष एवं भय से रहित है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

तवस्सियं किसं दन्तं, अवचियमंसमोणियं ।

सुच्चयं पत्तनिच्चाणं, तं वयं बूम माहणं ॥३॥

जो तपस्वी, क्रुश और इन्द्रियो का दमन करनेवाला है, जिसके शरीर में मांस और रुधिर कम हो गया है, जो व्रतशील है और

जिसने निर्वाण—परमगान्ति प्राप्त किया है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

तसपाणे वियाणेत्ता, संगहेण य थावरे ।

जो न हिंसइ तिविहेण, तं वयं वूम माहणं ॥४॥

जो ब्रस और स्यावर प्राणियो को संक्षेप और विस्तार से भली-भाँति जान कर उसकी मन, वचन और काया से हिंसा नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

कांहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जइ वा भया ।

मुसं न वयई जो उ, तं वयं वूम माहणं ॥५॥

जो क्रोव हास्य, लोभ अथवा भय से कभी भूठ नहीं बोलता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

चित्तमन्तमचित्त वा, अप्पं वा जइ वा बहुं ।

न गिण्हाइ अदत्तं जे, तं वयं वूम माहणं ॥६॥

जो सचित्त अथवा अचित्त, अल्प अथवा अधिक (पदार्थ) स्वामी के द्वारा दिये विना ग्रहण नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

दिच्च-माणुस-तेरिच्छं, जो न सेवइ मेहुणं ।

माणसाकाय-वक्केणं, तं वयं वूम माहणं ॥७॥

जो मन-वचन-काया से देव, मनुष्य और तिर्यंच (पशु-पक्षी) के साथ मैथुन-सेवन नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

जहा पोम्मं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा ।

एवं अलित्तं कामेहिं, तं वयं वूम माहणं ॥८॥

जैसे कमल पानी में उत्पन्न होने पर भी पानी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही जो ससार के वासनामय वातावरण में रहते हुए भी काम-भोगों से लिप्त नहीं होता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

अलोलुयं मुहाजीविं, अणगारं अकिंचणं ।

असंसत्तं गिहत्थेसु, तं वयं वूम माहणं ॥९॥

जो लोलुपता-विहीन, भिक्षाजीवी, स्वेच्छा से त्याग करनेवाला और अकिंचन हो तथा गृहस्थो में आसक्ति रखनेवाला नहीं हो, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

जहित्ता पुब्बसंजोगं, नाइसंगे य बन्धवे ।

जो न सज्जइ भोगेसु, तं वयं वूम माहण ॥१०॥

जो ज्ञातिजन और बन्धुजनो का पूर्व सम्बन्ध छोड़ देने के पश्चात् भोग में आसक्त न होवे, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

पसुबंधा सव्ववेया, जइं ज पावकम्मणा ।

न तं तायंति दुस्सील, कम्माणि वलवंति हि ॥११॥

सभी वेद पशुओं के बध-बन्धन के लिए है और यज्ञ पापकर्म का हेतु है । अतः वे वेद अथवा वे यज्ञ (और वे यज्ञ करनेवाले आचार्य आदि) दुराचारी का उद्धार नहीं कर सकते ; क्योंकि कर्म अपना फल देने में अत्यन्त ही बलिष्ठ है !

न वि मुंडिएण समणो, न ओंकारेण वंभणो ।

न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥१२॥

केवल सिर मुडवाने से कोई श्रमण नहीं होता, ओङ्कार बोलने से ही कोई ब्राह्मण नहीं होता, निरे अरण्य में रहने से कोई मुनि नहीं कहलाता और न ही बल्कल धारण करने से कोई तापस होता ।

समयाए समणा होइ, वंभचेरेण वंभणो ।

नाणेण उ मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥१३॥

समता का गुण प्राप्त करने से श्रमण बना जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से ब्राह्मण बना जाता है, चिन्तन-मनन द्वारा ज्ञानप्राप्ति करने से मुनि बना जाता है और तप करने से तापस बना जाता है ।

कम्मुणा वंभणो हांइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

वइमो कम्मुणा होइ, सुदो हवइ कम्मुणा ॥१४॥

मनुष्य ब्राह्मण के कर्मद्वारा ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय के कर्मद्वारा क्षत्रिय बनता है, वैश्य के कर्मद्वारा वैश्य बनता है और शूद्र के कर्मद्वारा शूद्र बनता है । तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणत्व आदि जन्मसिद्ध वस्तु नहीं है, अपितु कर्मसिद्ध वस्तु है ।

एए पाउकरे बुद्धे, जेहिं होइ सिणायओ ।

सच्चकम्मविणिमुक्कं, तं वयं वूम माहण ॥१५॥

इस धर्म को सर्वज्ञ भगवान् ने प्रकट किया है, जिम्ने कि यह जीव म्नातक हो जाता है और सर्व कर्मों से मुक्त हो जाता है । उन्हीको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

एवं गुणसमाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा ।

ते समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य ॥१६॥

[उक्त० अ० २५, गा० २० से ३५]

जा ऐसे गुणो से युक्त है, वे द्विजोत्तम है और वे ही स्व-पर का उद्धार करने मे समर्थ होते है ।

वीर्य और वीरता

दुहा चैयं सुयक्खायं, वीरियं ति पवुच्चई ।

किं नु वीरस्स वीरत्तं, कहं चैयं पवुच्चई ॥१॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० १]

वीर्य दो प्रकार का कहा गया है । (यह विधान सुनकर मुमुक्षु प्रश्न करता है कि हे पूज्य !) वीर पुरुष की वीरता क्या है ? और किस कारण से वह वीर कहलाता है ? (यह कृपा करके बतलाइए ।)

कम्ममेगे पवेदेन्ति, अकम्मं वा वि सुज्जया ।

एएहिं दोहि ठाणेहिं, जहिं दीसन्ति मच्चिया ॥२॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० २]

(प्रत्युत्तर मे भगवान् कहते हैं) हे सुव्रती ! कोई कर्म को वीर्य कहते हैं और कोई अकर्म को । मृत्युलोक के सभी प्राणी इन दो भेदों मे विभक्त हैं ।

विवेचन—वीर्य आत्मा का मूल गुण है, किन्तु इसका स्फुरण जिस अवस्था मे होता है, उसके आधार पर उसके दो भेद कहे गये हैं—सकर्मवीर्य और अकर्मवीर्य । आत्मा कर्मजन्य औदयिक भाव मे रहता हो तब जो वीर्य का स्फुरण होता है वह सकर्म अथवा

वालवीर्य कहलाता है और जब क्षायोपशमिक अथवा क्षायिक भाव में रहता हो तब जो स्फुरण होता है वह अकर्म अथवा पण्डितवीर्य कहलाता है । मनुष्य में इन दोनों में से एक वीर्य का स्फुरण अवश्य होता है ।

सत्थमेगे तु सिक्खंता, अतिवायाय पाणिणं ।

एगे मंते अहिज्जंति, पाणभूयविहेडिणो ॥३॥

[सू० ध्रु० १, अ० ८, गा० ४]

कुछ व्यक्ति शस्त्रविद्या सीख कर प्राणियों की हिंसा करते हैं, तो कुछ व्यक्ति मन्त्रादि बोलकर यज्ञादि अनुष्ठानों में प्राणियों की विडम्बना करते हैं (इसे वालवीर्य समझना चाहिये) ।

माइणो कइ माया य, कामभोगे समारमे ।

हंता छित्ता पगम्भिता, आयसायाणुगामिणो ॥४॥

[सू० ध्रु० १, अ० ८, गा० ५]

केवल अपने ही सुख का विचार करनेवाले मायावी पुरुष माया-कपट का आवार लेकर काम-भोग के निमित्त असख्य प्राणियों की हिंसा करते हैं और इस तरह वे उनका हनन करनेवाले, छेदन करने-वाले तथा पाछे लगानेवाले बनते हैं ।

मणमा वयसा चैव, कायसा चैव अन्तसो ।

आरओ परओ वा वि, दुहा वि य असंजया ॥५॥

[सू० ध्रु० १, अ० ८, गा० ६]

। असयमी पुरुष काया से अशक्त होने पर भी मन, वचन और काया से अपने लिये तथा दूसरों के लिये हिंसा करता है और करवाता है ।

एयं सकम्मवीरियं, चालाणं तु पवेइयं ।

इत्तो अकम्मविरियं, पंडियाणं सुणेह मे ॥६॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० ६]

इस प्रकार बाल जीवों के सकर्मवीर्य का वर्णन किया । अब पण्डितों के अकर्मवीर्य का वर्णन करता हूँ, वह मुझसे सुनो ।

दच्चिए बंधणमुक्के, सच्चओ छिन्नबंधणे ।

यणोल्ल पावकं कम्मं, सल्लं कंतइ अन्तसो ॥७॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० १०]

भव्य पुरुष राग-द्वेष के बन्धन से मुक्त होते हैं, कषायरूपी बन्धनों का सर्वथा उच्छेदन कर देते हैं तथा सभी प्रकार के पाप-कर्मों से निवृत्त होकर अपनी आत्मा से लगे हुए शल्यों को जड़ मूल से उखाड़ डालते हैं ।

नेयाउयं सुयक्खायं, उवादाय समीहए ।

भुज्जो भुज्जो दुहावासं, असुहत्तं तहा तहा ॥८॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० ११]

तीर्थङ्करों द्वारा कथित सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपी मोक्षमार्ग को ग्रहण कर उसमें पूर्णरूप से पुरुषार्थ को स्फुरित करना चाहिये । (यही पण्डितवीर्य है और इसका परिणाम सुखदायी है, जब कि बालवीर्य पुनः पुनः दुःखदायी है । वह जैसे-जैसे स्फुरित होता जाता है, वैसे-वैसे दुःख बढ़ता जाता है ।

ठाणी विविहठाणाणि, चइस्संति ण संसओ ।
 अणियए अयं वासे, णायएहि सुहीहि य ॥६॥
 एवमादाय मेहावी, अप्पणो गिद्धिमुद्धरे ।
 आरियं उवसंपज्जे, सव्वधम्ममकोवियं ॥१०॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० १२-१३]

यह निर्विवाद सत्य है कि विविध स्थानों में रहे हुए मनुष्य किसी न किसी समय अपना स्थान अवश्य छोड़ेंगे । जाति और मित्रजनो के साथ का यह निवास अनित्य है । इस तरह का विचार कर पण्डित पुरुष आत्मा के ममत्वभाव का छेदन कर देवे तथा सर्व धर्मों से अनिन्द्य ऐसे आर्यधर्म को ग्रहण करे ।

सह संमइए णच्चा, धम्मसारं सुणंत्तु वा ।

समुवट्ठिए उ अणगारे, पच्चक्खायपावए ॥११॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, उ० ३, गा० १४]

अपनी बुद्धि से अथवा गुरु आदि के मुख से धर्म का सार जानने के बाद पण्डित पुरुष श्रमण बनता है और सर्व पापों का प्रत्याख्यान करता है ।

अणु माणं च मायं च, तं पडिन्नाय पंडिए ।

आयतहं सुआदाय, एवं वीरस्स वीरियं ॥१२॥

[सू० धृ० १, अ० ८, गा० १८]

माया और मान का फल हमेशा बुरा होता है—ऐसा मानकर पण्डित पुरुष उसका अणुमात्र भी सेवन न करे । वह आत्मार्थ को अच्छी तरह ग्रहण करे । यही वीर पुरुष की वीरता है ।

अतिकम्मं ति वायाए, मणसा वि न पत्थए ।

सच्चओ संवुडे दन्ते, आयाणं सुसमाहरे ॥१३॥

[सू० श्रु १, अ० ८, गा० २०]

सच्चा वीर वाणी से और मन से भी किसी प्राणी की हिंसा न करे। वह सर्वथा सयमी बने, अपनी इन्द्रियो को जीते तथा सम्यग्दर्शनादि मोक्षमार्ग के साधनो को ग्रहण करे।

कडं च कज्जमाणं च, आगमिस्सं च पावगं ।

सच्चं तं णाणुजाणंति, आयगुत्ता जिइंदिया ॥१४॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० २१]

जो पुरुष आत्मगुप्त और जितेन्द्रिय हैं, वे किसी के द्वारा किये गये, करते हुए अथवा भविष्य मे किये जानेवाले किसी प्रकार के पाप की अनुमोदना न करे।

पण्डिए वीरियं लद्धुं, निग्घायाय पवत्तगं

धुणे पुच्चकडं कम्मं, णवं वाऽवि ण कुच्चती ॥१५॥

[सू० श्रु० १, अ० १५, गा० २२]

पण्डित पुरुष कर्मों का उच्छेदन करने मे समर्थ ऐसे वीर्य को प्राप्त करके नवीन कर्म न करे तथा पूर्वकृत कर्मों का क्षय कर दे।

जे अबुद्धा महाभागा, वीरा असम्मत्तदंसिणो ।

असुद्धं तेसिं परक्कंतां, सफलां होइ सच्चमो ॥१६॥

[सू० श्रु० १, आ० ८, गा० २२]

वीर्य और वीरता]

सम्यग्दर्शन से रहित और परमार्थ को नहीं समझनेवाले ऐसे विश्रुत-यशस्वी वीर पुरुषों का पराक्रम अशुद्ध है। वे सभी तरह से ससार की वृद्धि करने में सफल होते हैं। साराश यह कि उनसे ससार अधिक बढ़ जाता है।

जं य बुद्धा महाभागा, वीरा सम्मत्तदंसिणो ।

सुद्धं तेसिं परक्कंतां, अफलां होइ सव्वसो ॥१७॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० २३]

सम्यग्दर्शनवाले और परमार्थ के ज्ञाता ऐसे विश्रुत यशवाले वीर पुरुषों का पराक्रम शुद्ध है। वे ससार की वृद्धि में सर्वथा निष्फल होते हैं। साराश यह कि किसी भी तरह उनके ससार की वृद्धि नहीं होती।

कुजए अपराजिए जहा,

अक्खेहिं कुसलेहिं दीवयं ।

कडमेव गहाय नो कलिं,

नो तीयं नो चेव दावरं ॥१८॥

एवं लोगम्मि ताइणा,

बुइए जे धम्मे अणुत्तरे ।

तां गिण्ह हियंति उत्तमं,

कडमिन्न सेसऽवहोय पण्डिए ॥१९॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० २, गा० २२-२४]

जुए मे कुशल जुआरी खेलते समय जैसे 'कृत' नामवाले पासे को ही ग्रहण करता है, किन्तु 'कलि' 'त्रेता' अथवा 'द्वापर' को ग्रहण नहीं करता और अपराजित रहता है, वैसे ही पण्डित पुरुष भी इस लोक में जगत्त्राता सर्वज्ञों ने जो उत्तम और अनुत्तर धर्म कहा है, उसको ही अपने हित के लिए ग्रहण करे। शेष सभी धर्मों को वह इस प्रकार छोड़ दे, जिस तरह कुशल जुआरी 'कृत' के अतिरिक्त अन्य सभी पासों को छोड़ देता है।

ज्ञानजोगं समाहङ्गु,

कायं विउसेज्ज मच्चसो ।

तित्तिक्खं परमं नच्चा,

आमोक्खाए परिच्चएज्जासि ॥२०॥

[सू० ध्रु० १, अ० ८, गा० २६]

पण्डित पुरुष ध्यानयोग को ग्रहण करे, देह-भावना का सर्वथा विसर्जन करे, तित्तिका को उत्तम समझे और शरीर के अन्त तक संयम का पालन करता रहे।

धारा : ३३ :

सम्यक्त्व

निस्सग्गुवएसरुई, आणारुई सुत्तवीअरुइमव ।
अभिगम-वित्थाररुई, किरिया-संखेव-धम्मरुई ॥१॥

[उक्त० अ० २८, गा० १६]

(१) किसी को स्वाभाविक रूप से ही तत्त्व के प्रति रुचि होने से, (२) किसी को उपदेश श्रवण करने से, (३) किसी को भगवान् की ऐसी आज्ञा है ऐसा ज्ञात होने से, (४) किसी को सूत्र सुनने से, (५) किसी को एक शब्द सुनकर उसका विस्तार करनेवाली बुद्धि से, (६) किसी को विशिष्ट-ज्ञान होने से, (७) किसी को विस्तार पूर्वक अर्थ श्रवण करने से, (८) किसी को सत्क्रियाओं के प्रति रुचि होने से, (९) किसी को सक्षेप में रहस्य ज्ञात हो जाने से तो (१०) किसी को धर्म के प्रति अभिरुचि होने से, यो दस प्रकार से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ।

विवेचन—सम्यक्त्व का सामान्य परिचय आठवी धारा में दिया है । यहाँ उसका विशेष परिचय दिया गया है ।

निस्संक्रिय-निक्रंखिय-निच्वितिगिच्छा अमूढदिट्टी य ।

उपवृह-स्थिरीकरणे, वच्छल्ल-प्रभावणे अट्ट ॥२॥

[उक्त० अ० २८, गा० ३१]

सम्यक्त्व के आठ अङ्ग इस प्रकार समझने चाहिये :—

(१) निःशङ्कित, (२) निःकाक्षित, (३) निर्विचिकित्स्य, (४) अमूढदृष्टि, (५) उपवृंहणा, (६) स्थिरीकरण, (७) वात्सल्य, और (८) प्रभावना ।

विवेचन—(१) जिनवचन में शङ्का नहीं रखना, यह निःशङ्कित, (२) जिनमत के बिना अन्य मत की आकांक्षा नहीं करना, यह निःकाक्षित, (३) धर्म-कर्म के फल में सन्देह नहीं रखना, यह निर्विचिकित्स्य, (४) अन्य मतवालों के दिखावे में न आना, यह अमूढदृष्टि, (५) सम्यक्त्ववारी को उत्तेजन देना, यह उपवृंहणा, (६) कोई सम्यक्त्व से विचलित होता हो तो उसे स्थिर करना, यह स्थिरीकरण, (७) साधर्मिक के प्रति वात्सल्य दिखाना अर्थात् उसकी प्रत्येक प्रकार से भक्ति करना, यह साधर्मिक-वात्सल्य और (८) जिनशासन की प्रभावना हो अर्थात् लोगों में उसका प्रभाव बढ़े, ऐसे कर्म करना यह प्रभावना ।

मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा हु हिंसगा ।

इयं जं मरंति जीवा, तेसिं पुण दुल्लहा वोही ॥३॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २५८]

जो जीव मिथ्यादर्शन में अनुरक्त है, सासारिक फल की अपेक्षा रखते हुए धर्मकर्म में प्रवृत्त होते हैं तथा हिंसक हैं, वे इन्हीं भावनाओं

मे मरने पर दुर्लभबोधि होते है, अर्थात् उन्हें सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति शीघ्र नहीं होती ।

इओ विद्धंसमाणस्स, पुणो संबोहि दुल्लहा ।

दुल्लहाओ तहच्चाओ, जे धम्मट्ठं वियागरे ॥४॥

[सू० श्रु० १, अ० १५, गा० १८]

जो जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मरता है, उसे पुनः धर्मबोधि प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है । साथ ही सम्यक्त्वप्राप्ति के योग्य अन्तःकरण के परिणाम होना अथवा धर्माचरण की वृत्ति होना भी कठिन है ।

कुप्पवयणपासंडी, सव्वे उम्मग्गपट्टिआ ।

सम्मग्गं तु जिणक्खायं, एम मग्गे हि उत्तमं ॥५॥

[उक्त० अ० २३, गा० ६३]

कुप्रवचन को माननेवाले सभी लोग उन्मार्ग में स्थित हैं । सन्मार्ग तो जिन-भाषित है और यही उत्तम मार्ग है ।

सम्मदंसणरत्ता, अनियाणा सुकलेसमोगाटा ।

इय जे मरंति जीवा, तेसिं सुलहा भवे वोही ॥६॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २५६]

जो जीव सम्यग्दर्शन में अनुरक्त हैं, सासारिक फल की अपेक्षा किये बिना धर्म कर्म करनेवाले हैं तथा शुक्ल लेश्या से युक्त हैं, वे जीव उसी भावना में मरकर परलोक में सुलभबोधि होते हैं अर्थात् उन्हें सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति शीघ्र होती है ।

जाइं च बुद्धिं च इहज्ज पास,
भूएहिं जाणे षडिलेह सायं ।

तम्हाज्जतिविज्जे परमं ति णच्चा,

सम्मत्तदंसी ण करेइ पावं ॥७॥

[आ० अ० ३, उ० २]

हे मानव ! इस संसार में जन्म और जरा की जो दो महान् दुःख हैं, उन्हें तू देख और सभी जीवों को सुख प्रिय लगता है और दुःख अप्रिय लगता है, इस बात को गहराई से समझ । उपर्युक्त बात का ज्ञान होने से ही ज्ञानी पुरुष सम्यक्त्वधारी बनकर हिंसादि पाप नहीं करते हैं ।

जिणवयणेअणुरत्ता, जिणवयणं जे करेति भावेणं ।

अमला असंकिलिद्धा, ते होंति परित्तसंसारी ॥८॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २६०]

जो जिनवचन में श्रद्धान्वित है, जो जिनवचन में कही गई क्रियाएँ भाव-पूर्वक करते हैं, जो मिथ्यात्व आदि मूल से दूर हैं तथा जो रागद्वेषयुक्त तीव्र भाव धारण नहीं करते, वे मर्यादित सत्कारवाले बनते हैं, अर्थात् उसका भवभ्रमण का प्रमाण अल्प हो जाता है ।

धम्मसद्धाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

धम्मसद्धाएणं सायासोकखेसु रज्जमाणे विरज्जइ ॥९॥

[उक्त० अ० २६, गा० ३]

प्रश्न—हे भगवन् ! धर्मश्रद्धा से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! धर्मश्रद्धा से शांता-सुख मे अनुराग करता हुआ यह जीव वैराग्य को प्राप्त कर लेता है ।

पडावश्यक

अनुयोगद्वार—सूत्र मे कहा है :—

आवस्तय अवस्तकरणिज्ज, ध्रुव-निग्गहो विसोही अ ।

अज्मयणछक्कवग्गो, नाओ आराह णा मग्गो ॥

आवश्यक, अवस्यकरणीय, ध्रुव, निग्रह, विशोवि, अव्यग्न-
षड्वर्ग, न्याय, आरावना और मार्ग ये पर्यायशब्द हैं ।

आवश्यक के अर्थ के सम्बन्ध मे उसमे कहा है कि :—

समणेण सावएण य, अवस्त-कायव्व हवइ जम्हा ।

अन्तो अहो-निसस्त य, तम्हा आवस्तय नाम ॥

जो दिन और रात्रि के अन्तिम भाग मे श्रमण तथा श्रावकों
द्वारा अवस्य करने योग्य है, इमलिये वह आवश्यक कहलाता है ।

वर्तमान मे इम क्रिया को प्रतिक्रमण शब्द मे पहचानने वा प्रच-
र्यत है । दिन के अन्तिम भाग में जो प्रतिक्रमण किया जाय वह
दैनिक (देवमिय) प्रतिक्रमण और रात्रि के अन्तभाग में किया
जाय वह रात्रिक (राट्ट) प्रतिक्रमण कहलाता है । इनमें अति-

रिक्त पक्ष के अन्त में, चातुर्मास के अन्त में और सवत्सर के अन्त में भी प्रतिक्रमण की क्रिया की जाती है, उसे क्रमशः पाक्षिक-प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और सावत्सरिक प्रतिक्रमण कहा जाता है ।

आवश्यक क्रिया के सम्बन्ध में अधिक स्पष्टीकरण करते हुए उसमें बताया गया है कि :—

‘आवस्सयस्स एसो पिडत्थो वण्णिओ समासेण ।

एतो एक्केक पुण, अज्झयण कित्तइस्सामि ॥

तं जहा—(१) सामाइयं, (२) चउवीसत्थओ, (३) वदणय, (४) पडिक्कमण, (५) काउस्सग्गो, (६) पच्चक्खाण ।

आवश्यक का यह समुदायार्थ संक्षेप में कहा है । अब उसमें से एक-एक अध्ययन का मैं वर्णन करूँगा, जो इस प्रकार है :— (१) सामायिक, (२) चतुर्विंशति-स्तव, (३) वन्दनक, (४) प्रतिक्रमण, (५) कायोत्सर्ग और (६) प्रत्याख्यान । तात्पर्य यह है कि आवश्यक क्रियाएँ छः प्रकार की हैं, जिनमें से प्रत्येक का नाम इस प्रकार समझना चाहिये ।

सामाइएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

सामाइएणं सावज्जजोगविरइं जणयइ ॥१॥

[उक्त० अ० २६, गा० ८]

प्रश्न—हे भगवन् ! सामायिक से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! सामायिक से जीव सावद्योग की निवृत्ति का उपार्जन करता है ।

विवेचन—सावधयोग अर्थात् पापकारी प्रवृत्ति। उसकी निवृत्ति अर्थात् उससे विराम पा लेना। तात्पर्य यह है कि कोई भी जीव सामायिक की क्रिया अंगीकार करता है, तब 'मैं मन-वचन-काया से कोई पाप नहीं करूँगा अथवा दूसरे से नहीं कराऊँगा' ऐसी प्रतिज्ञा लेता है और तदनुसार सामायिक के बीच कोई भी पापकारी प्रवृत्ति नहीं करता है। उस समय वह धर्मध्यानादि शुभ प्रवृत्ति ही करता है। एक सामायिक की अवधि दो घड़ी अर्थात् अष्टतालिस मिनट की होती है।

चउत्रीसत्यएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

चउत्रीसत्यएणं दंसणविसोहिं जणयइ ॥२॥

[उच्च० ल० २६, गा० ६]

प्रश्न—हे भगवन् ! चतुर्विंशति-स्तव से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! चतुर्विंशति-स्तव से जीव दर्शन-विशुद्धि का उपार्जन करता है।

विवेचन—दर्शनविशुद्धि अर्थात् सम्यक्त्व की निर्मलता। तात्पर्य यह है कि चौथीम तीर्थंकरों के गुणों का सद्भक्त कीर्तन-भजन करने से सम्यक्त्व में रही हुई अशुद्धि दूर हो जाती है और देव-गुण-धर्म-के प्रति श्रद्धा दृढ होती है।

अन्य स्तवन, स्तुति तथा स्तोत्र आदि में श्रीजिनेश्वर देव की जो भक्ति की जाती है उसका फल भी यह समझना चाहिये।

वन्दणार्णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?
 वन्दणार्णं नीयागोयं कम्मं खवेइ, उच्चागोयं
 कम्मं निवंधइ । सोहग्गं च णं अपडिहयं
 आणाफलं निव्वत्तेइ । दाहिणभावं च णं जणयइ ॥३॥

[उक्त० अ० २६, गा० १०]

प्रश्न—हे भगवन् ! वन्दनक से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! वन्दनक से जीव नीचगोत्रकर्म का क्षय कर उच्चगोत्र के लिए कर्म बाँधता है । साथ ही वह अप्रतिहत सौभाग्य और उच्च अधिकार प्राप्त कर विश्ववल्लभ बनता है ।

विवेचन—गुरु को विधिपूर्वक वन्दन करना यह वन्दनक नाम का तीसरा आवश्यक है । गुरु के प्रति विनय किये बिना अथवा उनके प्रति अत्यन्त आदर-सम्मान की भावना रखे बिना आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त नहीं होता । उन्हें प्रतिदिन प्रातः और सायं विधिपूर्वक वन्दन करने से, ऊपर दिखलाये हैं वैसे लाभ प्राप्त होते हैं ।

पडिक्कमणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? पडिक्कमणेणं
 वयच्छिदाणि पिहेइ । पिहिय-वयच्छिद्दं पुण जीवे निरुद्धासवे
 असवलचरित्ते अट्टसु पवयणमायासु उवउत्ते अपुहत्ते
 सुप्पणिहिये विहरइ ॥४॥

[उक्त० अ० २६, गा० ११]

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रतिक्रमण से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! प्रतिक्रमण से जीव व्रतों के छिद्रों को ढँकता

है और इस तरह व्रतो के छिद्रो को ढंकने से वह जीव आस्रव रोकने-वाला होता है। साथ ही शुद्ध चारित्रवान् और अष्टप्रवचन-माता के प्रति उपयोगवाला वनता है तथा समाधिपूर्वक संयममार्ग में विचरण करता है।

विवेचन—अज्ञान, मोह अथवा प्रमादवश अपने मूल-स्वभाव से दूर गए किसी जीव का अपने मूलस्वभाव की ओर पुनः लौटने की प्रवृत्ति प्रतिक्रमण कहलाती है। यह एक प्रकार की आत्मनिरीक्षण अथवा आत्मगोचन की क्रिया है। क्योंकि इस क्रिया में आत्मा द्वारा की गई प्रत्येक प्रवृत्ति का सूक्ष्म निरीक्षण कर उसकी त्रुटियाँ ढूँढ निकालने का लक्ष्य होता है और उसके लिये पाप-जुगुप्सापूर्वक पश्चात्ताप किया जाता है। जो त्रुटियाँ निरे पश्चात्ताप से सुधरे ऐसी न हों उनके लिये प्रायश्चित्त ग्रहण किया जाता है। जैसे घर को प्रतिदिन शुद्ध-स्वच्छ रखने से वह रहने योग्य वनता है, वैसे ही आत्मा को प्रतिदिन शुद्ध-स्वच्छ करने से व्रतो की आराधना बराबर होती है और उससे चारित्र उत्तम प्रकार का वनता है।

काउस्सग्गेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? काउस्सग्गेणं तीयपडुपन्नं पायच्छित्तं विसोहेइ । विसुद्धपायच्छित्ते य जीवे निच्चुयहियए ओहरियभरुव्व भारवहे पसत्थझाणोवगए सुहं सुहेणं विहरइ ॥५॥

[उक्त० अ० २६, गा० १२]

प्रश्न—हे भगवन् ! कायोत्सर्ग से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! कायोत्सर्ग से जीव अतीत और वर्तमान

काल के अतिचारो की शुद्धि करता है । प्रायश्चित्त से शुद्ध बना हुआ जीव ऐसे निवृत्त हृदयवाला हो जाता है जैसा कि सिर से बोझा उतर जाने पर कोई भारवाहक । इस प्रकार निवृत्त हृदयवाला बनकर वह प्रशस्त ध्यान को प्राप्त करता हुआ सुखपूर्वक विचरण करता है ।

विवेचन—काया का उत्सर्ग करना अर्थात् देहभावना का त्याग करके आत्मनिरीक्षण अथवा आत्मचिन्तन मे लीन हो जाना । इसमे एक ही आसन पर मौनपूर्वक स्थिरता से रहा जाता है ।

पञ्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?
पञ्चक्खाणेणं आसवदाराइं निरुंभइ । (पञ्चक्खाणेणं
इच्छानिरोहं जणयइ । इच्छानिरोहं गए य णं जीवे
सन्वद्वेसु विणीयतण्हे सीइभूए विहरइ) ॥६॥

[उक्त० अ० २६, गा० १३]

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रत्याख्यान से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! प्रत्याख्यान से जीव आस्रव द्वारो को रोक लेता है । (तथा प्रत्याख्यान से जीव इच्छाओ का निरोध करता है । फिर इच्छानिरोध को प्राप्त हुआ जीव सर्व द्रव्यो मे तृष्णारहित होकर परम शान्ति मे विचरता है ।)

—:०:—

धारा . ३५ :

भावना

तहिं तहिं सुयक्खाय, से य सच्चे सुआहिए ।
सया सच्चेण संपन्ने, सेत्ति भूएहिं कप्पए ॥१॥
भूएहिं न विरुज्जेजा, एस धम्मे बुसीमओ ।
बुसिमं जगं परिन्नाय, अस्सिं जीवितभावणा ॥२॥
भावणाजोगसुद्धप्पा, जले णावा व आहिया ।
नावा व तीरसंपन्ना, सच्चदुक्खा तिउट्टइ ॥३॥

[सू० श्रु० १, अ० १५, गा० ३ से ५]

वोतराग महापुरुषों ने जो-जो भाव कहे हैं, वे वास्तव में यथार्थ हैं। जिन्का अन्तरात्मा सदा सत्य भावों में पूर्ण है, वह सर्व जीवों के प्रति मैत्री-भाव रखता है।

किसी भी प्राणी के साथ वैर-विरोध नहीं करना, यह इन्द्रियों को बग करनेवाला सयमी पुरुष का धर्म है। ऐमा सयमी पुरुष जगत् का स्वरूप अच्छी तरह समझ ले और धर्म में—धर्मवृद्धि के लिये जीवन का उत्कर्ष साधनेवाली सद्भावनाओं का सेवन करे।

भावना-योग से शुद्ध हुई आत्मा जल पर नौका के समान ससार में तैरती है। जिस तरह अनुकूल पवन का सहारा मित्रों से

नीका पार पहुँचती है, उसी तरह ऐसी आत्मा संसार के पार पहुँचती है और वहाँ उसके सर्व दुःखों का अन्त होता है ।

से हु चक्खु मणुस्साणं, जे कंखाए य अंतए ।

अन्तेण खुरो वहई, चक्कं अन्तेण लोड्डई ॥४॥

अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह ॥५॥

[सू० अ० १, अ० १५, गा० १४-१५]

जो मनुष्य (भावना-बल से) भोगेच्छा का—वासना का अन्त करता है, वह अन्य मनुष्यों के लिए चक्षुरूप होता है, अर्थात् मार्ग-दृष्टा बनता है ।

उत्तरा अपने अन्त भाग पर अर्थात् धार पर चलता है । गाड़ी का पहिया भी अपने अन्त भाग पर अर्थात् धार पर चलता है । वैसे ही महापुरुषों का जीवन अन्तिम सत्त्यों पर चलता है और संसार का अन्त करनेवाला होता है ।

जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसन्ति जन्तवो ॥६॥

[उक्त० अ० १६, गा० १५]

जन्म दुःख है, जरा भी दुःख है, रोग और मृत्यु आदि भी दुःख है । अहो ! यह समस्त संसार दुःखमय है, जिसमें प्राणी बहुत क्लेश पा रहे हैं ।

इमं सरौरं अणिच्चं, असुई असुइसंभवं,

असासयावासमिणं, दुक्खकेसाण भायणं ॥७॥

[उक्त० अ० १६, गा० १२]

यह गरीर अनित्य है, अपवित्र है, और अशुचि से इसकी उत्पत्ति है। एव यह गरीर दुःख और क्लेशो का भाजन है तथा इसमें जीव का निवास भी अगाश्वत है।

गम्भाइ मिज्जंति बुयाबुयाणा,
णरा परे पंचसिहा कुमारा ।
जुवाणगा मज्झिम-थेरगा य,
चयंति ते आउक्खए पलीणा ॥८॥

[सू० श्रु० १, अ० ७, गा० १०]

कितने जीव गर्भावस्था मे, कितने जीव दूध पीते बच्चों की अवस्था में, तो कितनेक जीव पचगिख कुमारो की अवस्था मे मरण को प्राप्त होते हैं। फिर कितने युवा, प्रौढ (अवेड़) और वृद्ध होकर मरते हैं। इस तरह आयुष्य-क्षय होने पर मनुष्य हरेक हालत मे अपना देह छोड देता है।

दाराणिय सुया चेव, मित्ता य तह वन्धवा ।

जीवन्तमणुजीवन्ति, मयं नाणुञ्चयन्ति य ॥९॥

[उच्च० अ० १८, गा० १४]

स्त्रियाँ, पुत्र, मित्र, और वान्धव सर्व जीनेवाले के साथ ही जीते हैं अर्थात् उसके उपार्जन किये हुए धन से अपना जीवन-निर्वाह करते हैं, किन्तु मरे हुए के साथ कोई भी नहीं जाता।

तं एकगं तुच्छसरीरगं से,

चिईगयं ढहिय उ पावगेणं ।

भज्जा य पुत्तो वि य नायओ वा,

दायारमन्नं अणुसंकमन्ति ॥१०॥

[उक्त० अ० १३, गा० २५]

जीव-रहित इस तुच्छ शरीर को चिता में रख कर अग्नि के द्वारा जलाया जाता है। फिर उसकी भार्या, पुत्र तथा ज्ञातिजन अन्य दातार के पीछे चल पड़ते हैं।

न तस्स दुक्खं विभयन्ति नाइओ,

न मित्तवग्गा न सुया न वन्धवा ।

एक्यो सयं पच्चणुहोइ दुक्खं,

कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥११॥

[उक्त० अ० १३, गा० २३]

उसके दुःख का ज्ञातिजन विभाग नहीं कर सकते तथा न मित्र-वर्ग, न पुत्र और न ही भ्राता आदि कुछ कर सकते हैं, किन्तु वह अकेला स्वयमेव उस दुःख का अनुभव करता है, क्योंकि कर्ता के पीछे ही कर्म जाता है।

नीहरन्ति मयं पुत्ता, पियरं परमदुक्खिया ।

पियरो वि तहा पुत्ते, वन्धू रायं तवं चरे ॥१२॥

[उक्त० अ० १८, गा० १५]

हे राजन् ! पुत्रो परम दुखी होकर मरे हुए पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, इसी प्रकार मरे हुए पुत्र को पिता तथा भाई को भाई निकाल देता है। अतः तू तप का आचरण कर।

अव्भागभियम्मि वा दुहे,

अहवा उक्कमिए भवन्तिए ।

एगस्स गई य आगई,

विदुमन्ता सरणं न मन्नेई ॥१३॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० ३, गा० १७]

दुःख आने से अकेला ही भोगना पड़ता है अथवा आयुष्य क्षीण होने से भवान्तर मे अकेला ही जाना-आना होता है । इसलिये विवेकी पुरुष स्वजन-सम्बन्धी वर्ग को शरण-रूप नहीं समझता है ।

चिच्चा दुपयं चउप्पयं च,

खेत्तं गिहं धणधन्नं च सत्त्वं ।

सकम्मवीओ अवसो पयाइ,

परं भवं सुंदरपावगं च ॥१४॥

[उच्च० अ० १३, गा० २४]

यह जीव द्विपद, चतुष्पद, क्षेत्र, घर, घन-धान्य और सर्व वस्तु को छोड़ कर तथा दूसरे कर्म को साथ लेकर परावीन अवस्था मे परलोक के प्रति प्रयाण करता है और वही कर्म के अनुसार अच्छी या बुरी गति को प्राप्त करता है ।

माया पिया ण्हुसा भाया,

भज्जा पुत्ता य ओरसा ।

नालं ते मम ताणाए,

लुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥१५॥

[उक्त० अ० ६, गा० ३]

अपने कर्मों के अनुसार दुःख भोगने के समय माता, पिता, स्तुषा (पुत्र-वधू), भार्या तथा अपने अग से उत्पन्न हुआ पुत्र—ये सब मेरी रक्षा करने मे समर्थ नहीं हो सकते । अर्थात् कर्मफल के भोग मे ये बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।

सव्वं जगं जइ तुहं, सव्वं वावि धणं भवे ।

सव्वं पि ते अपज्जत्तं, नेव ताणाय तं तव ॥१६॥

[उक्त० अ० १४, गा० ३६]

यदि यह सारा जगत् तेरा हो जाय, सारे घनादि पदार्थ भी तेरे पास हो जायँ, तो भी ये सर्व अपर्याप्त ही है । वे सर्व पदार्थ मरणादि कष्टों के समय तेरी किसी प्रकार की रक्षा करने मे समर्थ नहीं हैं ।

चिच्चा वित्तं च पुत्ते य, णाइओ य परिग्गहं ।

चिच्चा ण अंतगं सोयं, निरवेक्खो परिव्वए ॥१७॥

[सू० श्रु० १, अ० ६, गा० ७]

विवेकी पुरुष धन, पुत्र, ज्ञातिजन, परिग्रह और आन्तरिक विषाद को छोड़ निरपेक्ष बने तथा सयमादि अनुष्ठान करे ।

वन्धप्पमुक्खो अज्झत्थेव ॥ १८ ॥

[आ० अ० ५, उ० २]

“बन्धन सै मुक्त होना” यह कार्य अपनी आत्मा से ही होता है ।

एगब्भूओ अरण्णे वा, जहा उ चरई मिगो ।

एवं धम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण य ॥१९॥

[उक्त० अ० १९, गा० ७८]

(विरक्त मनुष्य को ऐसी भावना होनी चाहिये कि) जैसे मृग अरण्य में अकेला ही विचरता है, उसी प्रकार मैं भी चारित्ररूप वन में सयम और तप के साथ धर्म का पालन करता हुआ एव आत्मा को अकेली मानता हुआ विचरण करूँगा ।

तं मा णं तुब्भे देवाणुप्पिया,

माणुस्सएसु कामभोगेषु ।

सज्जह रज्जह गिज्झह,

मुज्झह अज्झोववज्जह ॥२०॥

[ज्ञा० अ० ८]

इसलिये हे देवानुप्रिय ! तू मानुषिक कामभोगों में आसक्त न बन, रागी न बन, गृद्ध न बन, मूर्च्छित न बन और अप्राप्त भोग प्राप्त करने की लालसा भी न कर ।

धारा : ३६ :

लेश्या

किण्हा नीला प काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य ।

सुकलेसा य छड्डा य, नामाईं तु जहकर्म ॥१॥

[उक्त० अ० ३४, गा० ३]

छओ लेश्याओ के नाम अनुक्रमसे इस प्रकार है—(१) कृष्णलेश्या, (२) नीललेश्या, (३) कापोतलेश्या, (४) तेजोलेश्या, (५) पद्मलेश्या और (६) शुक्ललेश्या ।

विवेचन—आत्मा का सहज रूप स्फटिक के समान निर्मल है । किन्तु कृष्ण आदि रगवाले पुद्गलो के सम्बन्ध से उस का जो परिणाम होता है, उसको लेश्या कही जाती है । ये लेश्याये कर्मों की स्थिति का कारण है [कर्मस्थितिहेतवो लेश्याः] । तेरहवें गुणस्थानक तक इन लेश्याओ का सद्भाव रहता है, और जिस समय यह आत्मा अयोगी बनती है, अर्थात् चौदवें गुणस्थान को प्राप्त करती है, उसी समय वह लेश्याओ से रहित हो जाती है ।

जीमूयनिद्धसंकासा, गवलरिड्ढगसन्निभा ।

खंजांजणनयणनिभा, किण्हलेसा उ वण्णओ ॥२॥

नीलासोगसंकासा, चासपिच्छसमप्यभा ।
 वैरुलियनिभसंकासा, नीललेसा उ वण्णओ ॥३॥
 अयसीपुप्फसंकासा, कोईलच्छदसन्निभा ।
 पारेवयगीवनिभा, काञ्जलेसा उ वण्णओ ॥४॥
 हिंगुलधाउसंकासा, तरुणाइच्चसन्निभा ।
 सुयतुंडपईवनिभा, तेओलेसा उ वण्णओ ॥५॥
 हरियालभेयसंकासा, हलिद्दाभेयसमप्यभा ।
 सणासणकुसुमनिभा, पम्हलेसा उ वण्णओ ॥६॥
 संखंककुंदसंकासा, खीरपूरसमप्यभा ।
 रययहारसंकासा, सुकलेसा उ वण्णओ ॥७॥

[उच्च० अ० ३४, गा० ४ से ९]

कृष्णलेख्या का वर्ण जलयुक्त मेघ, महिष का शृग, काक पक्षी, अरीठा, शकट की कीट, काजल और नेत्रतारा के समान कृष्ण होता है ।

नीललेख्या का वर्ण नील अगोक वृक्ष, चास पक्षी की पत्र और स्निग्ध वैडूर्यमणि के समान नील होता है ।

कापोतलेख्या का वर्ण अलमी के पुष्प, कोयल के पर और कबूतर की ग्रीवा (गर्दन) के समान कट्यई (किंचित् कृष्ण और किंचित् रक्त) होता है ।

तेजोलेण्या का वर्ण हिगुल घातु, तरुण सूर्य, तोते की चोच और दीपशिखा के रंग समान रक्त होता है ।

पद्मलेण्या का वर्ण हरिताल, हल्दी के टुकडे तथा सण और असन के पुष्प समान पीला होता है ।

शुक्ललेण्या का वर्ण गख, अकरल, मुचकुन्द पुष्प, दुग्धधारा तथा रजत के हार के समान उज्ज्वल-श्वेत होता है ।

जह कडुयतुंवगरसो, निंवरसो कडुयरोहिणिरसो वा ।

एत्तो वि अणंतगुणो, रसो य किण्हाए नायच्चो ॥८॥

जह तिगडुयस्स य रसो, तिक्खो जह हन्थिपिप्पलीए वा ।

एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उ नीलाए नायच्चो ॥९॥

जह तरुणअंवगरसो, तुवरकविट्ठस्म वावि जारिमओ ।

एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उ काऊए नायच्चो ॥१०॥

जह परिणयंवगरसो, पक्कविट्ठस्म वावि जारिमओ ।

एत्ता वि अणंतगुणो, रसो उ तेओए नायच्चो ॥११॥

वरवारुणीए च रसो, विविताण च आनमान जारिमओ ।

मडुरमेरगरस च रसो, एत्तो पक्खाए पण्णो ॥१२॥

खज्जुग्घुद्विगरसो, तीग्गसो न्वाण्णगरसो वा ।

एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उ सुग्गाए नायच्चो ॥१३॥

जितना कटु रस कौड़े तूवे, निम्ब और कटुरोहिणी का होता है, उससे भी अनन्तगुण अधिक कटु रस कृष्णलेश्या का होता है ।

नीललेश्या के रस को मध, मिर्च और सोंठ तथा गजपीपल के रस से भी अनन्तगुण तीक्ष्ण समझना चाहिये ।

कापोतलेश्या के रस को कच्चे आम के रस, तुवर और कैथ के रस से भी अनन्तगुण खट्टा समझना चाहिये ।

तेजोलेश्या के रस को पके हुए आम्रफल अथवा पके हुए कैथ के रस से भी अनन्तगुण खट्टा-मीठा समझना चाहिये ।

पद्मलेश्या के रस को प्रधान मदिरा, नाना प्रकार के आसव तथा मधु और मैरेयक नाम की मदिरा से भी अनन्तगुण मधुर समझना चाहिये ।

शुक्ललेश्या के रस को खजूर, दाख, दूध, खाँड और गक्रर के रस से भी अनन्तगुण मीठा समझना चाहिये ।

जह गोमडस्स गंधो, सुणगमडस्स व जहा अहिमडस्स ।

एत्तो वि अणंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्याणं ॥१४॥

जह सुरहिकुसुमगंधो, गंधवासाण पिस्समाणाणं ।

एत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥१५॥

[उक्त० अ० ३४, गा० १६-१७]

जैसी खराब गन्ध मृतक गौ, अथवा मरे हुए कुत्ते की, अथवा मरे हुए सर्प की होती है, उससे भी अनन्तगुण अधिक खराब गन्ध अप्रशस्त लेश्याओं की होती है ।

जैसी सुन्दर गन्ध केवडा आदि सुगन्धित पुष्पो की अथवा सुगन्ध-युक्त पिसे हुए चन्दनादि पदार्थों की होती है, उससे भी अनन्तगुण अधिक सुन्दर गन्ध तीनों प्रशस्त लेश्याओं की होती है ।

जह करगयस्स फासो, गोजिब्भाए य सागपत्ताणं ।

एत्तो वि अणंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥१६॥

जह वूरस्स न फासो, नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं ।

एत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥१७॥

[उक्त० अ० ३४, गा० १८-१९]

जैसा कर्कश स्पर्श आरा, गाय की जीभ और सागौन के पत्तों का होता है, उनसे अनन्त गुण अधिक कर्कश स्पर्श अप्रशस्त लेश्याओं का होता है ।

जैसा कोमल स्पर्श वूर (वनस्पतिविशेष), मक्खन और सिरस के पुष्पो का होता है, उनसे अनन्त गुण अधिक कोमल स्पर्श तीनों प्रशस्त लेश्याओं का होता है ।

पंचासवप्पवत्तो, तीहिं अगुत्तो छसुं अविरयो य ।

तिच्चारंभपरिणओ, खुदो माहसिओ नरो ॥१८॥

निद्धंसपरिणामो, निस्संसो अजिइंदियो ।

एयजोगसमाउत्तो, किण्हलेसं तु परिणमे ॥१९॥

[उक्त० अ० ३४, गा० २१-२२]

पाँचों आस्रवों में प्रवृत्त, तीनों गुप्तिओं से अगुप्त, षड्काय की हिंसा में आसक्त, उत्कट भावों से हिंसा करनेवाला, क्षुद्रबुद्धि, विना

विचारे काम करनेवाला, निर्दयी, पाप कृत्यों में शंकारहित, अजितेन्द्रिय और इन क्रियाओं से युक्त जो पुरुष है वह कृष्णलेख्या के भावों से परिणत होता है, अर्थात् वह कृष्णलेख्यावाला होता है ।

इस्सा अमरिस अतवो, अविज्जमाया अहीरिया ।

गेही पओसे य सढे, रसलोलुए सायगवेसए ॥२०॥

आरंभाओ अविरओ, खुदो साहसिओ नरो ।

एयजोगसमाउत्तो, नीललेसं तु परिणमे ॥२१॥

[उक्त० अ० ३४, गा० २३-२४]

नीललेख्या के परिणामवाला पुरुष ईर्षालु, कदाग्रही, अतपस्वी, अज्ञानी, मायावी, निर्लज्ज, विषय-लम्पट, द्वेषी, रसलोलुपी, गठ (धूर्त), प्रमादी, स्वार्थी, आरम्भी, क्षुद्र और साहसी होता है ।

वक्रे वक्रसमायारे, नियडिल्ले अणुज्जुए ।

पलिउंचगओवहिए, मिच्छदिड्डी अणारिए ॥२२॥

उप्फालगदुड्डीवाई य, तेणे यावि य मच्छरी ।

एयजोगसमाउत्तो, काउलेसं तु परिणमे ॥२३॥

[उक्त० अ० ३४, गा० २५-२६]

जो पुरुष वक्र बोलता है, वक्र आचरण करता है, छल करनेवाला है, निजी दोषों को छिपाता है, सरलता से रहित है, मिथ्यादृष्टि तथा अनार्य है, इसी प्रकार दूसरों के मर्मों का भेदन करनेवाला, दुष्ट बोलनेवाला, चोरी और अमूया करनेवाला है ; वह कापोतलेख्या में युक्त होता है ।

नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुडहले ।
 विणीयविणए दंते, जोगवं उवहाणवं ॥२४॥
 पियधम्मे दढधम्मेऽवज्जभीरू हिएसए ।
 एयजोगसमाउत्तो, तेओलेसं तु परिणमे ॥२५॥

[उक्त० अ० ३४, गा० २७-२८]

नम्रता का वर्ताव करनेवाला, चपलता से रहित, अमायी, अकुतू-
 हली, परम् विनयवान्, इन्द्रियो का दमन करनेवाला, स्वाध्याय मे
 रत और उपधान आदि करनेवाला, धर्म मे प्रेम और दृढता रखनेवाला,
 पापभीरु और सबो का हित चाहनेवाला पुरुष तेजोलेश्या के
 परिणामो से युक्त होता है ।

पयणुकोहमाणे य, मायालोभे य पयणुए ।
 पसंतचित्ते दंतप्पा, जोगवं उवहाणवं ॥२६॥
 तहा पयणुवाई य, उवसंते जिइंदिए ।
 एयजोगसमाउत्तो, पम्हलेसं तु परिणमे ॥२७॥

[उक्त० अ० ३४, गा० २६-३०]

जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ बहुत अल्प है, तथा जो
 प्रशान्त चित्त और मन का निग्रह करनेवाला है, जो योग मे रत
 और उपधान आदि करनेवाला है, जो अतिअल्पभाषी, उपशान्त और
 जितेन्द्रिय है, इन लक्षणो से युक्त ब्रह्म पुरुष पद्मलेश्यावाला
 होता है ।

अट्टरुदाणि वज्जिता, धम्मसुक्काणि झायए ।
 पसंतचित्त दंतप्पा, समिए गुत्ते य गुत्ति सु ॥२८॥
 मरागो वीयरागो वा, उवसंते जिइंदिए ।
 एयजोगसमाउत्तो, सुक्कलेसं तु परिणमे ॥२९॥

[उक्त० अ० ३४, गा० ३१-३२]

आर्त और रुद्र इन दो ध्यानो को त्याग कर जो पुरुष धर्म और शुक्ल इन दो ध्यानों का आसेवन करता है तथा प्रगान्तचित्त-दमितेन्द्रिय, पाँच समितियों से समित, तीन गुप्तियों से गुप्त एवं अल्यरागवान् अथवा वीतरागी, उपगमनिमग्न और जितेन्द्रिय है वह शुक्ललेश्या से युक्त होता है ।

किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
 एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गइं उववज्जई ॥३०॥

[उक्त० अ० ३४, गा० ५६]

कृष्ण, नील और कापोत ये तीनों अवर्मलेश्या हैं । इन लेश्याओं से यह जीव दुर्गति मे उत्पन्न होता है ।

तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ ।
 एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गइं उववज्जई ॥३१॥

[उक्त० अ० ३४, गा० ५७]

तेज, पद्म और शुक्ल, ये तीनों धर्मलेश्या हैं । इन लेश्याओं से यह जीव सद्गति मे उत्पन्न होता है ।

लेसाहिं सच्चाहिं, पढमे समयम्भि परिणयाहिं तु ।

न हु कस्सइ उववत्ति, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥३२॥

लेसाहिं सच्चाहिं, चरम समयम्भि परिणयाहिं तु ।

न हु कस्सइ उववत्ति, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥३३॥

अंतमुहुत्तंमि गए, अंतमुहुत्तंमि सेसए चेव ।

लेसाहिं परिणयाहिं, जीवा गच्छन्ति परलोयं ॥३४॥

[उक्त० अ० ३४, गा० ५८ से० ६०]

सर्व लेश्याओ की प्रथम समय मे परिणति होने से किसी भी जीव की परलोक मे उत्पत्ति नही होती, अर्थात् यदि लेश्या को आये हुए एक समय हुआ हो तो उस समय जीव परलोक की यात्रा नही करता ।

सर्व लेश्याओ की परिणति मे अन्तिम समय पर किसी भी जीव की उत्पत्ति नही होती ।

अन्तर्मुहूर्त के बीत जाने पर और अन्तर्मुहूर्त के शेष रहने पर लेश्याओ के परिणत होने से, जीव परलोक मे गमन करते है ।

तम्हा एयासि लेसाणं, अणुभावे वियाणिया ।

अप्पसत्थाओ वज्जित्ता, पसत्थाओऽहिट्ठिए मुणि ॥३५॥

[उक्त० अ० ३४, गा० ६१]

इसलिए इन लेश्याओ के अनुभाव (रसविशेष) को जानकर साधु अप्रशस्त लेश्याओ को छोड़कर प्रशस्त लेश्याओ को स्वीकार करे ।

धारा : ३७ :

मृत्यु

माणुस्सं च अणिच्चं, वाहिजरामरणवेयणापउरं ॥१॥

[औप० सू० ३४]

मनुष्य देह अनित्य (क्षणभंगुर) है तथा व्याधि, जरा, मरण और वेदना से पूर्ण है ।

उहरा बुद्धा य पासह,

गन्मत्था वि चयन्ति माणवा ।

सेणं जह वट्टयं हरे,

एवं आउखयम्मि तुट्ठई ॥२॥

[सू० थु० १, अ० २, उ० १, गा० २]

देखो—जगत् की ओर दृष्टिपात करो । बालक और वृद्ध सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं । कई मनुष्य के तो गर्भावस्था में ही अवसान हो जाता है । जैसे बाज पक्षी तिनर पर भपटा लगा के उनका महार करता है, ठीक वैसे ही आयुष्य का क्षय होने पर मृत्यु मनुष्य पर चोट लगाता है और उनका प्राण हरता है ।

जहेह सीहो य मिगं गहाय,

मच्चू नरं नेइ हु अन्तकाले ।

न तस्स माया व पिता य भाया,

कालम्मि तम्मं सहरा भवन्ति ॥३॥

[उक्त० अ० १३, गा० २२]

जैसे इस लोक में सिंह मृग को पकड़ कर ले जाता है, उसी प्रकार मृत्यु अन्त समय में मनुष्य को पकड़ कर परलोक में ले जाती है। उस समय उसके माता, पिता, भ्राता आदि कोई भी सहायक नहीं हो सकते।

इह जीविण्णं राय असासयम्मि,

धणियं तु पुण्णाइं अकुच्चमाणो ।

से सोयई मच्चुमुहोवणीए,

धम्मं अकाऊण परंमि लोए ॥४॥

[उ० अ० १३, गा० २१]

हे राजन् ! इस अशाश्वत जीवन में पुण्य को न करनेवाला जीव मृत्यु के मुख में पहुँचकर सोच करता है और धर्म को न करनेवाला जीव परलोक में जा कर सोच करता है।

जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं, जस्स वऽत्थि पलायणं ।

जो जाणे न भरिस्सामि, सोहु कंखे सुए सिया ॥५॥

[उक्त० अ० १४, गा० २७]

जिसकी मृत्यु से मित्रता है, जो मृत्यु से भाग सकता है तथा जिसको यह ज्ञान है कि मैं नहीं मरूंगा, वही कल (आगामी दिवस) की आशा कर सकता है ।

अङ्गवसाणनिमित्ते, आहारे वेयणापराधाते ।

फसि आणापाण्णू, सच्चिहं झिझए आउं ॥६॥

[स्था० स्या० ७]

सात कारणों से जीव की अकाल मृत्यु होती है—(१) हार्दिक भावना को आघात पहुँचने से, (२) शस्त्रादि का प्रहार होने से, (३) ज्यादा आहार करने से, (४) वेदना बढ जाने से, (५) गड्ढा आदि में गिर पड़ने से, (६) कोई कठिन वस्तु की सख्त चोट लगने से और (७) श्वासोच्छ्वास का रुधन होने से ।

मत्थग्गहणं विसभक्खणं च,

जलणं च जलपवेसां य ।

अणाचारभंडसेवी,

जम्मणमरणाणि वंथंति ॥७॥

[उच्च० ल० ३६, गा० २६७]

शस्त्रग्रहण, विष-भक्षण, अग्नि में भ्रंसापात, और जल में प्रवेश तथा आचार-भ्रष्टता आदि के द्वारा जो जीव मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वे जन्म-मरण की वृद्धि करते हैं ।

जहा मागडिओ जाणं, समं हिच्चा महापहं ।

विम्मं मग्गमोइण्णो, अक्खे भग्गम्मि मोयई ॥८॥

एवं धम्मं विउक्कम्म, अहम्मं पडिवज्जिया ।

वाले मच्चुमुहं पत्ते, अक्खे भग्गे व सौयई ॥६॥

[उक्त० अ० ५, गा० १४-१५]

जैसे कोई एक गाडीवान् राजमार्ग को भली प्रकार से जानता हुआ भी उसको छोड़कर विषम मार्ग की ओर चल पडा, परन्तु उस विषम मार्ग से जाने पर उसके गड्ढे की धुरी टूट गई। उसके टूट जाने पर वह शोक करने लगा। इसी प्रकार धर्म को छोड़ और अधर्म को ग्रहण करके, मृत्यु के मुख में पहुँचा हुआ अज्ञानी जीव धुरी के टूट जाने पर गाडीवान् की तरह शोक-सन्ताप को प्राप्त होता है।

सन्तिमे य दुवे ठाणा, अक्खाया मारणन्तिया ।

अकाममरणं चेव, सकाममरणं तथा ॥१०॥

चालाणं अकामं तु, मरणं असइं भवे ।

पण्डियाणं सकामं तु, उक्कोसेण सइं भवे ॥११॥

[उक्त० अ० ५, गा० २-३]

मरणान्त के ये दो स्थान (जिन महर्षियों द्वारा) कहा गया है—एक अकाममरण और दूसरा सकाममरण ।

अज्ञानियों का अकाममरण अनेक बार होता है, किन्तु पंडितों का सकाममरण तो उत्कर्ष से एक ही बार होता है ।

तओ से मरणन्तम्मि, वाले संतस्सई भया ।

अकाममरणं मरई, धुत्तेव कलिणा जिए ॥१२॥

[उक्त० अ० ५, गा० १६]

उसके अनन्तर वह अवोध प्राणी मृत्यु के आ जाने पर भय से बहुत त्रास पाता है और एक ही दाव में हार जानेवाले जुआरी की तरह गोक-सन्ताप को प्राप्त होता हुआ अकाममरण से मरता है ।

न इमं सन्वेसु भिक्खुसु, न इमं सन्वेसु गारिसु ।

नाणासीला अगारत्था, विसमसीला य भिक्खुणो ॥१३॥

[उक्त० अ० ५, गा० १६]

यह पडितमरण सभी भिक्षुओं को प्राप्त नहीं होता और न सब गृहस्थों को, क्योंकि गृहस्थ नाना प्रकार के नियमवाले होते हैं और भिक्षु विषम आचारवाले होते हैं । तात्पर्य यह है कि पडितमरण की प्राप्ति सब को नहीं हो सकती, किसी-किसी को ही हो सकती है ।

न संतसंति मरणंते, सीलवन्ता बहुस्सुया ॥१४॥

[उक्त० अ० ५, गा० २६]

शील-संपन्न बहुश्रुत पुरुष मरण के समय त्रास नहीं पाते ।

तुलिया विसेसमाढाय, दयाधम्मम्म खन्तिए ।

विप्पमीएज्ज मेहावी, तहाभूएण अप्पणा ॥१५॥

[उक्त० अ० ५, गा० ३०]

दुद्धिमान् पुण्य अकाम और सकाम—इन दोनों मृत्युओं को तोल कर इन दो में से विशेष को अर्थात् सकाममरण को ग्रहण करे और क्षमा के द्वाग दयावर्म को बढ़ाकर ऐसी उन्नत आत्मा ने आत्मा को प्रमन्न करे ।

कंदप्पमाभिओगं च, किञ्चिसियं मोहमासुरत्तं च ।
 एयाउ दुग्गईओ, मरणम्मिं विराहिया होंति ॥१६॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २५६]

कन्दर्प-भावना, अभियोग-भावना, किल्बिष-भावना, मोह-भावना और आसुरत्व-भावना—ये भावनाएं दुर्गति की हेतुभूत होने से दुर्गति रूप ही कही जाती हैं । वे मरण के समय विराघक होती हैं ।

कंदप्पकुक्कुयाइं तह, सीलसहावहासविगहाहिं ।
 विम्हावेतो य परं, कंदप्पं भावणं कुणइ ॥१७॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २६३]

जो कन्दर्प, कौत्कुच्य, शील, स्वभाव, हास्य और विकथाओ से अन्य आत्माओं में विस्मय उत्पन्न करता है, वह कन्दर्प-भावना का आचरण करता है ।

विवेचन—कन्दर्प अर्थात् व्यंग से बोलना । कौत्कुच्य अर्थात् दूसरों को हंसाने के लिये श्रू, नयन और मुख की चेष्टा करना । शील अर्थात् निरर्थक चेष्टा । स्वभाव अर्थात् विस्मयोत्पादक चेष्टा । हास्य अर्थात् अट्टहास्य । विकथा अर्थात् स्त्री-कथा, भक्त-कथा, देश-कथा और राज-कथा ।

मंता जोगं काउं, भूईकम्मं च जे पंडजंति ।

साय-रस-इड्डि-हेउं, अभिजोगं भावणं कुणइ ॥१८॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २६४]

जो शाता, रस और ऋद्धि के लिए मंत्र और अभिमंत्रित भस्म का प्रयोग करता है, वह अभियोग-भावना -का आचरण करता है ।

नाणस्स केवलीणं, धम्मायरियस्स संघसाहूणं ।

माई अवण्णवाई, किच्चिसियं भावणं कुणइ ॥१६॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २६५]

सर्व प्रकार के ज्ञान, केवलज्ञानी, धर्माचार्य, संघ और साधुओं की निन्दा करनेवाला मायावी जीव किल्बिष-भावना का आचरण करता है ।

विवेचन—गल्ल-ग्रहण, विष-भक्षण आदि से मरने का विचार करनेवाला मोह-भावना का आचरण करता है ।

अणुवद्धरोसपसरो, तह य निमित्तम्मि होइ पडिसेवी ।

एएहिं कारणेहिं, आसुरीयं भावणं कुणइ ॥२०॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २६६]

निरन्तर रोष का विस्तार करनेवाला और त्रिकाल निमित्त का सेवन करनेवाला जीव, इन कारणों से आसुरत्व-भावना को उत्पन्न करता है ।

वालमरणाणि बहुसो, अकाममरणाणि चेव बहुयाणि ।

मरिहंति ते वराया, जिणवयणं जे न जाणंति ॥२१॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २६१]

जो जीव जिन-वचन को नहीं जानते, वे त्रिवारे अनेक बार वालमरण और अकाममरण को प्राप्त होते हैं ।

धारा : ३८ :

परभव

तेणावि जं कयं कम्मं, सुहं वा जइ वा दुहं ।
कम्मणा तेण संजुत्तो, गच्छइ उ परं भवं ॥१॥

[उक्त० अ० १८, गा० १७]

उसने—जीव ने शुभ अथवा अशुभ जो भी कर्म किया है, उस कर्म से संयुक्त हुआ वह परलोक को चला जाता है ।

अद्धाणं जो महंतं तु, अपाहेजो पवज्जई ।
गच्छंतो सो दुही होइ, छुहातण्हाइपीडिओ ॥२॥

एवं धम्मं अकाळणं, जो गच्छइ परं भवं ।
गच्छन्तो सो दुही होइ, वाहिरोगेहिं पीडिओ ॥३॥

अद्धाणं जो महंतं तु, सपाहेजो पवज्जई ।
गच्छन्तो सो सुही होइ, छुहातण्हाविवज्जिओ ॥४॥

एवं धम्मं पि काळणं, जो गच्छइ परं भवं ।
गच्छन्तो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवेयणे ॥५॥

[उक्त० अ० १६, गा० १६ से २२]

जो कोई पुरुष पाथेय-रहित किसी महान् मार्ग का अनुसरण करता है, वह मार्ग में चलता हुआ क्षुधा और तृष्णा से पीड़ित हो कर दुःखी होता है ।

इसी प्रकार धर्म का आचरण किये बिना जो जीव परलोक में जाता है, वह जाता हुआ (वहाँ जा कर) व्याधि और रोगादि से पीड़ित होने पर दुःखी होता है । (यहाँ व्याधि से मानसिक कष्ट और रोग से शारीरिक पीड़ा का ग्रहण करना ।)

जो कोई पुरुष पाथेययुक्त हो कर किसी महान् मार्ग का अनुसरण करता है, वह मार्ग में क्षुधा और तृष्णा की बाधा से रहित होता हुआ सुखी होता है ।

इसी प्रकार जो जीव धर्म का संचय कर के परलोक को जाता है, वह वहाँ जा कर सुखी होता है और असातावेदनीय कर्म अल्प होने से विशेष वेदना को भी प्राप्त नहीं होता ।

इह जीवियं अणियमेत्ता, पन्मट्ठा समाहिजोएहिं ।

ते कामभोगरसगिद्धा, उववज्जन्ति आमुरे काये ॥६॥

[उक्त० अ० ८, गा० १४]

जिन जीवों ने (साधु-वृत्ति को ग्रहण कर के भी) अपने अमयमी जीवन को (वारह प्रकार के तप द्वारा) ब्रह्म में नहीं किया, वे काम-भोगों के रस में मूर्च्छित होते हुए समाधियोगों से सर्वथा भ्रष्ट होकर अमुर-कुमारों में उत्पन्न होते हैं ।

जे केइ वाला इह जीवियट्ठी,

पावाइं कम्माइं करेन्ति रुदा ।

ते घोररूवे तमिसंधयारे,

तिव्वाभितावे नरए पडंति ॥७॥

[सू० श्रु० १, अ० ५, उ० १, गा० ३]

जो अज्ञानी मनुष्य अपने जीवन-निर्वाह के लिए क्रूर होते हुए पापकर्म करते हैं, वे तीव्र दुःख से भरे हुए घोर अन्धकारमय नरक में गिरते हैं।

मा पच्छ असाधुता भवे,

अच्चेही अणुसास अप्पगं ।

अहियं च असाहु सोयई,

से थणई परिदेवई वहुं ॥८॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० ३, गा० ७]

परलोक में दुर्गति की प्राप्ति न हो, इस विचार से विषय-सग को दूर करो और आत्मा का अनुशासन करो। दुष्ट कर्मों से दुर्गति में गया हुआ जीव शोक करता है, आक्रुद करता है और बहुत विलाप भी करता है।

जहाऽऽएसं समुदिस, कोइ पोसेज्ज एलयं ।

ओयणं जवसं देज्जा, पोसेज्जावि सयंगणे ॥९॥

तओ से पुट्टे परिवूढे, जायमेए महोदरे ।

पीणिए विउले देहे, आएसं परिवंरुए ॥१०॥

जाव न एइ आएसे, ताव जीवइ से दुही ।

अह पत्तम्मि आएसे, सीसं छेत्तूण भुज्जई ॥११॥

जहा से खलु ओरब्भे, आएसाए समीहिए ।

एवं वाले अहम्मिद्धं, ईहई नरयाउयं ॥१२॥

[उक्त० अ० ७, गा० १ से ४]

जैसे कोई पुरुष किसी अतिथि आदि के निमित्त अपने घर में बकरा को पालता है और उसको जो आदि अच्छे पदार्थ खाने को देता है। बाद में जब वह बकरा पुष्ट सामर्थ्यवान्, चर्बीवाला, बड़ा पेटवाला और स्थूल देहवाला हो जाता है तब पालक अतिथि की प्रतीक्षा करता है।

जब तक घर में अतिथि नहीं आता तब तक वह बकरा जीता है, किन्तु अतिथि के आने पर वह दुःखी सिर छेदन करके खाया जाता है।

जिस तरह वह बकरा अतिथि के लिए कल्पित है, उसी तरह अज्ञानी अविर्मिष्ठ जीव नरकायुष के लिए कल्पित है। तात्पर्य यह कि ऐसा जीव अवश्य नरक में जाता है।

हिंसे वाले मुसावाई, अद्धाणंभि विलोवए ।

अन्नदत्तहरे तेणे, माई कं नु हरे सढे ॥१३॥

इत्थीविसयगिद्धे य, महारम्भपरिग्गहे ।

भुंजमाणे सुरं मंसं, परिवूढे परंदमे ॥१४॥

अयककरभोई य, तुंदिल्ले चियलोहिए ।

आउयं नरकं कंखे, जहाऽऽएसं व एलए ॥१५॥

[उक्त० अ० ७, गा० ५ से ७]

जो अज्ञानी हिंसा करनेवाला, भ्रूठ बोलनेवाला, मार्ग में लूटने-वाला, विना दिये किसी की वस्तु उठानेवाला, चोरी करनेवाला, छल-कपट करनेवाला, और 'किसकी चोरी करूँ' ऐसा दुष्ट विचार करनेवाला, फिर स्त्री और विषयो में आसक्त, महान् आरम्भ और परिग्रह करने वाला, मदिरा तथा मास का सेवन करनेवाला, बलवान होकर दूसरों को दवानेवाला तथा भुजे हुए चने की तरह बकरे का मास खानेवाला, बड़ा पेटवाला और पुष्ट शरीरवाला है, वह नरकायु की आकाक्षा करता है, जिस तरह पोषा हुआ बकरा अतिथि की । तात्पर्य यह की उसकी दुर्गति निश्चित है ।

असणं सयणं जाणं, वित्तं कामे य भुंजिया ।

दुस्साहडं धणं हिच्चा, बहुं संचिणिया रयं ॥१६॥

तओ कम्मगुरू जंतु, पच्चुप्पन्नपरायणे ।

अय व्व आगयाएसे, मरणंतम्भि सोयई ॥१७॥

[उक्त० अ० ७, गा० ८-९]

जिसने विविध प्रकार के आसन, शय्या और वाहन का उपभोग किया है एवं संपत्ति और शब्दादि विषयो को अच्छी तरह भोग लिया है, वह बहुत कर्म-रज का सचय करके और अति कष्ट से एकत्रित किया हुआ धन इधर छोड़ के मरण के समय ऐसा शोक-

सताप करता है, जैसा कि अतिथि के लिए पोषा हुआ वकरा मरने के समय में ।

तओ आउपरिक्खीणे, चुयादेहा विहिंसगा ।

आसुरियं दिसं वाला, गच्छन्ति अवसा तमं ॥१८॥

[उक्त० अ० ७, गा० १०]

अनन्तर वे हिंसादि में प्रवृत्ति रखनेवाले अज्ञानी जीव आयु के क्षय होने से शरीर को छोड़ कर कर्मों के अधीन होते हुए अन्वकार-युक्त नरक दिगा-नरक गति को प्राप्त होते हैं ।

जहा कागिणिए हेउं, सहस्सं हारए नरो ।

अपत्थं अभ्रगं भोच्चा, राया रज्जं तु हारए ॥१९॥

एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अन्तिए ।

सहस्सगुणिया भुज्जो, आउं कामा य दिव्विया ॥२०॥

अणेगवासानउया, जा सा पण्णवओ ठिई ।

जाणि जीयन्ति दुम्मेहा, ऊणे वाससयाउए ॥२१॥

[उक्त० अ० ७, गा० ११ से १३]

जैसे एक काकिणी* के लिए कोई अज्ञानी मनुष्य हजार (कार्पापण ÷) को खो देता है और कुपय्यरूप आम्र के फल को खाकर राजा राज्य (प्राण) खो हो देता है उसी प्रकार अज्ञानी जीव थोड़े से विषयजन्य सुखों के निमित्त देवलोक के महान् सुख को खो देता है ।

* काकिणी = १ कार्पापण । ÷ भारत का एक पुराना सिक्का ।

ऐसे मनुष्यो को समझना चाहिये कि मानुषिक काम-भोग देवों के काम-भोगो के सामने सहस्रगुण अधिक करने पर भी न्यून हैं तथा देवो की आयु और उनके काम-भोग दिव्य है ।

प्रज्ञावान् अर्थात् ज्ञान-क्रिया आराधक आत्मा मृत्यु के बाद देव-लोक मे जाता है और वहाँ उनकी स्थिति अनेक नयुत वर्षों तक अर्थात् अमुक पल्योघम वा सागरोपम तक होती है । उसको मूर्ख मनुष्य कुछ कम सौ वर्ष की आयु मे विषयभोगो के वशीभूत होकर हार देते हैं ।

विवेचन—काकिणी और आम्रफल के दृष्टान्त उत्तराध्ययन सूत्र की बृहद्बृत्ति से देखना चाहिये ।

जहा य तिन्नि वणिया, मूल धेत्तूण निग्गया ।

एगोऽत्थ लहई लाभं, एगो मूलेण आगओ ॥२२॥

एगो मूलं वि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिओ ।

ववहारे उवमा एसा, एवं धम्मे वियाणह ॥२३॥

[उक्त० भ० ७, गा० १४-१५]

किसी समय मे तीन व्यापारी अपनी-अपनी मूल पूंजी को लेकर व्यापार के निमित्त विदेश मे गए । उन तीनों मे से एक को तो व्यापार मे लाभ हुआ, दूसरा अपनी मूल पूंजी को कायम रखता हुआ घर को आ गया और तीसरा मूलधन को भी खो करके घर आ गया । यह जैसे व्यावहारिक उपमा है, उसी प्रकार धर्म के विषय मे भी समझना ।

वेमायाहिं सिक्खाहिं, जे नरा गिहिसुव्वया ।

उवेन्ति माणुसं जोणिं, कम्मसच्चा हु पाणिणो ॥२८॥

[उक्त० अ० ७, गा० २०]

जो मनुष्य विविध प्रकार की शिक्षा द्वारा गृहस्थ-जीवन मे भी सुव्रती है, वे मनुष्य-योनि को प्राप्त होते है । निश्चय ही कर्म सत्य है अर्थात् जैसे वे किये जाते है, वैसे ही फल देते हैं ।

जेसिं तु विउला सिक्खा, मूलं ते अइच्छिया ।

सीलवन्ता सविसेसा, अदीणा जन्ति देवयं ॥२९॥

[उक्त० अ० ७, गा० २१]

जिन जीवो की शिक्षाएं अधिक विस्तृत हो गई हैं और जो सदा-चारी, विशेष गुणों से युक्त और दीनता से रहित हैं, वे मूल धन का अतिक्रमण करते हुए देवलोक मे चले जाते हैं ।

अगारि सामाइयंग्गाइं, सड्डी काएण फासए ।

पोसहं दुहओ पक्खं, एगरायं न हावए ॥३०॥

एवं सिक्खा समावन्ने, गिहिवासे वि सुव्वए ।

मुच्चई छविपव्वाओ, गच्छे जक्खसलोगयं ॥३१॥

[उक्त० अ० ५, गा० २३-२४]

श्रद्धावान् गृहस्थ काया से सामायिक के अगो का सेवन करे, दोनों पक्षो मे पौषध करे, परन्तु एक रात्रि तो कमी भी हीन न करे, अर्थात् एक मास मे एक रात्रि भर तो संवररूप से धर्मजागरण अवश्य करे ।

इन प्रकार शिक्षायुक्त सुव्रती जीव गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी इस औदारिक गरीर को छोड़कर यक्षलोक अर्थात् देवलोक में चला जाता है ।

गारं पि अ आवसे नरे,

अणुपुञ्जं पाणेहि संजए ।

समता सव्वत्थ सुव्वते,

देवाणं गच्छे स लोगयं ॥३२॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० ३, गा० १३]

गृहस्थ भी घर में बसता हुआ अपनी गति के अनुसार प्राणियों की दया पाले, सर्वत्र समता धारण करे, नित्य अहंत्-प्रवचन को सुने तो वह मृत्यु बाद देवलोक में उत्पन्न होता है ।

कुसग्गमेत्ता इमे कामा, सन्निरुद्धम्मि आउए ।

कस्स हेउं पुराकाउं, जोगक्खेमं न संविदे ॥३३॥

[उत्त० अ० ७, गा० २४]

ये काम-भोग कुण के अग्र भाग पर रहे हुए जलविन्दु के समान हैं और आयु अत्यन्त सक्षिप्त है । तो फिर किस हेतु को आगे रखकर तुम योगक्षेम को नहीं जानते ?

विवेचन—अप्राप्त की प्राप्ति को योग और प्राप्त हुए का पालन करना क्षेम कहलाता है । इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की समृद्धि और आयु बहुत ही स्वल्प है । इस स्वल्प समृद्धि और आयु में उसे जो धर्म की प्राप्ति हुई है तथा उस धर्म से जो स्वर्ग

और मोक्षसुख की आशा है उस धर्म की ओर अवश्य दृष्टि रखनी चाहिये ।

पच्छा वि ते पयाया,

खिप्पं गच्छन्ति अमरभवणांइं ।

जंसिं पियो तवो संजमो,

य खंती य बंभचेरं च ॥३४॥

[दश० अ० ४, गा० २८]

जिन पुरुषों को तप, सयम, क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रिय है : पिछली अवस्था में भी दीक्षित हो जाने पर (तथा सयम-मार्ग में न्यायपूर्वक चलने से) शीघ्र ही देवलोक में चले जाते हैं ।

अह जे संबुडे भिक्खू, दोण्हं अन्नयरे सिया ।

सन्वदुक्खपहीणे वा, देवे वावि महिड्डिए ॥३५॥

[उक्त० अ० ५, गा० २५]

जो संवरयुक्त भिक्षु है, वह दो में से एक गति को अवश्य प्राप्त हो जाता है । वह सर्व दुःख से रहित सिद्ध होता है, अन्यथा महा-ऋद्धि वाला देव बनता है ।

इड्डी जुई जसो वण्णो, आउं सुहमणुत्तरं ।

भुञ्जो जत्थ मणुस्सेसु, तत्थ से उववज्जई ॥३६॥

[उक्त० अ० ७, गा० २७]

देवलोक का आयुष्य पूर्ण कर वह पुण्यात्मा जीव मानव-कुल में

उत्पन्न होता है कि जहाँ पर ऋद्धि, द्युति, यश, वर्ण, आयु और अनुत्तर सुख होते हैं ।

अकुञ्चओ णवं णत्थि, कम्मं नाम विजाणइ ।

विन्नाय से महावीरे, जेण जाई ण मिञ्जइ ॥३७॥

[सू० श्रु० १, अ० १५, गा० ७]

जो आत्मगुप्त होकर सावद्य प्रवृत्ति नहीं करता है, उसको नया कर्मबन्धन नहीं होता है । फिर वह कर्मनिर्जरा का स्वरूप अच्छी तरह जानता है और जान के ऐसा पराक्रम करता है कि वह महावीर पुरुष को यह ससार में न तो पुनः जन्म धारण करना पड़ता है और न तो पुनः मरना पड़ता है ।

धारा : ३६ :

नरक की वेदना

नेरयइत्ताए कम्मं पकरेत्ता नेरइएसु उववज्जन्ति, तं
जहा-महारम्मयाए महापरिग्गहयाए, पंचिंदियवहेण,
कुणिमाहारेणं ॥ १ ॥

[औप० सू० ३४]

नारक योग्य कर्म कर के जीव नरक में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि—महान् हिंसा करने से, महान् परिग्रह धारण करने से, पचेन्द्रिय जीवों के वध करने से और मांस भक्षण करने से।

विवेचन—नरक का स्थान मध्यलोक के नीचे माना गया है। वह सात प्रकार का है—पहला, दूसरा यावत् सातवाँ। जिसकी उत्पत्ति नरक में होती है, उसको नारक कहते हैं।

जारिसा माणुसे लोए, ताया ! दीसन्ति वेयणा ।

एत्तो अणंतगुणिया, नरएसु दुक्खवेयणा ॥२॥

[उक्त० अ० ११, गा० ७४]

(मृगापुत्र कहता है) हे पिता ! जिस प्रकार की वेदनाएँ मनुष्य-लोक में देखी जाती हैं, उनसे अनन्तगुणी अधिक दुःख-वेदनाएँ नरकों में अनुभव करने में आती हैं।

अच्छिनिमीलियमेत्तं, नत्थि सुहं दुक्खमेव पडिबद्धं ।
नरए नेरइयाणं, अहोनिंसं पच्चमाणाणं ॥३॥

[जीवा० प्रति० ३, उ० ३, सू० ६५]

(यमदूत जैसे परमाचामीयों के द्वारा) रात-दिन सताये जाते नारकीय जीवों को नरक में, और बन्ध कर खोलते जितना समय लगता है, उतने समय भी सुख नहीं मिलता । वे निरन्तर दुःखों से पीड़ित होते हैं ।

अतिसीतं अतिउष्णं,
अतितण्हा अतिक्खुहा अतिभयं वा ।
निरए नेरइयाणं.

दुक्खसयाइं अविम्मामं ॥ ४ ॥

[जीवा० प्रति० ३, उ० ३, सू० ६५]

नारकीय जीवों को नरक में अत्यन्त ठंड, अत्यन्त गरमी, अत्यन्त प्यास और अत्यन्त भूख ऐसे कई प्रकार के दुःख एक के बाद एक भोगना पड़ता है ।

जहा इहं अगणी उष्णो, इत्ताण्णंतगुणो तहिं ॥५॥

[उक्त० अ० ५६, गा० ४८]

जैसे हम लोक में अग्नि का उष्ण स्पर्श अनुभव किया जाता है, इसमें अनन्तगुणी अग्नि का उष्णता का अनुभव वहाँ (नरक में) किया जाता है ।

जहा इहं इमं सीयं, इत्ताऽणंतगुणे तर्हि ॥६॥

[उक्त० अ० १६, गा० ४६]

जैसे इस लोक मे यह शीत प्रत्यक्ष पड रहा है, इससे अनन्तगुणा अधिक शीत वहाँ पर (नरक मे) पडता है ।

छिंदंति बालस्स खुरेण नकं,

उट्टे वि छिंदंति दुवे वि कण्णे ।

जिब्भं विणिकस्स विहत्थिमित्तं,

तिक्खार्हिं सुलाहिऽभितावयंति ॥७॥

[सू० श्रु० १, अ० ५, उ० १, गा० २२]

परमाधामी नरक मे उत्पन्न हुए जीवो के नाक, दोनों भी कान तथा होठ छुरा से काट लेते है और जीभ को मुख से एक बित्ता जितनी बाहर खीच उसमे तीक्ष्ण काँटे पियो के परिताप उपजाते है ।

ते तिप्पभाणा तलसंपुडं व्व,

राइंदिय तत्थ थणंति बाला ।

गलंति ते सोणियपूयमंसं,

पञ्जोइया खारपइद्धियंगा ॥८॥

[सू० श्रु० १, अ० ५, उ० १, गा० २३]

उनके कटे हुए नाक, कान और होठों से निरन्तर रक्त बहता रहता है और पवन का भोक आने से सूखे ताडपत्तो का समूह जिस तरह खड़खड़ाहट करता है, ठीक वैसी ही तरह पीड़ा पानेवाले वे नारकीय

जीव रात-दिन कण्ठ स्वर से आक्रन्द करते हैं। फिर परमावामी उनके छेदे हुए अंगों को अग्निज्वाला से जलाते हैं और उस पर जल्द में जल्द क्षार छिड़कते हैं, अतः इन अंगों में से रक्त और मांस अधिक प्रमाण में भरते रहते हैं।

रुहिरे पुणो वच्चसमुस्सिअंगे,
भिन्नुत्तमंगे वरिवत्तयंत्ता ।

पयंति णं णेरइये फुरंते,
सजीवमच्छे व अयोक्वल्ले ॥६॥

[सू० श्रु० १, अ० ५, उ० १, गा० १५]

जब पापी जीव नरक में उत्पन्न होते हैं, तब परमावामी उसका सिर काटते हैं, उसके शरीर में से रक्त निकालते हैं और घबकते लोहे के कडाह में फेंक कर खूब उबालते हैं। इस समय वे पापी जीव जिस तरह तपे हुए तबे पर मछली तड़फड़ाती है, उसी तरह असह्य दुखों से पीडा पाते तड़फड़ाते हैं।

नो चेव ते तत्थ मसीभवन्ति,
ण मिज्जति तिव्वभिवेयणाए ।

तमाणभागं अणुवेदयंता,
दुक्खंति दुक्खी इह दुक्खेणं ॥१०॥

[सू० श्रु० १, अ० ५, उ० १, गा० १६]

नारकीय जीवों को परमावामी उबालते और भुंजते हैं, तो भी वे

भस्मसात् नहीं होते हैं। फिर जो भयकर ताडन-तर्जन किया जाता है, इसीसे भी वे मरते नहीं हैं। किन्तु अपने दुष्ट कर्मों का फल भोगने के लिए वे दुःखित जीव नियत समय तक दुःख भोगते ही रहते हैं।

ते णं तत्थ णिच्चा भीता णिच्चं तसिता णिच्चं
छुहिया णिच्चं उव्विगा णिच्चं अप्पुआ णिच्चं वहिया
णिच्चं परममसुभमउलमणुवद्धं निरयभवं पच्चणुभवमाणा
विहरंति ॥११॥

[जीवा० प्रति ३, उ० २, सू० ८६]

वे नरक के जीव सदा भयभीत, त्रस्त, क्षुधित, उद्विग्न और व्याकुल रहते हैं और नित्य वध को प्राप्त होते हैं। वे हमेशा अशुभ और अतुल परमाणुओं से अनुबद्ध होते हैं। इस तरह नरक में उत्पन्न हुए जीव पीड़ा का अनुभव करता हुआ अपने दिन निर्गमन करते हैं।

नेरइयाणं भंते ! केवइकालं ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं
दसवाससहस्साइं उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ॥१२॥

[जीवा० प्रति ३, उ० ३, सू० २२२]

प्रश्न—हे भगवन् ! नारकीय जीवों की स्थिति कितने काल की है ?

उत्तर—हे गौतम ! नारकीय जीवों की स्थिति जघन्य से दश हजार वर्ष की और उत्कृष्ट से तेतीस सागरोपम की है।

एयाणि सोच्चा णरगाणि धीरे,

न हिंसए किंचण मच्चलोए ।

एगंतदिट्ठी

अपरिगहे उ,

वुज्झिज्झ लोयस्स वसं न गच्छे ॥१३॥

[सू० श्रु० १, अ० ५, उ० २, गा० २४]

नरक के इन दुःखों का विचार कर धीर पुरुष सर्व लोक में किसी भी प्राणी की हिंसा न करे । उसको चाहिये कि वह निश्चय सम्यक्त्व धारण करे, परिग्रह को छोड़ दे और लौकिक मान्यताओं के बग न होकर तात्त्विक बोध ग्रहण करे ।

धारा : ४० :

शिक्षापद

इह माणुस्सए ठाणे, धम्मसाराहिउं नरा ॥१॥

[सू० श्रु० १, अ० १५, गा० १५]

इस मनुष्य-लोक में धर्म की आराधना करने के लिये ही मनुष्यों की उत्पत्ति है ।

जाइमरणं परिन्नाय, चरे संकमणे दढे ॥२॥

[भा० श्रु० १, अ० २, उ० ३]

जन्म-मरण के स्वरूप को भलीभाँति जानकर चारित्र्य में दृढ़ होकर विचरे ।

कसेहि अप्पाणं, जरेहि अप्पाणं ॥३॥

[भा० श्रु० १, अ० ४, उ० ३]

(तपश्चरण द्वारा) अपने आपको दृढ़ करो, अपने आपको जीर्ण करो ।

सत्त्वं सुचिण्णं सफलं नराणं ॥४॥

[उक्त० अ० १३, गा० १०]

मनुष्यों का अच्छा जिनग हुआ तब धर्म सफल होता है ।

संसयं खलु सो कुणई, जो मग्गो कुणई धरं ।

जत्थेव गन्तुमिच्छेज्जा, तत्थ कुविज्ज सासयं ॥५॥

[उक्त० अ० ९, गा० २६]

जो पुरुष मार्ग मे घर बनाता है, वह निश्चय ही संशय-ग्रस्त कार्य करता है । जहाँ पर जाने की इच्छा हो वही पर गाश्वत घर बनाना चाहिये ।

वेराइं कुव्वई वेरी, तओ वेरेहिं रज्जई ।

पावोवगा य आरंभा, दुक्खफासा य अन्तसो ॥६॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० ७]

एक मनुष्य ने किसी के साथ वैर किया, फिर वह अनेक प्रकार के वैर करता है और इन वैरों से खुशी होता है, किन्तु वह जानता नहीं कि सभी दुष्प्रवृत्तियाँ पापमय होती हैं और अन्त मे वे दुःख का ही अनुभव कराती हैं ।

क्किरिअं रोअए धीरो, अक्किरिअं परिवज्जए ।

दिट्ठीए दिट्ठीसम्पन्ने, धम्मं चर सुदुच्चरं ॥७॥

[उक्त० अ० १८, गा० ३३]

धीर पुरुष क्रिया मे रुचि करे और अक्रिया का परित्याग कर देवे । वह सम्यग् दृष्टि से दृष्टि-सम्पन्न होकर धर्म का आचरण करे जो कि अतिदुष्कर है ।

कोहं माणं निगिण्हित्ता, मायं लोभं च सव्वओ ।

इंदियाइं वसे काउं, अप्पाणं उपसंहरे ॥८॥

[उक्त० अ० २२, गा० ४८]

क्रोध, मान, माया और लोभ को जीतकर तथा पाँचो इन्द्रियो को वश मे कर अपनी आत्मा का उपसहार करना चाहिये, अर्थात् प्रमाद की ओर बढी हुई आत्मा को पीछे हटाकर धर्म मे स्थिर करनी चाहिये ।

जसं कित्तिं सिलोगं च, जा य वंदणपूयणा ।

सव्वल्लोयंसि जे कामा, तं विज्जं परिजोणिया ॥६॥

[सू० श्रु० १, अ० ६, गा० २२]

यश, कीर्ति, प्रशसा, वन्दन, पूजन और सर्व लोक मे जो भी काम-भोग है, इनको अपकारी समझकर छोड देना चाहिये ।

अट्ठावयं न सिक्खिज्जा, वेहाइयं च णो वए ॥१०॥

[सू० श्रु० १, अ० ६, गा० १७]

जुआ खेलना मत सीखो और धर्म के विरुद्ध मत बोलो ।

आवण्णा दीहमद्धाणं, संसारम्मि अणन्तए ।

तम्हा सव्वदिसं पस्सं, अप्पमत्तो परिव्वए ॥११॥

[उक्त० अ० ६, गा० १३]

अज्ञानी जीव इस अनन्त ससार मे जन्म-मरण के बडे लम्बे चक्कर मे पडे हुए है । इसलिए उनकी सारी दिशाओ का अवलोकन करता हुआ मुमुक्षु पुरुष सदा प्रमादरहित होकर इस ससार मे विचरे ।

जे रक्खसा वा जमलोइया वा,

जे वा सुरा गंधव्वा य काया'

आगासगामी य पुढोसिया जे,

पुणो पुणो विपरिया सुवेन्ति ॥१२॥

[सू० श्रु० १, अ० १२, गा० १३]

जो राक्षस हैं, जो यमपुरवासी हैं, जो देव हैं, जो गन्धर्व हैं और जो अन्य कायावाले हैं तथा आकाशगामी अथवा पृथ्वीनिवासी हैं, वे सभी मिथ्यात्व आदि कारणों से ही बार-बार भिन्न-भिन्न रूप में जन्म धारण करते हैं ।

इहमेगे उ भासन्ति, सायं सायेण विज्जई ।

जे तत्थ आरियं मग्गं, परमं च समाहियं ॥१३॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० ४, गा० ६]

कोई कहते हैं कि सुख से ही सुख की प्राप्ति होती है, किन्तु वह सत्य नहीं है । उसमें जो आर्यमार्ग है, वही परम-समाधि देनेवाला है ।

मा एयं अवमन्नन्ता, अप्पेण लुम्पहा वहुं ।

एयस्स उ अमोक्खाए, अयोहारि व्व जूरह ॥१४॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० ४, गा० ७]

इस परम-मार्ग की अवज्ञा करके अल्प सुख के लिये बहु सुख का नाश मत करो । भोग-मार्ग अमोक्ष का है । जो तुम इतना नहीं समझोगे, तो लोहे के बदले सोना न लेनेवाले वणिक् की तरह पञ्चात्ताप करोगे ।

जहा य अंडप्पभवा वलागा,

अंडं वलागप्पभवं जहा य ।

एमेव मोहाययणं खु तण्हा,

मोहं च तण्हाययणं वयन्ति ॥१५॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ६]

जैसे बगुला की उत्पत्ति अडा से और अडा की उत्पत्ति बगुला से होती है, इसी प्रकार तृष्णा की उत्पत्ति का स्थान मोह है और मोह की उत्पत्ति का स्थान तृष्णा है ।

मायाहिं पियाहिं लुप्पइ,

नो खुलहा सुगई य पेच्चओ ॥१६॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० १, गा० ३]

जो माता, पिता (पत्नी, पुत्र आदि) में मोह करता है, उसको परलोक में सद्गति सुलभ नहीं है ।

पडिणीयं च बुद्धाणं, वाया अदुव कम्मणुणा ।

आवी वा जइ वा रहस्से, णेव कुज्जा कयाइ वि ॥१७॥

[उक्त० अ० १, गा० १७]

वचन से अथवा काया से लोगो के समक्ष अथवा एकान्त में आचार्यों के प्रतिकूल आचरण कदाचित् भी नहीं करना चाहिये ।

पढमं नाणं तओ दया, एवं चिद्धइ सन्नसंजए ।

अन्नाणी किं काही, किंवा नाहिइ छेय-पावगं ॥१८॥

[दश० अ० ४, गा० १०]

प्रथम ज्ञान है, पीछे दया । इसी प्रकार सर्व सयत-वर्ग स्थित

है अर्थात् मानता है । अज्ञानी क्या करेगा ? वह पुण्य और पाप का मार्ग को क्या जानेगा ?

ताणि ठाणाणि गच्छन्ति,
सिक्खित्ता संजमं तवं ।

भिक्षाए वा गिहत्थे वा,
जे संति परिनिव्वुडा ॥१६॥
[उक्त० अ० ५, गा० २८]

पूर्वोक्त स्थानों को (देवलोक को) वे ही साधु अथवा गृहस्थ प्राप्त होते हैं, जो कि संयम और तप के अभ्यास से कषायों से रहित हो गए हैं ।

दुल्लहा तु मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा ।
मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सोग्गइं ॥२०॥
[दश० अ० ५, उ० १, गा० १००]

इस संसार में निःस्वार्थ बुद्धि से देनेवाले दाता और निःस्वार्थ बुद्धि से लेनेवाले साधु—दोनों ही दुर्लभ हैं । अतः ये दोनों ही सद्गति प्राप्त करते हैं ।

जत्थेव पासे कइ दुप्पउत्तं,
काएण वाया अदु माणसेणं ।
तहेव धीरो पडिसाहरिज्जा,
आइन्नओ खिप्पमिव क्खलीणं ॥२१॥
[दश० चू० २, गा० १४]

अपने आप को जब मन से, वचन से एव काया से स्वलित होता हुआ देखे तब सयमी पुरुष को शीघ्र ही संभल जाना चाहिये । जिस प्रकार जातिवन्त शिक्षित घोडा नियमित मार्ग पर चलने के लिये शीघ्र ही लगाम को ग्रहण करता है, उसी प्रकार साधु भी संयम-मार्ग पर चलने के लिए सम्यक् विधि का अवलम्बन करे ।

मीहं जहा खुड्मिगा चरंता,

दूरे चरंति परिसंकमाणा ॥

एवं तु मेहावि समिक्ख धम्मं,

दूरेण पावं परिवज्जएज्जा ॥२२॥

[सू० श्रु० १, अ० १०, गा० २०]

अरण्य में विचरते हुए क्षुद्र वनपशु जिस तरह (अपने को उपद्रव करनेवाले) शेर की शंका से दूर हो दूर रहते हैं, उसी तरह बुद्धिमान् पुरुष धर्म को विचारकर (अपने को उपद्रव करनेवाले) पापों से अति दूर रहे ।

सवणे नाणे य विन्नाणे, पच्चक्खाणे य संजमे ।

अण्हवणे तवे चेव, वोदाण अकिरिया सिद्धी ॥२३॥

[भग० श० २, गा० ५]

ज्ञानियों की पशुपासना करने से धर्म-श्रवण की प्राप्ति होती है । धर्म-श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है । ज्ञान से विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) की प्राप्ति होती है । विज्ञान से प्रत्याख्यान (विरति) की

प्राप्ति होती है । प्रत्याख्यान से संयम की प्राप्ति होती है । सयम से अनास्रव की प्राप्ति होती है । अनास्रव से तप की प्राप्ति होती है । तप से कर्म-क्षय होता है । कर्म-क्षय से अक्रिय अवस्था (गैलेगी अवस्था) प्राप्त होती है और अक्रिय अवस्था से सिद्धि की प्राप्ति होती है ।

आलोयण निरवलावे, आवईसु दडुधम्मया ।

अणिस्सि ओवहाणे य, सिक्खा निप्पडिक्कमया ॥२४॥

अण्णाणया अलोभे य, तित्तिक्खा अज्जवे सुई ।

सम्मदिट्ठी समाही य, आयारे विणओवए ॥२५॥

धिईमई य संवेगे, पणिहि सुविहि संवरे ।

अत्तदोसोवसंहारे, सब्बकामाविरत्तया ॥२६॥

पच्चक्खाणे विउस्सग्गे, अप्पमादे लवालवे ।

ज्झाण संवरजोगे य, उदए मारणंतिए ॥२७॥

संगाणं य परिणाया, पायच्छित्तकरणे वि य ।

आराहणा य मरणंते, वत्तीसं जोगसंगहा ॥२८॥

[सम० सू० ३२]

(१) आलोचना करना अर्थात् जानते हुए अथवा नहीं जानते हुए कोई भी दोष का सेवन हो गया हो तो अपने सद्गुरु के सामने प्रकट करना, (२) आलोचना का प्रकाश न करना, (३) आपत्ति के समय

धर्म में दृढता रखना, (४) आशारहित तप करना, (५) सूत्रार्थ-ग्रहण करना, (६) शरीर के शृंगार का परित्याग करना, (७) अज्ञात कुल की गोचरी करना, (८) इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर वह ज्यादा मिले, ऐसी भावना न रखना, (९) तितिक्षा धारण करना, (१०) आर्जव-भाव रखना, (११) शुचि रखना—व्रतो में दोष न लगाना, (१२) सम्यग्-दृष्टि बनना, (१३) समाधियुक्त होना, (१४) पचाचार का पालन करना, (१५) विनययुक्त होना, (१६) धृतियुक्त होना, (१७) सवेग धारण करना, (१८) चित्त व्यवस्थित रखना, (१९) सुन्दर अनुष्ठान का पालन करना, (२०) आत्मव का निरोध करना, (२१) आत्मा के दोषों का परिहार करना, (२२) सर्व प्रकार के काम-भोगों से विरक्त होना, (२३) त्याग-धर्म में आगे बढ़ना, (२४) कायोत्सर्ग करना, (२५) प्रमाद न करना, (२६) नियत समय पर क्रियानुष्ठान करना, (२७) ध्यान धरना, (२८) योगों को सवर में लगाना, (२९) मारणान्तिक कष्ट को सहन करना, (३०) स्वजनादि के सग का परित्याग करना, (३१) दोष लगने पर प्रायश्चित्त का ग्रहण करना और (३२) अन्त समय में आराधक होने का सकल्प धारण करना, ये वृत्तिस शिक्षापद ज्ञानियो ने कहे हैं ।

नाणस्स सच्चस्स पगासणाए,

अन्नाणमोहस्स विवज्जणाए ।

रागस्स दोसस्स य संखएणं,

एगन्तसोक्खं समुवेइ मोक्खं ॥२६॥

[उत्त० अ० ३२, गा० २]

सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान और मोह के सम्पूर्ण त्याग से तथा राग और द्वेष के सम्पूर्ण क्षय से, एकान्त सुखरूप मोक्ष को यह जीव प्राप्त कर लेता है ।

—:०:—

वचनों का अकारादि क्रम

प्रथम वचन का आद्य भाग दिया है, नाद में पूर्वाङ्क । जहाँ पूर्वार्द्ध विल्कुल समान है, वहाँ द्वितीय पद की भिन्नता दिखाने के लिए सराका प्रथम शब्द वचन के सामने कोष्ठ में दिया गया है ।

अ		अञ्जणसूत-जगमर्षी	१९
अद्भूमिं न गच्छेज्जा	२३७	अञ्जणसूत-जगमर्षी	१९०
अकसायमह्वखायं	८५	अञ्जणसूत-जगमर्षी	१९१
अकुव्वओ णव णत्थि	४०४	अट्टकृत्तिकाभित्ता जह	५५
अक्कोमेज्ज परो भिक्खु	२५६	अट्टकृत्तिका भित्ता	११४
अगारि मामाइयगाहं	४०१	अट्टकृत्तिका भित्ता	११५
अगुत्ती वमचेरस्स	२०२	अट्टकृत्तिका भित्ता	११६
अच्चण रयण चैव	११०	अट्टकृत्तिका भित्ता	११७
अच्चेठ कालो तूरन्ति	३०१	अट्टकृत्तिका भित्ता	११८
अच्छिनिमीलयमेत्त	४०६	अट्टकृत्तिका भित्ता	११९
अच्छिले माट्टए अच्छि०	४०	अणमणमणीयार्या	१२०
अजय आममाणो उ	१३३	अणमणमणीयार्या	१२१
अजय चरमाणो उ	१३३	अणमणमणीयार्या	१२२
अजय चिट्ठमाणो उ	१३३	अणमणमणीयार्या	१२३
अजय भागमाणो उ	१३४	अणमणमणीयार्या	१२४
अजय भुजमाणो उ	१३४	अणमणमणीयार्या	१२५
अजय मवमाणो उ	१३३	अणमणमणीयार्या	१२६

अणिस्त्वियो इह लोए	१९१	अद्वाण जो महत तु अ०	३९३
अणुन्नाए नावणए	२३३	अद्वाण जो महंत तु स०	३९३
अणुवद्धरोत्तपसरो	३९२	अनिलेण न वीए	२४८
अणु माण च माय च	३५५	अन्ताणि घीरा सेवन्ति	३७१
अणुसात्तणमोवाय	२८१	अपुच्छिओ न भासेजा	१४२
अणुसात्तियो न कुप्पिजा	२७७	अप्पणट्ठा परट्ठा वा	१३५
अणुत्तुओ उरालेनु	२५१	अप्पत्तिअ जेण त्तिया	१४१
अणुत्तोअपट्ठिए वहु०	२५९	अप्पपिण्डात्ति पाणात्ति	२११
अणुत्तोअनुहो लोओ	२६०	अप्पत्तयेहिं दारेहिं	१७६
अणेगवासानउया	३९८	अप्प च अहिक्खिवई	२७२
अणेलिसस्स खेयन्ने	१२४	अप्पा कत्ता विकत्ता य	८५
अण्णाइकालप्पभवस्स	३१८	अप्पा खलु सयय र०	८३
अण्णाणया अलोमे य	४१८	अप्पा चैव दमेयव्वो	८४
अतिकम्म ति वायाए	३५९	अप्पाणमेव जुज्झाहिं	८५
अत्ति सीत अत्ति उण्ह	४०६	अप्पा नई वेयरणी	८५
अत्तितिणे अच्चवले	१७९	अप्पिया देवकामाण	८०
अत्य गयमि आइच्चे	२१३	अप्पेगे खुविय भिक्खु	१८२
अत्य एग घुव ठाण	२४	अप्पेगे पल्लियन्ते निं	१८३
अदत्तणं चैव अ०	१९२	अदले जह भारवाहए	३१७
अदीणो वित्तिमेत्तिजा	२३६	अदभत्तरिय घोर	१५३
अद्दुवा अदिन्नादाणं	१२२	अद्वनागमियम्मि	३७४
अवुव जीविय नच्चा	३०२	अन्नओ पत्तियवा तुन्न	१३०
		अनिक्खण कोही हवइ	२७४

अभिभूय कायेण परि०	२५२	अह अट्ठहिं ठाणेहिं	२७५
अमणुन्नसमुप्पाय	२६३	अह कोइ म इच्छिज्जा	२४४
अयकक्करभोई य	३६७	अह चोदसहिं ठाणेहिं	२७३
अयसीपुप्फसकासा	३७८	अह जे सवुडे भिक्खू	४०३
अरई गण्ड विसूइया	३१५	अह त पवेज्ज बज्झ	२६१
अरस विरस वावि	२४५	अह पणहरसहिं ठाणेहिं	२७२
अरूविणो जीववणा	२४	अह पचहिं ठाणेहिं	२७५
अलोए पडिहया सिद्धा	२१	अह सारही विचिंतेइ	२८८
अलोलभिक्खू न	२५३	अहसेऽणुत्तप्पई पच्छा	१५६
अलोलय मुहाजीवी	३४६	अहावरा तसा पाणा	१२५
अलोले न रसे गिद्धे	२४६	अहिअप्पाऽहियप्पन्नाणे	२६१
अवउज्झिय मित्त०	३१६	अहिंस सच्च च अतेणग च	११७
अवसोहिय कटगा०	३१७	अहीणपचेंदियत्त	३१३
अवि पावपरिक्खेवो	२७४	अहे वयइ कोहेण	३३५
असइ वोसट्ठचत्तदेहे	२५२	अहो जिणेहिं असावजा	२४३
असच्चमोस सच्च च	१३८	अंगपच्चगसठाण	१६१
असणं पाणग वावि	२४०	अतमुहुत्तमि गए	३८५
असण सयण जाण	३६७	अधिया पुत्तिया चैव	४०
असुरा नाग-सुव्वणा	४५	आ	
असखय जीविय मा	३०७	आउक्खय चैवं अ०	१६८
असंसत्तं पलोइज्जा	२३५	आणानिद्देसकरे (इगिया०)	२७२
अस्सि च लोए अदु	५३	आणानिद्देसकरे (पडणीए)	२७३

आभोइत्ता ण नीसेसं	२४२	इइ चउरिंदिया एए	४१
आयदण्डसमायरे	१८२	इओ विद्धसमाणस्त	३६१
आयरिय कुविम नच्चा	२८२	इइ वेइदिया एए	३६
आयरिए नाराहेइ	२०५	इच्चेय छ्ज्जीवणिय	१६६
आयरिएहिं वाहित्तो	२८०	इइड्डीगारविए एणे	२८६
आयातुले पयासु	१२२	इइड्डी जुई जसो वण्णो	४०३
आयावयति गिम्हेसु	२०६	इत्थीओ जे न सेवन्ति	१५४
आयावयाही चय	१७७	इत्थीपुरिसिद्धा य	१७
आरभाओ अविरओ	३८२	इत्थीविसयगिद्धे य	३६६
आलओ थीजणाइण्णो	१५६	इम च मे अत्थिय इमं	३०७
आलवते लवते वा	२८०	इम नरीर अणिच्चं	३७१
आलंवणेण कालेण	२१७	इरियाभासेत्तणादाणे	२१५
आलोयण निरवलावे	४१८	इस्ता अमरिस अतवो	३८२
आवण्णा दीहमद्धान	४१३	इह कामाणियट्टस्य	३०३
आवरणिज्जाण दुण्हपि	७२	इह जीविए राय अ०	३८७
आसणगओ न पुच्छेजा	२८०	इह जीवियमेव पात्तहा	३०२
आसणे उवचिट्ठेजा	२७६	इह जीविय अणिय०	३६४
आसदीपलिअकेसु	२०१	इह भाणुत्तए ठाणे	४११
आहच्च चडालिय	१३६	इहमेगे उ भासन्ति	४१४
आहच्च सवण लद्धु	७८	इह लोए निप्पिवासस्त	२६२
आहारमिच्छे मियमे०	१८७	इहेववम्मो अयसो	२०८
इ		इंगालं अगणिं अच्चिं	१६६
इइ इत्तरियम्मि	३११		

इंदगोवमाइया

इदियत्ये विवज्जिता

इदियाणि उ भिक्खुस्त

उ

उगमुप्पायण पढमे

उच्चार पासवण

उज्जुप्पन्नो अणुविगो

उड्ढ अहे य तिरिय जे

उड्ढ अहे य तिरिय दि०

उदउल्ल अप्पणो काय

उदउल्ल वीयससत्त

उदहीसरिसनामाण ती०

उदही सरिसनामाण वी०

उदहीसरिसनामाण स०

उप्पण नाइहीलिजा

उप्फालगदुट्ठवाई य

उराल जगओ जोग

उल्लो सुक्को य दो

उवलेवो होइ भोगेसु

उवसमेण हणे कोह

उवहिम्मि अमुच्छिए

ए

एएणऽन्नेण अट्ठेण

एए पाउकरे बुद्धे

४०	एए भो कसिणा फासा	१८४
२१८	एए य सगे समइ०	१५२
२०६	एए सद्दा अचायन्ता	१८१
	एएसि वण्णओ चेव	३२
२२०	एएसु वाले य पकुव्व०	३४१
२२३	एक्कपि वभचेरे	१५१
२४२	एगओ विरइ कुजा	२५८
१२६	एगखुरा दुखुरा चेव	४३
१४८	एगत्त च पुहुत्त च	१५
१६५	एगब्भूओ अरण्णे वा	३७६
२१३	एगमप्पाणं सपेहाए	२६५
७२	एगया खत्तिओ होइ	७५
७३	एगयाचेलेए होइ	१७८
७३	एगया देवलोएसु	७४
२४६	एगं डसइ पुच्छम्मि	२८४
३८२	एगतरत्ते रुइरसि	३२०
१२६	एगो पडइ पासेण	२८५
२६६	एगो मूल वि हारित्ता	३६६
२६५	एमे ए समणा मुत्ता	२३५
३३४	एमेव रुवम्मि गओ	३२३
२५३	एय खु नाणिणो सार	१२३
१३६	एय जिय सपेहाए	४००
३५०		

एय पचविह नाण	६१	एवमेयाणि जाणित्ता	१६६
एय सकम्मवीरिय	३५४	एव लगान्ति दुम्मेहा	२६६
एयाड कायाड प०	१२८	एव लोगम्मि ताइणा	३५७
एयाड अट्ठ ठाणाड	२१६	एव सिक्खा-समावन्ने	४०१
एयाओ अट्ठसमिईओ (ट्टुवाल०)	२१६	एव सेहे वि अप्पुट्ठे	१८०
एयाओ पंचसमिईओ (इत्तो)	०२४	एविन्द्रियत्या य म०	३२८
एयाओ पचसमिईओ च०	२२८	एसणासमिओ लज्जू	२३०
एयाणि तोच्चा णरगाणि	४१०	एस धम्मे घुव्वे निच्चे	१५५
एव उ समणा एणे	१८४	एस मणो आरिएहिं	१२१
एव कामेसण विऊ	३०३	एसा पवयणमाया	२२६
एव गुणसमाउत्ता	३५१	ओ	
एव तव तु दुविह	२६७	ओराला तसा जे उ	३८
एव तु समणा एणे	२६२	ओहोवहोवग्गहिय	२२०
एव तु सजयस्सावि	५६	क	
एव धम्मं अकाउण	३६३	कड च कजमाण च	३५६
एवं धम्म पि काउण	३६३	कणकुण्डग चइत्ता ण	२६१
एव धम्म विउक्कम्म	३८६	कणसोक्खेहिं सदेहिं	१७६
एव धम्मन्त विणओ	२६८	कपात्तट्ठिर्मिजा य	३६
एव भवत्तसारे सन०	२३१	कप्पाईया उ जे देवा	४६
एव माणुस्सगा कामा	३६८	कप्पोवगा य वारसहा	४६
एवमादाय मेहावी	३५५	कम्ममेणे पवेदेन्ति	३५२
एवमावट्टुजोणीनु	७५	कम्मन्तगेहिं सम्मूढा	७५
		कम्माण तु पहाणाए	७५
		कम्मणा वभणो होड	३५०

कपराइ अठसुहुमाइ	१६८	किमिणो सोमंगला चैव	३८
कलहडमरवजिए	२७२	किरिअ रोअए धीरो	४१२
कसायपच्चक्खाणेण	३३८	कुकुडे सिंगिरीडी य	१४०
कसिणपि जो इम	१७१	कुजए अपराजिए	३५७
कसेहि अप्पाण, जरेहि	४११	कुप्पवयणपासडी	३६१
कह चरे ? कह चिट्ठे ?	२१०	कुव्वति सथव तार्हि	१५८
कहं नु कुज्जा सामण्ण	१८६	कुसग्गमेत्ता इमे कामा	४०२
कहिं पडिह्या सिद्धा ?	२०	कुसग्गे जह ओस०	३१०
कदप्पकुक्कुयाइ तह	३६१	कुथु-पिवीलिया दसा	३६
कदप्पाभिओग च	३६१	कूइअ रुइअ गीअ हास०	१५६
कसेसु कंसपाएसु	२००	कूइय रुइय गीय हसिय	१६२
काउसग्गेणं भते !	३६८	कोहविजएण भते !	३३८
कामकामी खलु अय	३०५	कोह च माण च त०	३३३
कामाणुगिद्धिप्पभव	३०४	कोह माण च माय च	३३३
कामेहि य सथवेहि गिद्धा	५४	कोह माण निगिण्हित्ता	४१३
कायगुत्तियाए ण भते !	२२८	कोहा वा जइ वा हासा	३४८
कायसा वयसा मत्ते	२६८	कोहे माणे माया, लोभे	१४५
कालेण निक्खमे भिक्खू	२३१	कोहे माणे य मायाए	२१६
कावोया जा इमा	२६१	कोहो पीइ पणासेइ	३३३
किण्हा नीला काऊ, तिन्नि	३८४	कोहो य माणो य अ०	३३४
किण्हा नीला य काऊ य	३७६		
किण्हा नीला य रुहिरा य	२६		

ख

खज्जरमुद्धियरत्तो	३७१
खणमेत्तसोक्त्ता वहु०	२६६

खलुका जारिसा जोजा	२८५	गविसणाए गहणे य	२१६
खलुके जो उ जोएइ	२८४	गोअरनापविट्ठत्त	२०२
खविता पुव्वकम्माइ	१००, २६६	गोमेअए य त्यगे अंके	३०
खविता पुव्वकम्माइ (सिद्धि)	२१०	गोयकम्म तु दुविह	७१
खिप्प न सक्केइ विवेग०	३१०	गोवालो भंडवालो वा	१८५
खुअ पिवास दुस्सेज्ज	१७६	च	
खेत वत्यु हिरण्ण च प०	८१	चट्ठ्ह खलु भासाण	१३६
खेत वत्यु हिरण्ण च पु०	१७०	चउप्पया य परिसप्पा	४३
ग		चउरग दुद्धह नच्चा	८२
गईलक्खणो उ घम्मो	६	चउरिंदिया उ जे जीवा	४०
गतभूअणमिट्ठ च	१५६	चउवीसत्यएण भते ।	३६६
गन्नाइ मिज्जनि बुया०	३७२	चउव्विहे वि आहारे	२१४
गहणेनु न चिट्ठिज्जा	१६७	चक्खुमचक्खू ओहिन्त्त	६३
गंधन्त्त घाण गहण	३०५	चक्खुसा पडिलेहिता	२०१
गघेनु जो गिद्धिमुवेइ	३२५	चत्तपुत्तकलत्तन्त्त	२५६
गमीरविजया एए	२०२	चत्तारि परमगाणि	७४
गारत्येहि य च्चवेहिं	२५६	चत्तारि वमे सया	२४६
गारवेनु कसाएमु	१७५, १६१	चम्मे उ लोमपक्खी य	४४
गार पि अ आदने नरे	४०२	चरिन्मोहण कम्म	६६
गिद्धोवमा उ नच्चाण	२६६	चरे पयाई परिसक०	११०
गुणाणमानओ दच्च	१३	चदण-ओस्य-हसगग्गे	३०
गुब्बिणीए उवग्गत्य	२३६	चदा नूरा य नक्खत्ता	४५

चिद्धा ण घर्णं च	३१६	जमिय जगई पुढो जगा	५१
चिद्धा दुपय चउ०	३७४	जय चरे जय चिट्ठे	२१०
चिद्धा वित्त च पुत्तेय	३७५	जया कम्म खवित्ताण	१०६
चित्तभित्ति न निज्भाए	१६२	जया गड बहुविह	१०६
चित्तमतमचित्तं वा, अ०	१४७	जया चयइ सजोग	१०७
चित्तमतमचित्तं वा, प०	१६७	जया जीवमजीवे	१०५
चित्तमन्तमचित्त वा (न गिण्हाड)	३४८	जया जोगे निरू भित्ता	१०६
चिर दुइज्जमाणस्स	२०७	जया धुणइ कम्मरय	१०८
चीराजिण नगिणिण	२६०	जया निर्व्विदिए भोए	१०७
		जया पुण्ण च पाव च	१०६
छ		जया मुण्डे भवित्ताणं	१०८
छज्जीवकाए असमा०	१८६	जया य पृइमो होइ	२६३
छन्द निरोहेण उवेई	३०६	जया या चयइ घम्म	२६३
छिन्नाले छिन्दई सेल्लि	२८५	जया लोगमलोग च	१०६
छिंदति वालस्स खुरेण	४०७	जया सवत्तग नाण	१०६
ज		जया सवरमुक्किट्ठ	१०८
जइ त काहिंसी भाव	१६२	जया हेमतमासम्मि	१८०
जगनिस्सिएहिं भूएहिं	१३०	जरा जाव न पीडेइ	११४
जणवयसम्मयठवणा	१४२	जस्सन्तिए घम्मपयाइ	२७०
जणेण सद्धिं होक्वामि	२६७	जस किंत्तिं सिलोग च	४१३
जतुकुभे जहा उवजोई	१५६	जद्विणो मिगा जहा सता	२६१
जत्येव पासे कइ	४१६	जरामरणवेणेण	११३
जम्म दुक्क जरा दुक्क	३७१		

जस्त्वित्य मञ्चुणा सक्त्वा	३८७	जहा जुन्नाइ कट्ठाड	३४६
जस्ति कुले समुप्यन्ते	१७०	जहा दड्ढाण वीयाण	५७
जस्सेवमप्या उ ह्वेज्ज	८४	जहा दवणी पउरिषणे	१६४
जह कडुयतु वगरसो	३७६	जहा दुक्ख भरेउ जे	२६२
जह करगयस्स फासो	३८१	जहा दुमस्स पुप्फेसु	२३५
जह गोमडस्स गधो	३८०	जहा पोम जले जाय	३४६
जह जीवा वज्झति	५७	जहा भुयार्हि तरिडि	२६२
जह तरुणअगरसो	३७६	जहा महातलागस्स	५६
जह तिगडुयस्स य रसो	३७६	जहा य अडप्पमवा	४१४
जह परिणयवगरसो	३७६	जहा य किपागफला म०	३००
जह वूरस्स व फासो	३८१	जहा य तिन्नि वणिया	३६६
जह मिउलेवालित	५८	जहा लाहा तथा लोहो	३३७
जह रागेण कडाण	५८	जहा विरालावसहस्स	१६०
जह नुरहिकुमुमगधो	३८०	जहा सगामकालम्भि	१८४
जहा अग्निचिहा दित्ता	२६१	जहा सागडिओ जाण	३८८
जहाऽऽएन समुद्दिन	३६४	जहा नुणी पुडकली	२६०
जहा इह अगणी उप्पो	४०६	जहा सूई नमुत्ता	२६६
जहा इह इम सीय	४०७	जहा से त्तलु ओरुम्मे	३६६
जहा काणिणीए हेउ	३६८	जहाहिअणी जलण	२६६
जहा किपागफलाण	३००	जहिना पुअमजोग	३४६
जहा कुक्कुडपोअन्त	१६०	जहेह सीहो मिग	३८७
जहा कुन्ने सअगाड	३४४	ज किञ्चुवक्कम जागे	०६६

ज पि वत्य च पाय वा	१७३	जे आयरिय उवज्झायाण	२७१
ज मय सव्वसाहूण	२६३	जे इह सायाणुगा	२६४
ज मे बुद्धाणुत्तानन्ति	२८१	जे उ सगामकालम्भि	१८५
ज विवित्तमणाइल्ल	१५७	जे एय नाभिजाणति	२६२
जाइमरण परिन्नाय	४११	जे केइ उ पव्वइए	२१०
जाड सद्धाइ निक्खतो	१७६	जे केई तसा पाणा	१२६
जाइ च बुद्धि च इह	३६२	जे केइ वाला इह	३६४
जा जा वच्चइ रयणी (धम्म)	११५	जे केइ सरीरे सत्ता	२६४
जा जा वच्चइ रयणी (अहम्म)	११५	जे कोहेण होइ जग०	३३५
जायतेय न इच्छति	१६५	जे गिद्धे कामभोगेसु	२६७
जायरुव जहामट्ठ	३४७	जे न वदे न से कुप्पे	१७८
जा य सच्चा अवत्तव्वा	१३७	जे परिभवई पर.	३३५
जारिसा मम सीसा उ	२८८	जे पावकम्मेहि घण	१६६, ३०७
जारिसा माणुसे लोए	४०५	जे ममाइ असई जहाइ	१८८
जाव न एइ आएसे	३६६	जे माहणे खत्तिय जा०	१८७
जावन्तऽविजा पुरिसा	३४१	जे य कते पिए भोए	१८६
जावन्ति लोए पाणा	१३२	जे य चडे मिए थद्धे	२८३
जिणवयणे अणुरत्ता	३६२	जे य बुद्धा अतिक्खता	१२८
जीमूयनिद्धसकासा	३७७	जे य बुद्धा महाभागा	३५७
जीवाऽजीवा बघो य	६१	जे यावि दोस समु०	३२०
जीवा चेव अजीवा य	३	ज रक्खसा वा जम०	४१३
जे अबुद्धा महाभागा	३५६	जे लक्खणं भुविण	१८५

जे विन्नवणाहिअजोसिया	१५४	ण	
जेऽसत्तया तुच्छ०	३३०	णमुक्कारेण पारित्ता	२४३
जे सिया सन्निर्हि कामे-	१२५	णो रक्खसीसु गि०	१५३
जेसि तु विउला सिक्खा	४०१	त	
जेहि नारीण सजोगा	१५५	तइय च अदत्तादाण	१४६
जो जीवे वि न जाणेइ	१०४	तओ वाउपरिक्खीणे	३६८
जो जीवे वि वियाणेइ	१०५	तओ कम्मगुट जतु	३६७
जो न सज्जइ आगन्तु	३४७	तओ लिए सई होइ	४००
जो पव्वइत्ताण	८६	तओ पुट्ठो आयकेण	२६६
जोयणस्स उ जो तत्य	२३	तओ से दइ समा०	२६७
जो सहइ हु गाम०	२५१	तओ से पुट्ठे परिवूडे	३६५
जो महस्स सहस्माण स०	८५	तओ से मरणन्तम्मि	३८६
जो सहस्स सहस्माण मा०	२५८	तणस्सत्त न छिदिञ्जा	१६७
झ		तण्हामिभूयस्स अ०	१४६, ३२२
झाणजोग समाहट्ठु	३५८	तत्य आलवण नाण	२१७
ठ		तत्य ठिच्चा जहाठाण	८०
ठाणी विविहठाणाणि	३५५	तत्य दइण सवीते	१८३
ठाणे निसीयणे चैव	२२७	तत्य पच्चविह नाणं	८६
ड		तत्य मन्दा विसीयन्ति	२६२
डहरा बुड्डा य पामह	३८६	तत्य से चिट्ठमाणन्त	२३८
डहरे य पाणे बुड्डे य	१२५	तत्थिम पढमं ठाण	१३१
डहरे य पाणे बुड्डे य (उव्वेहई)	३४४	तमाह लोए पडिबुद्ध०	२५८

तम्हा एएसि कम्माणं	५५	तहेव सावजऽणुमो०	१३६
तम्हा एय वियाणित्ता	२३३	तहेव हिंस अलिय	२५६
तम्हा एयासि लेसाण	३८५	त अप्पणा न गिण्हति	१४७०
तम्हा ते न सिणायति	२०३	त एकग तुच्छ सरीरग	३७२
तवनारायजुत्तेण	१००,२६६	त च भिक्खू परिन्नाय	२६२
तवस्सिय किस दन्त	३४७	त चेव तव्विमुक्क	५८
तव कुच्चइ मेहावी	२०६	त ठाण सासय वास	२५
तवेमु वा उत्तम व०	१५२	तं देहवास असुइ	२५७
तवोगुणपहाणस्स	११०	तं भवे भत्तपाण तु (अनु० गा० ३१)	
तवो य दुविहो वुत्तो	६८		२३६
तसपाणे वियाणेत्ता	३४८	तं भवे भत्तपाण तु (अनु० गा० ३३)	
तसाण थावराणं च	१७८		२४०
तसे पाणे न हिंसिज्जा	१६६	त मा ण तुम्भे देवा०	३७६
तस्सेस मग्गो गुरु०	१०२	त सच्च भयव	१३५
तहा पयणुवाई य	३८३	त से अहियाए	१२२
तहियाण तु भावाण	६३	ताणि ठाणाणि गच्छन्ति	४१६
तहिं तहिं सुयक्खाय	३७०	तारिस भत्तपाण तु	२४०
तहेव असण पाणग वा (छदिअ)	२५०	तालियटेण पत्तेण	१६७
तहेव असण पाणग वा (हो ही)	२५०	तिउट्टई उ मेहावी	३४६
तहेव काण काणे त्ति	१३६	त्तिण्णो हु सि अण्णव	३१७
तहेव फरसा भासा	१३८	त्तित्तग व कडूअ व	२४५
तहेव भत्तपाणेसु	१७८	त्तित्तीस सागरोवमा	७३

तिविहेण वि पाण	२६४	दत्तोहणमाइस्स	-	१४६
तुलियाण वालमाव	३४६	दाणे लामे भोगे य		७१
तुलिया वित्सेसमादाय	३६०	दाराणि सुया चैव		३७२
तेइदिया उ जे जीवा	३६	दिट्ठ मियं असदिट्ठ	-	१४०
तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि	३८४	दिव्व-माणुस-तेरिच्छ	-	३४८
तेउ वाऊ अ बोधव्वा	३६	दुक्कराइ करित्ताण		२०६
तेण तत्य णिच्चा भीता	४०६	दुज्जए कामभोगे य	-	१६५
तेणावि जं कय कम्म	- ३६३	दुण्ह तु भुजमाणाण	-	२३८
तेणे जहा सच्चिमुहे गहिए	५४	दुप्परिच्चया इमे कामा	-	३०४
ते तिप्पमाणा तल०	४०७	दुम्मपत्तए पडुयए		३१०
तेसि अच्छणजोएण	१३२	दुल्लहा तु मुहादाई		४१६
थ		दुल्लहे खलु माणुसे भवे	-	३११
थणग-पिज्जेमाणी	२३६	दुहबो गई वालस्स		४००
थभा व कोहा व मय०	२७०	दुहा चैव मुयक्त्ताय		३५२
धावर जगम चैव	१६६	देवदाणवगघव्वा		१५५
द		देवयाण मणुयाण च		१४२
दगमट्टियआयाणे	२३७	देवलोससमाणो य		१७६
दवदवस्स न गच्छेज्जा	२३४	देवा-चउव्विहा वुत्ता		४४
दव्वओ खेत्तओ चैव	२१७	दुविहा आळ्जीवा उ		३३
दव्वओ चक्खुसा पेहे	२१८	दुविहा तेज्जीवा उ		३६
दव्विए वघणुमुक्के	३५४	दुविहा पुडवीजीवा उ		२७
दसहा उ भवणवासी	४४	दुविहा वाउजीवा उ		३७

न ह्यु पाणवह अणुजाणे	१३१	निट्ठाण रसनिज्जूढं	२४१
नाइउच्चे नाइनीए	२३८	निह् च न वहु मन्नेज्जा	१८६
नाईद्वरमणासन्ते	२३६	निहा तहेव पयला	६३
नाइवाइज्ज किंचण	१२१	निद्धसपरिणामो	३८१
नाणस्स केवलीण	३६२	निम्मो निरहकारो नि०	१६१
नाणस्स सब्वस्स पगासणाए	४१६	निम्ममो निरहकारो वी०	१६३
नाणस्सावरणिज्ज	६१	निव्वाण ति अवाह ति	२४
नाण च दसण चेव (एयमग्ग)	८८	निसग्गुवए सरई	३५६
नाणं च दसप चेव (वीरिय)	१२	निस्सन्ते सिया अमु०	२७७
नाणावरण पच्चविह	६३	निस्सकिय-निक्क खिय	३६०
नाणेण जाणई भावे	८८	नीय सिज्ज गइ ठाणं	२७६
नादसणिस्स नाण	६४	नीयावित्ती अचवले	३८३
ना पुट्ठो वागरे किंचि	२७८	नीलासोगसकासा	३७८
नामकम्म च गोय च	६०	नीवारे व न लीएज्जा	१५६
नामकम्म तु दुविह	७०	नीहरन्ति मय पुत्ता	३७३
नारीसु नो पगिज्जेज्जा	२५७	नेयाउय सुयक्खाय	३५४
नासदीपलिअकेसु	२०१	नेरइयाण भते । केवइ०	४०६
नासीले न विसीले वि	२७५	नेरइयातिरिक्खाउ	७०
निक्खम्ममाणाइ अ	२४७	नेरइया सत्तविहा	४१
निच्च तसे पाणिणो	१४८	नेरयइत्ताए कम्म	४०५
निच्चुव्विग्गो जहा तेणो	३४२	नेव पल्हत्थिय कुजा	२८०
निज्जूहिक्कण आहार	१६३	नो इदियगेज्ज	४८

नो चेद ते तत्थ	४०८	पयणुकोह माणे य	३८३
नो तासु चक्खु सघेजा	१५८	पयाया सूरा रणसीसे	१८०
		परमत्यसंथवो वा	६३
प			
पइण्णवाई द्रुहिले	२७४	परिग्गहनिविट्ठाणं	१६८
पच्चक्खाणेण भते !	३६६	परिजूरइ ते सरीरय	३१४
पच्चक्खाणे विउस्सग्गे	४१८	परियाणियाणि सकता	२६१
पच्छाकम्म पुरे कम्म	२००	परिव्वयन्ते अणि०	१६७
पच्छा वि ते पयाया	४०३	परीसहरिऊदता	२०६
पडति नरए घोरे	१२०	पल्लोयाणुल्लया चेद	३८
पडिक्कमणेण भते !	३६७	पविसित्तु परागार	२३७
पडिकुट्ठ कुल न पविसे	२३४	पवेयए अजपय	२५५
पडिग्गह सल्लिहिता णं	२४४	पसुवघा सव्ववेया	३४६
पडिणीय च बुद्धाण	४१५	पकाभा य घूमाभा	४१
पडिलेहेइ पमत्ते	२२१	पचासवपरिण्णया	१७५
पढम नाण तओ दया	४१५	पचासवप्पवत्तो	३८१
पणयालसयसहस्सा	२२	पचिंदिय तिरिक्खा उ	४२
पणया वीरा महावीहिं	१२२	पचिंदिया उ जे जीवा	४१
पणीय भत्तपाण तु	१६४	पचिंदियाणि कोह	८६
पण्डिए वीरिय लद्धु	३५६	पचविहो पण्णत्तो	१४६
पत्तेअसरीराओ	३३	पायच्छित्त विणओ	६८
पभूदोसे निराकिच्चा	१२७	पियए एगओ तेणो	२०५
पमाय कम्ममाहसु	३०६	पियघम्मे दढघम्मे	३८३

प्रिमाय-भूया जक्त्वा य	४५	फानुयम्मि अणावाहे	२०७
पुट्ठे गिम्हाहितावेण	१८१	व	
पुट्ठो व दसमतगेहि	१८२	वन्वप्पमुक्खो अज्झत्थेव	३७५
पुढवि न खणे खणा०	२४७	वल याम च पेहाए	२६५
पुढवि भित्ति मिल लेल्लु	१६४	वहिया उड्ढमादाय	११८
पुढवी-आउक्काए (पडिलेहणापमतो) २२२		वहु खु मुणिणो भद्	२५७
पुढवी-आउक्काए (पडिलेहणा आउ०) २२२		वहु परवरे अत्थि	२४१
पुढवी आउजीवा य	२६	वहु सुणेई कन्नेहि	२५५
पुढवी जीवा पुढो सत्ता	१२५	वभचेर उतमतव०	१५१
पुढवी य आऊ अगणी	१२८	वायरा जे उ पज्जत्ता (उक्क०)	३७
पुढवी य सक्करा वालुया य	३०	वायरा जे उ पज्जत्ता (मण्हा)	२६
पुढवो सालो जवा चैव	३३७	वायरा जे उ पज्जत्ता (साहा०)	३३
पुरजो जुगमायाए	२३२	वायरा जे उ पज्जत्ता (सुद्धो०)	३३
पुरिसा । अत्ताणमेव	८७	वायरा जे उ पज्जत्ताऽण्ण	३७
पुरिसा सच्चमेव स०	१३५	वारम्महि जोयणेहि	२२
पुरिसोरम पावकम्मुणा	३०१	वालमरणाणि बहुसो	३६२
पूयणट्ठा असोकामी	३३७	वालाण ढकाम तु	३८६
पेसिया पलिउचन्ति	२८७	विड्डमुब्बेइम लोणं	१७२
पोमालाण परिणाम	१६६	वेड्ढिया उ जे जीवा	३८
		भ	
फासस्त गहण काय	३२६	भणन्ता अकरेत्ता य	३४३
फासस्त जो गिद्धिमुवेइ	३२६	भावणाजोगसुद्धया	३७०

भावस्स मणं गहणं	३२७	मरिहिसि राय जया	११३
भावेसु, जो गिद्धिमुवेइ	३२८	महासुक्का सहस्सारा	४६
भासमाणो न भासेज्जा	२७६	महुकारसमा बुद्धा	२३६
भासाइ दोसे य गुणे	१४०	मता जोग काउ	३६१
भिव्वालसिए एगे	२८६	माइणो कट्टु माया य	३५३
भिकित्तयव्व न केयव्व	२३०	माई मुद्धेण पडई	२८५
भुओरगपरिसप्पा य	४३	मा एय अवमन्नन्ता	४१४
भुजित्तु भोगाइ प०	२०८	मा गलियस्सेव कस	२७७
भूएहिं न विरुज्जेज्जा	३७०	माणविजएणं भते ।	३३८
भूयाणमेसमाघाओ	१६६	माणुसत्तम्मि आयाओ	७६
भोगामिसदोसविसन्ते	२६५	माणुसत्ते भवे मूल	४००
भोच्चा माणुसए भोगे	८१	माणुस्स च अणिव्व	३८६
म		माणुस्स विग्गह लद्धु	७८
मच्छा य कच्छमा य	४३	मा पच्छ असाधुता	३६५
मणगुत्तयाएण भते ।	२२७	मा पेह पुरा-पणामए	१६३
मणपल्हायजणणी	१५७	मा य चण्डालिय कासी	२७७
मणसा वयसा चेव	३५३	माया पिया ष्ठुसा भाया	३७४
मणुया दुविहभेया उ	४४	मायाविजएणं भन्ते ।	३३६
मणोगय वक्कगय	२७५	मायाहिं पियाहिं लुप्पइ	४१५
मणो साहसिओ भीमो	२२५	मासे मासे तु जो वालो	३४३
मणोहरं चित्तघरं	२०६	माहणा खत्तिया वेसा	१६८
मन्दा य फासा वहु०	३२६	मिच्छादत्तणरत्ता	३६०

मित्तव नाइव होइ	८१	रोइअनायपुत्तवयणे	२४६
मुसावाओ य लोगम्मि	१३५	ल	
मुहुत्तदुक्खा उ हवन्ति	१४०	लद्धूण वि आरियत्तपं	३१३
मुहुं मुहु मोहगुणे	३२६	लद्धूण वि उत्तमं सुइ	३१४
मुलाओ खन्वप्पभवो	२६८	लद्धूण वि माणुसत्तणं	३१२
मूलमेयमहम्मत्स	१५४	लाभालाभे सुहे दुक्खे	१६१
भोक्खामिकवित्थ उ	१५२	ल्लेसाहिं सव्वाहिं चरम	३८५
भोसत्त पच्छा	३२२	ल्लेसाहिं सव्वाहिं पढमे	३८५
भोहणिज्ज पि दुविह	६५	लोगुत्तम च वयमिणं	१५१
रमए पंडिए सास	२८८	लोमविजएणं भते !	३३६
रसत्स जिदमं गहणं	३२६	लोहत्तेस अणुप्फासे	१७३
रतेसु जो गिद्धिमुवेइ	३२६	व	
रागदोसत्थिया वाला	३४१	वड्डइ सुडिया तत्स	२०५
रागो य दोसो वि य	५६	वत्तणालक्खणो कालो	=
रुहिरे पुणो वच्च	४०८	वत्थगंधमलकारं	१८८
रुवत्स चक्खुं गहण	३१६	वयगुत्तयाए णं भते !	२२८
रुवाणुगासाणुगए	३२०	वरवाहणीए व रत्तो	३७६
रुवाणुरत्तत्स नरत्त	३२३	वर मे अप्पा दंतो	८४
रुवाणुवाएण परि०	३२१	वलया पव्वया कुहणा	३३
रुवे अत्ति ते य परि०	१४६, ३२१	वहणं तत्तयावराण होइ	२४८
रुवे विरत्तो मणुओ	३२३	वहणे वहमाणत्त	२८४
रुवेनु जो गिद्धिमुवेइ	३१६	वके वकसमायारे	३००

चदणएण भते !	३६७	विरइ अबभचेरस्स	१५२
वाइया सगहिया चेव	२८८	विरए गामघम्मोहिं	१२७
वाउव्व जालमन्चेइ	१५५	विरज्जमाणस्स	३३०
वालुयाकवले चेव	२६१	विरया वीरा समु०	२६२
वाहियो वा अरोगी वा	२०३	विवित्तसेजासणज०	१५७
वाहेण जहा व विच्छए	३०३	विवत्ती अविणीअस्स	२७४
विगिंच कम्मणो हेउ	७६	विवत्ती वभचेरस्स	२०२
विच्छिन्ने दूरभोगाढे	२२३	विसएसु मणुन्नेसु	१६६
विजया वेजयता य	४७	विसालिसेहिं सीलेहिं	८०
विज्जहित्तु पुव्वसजोय	२१२	वीसमन्तो इम चिते	२४३
विणएण पविसित्ता	२४२	वेमाणिया उ जे देवा	४६
विणय पि जो उवाएण	२७१	वेमायाहिं सिक्खाहिं	४०१
वितह वि तहामुत्तिं	१३८	वेयणिय पि दुविह	६५
वित्त पसवो य नाइओ	३४३	वेराइ कुव्वई वेरा	४१२
वित्त सोयरिया चेव	१७०	वोछिन्द सिणेह०	३१५
वित्ते अचोइए निज्व	२७६		
वित्तेण ताण न लभे	१७१, ३०८	स	
विभूस परिवज्जेज्जा	१६५	सइकाले चरे भिक्खू	२३१
विभूसा इत्थीससगो	१६४	सउणी जह पसुगण्डिया	२६५
विभूसावत्तिय चये	२०४	सच्चा तहेव भोसा य (मणगुत्ती)	२२४
विभूसावत्तिय भिक्खू	२०४	सच्चा तहेव भोसा य (वयगुत्ती)	२२६
वियाणिया दुक्ख०	१७२	सत्यग्गाहणं विस०	३८८
		सत्यमेगे तु सिक्खता	३५३

सदस्स सोय गहणं	३२४	सय त्तिवायए पाणे	१२३
सद्दग्घयार उज्जोओ	१२	सया दत्तोत्तणा दुक्खा	१८१
स देवगान्धवमणु०	२८३	सया मच्चेव संपन्ने	१२४
सद्दे ल्हे य गघे य	१६५	सरागो वीयरारो वा	३८४
सद्देसु जो गिद्धिमुवेड	३२४	सरीरमाहु नावत्ति	८३
सद्ध नगर किच्चा	१००	सल्लं कामा वित्तं कामा	२६६
सन्तिमे य दुवे ठाणा	३८६	सवणे नाणे य विन्नाणे	४१७
सन्ति मे सुहुमा पाणा	२१३	सवीयरारो कयसत्त्व०	३३१
समणं सजय दन्त	१७६	सव्वजीवाण कम्म तु	४६
समणामु एगे वयमाणा	१३०	सव्वत्युवहिणा बुद्धा	१७४
समयाए समणो होड	३५०	सव्वप्पग विजक्कां	२६२
समया मव्वभूएसु	१२६	सव्वभूयप्पभूयस्त	२११
समरेसु अगारेसु	२३६	सव्व जग जड तुह	३७५
सम्मदत्तणरत्ता	३६१	सव्व जगं तू स०	१२४
सम्मद्दिठि सया अमूढे	२४६	सव्व तओ जाणइ	३३१
सम च सयव धीहिं	१५८	सव्व विलविय गीय	३०१
समाइ पेहाइ परिव्वयत्तो	२२६	सव्व सुच्चिण्ण सफल	४११
समावण्णाण नसारे	७४	सव्वाहार न नुजति	२१४
समिक्ख पण्डिए जम्हा	३४२	सव्वाहिं अणुजुत्तीहिं	१२२, १२५
समुयाण उद्धमेसिज्जा	२३०	सव्वे जीवा वि इच्छति	१३२
समुगाणं चरे मिक्खू	२३४	सव्वे पाणा पियाज्या	१२१
सम्मत्त चेव मिच्छत्तं	६५	सव्वे सयकम्मकप्पिया	५३

मन्वेहि भूर्हेहि दया०	२५६	साहवो तो चियत्तण	२४४
सह समइए णच्चा	३५५	साहारणसरीराओ	३४
नखककुदसकाना (रयय)	३७८	सिणेह पुप्फमुहुम	१६८
नखककुदसकासा (सीयाए)	६२	सियाण अदुवा कक्क	२०४
नगाण य परिण्णाया	४१८	सिया य समणट्ठाए	२३६
मतत्ता केसलोएण	१८२	सीओदगसमारम्भे	२००
सतिमे सुहुमा पाणा घ०	२०३	सीओदग न सेविज्जा	१६५
सथार फलग पीढ	२२१	सीह जहा खुडुमिगा	४१७
सपत्ते भिक्खकालम्भि	२३१	सुइ च लद्धु सद्ध च	७६
सवुज्झह । किं न बुज्झह ।	३०२	सुकड ति सुपक्क ति	२४५
सवुज्झमाणे उ नरे	१२३	सुकक्कमाण भियाएज्जा	१८७
सरभ समारभे (काय)	२२७	सुकूमूले जहा रुक्खे	५७
सरभसमारभे (मण)	२२५	सुणिया भाव साणस्त	२८१
सरभ समारभे (वय)	२२६	सुत्तेसु यावी पड्डिवुद्ध०	३०६
ससय खलु सो कुणई	४१२	सुद्धपुढवी न निसीए	१६४
ससारत्या उ जे जीवा	२६	सुर वा मेरग वा वि	२०४
ससारत्या य सिद्धा य	१७	सुवक्कसुद्धिं समु०	१४१, १६३
ससारमावन्न परस्त	३०८	सुवण्णरूपस्त उ	१७१
साण सूइअ गाविं	२३३	सुसवुडा पचहिं स०	२६०
सामाइएण भते ।	३६५	सुसाणे सुन्नगारे वा	२०६
सामाइय त्य पढम	६५	सुस्ससमाणो उवासेज्जा	२६६
साहरे हत्यपाए य	२२५	सुहसायगस्त समणस्त	११०

सूर मण्णइ अप्पाण
 से गामे वा नगरे वा
 से जाण अजाण वा
 से हु चक्खु मणुत्ताण
 सोच्चा जाणइ कल्लाण
 सो तत्त सव्वत्त
 मोलसविहभेएण
 सो वि अतरभामिल्लो
 सोही उज्जुमूयत्त
 ह
 हत्य पायपडिच्चिन्न

१७६	हत्यनजए पायसजए	२५३
२३२	हत्य पाय च काय च	२७६
८७	हत्यागया इमे कामा	२६७
३७१	हम्ममाणो न कुप्पेज्जा	१६२
१०४	हरियालभेयनकासा	३७८
३३२	हरियाले हिगुलए	३०
६७	हात्त किट्टु रइ दप्प	१६३
२८७	हिय विगयभया बुद्धा	२८२
७६	हिगुलवात्तकासा	३७८
१५६	हिंसे वाले मुत्तावाई अ०	३६६
	हिंसे वाले मुत्तावाई मा०	२६८



